गंगा-पुस्तकमाला का ११९वाँ पुष्प
गोल-सभा
[राउंडटेबिल-कानफ़्रेंस का विस्तृत विवरण]
श्रीचतुरसेन शास्त्री

गोल-सभा

संपादक

श्रीदुलारेलाल भार्गव

(सुधा-संपादक)

लोह-लेखनी के धनी

आचार्य श्रीचतुरसेनजी शास्त्री

की

कसीली क़लम की करामात !

अक्षत—सचित्र गल्प-संग्रह । देखिए, कलमुही निर्जीव लेखनी किस भाँति हँसती, रोती और थिरक-थिरककर नाचती है । मूल्य १), सजिल्द १॥)

उत्सर्ग—नाटक । वे राजपूत सिंह और सिंहनियाँ किस भाँति मातृभूमि पर जूझ मरे हैं । एक बार पढ़कर आप आपे से बाहर हो जायँगे । मूल्य ॥), सजिल्द १)

हृदय की प्यास—उपन्यास । सौंदर्य की चिनगारी हृदय में एक आग सुलगाती है, और जब वह धायँ-धायँ जलती है, तब मनुष्य की कैसी दयनीय दशा हो जाती है । पढ़कर देखिए । आप गहरे विचार में पड़ जायँगे । हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समाजिक उपन्यास । मूल्य १॥), सजिल्द २)

हृदय की परख—उपन्यास । दूसरी बार । वासना और प्रेम का विशुद्ध प्रवाह कहाँ आकर एक संपात पर टकराता है । प्रेम के नाम पर पतन होनेवालों को आप कहाँ तक करुण-क्षमा दे सकते हैं, यह देखिए । मूल्य १), सजिल्द १॥)

संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ

गंगा-पुस्तकमाला का एक सौ उन्नीसवाँ पुष्प

गोल-सभा

[राउंड टेबिल-कानफ्रेंस का विस्तृत विवरण]

लेखक
आचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री

प्रकाशक
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
प्रकाशक और विक्रेता
लखनऊ

प्रथमावृत्ति

सजिल्द २)] सं० १९८८ वि० [सादी १॥)

प्रकाशक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ

मुद्रक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआर्ट-प्रेस
लखनऊ

भूमिका

'गोल-सभा' की भूमिका में, उचित तो यह था कि इस बात पर प्रकाश डाला जाय कि उसका वास्तविक महत्त्व क्या है। परंतु ब्रिटिश राजनीति की यह एक सबसे पेचीली और सबसे अधिक लुभानेवाली घटना है! अब देखना यह है कि भारत इसके मोह में पड़कर मुँह की खाता है या अपनी राजनीतिज्ञता का सच्चा परिचय देता है।

पाठकों को यह तो समझ में आ ही गया होगा कि इस गोल-सभा में जो सबसे गोल बात कही गई है, वह संरक्षण नीति के संबंध की है। वह संरक्षण नीति भारत के हित की दृष्टि से हो, यह महात्मा गांधी की हठ है, और भारत तथा इँगलैंड की हित की दृष्टि से हो, यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण है। शाब्दिक दृष्टि से यह बहुत ही साधारण-सी बात मालूम होती है, पर हम कहे देते हैं कि यदि भविष्य गोल-सभा भंग हुई, तो इसी महत्त्व-पूर्ण प्रश्न पर भंग होगी। और जहाँ तक हमें विश्वास है, यह निश्चय है कि इँगलैंड कभी इतना उदार नहीं है कि वह केवल भारत के हित के लिये सिरदर्दी मोल लेगा।

सारे संसार के राजनीतिज्ञ इस समय एक भयानक भूल कर रहे हैं, यदि वे यह समझते हैं कि गोल-सभा के निर्णयों से आशान्वित होकर महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की सरकार से सुलह करने के लिये इतना झुककर हाथ बढ़ाया है।

महात्मा गांधी की गूढ़ मनोवृत्ति तो सिर्फ़ यह है कि ब्रिटेन की सरकार भारत के जन-बल और अहिंसा-आंदोलन की शक्ति को बहुत कुछ समझ गई है और वह सुलह की इच्छा रखती है। महात्मा

गांधी और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह किसी भी दशा में नहीं विश्वास करते कि बल से भारत पर शासन हो सकेगा, और जब तक अमन-आमान क़ायम रखने की अभिलाषा प्रजा के दिल में न उत्पन्न हो, तब तक शांति और सुव्यवस्था नहीं बनी रह सकती।

परंतु सबके अंत की बात तो यह है कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन में सुलह होनी संभव ही नहीं है। सुलह का सीधा अर्थ यह है कि दोनो सत्ताओं में से एक आत्मघात करे।

हमने पाठकों के सामने इस पुस्तक को सिर्फ़ इसलिये रक्खा है कि निकट भविष्य में जो कुछ राजनीतिक दाव-पेंच खेले जानेवाले हैं, और जिनका परिणाम सुलह नहीं विग्रह है, समझने में आपको सहायता मिले।

अमीनाबाद-पार्क
लखनऊ
ता० २८।३।२१

श्रीचतुरसेन वैद्य

विषय-सूची

गोल-सभा

पहला अध्याय

भारतवर्ष

क्षेत्रफल—भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल १८ लाख ५ हज़ार वर्ग-मील है। इसमें ब्रिटिश-भारत का १० लाख १४ हज़ार वर्ग-मील और देशी राज्यों का ७ लाख ११ हज़ार वर्ग-मील। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि भारत इँगलैंड से १५ गुना और जापान से ७ गुना बड़ा है।

जन-संख्या—भारत की जन-संख्या ३२ करोड़ है। इसमें नगरों की ३ करोड़ १५ लाख और गाँवों की १८ करोड़ ६५ लाख है। ब्रिटिश-भारत की मनुष्य-संख्या २४ करोड़ ७० लाख है। भारत में १० बड़े प्रांत और २६१ ज़िले हैं।

प्रांत और ज़िले—

मद्रास में	२७ ज़िले—	मनुष्य-संख्या	४ करोड़	२३ लाख
बंबई में	२६ ,, —	,, ,,	१ ,,	६३ ,,
बंगाल में	२८ ,, —	,, ,,	४ ,,	५२ ,,
संयुक्त-प्रांत में	५२ ,, —	,, ,,	४ ,,	५३ ,,
पंजाब में	२६ ,, —	,, ,,	१ ,,	३८ ,,

बिहार-उड़ीसा में	२१ ज़िले—	मनुष्य-संख्या	३ करोड़	४० लाख	
मध्यप्रदेश और बरार में	२२ ,, —	,, ,,	१ ,,	६ ,,	
आसाम में	१२ ,, —	,, ,,		७६ ,,	
सीमा-प्रांत में	५ ,, —	,, ,,		२२ ,,	

पशु-धन				
गाय-बैल	११ करोड़	६६ लाख	६५ हजार
भैंस-भैंसे	२ ,,	८३ ,,	३५ ,,
भेड़-भेड़े	२ ,,	२० ,,	८२ ,,
बकरी-बकरे	२ ,,	४३ ,,	३३ ,,
घोड़ी-घोड़े		१६ ,,	८४ ,,
खच्चर			७६ ,,
गधे गधी		१३ ,,	८६ ,,
ऊँट-ऊटनी		४ ,,	१० ,,

रेलवे-लाइन—देश-भर में ३६,५७३ मील में रेल की लाइनें फैली हैं, जिनमें ७५४ करोड़ रुपया लगा है। प्रतिवर्ष ८० लाख टन माल लादा जाता है।

सेना और पुलिस—भारत में सेना के सिपाही ४ लाख ४० हज़ार ६०१ हैं। पुलिस ५ लाख १८ हज़ार है। सेना पर लगभग ६१ करोड़ और पुलिस पर ६½ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है।

बस्ती—७ लाख गाँव हैं। १ लाख से अधिक आबादी के नगर ३४ हैं।

नहरें—नहरों की लंबाई ३६,५८३ मील है। आबपाशी का

क्षेत्र २७० लाख एकड़ और खेती का क्षेत्रफल १,६६६ लाख एकड़ है।

अफ़सरों का वेतन—वाइसराय को २,५६,०००), गवर्नर जनरल की कौंसिल के प्रत्येक मेंबर को ८०,०००), जंगी लाट को १ लाख रुपया, बंगाल, बंबई, मद्रास और यू० पी० के गवर्नरों को १,२८,०००), प्रांतीय सरकारों के मेंबरों को ६४,०००), पंजाब तथा बिहार-उड़ीसा के गवर्नरों को १ लाख, मध्य-प्रांत के गवर्नर को ७२ हज़ार और आसाम के गवर्नर को ६६,०००) रुपया वेतन वार्षिक मिलता है।

शिक्षा-प्रचार– ब्रिटिश-भारत में पुरुषों के लिये १,३७,४३७ और स्त्रियों के लिये २६,३३५ विद्यालय हैं। २,०४० हाईस्कूल और १५२ आर्ट-कॉलेज हैं। १३,४०,८४२ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके सिवा ८ मेडिकल कॉलेज, १४ क़ानूनी कॉलेज, ६ कृषि-कॉलेज, ५ इंजीनियरिंग कॉलेज, ३ पशु-चिकित्सा के कॉलेज, २० ट्रेनिंग कॉलेज हैं। पढ़े-लिखों की संख्या प्रतिशत ५ पुरुषों में और १ स्त्रियों में है। १० करोड़ के लगभग मनुष्य हिंदी-भाषा-भाषी हैं।

जन्म और मृत्यु—जन्म ३२० प्रति हज़ार और मृत्यु ३०६ फ़ी हज़ार है।

व्यवस्थापक सभाएँ—राज्य-परिषद् में ६० मेंबर, भारतीय व्यवस्थापिका सभा में १४० मेंबर, बंगाल-कौंसिल में १३६, मद्रास में १८७, बंबई में १११, संयुक्त-प्रांत में १२३, बिहार-उड़ीसा में १०३ और पंजाब में ५३ मेंबर होते हैं।

भारतवर्ष अति प्राचीन सभ्यता का केंद्र, खनिज और कृषि के लिये हर तरह उपयुक्त, संसार-भर में महत्त्व-पूर्ण देश है। भारत के महत्त्व के विषय में अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान् सदरलैंड ने अपने विचार इस प्रकार लिखे हैं—

१—भारतीय जाति सबसे पुरानी जाति है, ३,००० वर्ष से भी पुरानी। इस जाति का अब तक का आद्योपांत इतिहास मिलता है।

२—चीन को छोड़कर भारतीय जाति संसार में सबसे बड़ी जाति है। दूसरे ढंग से यह कह सकते हैं कि रूस को छोड़कर शेष समस्त योरप के बराबर इसकी जन-संख्या है। यदि दक्षिण और उत्तर-अमेरिका को मिलाया जाय, तो उन दोनों की जन-संख्या से इसकी जन-संख्या बढ़ी हुई है।

३—भारत सभ्यता में योरप आदि से बहुत श्रेष्ठ है, और आज तक अपनी निजू सभ्यता को क़ायम रख सका है। इसकी सभ्यता का विकास संसार में सबसे प्रथम हुआ था।

४—भारत ही एक ऐसा प्रथम देश है, जहाँ सिकंदर को पराजय हुई, और उसे उलटे पाँव लौटना पड़ा।

५—जब तक गौरकाय सत्ता का यहाँ प्रवेश नहीं हुआ था, तब तक भारत ऐश्वर्य में संसार में सबसे बढ़-चढ़कर था।

६—भारतीय जनता अधिकतर आर्य-जाति की वंश-परंपरा है, और आर्य-रक्त उसकी नसों में बह रहा है। उस आर्य-जाति से यह जाति संबद्ध है, जिससे ग्रीक, रोमन, जर्मन, इँगलिश और हमारी अमेरिका भी संबद्ध है।

७—भारत जगत् के प्रचलित छ प्रधान ऐतिहासिक धर्मों में से दो धर्मों का जन्मदाता है।

८—जगत् में प्रचलित छ महाभारत-काव्यों में भारत ने दो महाभारत-महाकाव्यों को जन्म दिया है।

९—भारत ने जगत् को कालिदास दिया, वह प्रसिद्ध कालिदास, जो पाश्चात्य साहित्य-रूपी शृंखला की अंतिम कड़ी था।

१०—भारत ने सबसे प्रथम दशमलव-पद्धति का आविष्कार किया, जो गणित का आदि मूल-सिद्धांत है, जो 'अरेबिक नोटेशन' के नाम से प्रसिद्ध है, और फिर संसार की अन्य जातियों ने इस सिद्धांत को समझा।

ब्रिटिश-साम्राज्य में भारत का आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व असाधारण है। इस समय इँगलैंड को सब मिलाकर भारत से लगभग ३२७ करोड़ रुपया वार्षिक की आय है, जिसमें लगभग ६० करोड़ रुपया व्यापार द्वारा और ५० करोड़ के अनुमान वेतन द्वारा। सवा चार करोड़ की आबादी के क्षुद्र देश के लिये यह आय असाधारण है। इस आर्थिक लाभ से अधिक लाभ भारतीय सेनाओं द्वारा इँगलैंड को है, जिनके बल पर इँगलैंड की राजसत्ता समस्त एशिया में बहुत बढ़ गई है। चीन, मिश्र, रूस, जर्मनी, मेसोपौटैमिया, अरब में ब्रिटिश-साम्राज्य के महा-विस्तार में भारतीय सेना से, जो भारतीय रुपए से वेतन पाती है, बड़ी भारी सहायता इँगलैंड को मिलती रही है।

योरप इगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली, स्पेन और ग्रीस इन सात प्रबल राज्यों का समूह है, और इन राज्यों की राजनीतिक सत्ता ने ही योरप को समर्थ बना दिया है। भारत-वर्ष तमाम योरप के लगभग भू-भाग के बराबर है, और जन-संख्या में रूस को छोड़कर योरप-भर तथा अमेरिका से भी बढ़कर है। बंगाल का क्षेत्रफल फ्रांस से कुछ कम है, तो भी जन-संख्या सात करोड़ के लगभग है। युक्त-प्रांत का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन से कुछ ही कम है, किंतु जन-संख्या अधिक है। मद्रास-अहाता आयर्लैंड-सहित ग्रेट ब्रिटेन के बराबर क्षेत्रफल में है, जन-संख्या भी उससे कुछ ही कम है, बल्कि इटली के बराबर है। पंजाब की जन-संख्या स्पेन से कुछ अधिक औ बंबई की ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लैंड से कुछ कम है। मध्य-प्रदेश बेलजियम और हॉलैंड से कुछ बड़ा है। जिन प्रांतों में देशी राज्य हैं, उनकी बात पृथक् है। वर्मा और सीलोन भी पृथक् हैं। वास्तव में यह योरप के बराबर घना बसा हुआ—राजाओं, सेनाओं, व्यापारियों और नगरों से भरा हुआ देश है, और न केवल एशिया में, अपितु पृथ्वी-भर में वह एक महत्त्व रखता है।

इसी भारत की दुर्दशा देखकर स्वर्गीय केयरहार्डी ने अपनी पुस्तक में जो उद्गार लिखे थे, वे इस प्रकार हैं—

"भारत के अतीत वैभव और समृद्धि की स्मृति लोगों के हृदय में अभी तक हरी-भरी बनी है। एक शताब्दि पहले, जब

भारत के कुछ साधारण कुटुंब भी व्यापारिक उन्नति के कारण करोड़पति बन बैठे थे, तब हरएक मुँह पर भारत के ऐश्वर्य की ही चर्चा हुआ करती थी, परंतु अब भारत के वैभव और उसके व्यापारिक ऐश्वर्य को चर्चा कम हुआ करती है। वास्तव में भारत के निवासियों पर जैसी आर्थिक आपत्ति इस समय पड़ी है, जिस प्रकार उसका रक्त इस समय चूसा गया है, उसका नमूना उसके इतिहास के समस्त पन्ने उलटने पर कहीं न मिलेगा।

"अनुमान किया जाता है कि भारत की रेलों, नहरों और अन्य प्रजा-हितैषी उद्योग-धंधों में ब्रिटेन की ५० करोड़ पौंड पूँजी लगी है। भारत को ५ प्रतिशत के हिसाब से उसका ब्याज ढाई करोड़ पौंड हर साल का देना पड़ता है। यह ब्याज विलायत के बांड के ख़रीदारों को दिया जाता है, और इतनी बड़ी रक़म से भारत का कोई उपकार नहीं होता। इसके साथ ही फ़ौजी अफ़सरों और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और दूसरे ख़र्च जोड़ दीजिए। इसे मिलाकर ३ करोड़ पौंड हर साल इँगलैंड चले जाते हैं। भारत में ८० प्रतिशत टैक्स ज़मीन से वसूल किए जाते हैं! गवर्नमेंट जो टैक्स किसानों से वसूल करती है, वह उनकी उपज का ५० से लेकर ६५ प्रतिशत तक होता है!! इसके अतिरिक्त किसानों को और भी बहुत-से स्थानीय टैक्स देने पड़ते हैं। इस प्रकार बेचारे किसानों की ७५ प्रतिशत फ़सल केवल टैक्स अदा करने में चली जाती है!

निर्धनता का साम्राज्य

"इँगलैंड में आमदनी पर ५ प्रतिशत टैक्स लगाने से सारे देश में सनसनी फैल जाती और जनता उसका विरोध करने पर तुल जाती है। ख़ूबी यह कि टैक्स ज़मीन की उपज पर नहीं, केवल मुनाफ़े पर लगाया जाता है। ऐसी दशा में उस देश की क्या स्थिति होगी, जहाँ मुनाफ़े पर ५ प्रतिशत टैक्स नहीं लगाया जाता, बल्कि उपज पर ७५ प्रतिशत लगाया जाता है! समय-समय पर लगान का रेट बदलता रहता है, और यह केवल इसलिये कि गवर्नमेंट इन क़र्ज़ से लदे हुए किसानों से जितना अधिक ऐंठ सके, ऐंठे! लगान में ३० प्रतिशत की वृद्धि करना तो एक साधारण-सी बात है; रजिस्टरों में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जहाँ यह लगान-वृद्धि ५०, ७० यहाँ तक कि १०० प्रतिशत तक की गई है। यह एक ऐसी बात है, जिसके कारण भारत में स्थायी रूप से ग़रीबी और दुर्भिक्ष का साम्राज्य हो गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि ब्रिटिश-राज्य में किसानों को पुराने ज़माने के राजों से कम टैक्स देना पड़ता है। इस तर्क के कई प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं, परंतु नीचे ऐसी कुछ संख्याएँ दी जाती हैं, जिनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

"जब बंबई-प्रांत सन् १८१७ में ब्रिटिश-राज्य में सम्मिलित किया गया, तब उसके शासकों ने अपने किसानों से केवल ८० लाख रुपया लगान में वसूल किया था। उस समय लगान वसूल करने की यह पद्धति थी कि फ़सल का, चाहे वह अच्छी हो

या ख़राब, चौथाई भाग लिया जाता था। इस प्रकार जब फ़सल ख़ूब अच्छी होती थी, तब गवर्नमेंट और प्रजा दोनो ही भरे-पूरे रहते थे, और दोनो को एक ही प्रकार के लाभ रहते थे। और, जब फ़सल ख़राब होती थी, तब दोनो ही हानि सहते थे। परंतु अब तो चाहे फ़सल अच्छी हो या ख़राब, या बिलकुल ही न हुई हो, प्रतिवर्ष एक निश्चित रक़म वसूल की जाती है! सन् १८१७ के बाद उपर्युक्त प्रकार से लगान ज़बर-दस्ती वसूल करने की रीति चल पड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् १८२३ में लगान की आमदनी ८० लाख से १ करोड़ ५० लाख बढ़ गई, और सन् १८७५ में वह बढ़कर ४ करोड़ ८० लाख हो गई!

"जब गत शताब्दि के प्रारंभ में सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तब भी लगान के संबंध में इसी प्रकार की सख़्तियाँ की गई थीं, और इसके परिणाम-स्वरूप समस्त प्रांत से किसानों के भूखे मरने के समाचार आने लगे थे, और जाँच के उपरांत गवर्नमेंट को २५ प्रतिशत लगान कम करना पड़ा था। उनके अधीन ऑफ़िसर पहले तो उनकी आज्ञा-पालन करने में आना-कानी करने लगे, परंतु अंत में उन्हें उनकी कड़ी आज्ञा के सामने नत-मस्तक होना पड़ा। इस लगातार लूट-खसोट का परिणाम यह हुआ कि उस देश की प्रजा इतनी ग़रीब हो गई, जितनी संसार के किसी अन्य देश की नहीं। सचमुच सौ वर्ष के 'सभ्य' कहलानेवाले शासन

के उपरांत ऐसा ग़रीब और भुखमरा देश तो संसार के कोने में कहीं ढूँढ़े न मिलेगा! भारत की संख्या (Statistics)-विभाग के डाइरेक्टर जनरल सर विलियम हंटर ने, जो भारत और उसके निवासियों के सच्चे हितैषी थे, लिखा है कि "भारत के चार करोड़ मनुष्यों को भर-पेट रूखा-सूखा भी खाने को नहीं मिलता।" और, पंजाब के अर्थ-विभाग के कमिश्नर ने कहा था कि "भारत के ७ करोड़ किसान इतनी भयंकर ग़रीबी में हैं कि किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं......"

दूसरा अध्याय

भारत और ग्रेट ब्रिटेन

महारानी एलिज़ाबेथ के शासन के बाद ३ शताब्दियों में इँगलैंड ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। भारत का इँगलैंड के हाथ आ जाना एक आकस्मिक घटना है। पर उसने इँगलैंड को असाधारण जीवन दिया है। यदि इँगलैंड का भारत और उसके संबंधी उपनिवेशों से संबंध छूट जाय, तो वह शेक्सपियर के समय की तरह 'एक बड़े भारी जलाशय में हंस के समान' रह जायगा।

परंतु यदि भारत और ग्रेट ब्रिटेन में इस साम्राज्य की स्थापना से वह सांघातिक मेल हो गया होता, जो उनके राजनीतिक स्वार्थों और आर्थिक समस्याओं को मित्र-भाव से एक करता, तो आशा की जा सकती थी कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य अमेरिका के संयुक्त-राज्यों-जैसा बन जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत को नैतिक राज्य में संगठित करने में ग्रेट ब्रिटेन को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जो अनेक जातियों और समुदायों का शिकार है। इँगलैंड, जो एक हाथ से पृथ्वी-भर के भविष्यवाद को दृढ़ता से पकड़े रहना चाहता है, दूसरे से सदैव के लिये उस भारत को पकड़े रहने का अभिलाषी है, जो

अपनी तमाम शक्ति से अत्यंत प्राचीनता की ओर आकृष्ट है। यह कैसे हो सकता है कि वह एशिया में स्वेच्छाचारी रहे, और आस्ट्रेलिया में प्रजासत्तावाद का समर्थक। पश्चिम में स्वायत्त-शासन का प्रशंसक रहे, और पूर्व में मुस्लिम अंध-विश्वासों और मंदिरों का संरक्षक।

परंतु यदि ध्यान से देखा जाय, तो राजनीतिक प्रभुत्व की अपेक्षा इँगलैंड का भारत पर आर्थिक प्रभुत्व ही अधिक महत्त्व-पूर्ण है। यह बात भी सच है कि अँगरेज़ों ने प्रारंभ में भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व की बात भी न सोची थी, वह तो घटना-क्रम से आप ही होता चला गया। सर जॉन सीली ने कहा है कि जब हम अमेरिका के युद्ध में अपनी भारी अयोग्यता दिखाकर ३० लाख मनुष्यों के प्रदेश को खो बैठे थे, और युद्धों में भी फँसे थे, एवं कुल अँगरेज़ १ करोड़ २० लाख थे, तब कैसे भारत के दुर्दमनीय विजेता बन बैठे! जब क्लाइव लासी और दक्खिन में युद्ध कर रहा था, तब अमेरिका में सात वर्ष का युद्ध चल रहा था, और जब नेपोलियन से इँगलैंड थर्रा रहा था, तब लॉर्ड वेल्ज़ली बहुत-सी भूमि अँगरेज़ी राज्य में मिला रहा था!! योरप में हम जल-युद्ध ही करते थे, और स्थल-युद्ध के लिये किसी मित्र सैनिक राज्य से किराए पर सेना लेते थे। फिर भी हम १० लाख वर्ग-मील का देश जीत गए!

१६वीं शताब्दि तक लगभग आधी एशिया पोर्तुगीज़ों के अधीन थी। इसी शताब्दि के अंत में डचों ने सफलता प्राप्त

की । १७वीं शताब्दि में अँगरेज़ों ने डरते-डरते डचों पर हाथ मारा । फ्रेंच और अँगरेज़ों में स्पर्द्धा बढ़ी । १८वीं शताब्दि-भर दोनो के युद्ध हुए, जो परस्पर के प्राधान्य के निर्णय के लिये थे ।

१७५८ में ब्रिटिश-साम्राज्य स्थापित हुआ । १८वीं शताब्दि में अँगरेज़ों को पंजाब की चिंता न थी, वे मद्रास में फ्रेंचों की गड़बड़ से भयभीत थे । पर मिश्र पर नेपोलियन की चढ़ाई के बाद वैदेशिक संबंध का अँगरेज़ी रूप ही बदल गया । अफ़-ग़ानिस्तान पर अँगरेज़ी दृष्टि पहुँची, और सर जान मालकम को फ़ारस मिशन लेकर भेजा गया । फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान से संधियाँ हुईं । तिब्बत-नैपाल से भी संधियाँ हुईं । इस प्रकार भारत पर ग्रेट ब्रिटेन का प्रभुत्व पक्का हुआ ।

यह वह समय था, जब देश में अविचार बढ़ गया था । सामाजिकता दिमाग़ी ग़ुलामी में दब गई थी । दिल्ली के सम्राट् अपने अत्याचारों का फल भोग रहे थे । मराठों की मार के मारे मुग़ल-तख्त छिन्न-भिन्न हो गया था । राजपूताना मुग़लों का सामना करते-करते चूर-चूर हो गया था । पूर्वी प्रांतों के सूबे-दार उच्छृंखल नवाब बन बैठे थे, और शराब तथा ऐयाशी में डूबे पड़े थे । उनसे प्रजा-रंजन तो दूर, प्रजा-पालन भी न होता था ।

परंतु प्रजा में इस राजनीतिक विपत्ति ने कुछ गुण उत्पन्न कर दिए थे । वह वीर, स्वावलंबी और सहनशील बन गई थी । फिर उसके जीवन-निर्वाह की विधियाँ बहुत सरल थीं । खाद्य

पदार्थ बहुत सस्ते थे। नागरिक जीवन की कृत्रिमता व्यापक न थी। लोग शांत और स्थिर होकर जी रहे थे। व्यापार और शिल्प भरपूर रीति से परस्पर एक दूसरे को उत्तेजन देते थे।

ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग ने सर्व प्रथम देश के शिल्प और व्यापार को नष्ट किया, और आज वह एक-मात्र मज़दूरी या दलाली के रूप में रह गया है। ग्रेट ब्रिटेन ने इस बात पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया कि भारत कच्चा माल तैयार करे, और उसे इँगलैंड के मज़दूर अपनी मशीन के ही बल पर तैयार कर साम्राज्य-भर में बेचकर व्यापार करें। मैकाले ने एक बार कहा था कि अँगरेज़ी उद्योग-धंधों का आश्चर्य-जनक विस्तार और भारत की दरिद्रता दोनो समसामयिक हैं। धीरे-धीरे कच्चे माल का भी व्यापार अँगरेज़ों के हाथ में चला गया।

१००-१५० वर्ष पूर्व भारत का व्यापार अफ़ग़ानिस्तान और फ़ारस होता हुआ योरप जाता था। यहाँ के मलमल और रेशम की संसार-भर में धूम थी। डॉ० टेलर ने २२ ग्रेन वज़न का सूत १,३४८ गज़ देखा था। यह सब शिल्प और वाणिज्य नष्ट कर दिया गया, जिसकी कहानी बड़ी ही करुण है, और उसे दुह-राने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं।

कृषि की दशा, जिस पर अँगरेज़-सरकार का बड़ा ज़ोर है, बड़ी गंभीर है। लगभग २२ करोड़ किसान कृषि पर अवलंबित हैं, जिनमें, सर चार्ल्स ईलियट के मतानुसार, ७ करोड़ मनुष्यों को जीवन-भर आधा पेट भोजन मिलता है। इनकी दुर्दशा जगत्-

विख्यात है। उनके कष्ट अनगिनत हैं। उनके पशुओं के लिये गोचर-भूमि नहीं, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। वह लगान और साहूकार के ब्याज में पिसकर मर रहे हैं।

शिक्षा की दशा सुनिए। फ़ी-सदी २·८ बच्चों को शिक्षा मिल रही है, जो किसी भी सभ्य देश के लिये लज्जा की बात है। ५५ लाख विद्यार्थियों की शिक्षा में जितना धन ख़र्च किया जाता है, वह अति नगण्य है। इस समय इँगलैंड और वेल्स में स्कूल जानेवाले बच्चों की संख्या ६० लाख है।

स्वास्थ्य की दशा नगर और ग्राम सर्वत्र ही अति भयानक है। छूत और संक्रामक रोग प्रायः नित्य बने रहते हैं, और भारतीयों की परमायु का औसत २३·५ है, जो अतिशय दयनीय है। अस्पतालों में जिस प्रकार रोगियों की दुर्दशा होती है, उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। हर हालत में ग्रेट ब्रिटेन के संसर्ग में भारत दुखी, रोगी, दरिद्र और विकास से रहित एवं मूर्ख ही रह रहा है।

तीसरा अध्याय

राजनीतिक अशांति

गत ४० वर्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार में डूबा हुआ भारतीय राष्ट्र भीतर-ही-भीतर एक नया जीवन प्राप्त कर रहा है। इस बीच में अनेक प्रतिभा-संपन्न आत्माओं ने राष्ट्रीयता की चिनगारी को सुलगाकर एक बड़ा अंगार बना दिया है, जिसने प्रांतीयता, धार्मिक कट्टरता और जातीय स्वार्थों को छिन्न-भिन्न करके राष्ट्रीय जीवन उत्पन्न कर दिया है। देश के विषम विपत्ति-काल में इन आत्माओं ने अपनी शक्ति और प्रतिभा का अमूल्य दान देश को दिया। उन्हीं के इस अमूल्य दान से नवीन जातीयता के बीज उगते हम देख रहे हैं। यह नवीन जातीयता साहसी, तेजस्वी, उच्चाशय, उदार, स्वार्थ-रहित, परोपकारी और देश-हित-साधन के लिये उच्चाकांक्षाओं से परिपूर्ण है। देश-भर में वृद्ध और युवकों में एक अद्भुत अनेक्य जो हम देख रहे हैं, वह इसी जातीयता के उत्थान का कारण है। मालूम होता है, भारत के कलियुग का अंधकारमय युग समाप्त हो रहा है, और देश का तरुण मंडल अग्नि-स्फुलिंग के समान पुराने झोपड़े को ढहाकर नवीन महल का निर्माण किया चाहता है। इस नवीन संतति ने जिस कार्य को प्रारंभ किया है, उसे विना पूर्ण किए

उसका शांत होना संभव नहीं दीख रहा है। इस नवीनता के भीतर भी प्राचीनता का प्रभाव है, यह बिना कहे तो रहा नहीं जा सकता, और जब कभी भारत स्वाधीन होगा, यही विशेषता उसे संसार के राष्ट्रों में ख़ास स्थान देगी।

ग्रेट ब्रिटेन भारत के इस नव्य उत्थान को सदैव ही विद्वेष कह-कर पुकारता रहा है। विद्वेष मानवीय हृदय की अति निकृष्ट भावना है, परंतु जो कुछ देश में आज तक हुआ है, वह ग्रेट ब्रिटेन के लिये चाहे जितना हानिकर हो, पर वह निकृष्ट भावना तो कहा नहीं सकता। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ हो रहा है, उसमें विद्वेष की भावना है ही नहीं। पर घृणा और विद्वेष जहाँ है, वह बदले की भावना से है।

इँगलैंड के पत्रों और मनुष्यों ने भारत के इस उत्थान को जिस विद्वेष, उपेक्षा और घृणा से देखा है, और समय-समय पर रेलों, बाज़ारों, क्लबों और अन्य स्थलों पर जैसे कमीने आक्रमण किए हैं, उसे निर्विकार भाव से सहना बड़े-से-बड़े सहिष्णु मनुष्य के लिये संभव नहीं। क्रोध एक स्वाभाविक वस्तु है, जो प्राणी के साथ रहता है। सच्चा और सतोगुणी क्रोध जिस मनुष्य की भृकुटी में नहीं, वह मनुष्य ही क्या? स्वार्थ पर आघात होने अथवा अप्रिय आचरण होने पर प्राणी-मात्र के हृदय में क्रोधाग्नि प्रज्व-लित होती है। उसके बढ़ जाने पर विद्वेष का आचरण होता है। भारतवासियों के हृदयों में चिरकाल से अँगरेज़ व्यक्ति-विशेषों के अन्यायाचरण अथवा सत्ता की स्वेच्छाचारिता से भीतर-ही-

भीतर क्रोध तथा असंतोष का संचय हो रहा था। इसी समय ब्रिटेन की सत्ता ने उस उदीयमान नई भावना को दमन करने की चेष्टा की। इससे असंतोष ने तीव्र भावना को ग्रहण कर लिया। आज देश में सब धर्म-वचनों, सब आह्लाद-वाक्यों, सब मंतव्यों के ऊपर 'वंदे मातरम्' और 'क्रांति की जय' का स्वर ही सुन पड़ता है।

पूर्ण स्वाधीनता देश को राजनीतिक चेष्टा की चरम सीमा है, और आज भारत ने उसे ही अपना ध्येय बना लिया है।

देश की इस राजनीतिक अशांति के उद्गाता तीन महापुरुष हैं, जिन्होंने इस आकांक्षा को देश की आत्मा में एकत्र किया। वे हैं दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक। इन तीनो महात्माओं के जीवन इस नवीन जीवन के अंकुर बाने और देश में सार्वभौम क्षेत्र तैयार करने में व्यतीत हुए। अंत में लोकमान्य तिलक ने अपने उस युग को आकांक्षा की एक रेखा बनाई, और वह रेखा थी—"स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है।" यह वाक्य एक बार देश-भर के वातावरण में सर्वोपरि रहा था।

कलकत्ते की कांग्रेस में ही यह बात प्रकट हो गई थी कि देश का वातावरण बहुत गर्म हो गया है। इसके बाद ही देश का आंदोलन और ही रूप पकड़ गया। तिलक की नीति अब पुरानी हो गई, और महात्मा गांधी ने अपना असहयोग-सिद्धांत प्रच-लित किया। उसमें एक भयानक आग थी, परंतु एक प्रबल

शांति थी। देश ने इसे धीरे-धीरे समझा, और वह एकाएक उसके अनुकूल हो गया। इस महायुग के संचालक महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू हुए।

इस नीति में महत्त्व-पूर्ण बात अहिंसा और अक्रोध है, और वह ठीक उन्हीं अर्थों में, जिन अर्थों में आध्यात्मवाद में मानी गई है। परंतु देश में उस उच्च नीति को समझनेवाले सब नहीं हो सकते थे। फलतः षड्यंत्र-दल का भी संगठन होता रहा, और वह बीच-बीच में हत्याओं और दूसरे उपद्रवों से ब्रिटिश सभा के प्रति अपना तीव्र रोष प्रकट करता रहा।

देश से यह गर्म दल शमन हो, इसलिये महात्मा गांधी ने अपनी नीति को स्थगित और आवश्यकतानुसार मंद किया, और अंत में, सन् तीस में, उन्होंने अतर्क्य रीति से प्रबल संग्राम छेड़ दिया, जिसे सारे संसार की महाशक्तियों ने आश्चर्य से देखा। इस संग्राम के संचालक महात्मा गांधी-जैसे मनस्वी, मोतीलाल-जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञ और जवाहरलाल-जैसे युवक साम्यवादी रहे। तीनो शक्तियों का एक होना अद्भुत घटना थी, और यह युगांतर करनेवाला निग्रही योग था। शोक है, आज इस योग में एक महाग्रह का वियोग हो गया ! जो हो, इस संग्राम में देश के प्रायः सभी प्रमुख नेता और अति प्रतिष्ठित पुरुषों ने भी योग दिया और लगभग २५ हजार महिलाएँ तथा ५० हजार पुरुष जेलों में हुये हैं।

इस महासंग्राम में लॉर्ड इर्विन को तीन ही मास में ८ ऑर्डि-

नेंस निकालने पड़े, और लाठियों के प्रहार तथा कोड़ों की मार एवं और भी निर्दय व्यवहार करने पड़े, कुर्कियाँ और जब्तियाँ भी जिनमें सम्मिलित हैं। क्रांतिकारियों के बमनिर्माण, हत्याकांड और उनका क्षण-क्षण पर बढ़ता हुआ प्रभाव तथा उनके लिये पुलिस और सत्ता का कठोर शासन हमारे वर्णन का विषय नहीं।

इस समय देश का मूल-मंत्र है 'इन्क़िलाब ज़िदाबाद' और राजनीतिक ध्येय है 'पूर्ण स्वाधीनता'।

चौथा अध्याय

लाहौर-कांग्रेस

लाहौर में कांग्रेस—इससे प्रथम लाहौर में दो अधिवेशन हो चुके थे, पहला सन् १८९३ में स्वर्गीय दादाभाई नौरोज़ी की अध्यक्षता में और दूसरा सन् १९०० में। परंतु इस कांग्रेस में और उनमें बहुत अंतर था! वह कांग्रेस अर्ध-सरकारी संस्था थी। लोग बड़े दिन की छुट्टियों का मज़ा लूटने, अँगरेज़ी में सुंदर व्याख्यान झाड़ने और सुनने को इकट्ठे हुआ करते थे। हिंदोस्तानियों को ऊँची नौकरियाँ मिलें—इसी प्रकार के प्रस्ताव होते और उनकी नक़लें सरकार को भेज दी जाती थीं।

कांग्रेस का जन्म—स्वर्गीय देशभक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कांग्रेस को जन्म देने का श्रेय मिलना योग्य है। उन्होंने देश में राजनीतिक प्रचार करने और राष्ट्रीयता का भाव भरने को, २६ जुलाई, सन् १८७६ में, कलकत्ते में, इंडियन एसोसिएशन क़ायम किया। श्यामाचरण सरकार उसके सभापति और आनंदमोहन बोस मंत्री बनाए गए। परंतु सच्चे मंत्री तो सुरेंद्रनाथ ही थे। पर चूँकि वह तभी नौकरी से निकाले गए थे, इसलिये राजनीति में अगुआ होना न चाहते थे।

इसी अवसर पर लॉर्ड साल्सबरी ने इंडियन सिविल सर्विस

की परीक्षा के लिये २१ के बजाय १६ वर्ष की आयु की क़ैद कर दी थी। इस विषय को लेकर उक्त एसोसिएशन ने विरोध में घोर आंदोलन किया। इसके लिये सुरेंद्रनाथजी ने काशी से रावलपिंडी तक और फिर तमाम दक्षिण का दौरा किया। बड़े-बड़े शहरों में आपने भाषण दिए। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद सभापति बने। दक्षिण के काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, महादेव-गोविंद रानाडे इस आंदोलन में आपके साथी हुए। अंत में श्रीलालमोहन घोष इँगलैंड की कामंस सभा में इसी उद्देश्य से भेजे गए। अंत को सिविल सर्विस-संबंधी नियमों में आवश्यक सुधार कर दिए गए।

१८७७ में, दिल्ली में, महारानी विक्टोरिया का दर्बार हुआ। वहाँ बड़े-बड़े राजे और विद्वान् आए। सुरेंद्रनाथजी हिंदू-पेट्रिएट के तौर पर उसे देखने गए। उन दिनों देश में भारी अकाल पड़ रहा था। पर वहाँ की फ़िज़ूलख़र्ची और ठाट देखकर वह विचलित हुए। देश की सार्वजनिक शक्ति को एकत्र करने के विचार इसी समय उनमें उत्पन्न हुए।

सन् १८८० में लार्ड रिपन गवर्नर जनरल होकर आए। प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने भारत की अशांति देखकर ही उन्हें भेजा था। इन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से संधि की, और वैज्ञानिक सीमा-प्रांत की अपेक्षा प्रजा की शांति को अधिक संतोष-जनक समझा। इन्होंने १८७८ के देशी अख़बारों के नियंत्रण-संबंधी क़ानूनों को रद कर दिया। जिला-बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियाँ क़ायम कीं।

सन् १८८२ में सर सी० पी० एलबर्ट ने कौंसिल में वह प्रसिद्ध बिल रक्खा, जिसका मतलब यह था कि गोरे अभियुक्तों का फ़ैसला भी काले मैजिस्ट्रेट कर सकें। ऐंग्लो-इंडियन लोगों में भारी तूफ़ान उठा। इससे अँगरेज़ी पढ़े-लिखे भारतीयों के मन में यह विचार पैदा हुआ कि गोरे लोग हमें तुच्छ ही समझते हैं। जगह-जगह संस्थाएँ स्थापित होने लगीं। १८८४ में, बंगाल में, जितेंद्रमोहन ठाकुर के नेतृत्व में, नेशनल लीग की स्थापना और एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शिनी हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर-भारत का तीसरा दौरा किया, और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर ज़ोरदार भाषण दिए। इधर १८८५ में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जन्म हुआ। श्रीफ़ीरोज़ शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनशा एदलजी वाचा इसके संयुक्त मंत्री हुए।

परंतु इन सभी सभाओं की सीमा प्रांतों में बद्ध थी। इंडियन एसोसिएशन के सिवा सबका उद्देश्य भी प्रांत में ही काम करना था। पर देश-भर की समस्याओं का विचार करने की भावना देश में उत्पन्न हो गई थी।

मिस्टर ह्यूम, जो कांग्रेस के पिता कहे जाते हैं, सन् ५७ का विद्रोह देख चुके थे। वह उन दिनों इटावे के कलेक्टर थे। १८७० में वह भारत-सरकार के स्वराष्ट्र-सचिव रहे, फिर सन् १८७१ से १८७६ तक लगान, कृषि और व्यापार-विभाग के मिनिस्टर रहे। इन उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्यों में रहने पर आपको देश की परिस्थिति देखने का बारीकी से अवसर मिला। देश की जनता

एकमत से उठ खड़ो हो, तो कैसी विपद् उठ खड़ी हो सकती है, यह वह समझे हुए थे। सन् १८८२ में उन्होंने नौकरी छोड़ी, और शिमले में रहने लगे। आपने लॉर्ड लिटन का कठोर शासन और उसके बाद लॉर्ड रिपन का शांत प्रोग्राम देखा था। वह गोरों के जोश और देश के असंतोष पर गंभीर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, वैध आंदोलन का मार्ग खोलकर यह असंतोष रोका जा सकता है। यह विचारकर इन्होंने सन् १८८४ में एक इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। इसने १८८५ में, दिसंबर में, देश-भर के प्रतिनिधियों को एकत्र करने की तैयारी की। भारत के मध्य भाग में होने के कारण इसके लिये पूना स्थान नियत किया गया। उद्देश्य था राष्ट्रीय उन्नति तथा आगामी वर्ष के लिये राजनीतिक कार्य।

चिपलूणकर स्वागतकारिणी के सभापति बने। ह्यूम साहब का विचार इस सभा के द्वारा केवल सामाजिक विषयों पर विचार करना था। पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफ़रिन ने उन्हें राजनीतिक सभा बनाने की सलाह दी। लॉर्ड डफ़रिन ने उनसे कहा—शासन-सूत्रधार की हैसियत से मुझे लोगों की वास्तविक इच्छा जानने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। यदि कोई ऐसी ज़िम्मेदार संस्था हो, जिससे सरकार को देश की इच्छा का पता चलता रहे, तो बड़ी सुविधा हो। १८८५ में, शिमले में, ह्यूम साहब और वायसराय से इस संबंध में बातचीत भी हुई। उसमें वायसराय ने यह भी कहा कि इसमें प्रांत के गवर्नर की

अध्यक्षता न रहे, जिसमें लोगों को संकोच न हो। यह तजवीज़ नेताओं ने भी पसंद की। वायसराय ने यह कह दिया था कि उनका नाम इस संबंध में तब तक न प्रकट किया जाय, जब तक वह भारतवर्ष में रहें। यही हुआ भी। इसके बाद ह्यूम साहब इँगलैंड गए, और वहाँ लॉर्ड रिपन, जान ब्राइट एम्० पी०, आर० टी० रेड एम्०, पी०, लॉर्ड डलहौसी, वैक्सटन एम्० पी०, स्लैग एम्० पी० और अन्य पुरुषों से भेंट कर अपना अभिप्राय समझा दिया, जिससे कोई ग़लतफ़हमी न होने पावे। यह करके वह नवंबर में भारतवर्ष लौट आए।

अचानक पूने में प्लेग-प्रकोप होने के कारण यह अधिवेशन बंबई में, सन् १८८५ में, श्रीउमेशचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, ७२ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। यह कांग्रेस के जन्म का संक्षिप्त इतिहास है। इसके बाद ४४ वर्ष का इतिहास तो बहुत विस्तृत है।

सन् ३० को कांग्रेस से प्रथम की नीति—सन् ३० की कांग्रेस, पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, खुले षड्यंत्र की सभा थी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव बहु-सम्मति से पास हुआ। सन् १६०६ में जब कलकत्ते में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में कांग्रेस हुई, तब उसमें स्पष्ट राष्ट्रीयता की गंध आने लगी थी। 'स्वराज्य' शब्द का सबसे प्रथम मंत्रोच्चार उसी समय हुआ था। इसके बाद सन् १६०८ ई० में, इलाहाबाद में, कांग्रेस का ध्येय निश्चित किया गया। उस समय साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य की माँग

थी। १६२० तक कांग्रेस की यही नीति रही। परंतु नागपुर-कांग्रेस में महात्मा गांधी ने साफ़ कह दिया कि "ब्रिटिश-साम्राज्य के अंदर यदि संभव हो, और ब्रिटिश-साम्राज्य के बाहर यदि ज़रूरत हो।" ६ वर्ष तक यह युग भी क़ायम रहा।

सन् ३० की कांग्रेस—कलकत्ते की कांग्रेस में महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि ३१ दिसंबर, सन् २६ को रात के १२ बजे तक सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य भारत को न देगी, तो मैं पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में हो जाऊँगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने रात को १२ बजकर २ मिनट पर पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की। इस कांग्रेस के सभापति का पद ग्रहण करने के लिये महात्मा गांधी से बहुत विनय की गई थी; परंतु उन्होंने यह जवाब दिया कि देश में जो नई उत्तेजना फैली है, उसे रोककर, अपनी ठीक नीति के आधार पर क़ब्ज़े में कर रखना मेरे लिये अशक्य प्रतीत होता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि उस प्रवाह को अपने ऊपर से गुज़र जाने दूँ। उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू को सभापति-पद के लिये पेश किया, और वह चुन लिए गए। देश में इस समय गर्म विचार भरे हुए थे। यद्यपि लोग देश के लिये साधारण क़ुर्बानी भी करने को तैयार नहीं दीखते थे, परंतु वे गर्म-से-गर्म प्रोग्राम को अमल में आने का तमाशा देखना अवश्य चाहते थे। नवयुवक लोग, जिनमें पंजाब, बंगाल और दक्षिण-भारत का ख़ास भाग था, बड़ी उतावली से अपने गर्म विचारों को अमल में लाने की इच्छा करते दीख पड़ते थे।

वायसराय को ट्रेन पर बम—२३ तारीख़ के प्रातःकाल ७½ बजे निज़ामुद्दीन-स्टेशन और अजमेरी-दरवाज़े के रेलवे-केबिन के बीच क्रांतिकारी दल ने बम का प्रयोग किया। यह बम बड़ी होशियारी से निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली-स्टेशन के बीच ६५२-६ नंबर के खंभे के पास, लाइन के नीचे, रक्खा था, और उसका संबंध एक बिजली के तार से था, जो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था, और पुराने क़िले की दक्षिणी दीवार से २० गज़ के फ़ासले पर होता हुआ चला गया था। वहाँ से चौथाई मील के फ़ासले पर एक शख़्स बैठा था, और बैटरी तार से लगी हुई थी। जहाँ बम रक्खा था, वहाँ से ३० फ़ीट इधर-उधर ज़मीन ढालू थी। यदि ट्रेन पटरी से भी उतर जाती, तो चकना-चूर हो जाती। उस वक़्त घना कुहरा पड़ रहा था। ट्रेन ५० मील की चाल पर दौड़ रही थी। ट्रेन के ठीक वहाँ पहुँचने पर धड़ाका हुआ। दो डब्बे बुरी तरह नष्ट हो गए। एक ख़ानसामे को चोट आई। खिड़कियों के शीशे टूट गए। उस स्थान की पटरी २ फ़ीट ६ इंच उड़ गई। परंतु ट्रेन विना रुके नई दिल्ली-स्टेशन पर, ठीक टाइम पर, पहुँच गई। बम की ख़बर 'स्टेशन पहुँचने पर' कर्नल हार्वे ने वायसराय को दी। वह उसी क्षण घटना-स्थल पर गए। लाइन पर पुलीस का कड़ा पहरा था, और घटना-स्थल पर भी पुलीस तैनात थी। ठीक इसी दिन लॉर्ड हार्डिंग पर भी बम फेका गया था। इस संबंध के सब भेद अब लाहौर के दूसरे षडयंत्र-केस में खुल गए हैं।

वायसराय से नेताओं का सम्मिलन—इसी दिन ३ बजे शाम को महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, माननीय पटेल, सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जिन्ना से वायसराय ने मुलाक़ात की। २½ घंटे तक बहस होती रही। महात्मा गांधी का कहना था कि सम्राट् की गवर्नमेंट की ओर से जब तक यह विश्वास न दिलाया जायगा कि प्रस्तावित गोल-सभा में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्कीम पर विचार होगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका समर्थन करेगी, तब तक कांग्रेस का उसमें भाग लेना कठिन है। वायसराय ने साफ़ तौर पर कह दिया कि सभा का उद्देश्य केवल यही है कि उन प्रस्तावों में, जिन्हें गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी, अधिक-से-अधिक एकमत होने का विचार प्रकट किया जा सके। मेरे लिये अथवा सम्राट् की सरकार के लिये पहले से यह बताना असंभव है कि सभा में क्या होगा। पार्लियामेंट की स्वाधीनता कम करना भी संभव नहीं। महात्मा गांधी ने कहा—मैं भारत के राष्ट्र के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि ३१ दिसंबर तक यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य न मिल जायगा, तो मैं पूर्ण स्वाधीनतावादी बन जाऊँगा। अतः शीघ्र ही पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। वायसराय ने जवाब देते हुए कहा—मैं महात्मा गांधी और पं० मोतीलालजी नेहरू की माँगों से, जो उज्र के लायक़ और स्वीकार करने के अयोग्य हैं, सहमत नहीं।

इस प्रकार यह सम्मेलन व्यर्थ गया।

अफ़वाहें—कांग्रेस से प्रथम चारो तरफ़ अनेक प्रकार की अफ़वाहें फैल रही थीं। लोग कहते थे, हवाई जहाज़ और मशीन-गनें पंडाल को उड़ा देंगी। कांग्रेस पूरी न हो सकेगी। कुछ लोग कहते थे, जवाहरलाल स्वराज्य-सेना-संग्रह कर युद्ध शुरू कर देंगे। रूस और अमेरिका से मदद मिल रही है। हिंदोस्तान-भर की खुफ़िया पुलीस लाहौर में इकट्ठी हो गई है, आदि-आदि।

सभापति का जुलूस—२५ तारीख़ को ४ बजे पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुँची। लोगों का कहना था कि इतनी भीड़ लाहौर में पहले कभी नहीं देखी गई। १ घंटे तक सभापति को रास्ता न मिला। प्लेटफ़ार्म पर बैंड बज रहा था। चर्खेदार झंडियाँ थीं। महिलाओं की काफ़ी तादाद थी। स्वयंसेवकों ने सभापति को सलामी दी। जनरल ऑफ़िसर कमांडिंग सरदार मंगलसिंह सफ़ेद घोड़े पर सवार, १०० सवारों के साथ, नेतृत्व कर रहे थे।

पं० जवाहरलाल नेहरू सफ़ेद घोड़े पर सवार हुए। आगे-आगे अनाथ-आश्रम और अन्य दो संस्थाओं का बैंड बजता था। उसके पीछे कांग्रेस-स्वयंसेवक बीन बाजा और शहनाई बजा रहे थे। उसके पीछे नियमित कांग्रेस-बैंड था। इसके बाद कुमारी जुतशी के संचालन में महिला-स्वयंसेवक-दल था। इसके पीछे सेनापति मंगलसिंह के नेतृत्व में घुड़सवार-दल था। सरदार शार्दूलसिंह, लाला दुनीचंद (लाहौर), नामधारी

सिखों के गुरु और अन्य नेता घोड़ों पर सवार थे। सबके बीच में पं० जवाहरलाल नेहरू थे। पृष्ठ पर नामधारी सिखों का घुड़सवार-दल था। उसके पीछे हथौड़ा और हँसिया लिए हुए सिखों का बड़ा भारी जत्था पैदल चल रहा था। स्वागत-मंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, पैदल ही, जुलूस का नियंत्रण कर रहे थे। अनुमान है, जुलूस में १० लाख मनुष्यों की भीड़ थी। जगह-जगह तोरण बनाकर एवं झंडियों से नगर सजाया गया था, और स्वागत हो रहा था। क्रांतिकारी वाक्यों के मोटो जगह-जगह टाँगे गए थे। पुलीस ने प्रबंध में मदद देनी चाही थी, परंतु कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि यदि हम प्रबंध न कर सकेंगे, तो जुलूस ही न निकालेंगे। नगर के तंग और घने रास्तों पर जुलूस को ३ मील का रास्ता तय करना पड़ा था। अनारकली-बाज़ार में पं० मोतीलाल नेहरू ने अपने योग्य पुत्र पर पुष्प-वर्षा की, और इसके उत्तर में राष्ट्रपति ने उन्हें अभिवादन किया। लाला लाजपतराय के मकान पर जुलूस समाप्त हुआ। वहाँ लालाजी की धर्मपत्नी के आतिथ्य-रूप उन्होंने चाय पी, और लाजपत-नगर को प्रस्थान किया।

मूल-मंत्र—मूल-मंत्र या मोटो, जो नगर और पंडाल में लगाए गए, कुछ इस प्रकार के थे—

"हिंदोस्तान के बेताज के बादशाह, हम तेरा स्वागत करते हैं।"

"बापू! स्वागत, भूखा भारत तुम्हारी ओर टकटकी लगाए देख रहा है।"

"हिंदोस्तानी हिंदोस्तान में आज़ाद होना चाहते हैं।"

"आज़ादी की लड़ाइयाँ बातों से नहीं जीती जातीं, कामों से जीती जाती हैं।"

"देश-भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है।"

"जो अपनी आज़ादी खो देता है, वह अपना आधा धर्म खो देता है।"

"गांधी सत्य की मूर्ति है; सत्य अमरत्व की मूर्ति है।"

"जवाहरलाल युवकों का प्रतिबिंब है, युवक कार्य के प्रतिबिंब हैं।"

"डायर और ओडायर ने जिस ज़मीन को लाल रंग में रँगा, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं।"

"स्वतंत्रता की वेदी पर अपने को बलिदान कर दो।"

"हिंदू, सिख और मुसलमान एक हो जाओ या सदा के लिये जहन्नुम में जाओ।"

पंडाल और लाजपत-नगर—लाजपत-नगर बहुत सुंदर बनाया गया था। रावी के तट पर पट-मंडपों की शोभा देखने योग्य थी। पंडाल एक विशाल शामियाने के नीचे था, जिसमें २० हज़ार आदमी बैठ सकते थे। सभापति तथा नेताओं के लिये मंच बनाया गया था। उसी पर स्वागत-समिति, आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों तथा प्रतिष्ठित दर्शकों के बैठने को स्थान था। वेदी के सामने पत्र-प्रतिनिधियों के लिये स्थान थे। आने-जाने के लिये कई मार्ग थे। सर्वत्र खद्दर बिछाया गया था।

ऋतु—शुरू में वर्षा और बर्फ़ गिरने से बड़ी दिक़्त रही। लाजपत-नगर में सब जगह कीचड़ थी। डेरे टपक रहे थे। सर्दी ख़ूब कड़ी थी, पर २६ तारीख़ का मौसम साफ़ हो गया।

आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की बैठक—२७ दिसंबर की शाम को लाजपत-नगर में आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की बैठक हुई। सभापति पं० मोतीलाल नेहरू थे। दर्शक ठसाठस भर रहे थे। प्रारंभ में जेनरल सेक्रेटरी पं० जवाहरलाल नेहरू ने गत वर्ष की रिपोर्ट पढ़ सुनाई। इसके बाद सुभाष बाबू ने बंगाल-कांग्रेस-कमेटी का झगड़ा उठाया। इस पर जो विवाद हुआ, उससे नाराज़ होकर सुभाष बाबू तथा कुछ मदरासी सभ्य वहाँ से उठ गए। सुभाष बाबू ने कार्य-समिति से इस्तीफ़ा भी दे दिया। रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई। उसमें मदरास-सरकार द्वारा मद्य-निवारण के लिये ४ लाख रुपए की मंज़ूरी की जो बात कही गई थी, उसका विरोध मुथुरंग मुदालियर ने किया। इसके बाद मालवीयजी के नाम ४५,८४२) रु० की रक़म का जो पावना है, उस पर बहस हुई। निश्चय हुआ कि इसका निपटारा महात्माजी और मालवीयजी कर लेंगे। श्रीबदरुलहसन के नाम जो २,७००) रु० थे, उनके लिये क़ानूनी कार्यवाही करने का निश्चय प्रकट हुआ। इसके बाद रिपोर्ट स्वीकृत हुई।

इसके बाद पं० मोतीलालजी ने सभापतित्व का भार पं० जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सौंपते हुए हिंदी में भाषण दिया। आपने कहा—

"मैं जो चाहता था, वह कर न सका ; पर जो कुछ भी कर सका हूँ, उसका श्रेय महात्मा गांधी और जेनरल सेक्रेटरी को है। मैं सभापतित्व का चार्ज अपने पुत्र को देता हूँ। पर फ़ारसी में कहावत है कि जो काम बाप नहीं कर सकता, उसे बेटा कर दिखाता है। मुझे विश्वास है, जवाहरलाल मुझसे अच्छा काम करेंगे। यह समय मुझ-जैसे बुड्ढों के लिये नहीं है, प्रत्युत यह युग जवानों के लिये है।"

इसके बाद आपने कहा—"मैं जवाहरलाल नेहरू को सभापति का आसन ग्रहण करने की आज्ञा देता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी आज्ञा का सदैव विनय-पूर्वक पालन करूँगा।" (इस पर ख़ूब हर्षध्वनि हुई।)

पं० जवाहरलाल नेहरू ने नम्रता-पूर्वक स्थान ग्रहण किया, और उनकी माता तथा सरोजिनी नायडू ने बधाइयाँ दीं। इसके बाद आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी विषय-निर्वाचिनी बन गई।

विषय-निर्वाचिनी—विषय-निर्वाचिनी में वाइसराय के बम-दुर्घटना से बच जाने के उपलक्ष में बधाई देने का प्रस्ताव आया। इस पर एक घंटे तक बहस होती रही। विरोध-पक्ष ख़ूब जोर में बोला, और लोग अधिक हर्षित हुए ; पर अंत में ११७ पक्ष और ६६ विपक्ष मत से प्रस्ताव पास हो गया।

इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना मुख्य प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया, उसका सारांश यह है—

"मैं और पं० मोतीलाल बहुत प्रयत्न करने पर भी औप

निवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। समझौते के लिये वाइसराय ने प्रशंसनीय चेष्टा की। वह हमसे प्रेम और नम्रता से मिले। हमें प्रतीत हुआ कि कांग्रेस का समझौते की सभा में सम्मिलित होना व्यर्थ है। मेरे प्रस्ताव का दूसरा भाग कांग्रेस के ध्येय में परिवर्तन से संबंध रखता है। हम कहते हैं कि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। उसे प्राप्त करने को हमें शांत और वैध उपायों से ही काम लेना होगा। प्रस्ताव में कौंसिलों आदि के बहिष्कार की बात आपको बहुत भारी दीखेगी। पर आपका काम भी तो भारी है। आप सम्राट् की सरकार के स्थान पर अपनी सरकार स्थापित करके राजभक्ति की शपथ तो ले ही नहीं सकते। आपको झोपड़ियों में जाना, अछूतों को गले लगाना तथा मुसलमानों को मिलाना होगा। × × × हमें अपनी सारी शक्ति क्रियात्मक काम में लगानी चाहिए। सत्याग्रह के लिये हम अभी तैयार नहीं। यह काम आल इंडिया-कांग्रेस कमेटी के हाथ में रहे। अब नेहरू-रिपोर्ट रद्द समझी जाय। उसके कारण जो सिख और मुसलमान कांग्रेस से पृथक् थे, वे अब एक होने चाहिए।"

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीनिवास ऐयंगर ने किया।

२८ तारीख़ को समिति में 'पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय' पर ज़बर्दस्त बहस हुई। पंडित मदनमोहन मालवीय ने कहा—

"कांग्रेस को गोल-सभा में भाग लेना चाहिए। दिल्ली में, फ़रवरी में, सर्वदल-सम्मेलन किया जाय।"

जब तक मालवीयजी बोलते रहे, लोग उनका मज़ाक़ उड़ाते रहे। केलकर ने उनका समर्थन किया।

बंगाल के ज्वलंत युवक सुभाष बाबू ने बड़ी जोरदार स्पीच दी। आपने कहा—

"इस प्रस्ताव में इस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, जिनसे पूर्ण स्वाधीनता का यह अर्थ स्पष्ट हो जाय कि हमें ब्रिटिश-साम्राज्य से कोई सरोकार ही नहीं है। कांग्रेस किसानों, मज़-दूरों और युवकों का संगठन करे। व्यवस्थापिका सभाएँ, स्थानिक संस्थाएँ और अदालतें त्याग दी जायँ।"

इसी प्रकार के और भी बहुत-से संशोधन पेश हुए। २६ तारीख़ को फिर मूल-प्रस्ताव पर बहस हुई। श्रीसत्यमूर्ति ने इस दिन कौंसिल-बहिष्कार के विरुद्ध वक्तव्य दिया। अंत में महात्मा गांधी ने सबको उत्तर देते हुए कहा—

"हमें वर्किंग-कमेटी के प्रस्ताव पर विश्वास रखना चाहिए। यह ठीक है कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं सुन सकते; पर हम स्वतंत्रता की बात सुनने को तो किसी के भी साथ बैठ सकते हैं। मालवीयजी आदि ने सर्वदल-सम्मेलन की बात उठाई है। यह सच है कि उससे हमारी एकता में बहुत सहायता मिलेगी। पर जब औपनिवेशिक स्वराज्य हमें मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी प्रतीक्षा कब तक? नर्मदलवाले हमसे नहीं मिल सकते, तो जाने दीजिए। हमें कलकत्ते के निर्णय के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करना चाहिए।"

अंत में महात्माजी का मूल-प्रस्ताव ही स्वीकार कर लिया गया।

ध्वजारोपण—२६ तारीख़ को प्रातःकाल १० बजे सुनहरी धूप में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय पताका अपने हाथों से फहराई। पताका की ऊँचाई दो सौ फ़ीट थी। उस पर बिजली के लैंप जड़े हुए थे, जिससे रात के समय ख़ूब जगमगाहट रहती थी। पौने दस बजे तक १ लाख से अधिक आदमी इकट्ठे हो गए। कुछ लोग पेड़ों पर भी चढ़ गए थे।

१० बजे सबसे प्रथम श्रीनिवास ऐयंगर, पं० मोतीलाल नेहरू, डॉ० अंसारी आदि पहुँच गए थे। इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू पहुँचे। महिलाओं ने "वंदेमातरम्" का गीत गाया। फ़ोटोग्राफ़रों ने फ़ोटो लिए। स्वयंसेवकों के जेनरल कमांडर ने फ़ौजी सलाम किया। इसके बाद पताका-संगीत हुआ। इस अवसर पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो छोटा-सा भाषण दिया, वह इस प्रकार था—

"आज जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो, वह किसी धर्म और संप्रदाय का नहीं, सारे देश का है। इसके नीचे खड़े हुए हम लोग हिंदू या मुसलमान नहीं, भारतीय हैं। याद रक्खो, जब तक भारतीयों में एक भी बच्चा जीवित है, यह पताका अपमानित या पद-दलित न होनी चाहिए।"

खुला अधिवेशन—ठीक ५ बजे प्रारंभ हुआ। हाज़िरी १५ हज़ार से अधिक थी। ५ बजे वालंटियरों ने बिगुल बजाकर सभापति के आगमन की सूचना दी। सबसे आगे वालं-

टियरों का एक जत्था था, पीछे दो-दो लीडर इस क्रम से थे—पं० मोतीलाल नेहरू और मौ० अब्दुलकलाम आजाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, और मौ० मुहम्मदअली, श्रीनिवास ऐयंगर और मदनमोहन मालवीय, डॉ० अंसारी और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जे० एम्० सेनगुप्त। सबका स्वागत होने पर कन्याओं ने "वंदेमातरम्" गाया। इसके बाद और कुछ गायन होने पर स्वागताध्यक्ष डॉ० किचलू का भाषण हुआ।

स्वागताध्यक्ष का भाषण—आपका भाषण अँगरेज़ी में छपा हुआ था। आपके उसे पढ़ते ही चारो ओर से हिंदी-हिंदी की पुकार उठने लगी। आपने खेद-प्रकाश करते हुए कहा,—हिंदी में भाषण तैयार नहीं। मैं पीछे से हिंदी में सुना दूँगा। पंडाल में १८ लाउड-स्पीकर लगे थे। अतः सब लोग आसानी से भाषण सुन सके। एक घंटे में यह भाषण समाप्त हुआ। अँधेरा होते ही सहस्रों बिजली के रंग-बिरंगे लैंप जल उठे। आपके भाषण का सारांश यह है—

"भाइयो! मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग राष्ट्रीय युद्ध के, स्वतंत्रता के युद्ध के बड़े ही महत्त्व-पूर्ण स्थान पर पहुँच गए हैं। इस समय हम लोगों को चाहिए कि अपनी अवस्था को अच्छी तरह समझें, और जो-जो शक्तियाँ हमारे पक्ष में और विपक्ष में हों, उन्हें परख लें। अभी विदेशी शासन जारी है, और उससे जनता इस तरह चूसी जा रही है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न की अवहेलना करना संभव ही नहीं। जो

ब्रिटिश-शक्ति हम पर आज शासन कर रही है, वह यहाँ व्यापार के लिये आई थी। उस समय यह देश बहुत उच्च था। यहाँ का वस्त्र और जवाहरात तथा शिल्प विख्यात था। परंतु आज हमारा वह वैभव रेल और जहाजों में भरकर लूट लिया गया है। महायुद्ध के बाद तो हम विदेशी व्यापार के ग़ुलाम बन गए हैं।

"लॉर्ड सेल्सबरी ने कहा था—हमें भारत का ख़ून पीना है, और इस समय हमें अपना बर्छा उस स्थान पर मारना चाहिए, जहाँ ज़्यादा ख़ून जमा हो। परंतु हमें ग्रामीणों से कुछ नहीं मिल सकता; क्योंकि वे तो रक्त के अभाव से आप ही मर रहे हैं।

"भारत के ग्रामों की दशा का यह सच्चा रूप है। इसे हम तब तक नहीं सुधार सकते, जब तक कि देश की अर्थ-समस्या हमारे हाथ में न हो।

"युद्ध के बाद धूर्त ब्रिटेन के आश्वासन और लॉयड जॉर्ज से हमें बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। मांटेग्यु-चेम्सफ़ोर्ड-स्कीम भी सिर्फ़ लिफ़ाफ़े-बाज़ी थी। इससे देश में चैतन्यता आई थी, जिसे रौलट-बिल से, घोर विरोध होने पर भी, दबाया गया, जिसके सम्मुख महात्मा गांधी ने सत्याग्रह-युद्ध की घोषणा की थी, और हिंदू-मुसलमान एक होकर उनके झंडे के नीचे आ खड़े हुए थे। उस समय नौकरशाही काँप उठी थी।

"इस उत्थान को कुचलने के लिये डायर और ओडायर ने निरीह जनता पर गोली चलाई। माताओं को बेपर्द किया गया। जलियानवाला बाग़ में हमारी कड़ी परीक्षा हुई। अंत में हमने

अमृतसर-कांग्रेस में बता दिया कि अब हम शांति से अँगरेज़ों के नीचे नहीं बैठे रहेंगे।

"महात्मा गांधी ने असहयोग-युद्ध छेड़ा ; परंतु देश की कमज़ोरी ने उसे विफल किया। शक्ति बिखर गई। अंत में हिंदू-मुसलिम-वैमनस्य ने सब कुछ नष्ट कर दिया। सरकार की मन-चेती हुई। आपस में फूट डालकर शासन करने की उसकी पुरानी नीति है।

"अब एक ज़बर्दस्त प्रोग्राम सामने रखने की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने में हम आपसी द्वेष भूल जायँ। जनता भूखी है, वह आँसू बहा रही है। पर किसान और मजदूर ही भारत के भावी मालिक हैं। सांप्रदायिकता को नष्ट कर दो। कोई संप्रदाय ख़तरे में नहीं है।

"महात्माजी हमारे नेता, बनें और युवक उनका अनुसरण करें, यही मेरी प्रार्थना है।

"पं० जवाहरलालजी और मैं कैंब्रिज-युनिवर्सिटी के सहपाठी हैं। मैं इनका आज हृदय से स्वागत करता हूँ।"

इसके बाद आपने हार पहनाकर जवाहरलालजी से सभापति का आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की, और उन्होंने प्रचंड तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना भाषण हिंदी-भाषा में देना शुरू किया। यह भाषण एक घंटे से अधिक तक होता रहा। उसका सारांश इस प्रकार है—

"हम अपने उन भाइयों और बहनों को नहीं भूल सकते, जिन्होंने

परिणाम की परवा न करके विदेशियों की हुकूमत के विरोध में या तो अपना जीवन दे डाला है, और या जिनकी जोश-भरी जवानी ज़ुल्म सहते बीती है। वे वीर भले ही आज न हों, पर उनका साहस तो आज भी बना है। जतीन और विजय-जैसे पुत्र आज भी भारत पैदा कर सकता है। अब योरप के प्रभुत्व के दिन गए। ये अमेरिका और एशिया के उत्थान के दिन हैं। विश्व-क्रांति की लहर से भारत अछूता नहीं बच सकता।

"भारतीय समाज भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का उच्छेद नहीं, बल्कि समानता देता रहा है। मुसलमानों के आने से इस व्यवस्था में गड़बड़ हुई थी। पर बहुत-सी व्यवस्था ठीक हो गई थी। तभी अँगरेज़ों ने अवसर पाकर अपना मतलब गाँठ लिया।

"दुःख है कि आज भारत में धर्म-सहिष्णुता नहीं। योरप धर्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर राजनीतिक और उसके बाद आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त की, और वह अब समाज-स्वाधीनता पर विचार कर रहा है।

"भारत को भी इसके लिये कोई उपाय ढूँढ निकालना पड़ेगा। वरना देश का ढाँचा ठीक न बनेगा। पर इसके लिये हमें अपनी प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप ही चेष्टा करनी पड़ेगी।

"भय, अविश्वास और संदेह हममें जो बने हैं, वे वैमनस्य का बीज हैं। हम मतभेद दूर करना नहीं चाहते, परस्पर के भय और संदेह को दूर करना चाहते हैं। खेद है, इस संबंध में सर्वदल-कमेटी को सफलता नहीं मिली। समाज में अनुपात

और औसत का भाव बहुत है ; परंतु विश्वास और उदारता से ही भय दूर हो सकते हैं ।

"वह समय आ गया है, जब हमें स्वराज्य-योजना को एक ओर रखकर स्वतंत्र भाव से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर देनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय और श्रमजीवी नेताओं का बुरी तरह दमन किया जा रहा है, और ज़बर्दस्ती हमारे साथी क़ैद कर लिए गए हैं। बहुतों को स्वदेश नहीं लौटने दिया जाता। सरकारी सेना अपने फ़ौलादी पंजे में देश को जकड़े हुए है, और हममें से जो सिर उठाता है, उसी पर चाबुक पड़ता है।

"वाइसराय ने समझौता-सभा की घोषणा की है, जिसमें भारतीय नेता निमंत्रित किए जायँगे। पर हमें ब्रिटिश-राजनीति की दुरंगी चाल का पूरा अनुभव हो गया है।

"इस घोषणा के बाद ही दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकत्र होकर यह स्पष्ट कर दिया था कि किन शर्तों पर वह घोषणा स्वीकार की जा सकती है। पीछे की व्याख्या से उक्त घोषणा का महत्त्व प्रकट हो गया है। अभी जो बहस पार्लियामेंट की साधारण सभा में, भारत के बारे में, छिड़ी है, और भारत-मंत्री ने अपनी सरकार की नीयत साफ़ होने की बात कही है, वह हो सकती है ; पर उससे हमें कुछ आशा नहीं। भारत को हानि पहुँचाकर इँगलैंड तो लाभ उठा ही रहा है।

"पिछले दस सालों में सरकार ने भारत की भलाई के लिये

क्या-क्या किया है, इसका विवरण भारत-मंत्री ने बताया है। उसका सार यह है कि कुछ भारतीयों को बड़े-बड़े पद देना और शेष को दमन-चक्र में पीस डालना।

"संकीर्ण राष्ट्रीयता से संसार ऊब गया है, और वह अब राष्ट्रों के व्यापक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता की तलाश में है। हम भी इसी उच्च आदर्श को सामने रखकर स्वाधीनता की घोषणा करने जा रहे हैं। पर इस कार्य में जन-साधारण का शरीक होना बहुत जरूरी है। साथ ही उनका शांति-पूर्ण होना भी जरूरी है। सुघटित विद्रोह की बात दूसरी है।

"असहयोग-आंदोलन में विविध बहिष्कार की चर्चा थी। सेना में नौकरी न करने और टैक्स देने से इनकार करने की भी बात थी। कौंसिल-बहिष्कार के संबंध में मैं अधिक कुछ न कहूँगा। पर इन नक़ली कौंसिलों ने हममें कैसी नीति-भ्रष्टता ला दी है, और हममें से कितने उच्च पुरुषों को ये जाल में फँसाए हुए हैं, यह प्रकट है। कौंसिल छोड़ने से हमें आपकी पूर्ण शक्ति को काम में लगाने का अवसर मिलेगा, जिसका स्वरूप टैक्स न देना और हड़-ताल करना होगा। इसके सिवा विदेशी-बहिष्कार हम ख़ास तौर पर शुरू करेंगे। हमारा कार्य-क्रम राजनीतिक और आर्थिक, दोनो दृष्टियों से होना चाहिए। हम ब्रिटिश-सरकार से कोई संबंध न रक्खेंगे। हम उस क़र्ज़ के चुकाने के ज़िम्मेवार भी नहीं, जो इँगलैंड ने भारत के नाम पर ले रक्खा है।

"मैं अंत में सबसे खुला षड्यंत्र करने की अपील करता हूँ।"

इस भाषण के बाद आपने 'विप्लव दीर्घजीवी हो' का नारा लगाया, और हज़ारों कंठों से वह तीन बार घोषित किया गया।

अनंतर विषय-निर्वाचिनी के निर्णयानुसार यतीन और विजय पूँगी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया, और इस दिन की कार्यवाही समाप्त हुई।

३१वीं दिसंबर को दिन के एक बजे से कांग्रेस की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई। देश-विदेशों के कितने ही व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से जो सहानुभूति-सूचक तार आए थे, राष्ट्रपति के आदेशानुसार, उनमें से कुछ थोड़े-से डॉक्टर अंसारी द्वारा पढ़कर सुनाए गए।

महात्मा गांधी ने पहले दिल्ली की बम-दुर्घटना के संबंध में खेद-प्रकाश करने का प्रस्ताव पेश किया, जो ८६७ अनुकूल और ८१५ प्रतिकूल वोटों से पास हुआ।

इसके बाद महात्माजी ने अपना यह मूल-प्रस्ताव रक्खा—"विगत ३१वीं ऑक्टोबर को वाइसराय ने औपनिवेशिक स्वराज्य के संबंध में जो घोषणा की थी, और जिसके जवाब में नेताओं ने मिलकर एक नोटिस निकाला था, उसके संबंध में वर्किंग-कमेटी ने जो कुछ किया था, उसका यह कांग्रेस अनुमोदन करती है। स्वराज्य-आंदोलन के विषय में बड़े लाट ने जो चेष्टा की, वह भी कांग्रेस की दृष्टि में प्रशंसनीय है। इसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ है, और बड़े लाट से नेताओं

के मिलने का जो परिणाम देखने में आया है, उन सब बातों पर विचार कर कांग्रेस यह राय ज़ाहिर करती है कि गोल-सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के जाने से कोई भी लाभ न होगा। अतएव कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के निर्णय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना ही कांग्रेस का ध्येय या लक्ष्य है, और साथ ही यह भी घोषणा करती है कि नेहरू-रिपोर्ट भी बेकार हो गई। अब से प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण स्वाधीनता पाने के लिये ही उद्योग करेगा, और पूर्ण स्वाधीनता के लिये ही प्रचार-कार्य करेगा। कांग्रेस की इस नीति की रक्षा के लिये यह कांग्रेस भारतीय और विभिन्न प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओं, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों, लोकल बोर्डों, यूनियन बोर्डों इत्यादि को पूर्ण रूप से त्याग देने का निश्चय घोषित करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संबंध रखनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं से भविष्य में चुनावों से किसी प्रकार का सपर्क न रखने के लिये कह रही है, और अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यवस्थापिका सभाओं, ज़िला बोर्डों और लोकल बोर्डों में काम कर रहे हैं, उनसे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि वे उन्हें एकदम छोड़ दें।

महात्माजी के इस प्रस्ताव का पंडित मोतीलालजी नेहरू ने समर्थन किया; पर बाद को पंडित मदनमोहन मालवीय और

श्रीयुत सुभाषचंद्र वसु आदि ने आपके प्रस्ताव में संशोधन करने के लिये अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए।

वोट लेने पर एक-एक कर सभी संशोधक प्रस्ताव रद हो गए, महात्मा गांधी का मूल-प्रस्ताव पास हो गया।

१लो जनवरी, १९३० को दिन के दो बजे से पुनः कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। इस दिन जो-जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से मुख्य-मुख्य दिए जाते हैं—

(१) पूर्वी आफ्रिका के प्रवासी भारतवासियों के विषय में सभापति महोदय की ओर से जो प्रस्ताव किया गया, वह सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो गया।

(२) श्रीयुत सकलतवाला कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये भारत आने को तैयार थे; पर उन्हें पास-पोर्ट नहीं दिया गया। सरकार की इस कारवाई का विरोध करने के लिये सभा-पति की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया गया, वह भी सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो गया।

(३) कांग्रेस का अधिवेशन हर साल जाड़े के मध्य में ही हुआ करता है। शीत-प्रधान प्रांत में कांग्रेस होने से स्वागत-कारिणी समिति और प्रतिनिधिगण को गर्म कपड़े ख़रीदने के लिये प्रायः बहुत अधिक धन ख़र्च करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत जाड़ा होने के कारण इस साल प्रायः १,७०० आदमी बीमार पड़े। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि जब जिस प्रांत में कांग्रेस का अधिवेशन होने-

वाला हो, उस प्रांत की कांग्रेस-कमेटी, यदि उचित और आवश्यक समझे, तो कांग्रेस का अधिवेशन फ़रवरी या मार्च के महीने में करा सकती है। इस प्रस्ताव पर बहुत देर तक वाद-विवाद होता रहा। अंत में वोट लेने पर ७५४-४२६ वोटों से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

(४) यह कांग्रेस समझती है कि विदेशी शासन होने के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भाव से भारत पर जिन ऋणों का भार लादा जा रहा है, उन ऋणों के लिये स्वाधीन भारत उत्तर-दायी न होगा। सन् १६२२ ई० की कांग्रेस में इस प्रकार का जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस बार की कांग्रेस उसका अनुमोदन करती है, और जिन्हें यह बात जानने की आवश्यकता हो, उनके लिये घोषित करती है कि स्वाधीन भारत उत्तराधिकारी की हैसियत से जिन सुविधाओं एवं उत्तर दायित्वों को प्राप्त करेगा, उन पर विचार करने के लिये एक निरपेक्ष मंडली पर भार दिया जायगा, और वह जिन बातों को मानने योग्य न समझेगी, भारत उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं रहेगा।

यह प्रस्ताव भी सभापति महोदय द्वारा उपस्थित किया गया था, और विना किसी वाद-विवाद के सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो गया।

(५) देशी रजवाड़ों के अधिवासी प्रजाजनों ने पूर्ण स्वाधीनता के लिये अपने को तैयार बताया है। उनके अभाव-अभियोगों के लिये भी एक प्रस्ताव रक्खा गया, जो स्वीकृत हो गया।

आगामी वर्ष के लिये डॉक्टर महमूद और श्रीयुत श्रीप्रकाशजी जेनरल सेक्रेटरी तथा श्रीजमनालालजी बजाज और श्रीशिव-प्रसादजी गुप्त कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए।

अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होना निश्चित हुआ। स्वागत-समिति के सदस्यों को धन्यवाद देने के लिये श्रीमती सरोजिनी नायडू खड़ी हुईं। आपने धन्यवाद देने के बाद कहा—"कोई भी काम क्यों न हो, उसमें नेताओं की वश-वर्तिता परम आवश्यक है। यदि हम अपने नेता के आदेशा-नुकूल नहीं चल सकते, यदि हम इसमें पक्के नहीं उतर सके, तो हमारी सब बातें, सब चेष्टाएँ व्यर्थ हो जायँगी।"

फिर स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू ने स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया, और उपस्थित प्रतिनिधियों से अपनी ग़लतियों और कमज़ोरियों के लिये क्षमा माँगी।

अंत में सभापति के अंतिम भाषण के बाद सभा विस-र्जित हुई।

कांग्रेस के अवसर पर बाहर से कुछ संदेश आए थे, जो अनेक भारतीय और विदेशीय गण्य-मान्य संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा भेजे गए थे। चूँकि इनकी संख्या अधिक थी, अतः डॉक्टर अंसारी ने कुछ संदेशों का थोड़ा-थोड़ा भाग सुनाया, जो इस प्रकार था—

पहला संदेश साम्राज्य-विरोधी संघ के अँगरेज़ी-विभाग की ओर से था—

"यह (संघ) भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की राष्ट्रीय लगन के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, और बताता है कि संघ कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन को अत्यंत उत्सुकता के साथ देख रहा है।"

संघ के डच-विभाग ने भी कांग्रेस-सहानुभूति का संदेश भेजा था, और कहा था कि "भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिये ख़ूब कोशिश करनी चाहिए, और साम्राज्य से छुटकारा पाना चाहिए।"

ईरान की सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से अनुरोध किया था कि वह अपनी स्वतंत्रता का निर्माण सोशलिस्ट आधार पर करे।

इनके सिवा हब्शी-अधिकाररक्षिणी सभा, पेरिस, अंतरजातीय राजनीतिक बंदी-समिति, काबुल-जापान-कांग्रेस-कमेटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जोंसबर्ग, अमेरिका-कांग्रेस-कमेटी, न्यूयार्क की भारतीय राष्ट्र-समिति, केपटाउन के साउथ आफ्रिकन भारतीय संघ, सीलोन की युवक-परिषद्, ब्रिटिश मज़दूर-नेताओं, साउथ आफ्रिकन भारतीय समिति, अमेरिका की भारतीय समिति और ईस्ट आफ्रिकन भारतीय कांग्रेस के सहानुभूति के संदेश आए थे।

श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने, जो कांग्रेस की वर्किंग-कमेटी के सदस्य थे, जेनेवा से एक संदेश भेजा था, और कांग्रेस से अनुरोध किया था कि वह मदरास और कलकत्ता के प्रस्तावों को द्व्यर्थक्य से निकालकर तर्क-पूर्ण परिणामों में परिणत करे।

शैलेंद्र घोष (न्यूयार्क) और राजा महेंद्रप्रताप के संदेश भी आए थे।

जब डॉ० अंसारी ने उक्त दोनो महापुरुषों का नाम लिया, तो समस्त पंडाल देर तक तालियों की आवाज़ से गूँजता रहा।

कांग्रेस के निर्णय के स्पष्ट होने पर इँगलैंड के कुछ पत्रों ने इस प्रकार सम्मतियाँ दीं—

'मैंचेस्टर गार्जियन'—"हम उन चेष्टाओं पर खेद प्रकट करते हैं, जो भारतीय शासन को असंभव बनाने के लिये की गई हैं। इसलिये यह निश्चित है कि ऐसी चेष्टाओं के सफल होने के पहले दबाव की आवश्यकता पड़े।"

'डेली एक्सप्रेस' ने भारतीय अधिकारियों को कड़ाई की नीति अख़्तियार करने की राय दी; क्योंकि कड़ाई ही भारत को उस नाज़ुक मौक़े से बचा सकती है, जो संभव है, भारत को उन्नति के पथ पर बीस वर्ष पीछे हटा दे।

'डेली न्यूज़' ने लिखा था—"हम भारत के लिये क्रमशः औपनिवेशिक स्वराज्य की कल्पना कर सकते हैं; परंतु पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य तो ग़ैरअमली ही नहीं, कल्पनातीत है।"

'मॉर्निंग-पोस्ट' ने कहा था कि जिस शक्ति ने पिछली २३ दिसंबर को वायसराय की स्पेशल के नीचे बम फेका है, वही कांग्रेस के इस प्रस्ताव की पीठ पर थी। सरकार ने कांग्रेस का यह विद्रोही अधिवेशन होने की आज्ञा कैसे दी ? पंजाब-सरकार ने कांग्रेस के लिये ज़मीन दी, और उसकी रक्षा के लिये एक लाख रुपया ख़र्च किया।......पंजाब-सरकार ने यहाँ तक ही कांग्रेस को आत्म-समर्पण नहीं किया, बरन् सच पूछो, तो

उसने लठबंद बदमाशों को, जिन्होंने प्रजा पर लाठियाँ चलाईं, अपना रक्षक बनाने की आज्ञा कांग्रेस को देकर अपने अधिकार का त्याग किया।"

'संडे टाइम्स' ने लिखा कि "हरएक आदमी इस बात को मानेगा कि स्वराजिस्ट लोग शक्तिशाली हो गए हैं, और सरकार से अनुरोध करेगा कि वह गरम दलवालों के साथ विना रोक-टोक और विना अधिक सोचे-विचारे सख़्ती का व्यवहार करे।"

'डेली मेल' ने लार्ड इर्विन और मि० बाल्डविन को लताड़ते हुए उन्हें मुट्ठी-भर गरम दलवालों से दब जाने का दोष दिया था, और बम-दुर्घटना के निंदात्मक प्रस्ताव-संबंधी विरोध की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा था कि कांग्रेसवालों का एक बड़ा भाग ऐसी बम-दुर्घटनाओं के पक्ष में है।

'डेली टेलीग्राफ़' ने सर फ़िरोज़ सेठना के भाषण पर टिप्पणी करते हुए लिखा था—"माडरेट भी अभी स्वप्न-संसार में विचर रहे हैं।"

'डेली टेलीग्राफ़' के विशेष संवाददाता ने एक तार में लिखा था कि पंडित जवाहरलाल के भाषण में अनेक राजद्रोहात्मक वाक्य हैं, परंतु अधिकारीवर्ग उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को प्रस्तुत नहीं दिखाई देता; क्योंकि कांग्रेस-भूमि अत्यंत पवित्र और आदरणीय मानी जा रही है।

'मॉर्निंग-पोस्ट' के नई दिल्ली के संवाददाता ने तार दिलाया कि "जाँच करने पर मालूम हुआ है, भारत-सरकार निश्चय कर

चुकी है कि महात्मा गांधी देश को अनारकी की तरफ़ ले जाने से रोके जायँगे।"

साप्ताहिक 'स्पेक्टेटर' ने लिखा था कि "केवल एक काम, जो कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की नीति को संभाव्य बना सकता है, एक स्वतंत्र या कई स्वतंत्र देशों पर शासन करने की एक भारतीय स्कीम का अस्तित्व होगा; परंतु ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है।" इस पत्र ने आगे ब्रिटिश-सरकार को सख़्ती, मज़बूती और निर्भयता की नीति अख़्तियार करने को राय दी थी।

साप्ताहिक 'न्यू स्टेट्समैन' ने सरकार को असहयोगियों का बॉयकॉट करने की सम्मति दी थी, और लिखा था—"हम भारत को प्रजा-तंत्र अथवा स्वराज्य नहीं दे सकते। हमें ज़बर्दस्ती उसे उस रास्ते पर ले चलना चाहिए, जिस पर हम चाहें, और केवल उन भारतीयों की सुननी चाहिए, जो हमसे सहयोग करने को राज़ी हों, शेष की कोई परवा न करनी चाहिए। एक सप्रू से अगर हम राय लें, तो वह हमारी मदद करेगा; परंतु एक नेहरू अपनी वाहियात माँगों की तरफ़ हमारे बढ़ने का सिर्फ़ फ़ायदा ही उठावेगा।"

साप्ताहिक 'सैटर्डे रिव्यू' ने ब्रिटेन को आगे बढ़ने की सम्मति दी थी, और भारतीय सहयोग का स्वागत और सहयोग से इनकारों की उपेक्षा करने को कहा था।

'नेशन' ने यह विचार प्रकट किए थे कि "चूँकि लॉर्ड इर्विन की नीति नरम और 'मिले रहने' की है, तो कोई कारण नहीं

कि उसका राज्य-संबंधी प्रबंध भी शिथिल और कायरता-पूर्ण होगा। उसे पूर्ण विश्वास मिलना चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में उसे इँगलैंड से पूरा सहयोग मिलेगा, चाहे वह यथार्थ अशांति को दबावे, अथवा पहले से ही वैसा मौक़ा न आने देने की कोशिश करे।"

इस प्रकार महात्माजी की स्वाधीनता की घोषणा बड़ी तेज़ी से समुद्रों को चीरती और पर्वतों को लाँघती हुई संसार के दर-वाज़ों पर पहुँच गई, और सारा संसार भारत की जवानी और बुढ़ापे के एक ही क्षण के इस निश्चय को क्रियात्मक रूप में देखने को उत्सुक हो गया। संसार पर—ख़ासकर ब्रिटेन पर—इस घटना का कितना बड़ा प्रभाव हुआ, इसका परिचय एक ब्रिटिश-पत्र के यह कहने से मिलता है कि "आज भारत से हमारी सत्ता उठ गई।"

पाचवाँ अध्याय

अध्यक्ष पटेल के दो महत्त्व-पूर्ण पत्र

ये पत्र व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष श्रीपटेल ने अपने पद-त्याग करने के समय लिखे थे—

प्रथम पत्र

२८ एप्रिल, ३०

प्रिय लॉर्ड इर्विन,

मैंने सन् १९२५ के अगस्त मास से लेकर अब तक सभापति के लिये उचित पक्षपात-शून्य तथा स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया है। मुझे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के अपराध पर नौकर-शाही के क्रोध का पात्र भी बनना पड़ा। मैंने सरकार को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि न तो मैं शासन-चक्र का एक अंग ही हूँ, और न मैं किसी भी विषय में आपकी अधीनता स्वीकार कर सकता हूँ, चाहे वह विषय आपकी सम्मति में कितना ही महत्त्व क्यों न रखता हो।

गत तीन वर्षों से सरकार मुझे भयभीत और तंग करने पर तुली हुई है, यहाँ तक कि मेरे सामाजिक बहिष्कार का प्रयत्न भी किया गया। सभापति की निष्पक्षपातिता पर उसी दल ने सब प्रकार के अनुचित आक्षेप, अनुचित भाषा में, प्रेस तथा अन्य साधनों से किए। मेरी प्रत्येक चेष्टा पर कड़ी नज़र रक्खी

गई। केवल इसलिये कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, और भारत के शत्रुओं को यह कहने का अवसर मिले कि कोई भारतीय उत्तर-दायित्व-पूर्ण स्थान पर बैठाने के योग्य नहीं। सरकारी अफ़सर चुपचाप सब सह रहे थे, क्योंकि सिवा वोट ऑफ़् सेंसर के और कोई तरीक़ा मुझसे पिंड छुड़ाने का न था, और इस तरीक़े से उनकी जीत अनिश्चित थी। कमजोर मनवाला आदमी कभी का इस्तीफ़ा दे चुका या उनकी अधीनता स्वीकार कर चुका होता। परंतु मैंने इतनी दृढ़ता से अपने अधिकारों और कर्तव्य को निभाया, जिसके लिये मैं साहस-पूर्वक कह सकता हूँ, संसार की किसी भी एसेंबली को गर्व होना चाहिए। इन सब कठि-नाइयों और विरोध के होते हुए भी सभापति का अधिकार और मान किसी हद तक बढ़ ही गए।

मुझे किसी व्यक्ति-विशेष से द्वेष नहीं, परंतु मैं उस शासन-नीति का अंत चाहता हूँ, जिसमें इस प्रकार की कुत्सित चेष्टाएँ आसानी से की जा सकती हैं। इससे शासक और शासित दोनो का भला होगा। मैं अब भी सभापति की कुर्सी को न छोड़ता, यदि मैं अपने देश की सेवा कर सकता। परंतु वर्तमान स्थिति में एसेंबली के सभापति-पद से ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जब से पंडित मालवीय आदि ने इस्तीफ़े पेश कर दिए, तब से एसेंबली से प्रतिनिधि-सत्ता जाती रही। मैं समझता हूँ कि ऐसी अवस्था में एसेंबली का सभापति वोट्स की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद एसेंबली केवल नियमों का रजि-

स्ट्रेशन-ऑफ़िस बन गया है। ऐसे समय में, जब कि मेरे देश-भाई जीवन-मरण की समस्या सुलझाने में लगे हैं, जब कि संसार के सबसे बड़े व्यक्ति ने सत्याग्रह-संग्राम का डंका बजा दिया है, जब कि सैकड़ों नवयुवक अपनी जान हथेली पर रखकर स्वतंत्रता-संग्राम जीतने के लिये निकल पड़े हैं, और हज़ारों देश-भक्त सरकार की जेलों के मेहमान बन चुके हैं, मेरे सभापति-पद पर आरूढ़ रहने के स्थान पर देशवासियों के साथ कंधे-से-कंधा भिड़ाना अधिक उचित है। सरकार ने भारत की माँगों का औचित्य स्वीकार करने के स्थान में दमन पर कमर कसी है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि पूर्ण स्वाधीनता के संग्राम में शामिल हो जाना मेरे लिये अनिवार्य है। यदि अपने गिरे स्वास्थ्य के कारण मैं अधिक कार्य न भी कर सका, तो मेरा त्याग-पत्र सत्याग्रह-संग्राम को कुछ-न-कुछ प्रोत्साहन अवश्य देगा। यद्यपि मेरा सरकारी रूप में संबंध तो आज से आपके साथ टूटता है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय में आपके लिये प्रतिष्ठा के भाव रखता हूँ, और आशा करता हूँ कि कभी ग़ैर-सरकारी तौर पर आपस में मिलने पर हम अपने सरकारी काल की आलोचना जी खोलकर कर सकेंगे।

दूसरा पत्र

३० एप्रिल, ३०

प्रिय लॉर्ड इर्विन,

अपने पद से त्याग-पत्र देने के कारण मैं ३ एप्रिल की मुला-

क़ात में आपको बता चुका हूँ। मैं यह पत्र आपको अधिकारी के रूप में नहीं लिख रहा, बल्कि अपने सच्चे मित्र के तौर पर लिख रहा हूँ।

भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने पर तुला हुआ है। एक अँगरेज़ इस बात को समझ भी नहीं सकता कि किस प्रकार स्वतंत्रता के भूखे भारतवासी जेलख़ानों को तीर्थ-स्थान समझ रहे हैं।

आपके वायसराय बनकर आने के पहले दिन से मैं आपको भारत की असली अवस्था समझाने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि किस प्रकार १९२० में असहयोग-आंदोलन प्रारंभ हुआ, और किस प्रकार वह अपने उद्देश्य को लगभग पूरा करने से पहले ही समाप्त हो गया। मैंने आपको कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का देशवासियों पर जो बड़ा प्रभाव है, वह बताकर यह चाहा कि महात्माजी से मिलकर आप भारतीय समस्याओं का उचित प्रतिकार करें। आप उस समय अजनबी थे। बाद में आप अपने अँगरेज़ सलाहकारों तथा देश के विभिन्न राजनीतिक विचारवाले पुरुषों से मिलते रहे, पर कांग्रेस का कोई आदमी आपसे नहीं मिला। इससे शायद आप कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के बारे में यह ख़याल करने लगे कि इनका लोगों पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं। आप पर इस प्रकार ग़लत प्रभाव डाले गए। मैंने आपको पूरी तरह यह समझाया कि महात्माजी शीघ्रता से देश-व्यापी सत्याग्रह-आंदोलन शुरू करेंगे, और उस समय दमन-चक्र चलाना आपके लिये ठीक न होगा।

इसके बाद मैं इँगलैंड गया, और वहाँ भी किंगजॉर्ज, लॉर्ड बर्कनहैड तथा अन्य ज़िम्मेदार आदमियों को भी मैंने यही जताने का प्रयत्न किया कि भावी सुधारों में भारतवासी शीघ्र ही उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन से कम किसी भी शासन को स्वीकार न करेंगे। और, इसमें विलंब करना दोनो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध के लिये हानिकारक होगा। मेरे सामने ऐसा करने में कठिनाइयाँ रक्खी गईं। मैंने कहा, जहाँ इच्छा है, वहाँ उपाय भी हो सकता है। मैंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस की बात न मानी गई, तो १९२० से ज्यादा ज़ोरदार आंदोलन का सामना सन् ३० में अँगरेज़ सरकार को करना होगा।

मेरे भारत में लौट आने पर दुर्भाग्य से मुझे यह सुनना पड़ा कि एक गोरा-कमीशन साइमन-कमीशन के नाम से बैठाया गया है। देशवासियों ने उसका पूर्ण बॉयकॉट किया। मैंने भी उस समय त्याग-पत्र देकर देशवासियों के साथ कंधा भिड़ाना अपना फ़र्ज़ समझा, पर आपके एक मित्र के तौर पर त्याग-पत्र न देने की सलाह देने से मैंने विचार छोड़ दिया। बॉयकॉट-आंदोलन की सफलता देखकर आपकी आँखें खुलीं, और आपको कांग्रेस के प्रभाव का पता चला। आप इसीलिये इँगलैंड गए।

मेरे अपने राजनीतिक विचार सबको मालूम हैं। भारतवासी लोग सामान्यतया अँगरेज़ों पर विश्वास नहीं करते, तथापि जब आप इँगलैंड को रवाना होने लगे, तो आपसे बातचीत

करने के बाद मैंने समझा कि आप भारत का भला करेंगे। मैं चाहता था कि आपका प्रयत्न सफल हो। २५ मई, २६ को जब आप इँगलैंड जाने के लिये शिमला छोड़ने लगे, तो मैंने आपको सलाह दी थी कि अच्छा हो, यदि आप महात्मा गांधी तथा पं० मोतीलालजी से मिल लें, और निश्चय कर लें कि किस प्रकार की घोषणा से कांग्रेस को संतोष होगा। पर आपने अपनी प्रतिष्ठा के ख़याल से कांग्रेस तथा महात्माजी के प्रभाव को समझने से इनकार कर दिया।

जब आप इँगलैंड में थे, मैंने आपको दो पत्र लिखे, और दोनो का ही उत्तर आपने दिया। एक पत्र में मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी ढंग से कांग्रेसवाले गोल-सभा में भाग लेना स्वीकार कर लें, तो आधी लड़ाई ख़त्म होती है। दूसरे पत्र में भी मैंने यही कहा कि दुर्भाग्य से आपने देश की मुख्य राज-नीतिक पार्टी के लोगों से सलाह-मशवरा नहीं किया। यदि मज़दूर-दल इस दल के मुख्य नेताओं, महात्माजी तथा नेहरूजी, में से एक को या दोनो को विश्वास में ले सके, तो अच्छा हो। सरकार अपने दबदबे का ख़याल इस मामले में छोड़ दे।

आपने अपने पत्रों में विश्वास दिलाया कि आप पूर्ण कोशिश करेंगे कि सब विचारों के लोगों को संतोष प्राप्त हो।

आप नवंबर के अंत में यहाँ लौट आए, और आपने अपनी घोषणा की। इस घोषणा की कापी आपने मेरे पास पहले ही भेजने की कृपा कर दी थी। आपके यहाँ आने पर

घोषणा करने से पहले ही मैं आपसे मिला। मैंने उसी समय आपसे कह दिया था कि इस घोषणा से कांग्रेसवाले दुविधा में पड़ जायँगे; क्योंकि इसे स्वीकार करके वे अपने कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव तथा समय-समय पर की हुई घोषणाओं के ख़िलाफ़ चलेंगे। और, यदि वे इसे अस्वीकार करेंगे, तो अन्य राजनीतिक पार्टियाँ साथ छोड़ देंगी।

मैं स्वयं निजू तौर पर गोल-सभा के हक़ में था। इसलिये नहीं कि मुझे इससे कोई बड़ी उम्मीदें थीं, बल्कि इसलिये कि यदि यह सफल न हुई, तो कांग्रेस को और भी व्यापक आंदोलन करने का मौक़ा मिल सकेगा। साथ ही मुझे आपकी सचाई पर भी विश्वास था।

पर मैंने यह बात आप तक प्रकट करने में कोई कसर उठा नहीं रक्खी कि यदि इस गोल-सभा में कांग्रेस-पार्टी न गई, तो वह किसी मतलब की न होगी। इसलिये लाहौर-कांग्रेस से पहले ही मैंने आप पर ज़ोर देकर महात्माजी तथा पं० नेहरूजी से मुलाक़ात कराई।

मुलाक़ात हुई, पर व्यर्थ गई। क्योंकि महात्माजी की शर्तें स्वीकार नहीं की गई। मैंने उस समय समझा था कि महात्माजी कुछ ग़लती कर रहे हैं, पर पीछे से इँगलैंड में अर्ल रसेल आदि की स्पीचें, जगह-जगह चलाए गए मुक़द्दमे और एसेंबली में आपकी की हुई घोषणा तथा अंत में इंपीरियल प्रिफ़रेंस के संबंध में सरकारी नीति को देखकर मेरे विचार बदल गए, और मैंने समझा

कि महात्माजी ठीक ही कर रहे थे। अंत में वही हुआ। लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करके उसके लिये सत्याग्रह प्रारंभ करने का ऐलान कर दिया। महात्माजी ने आपको अल्टी-मेटम दिया, और युद्ध प्रारंभ कर दिया। सारा देश इस युद्ध में पूरे उत्साह से लग गया है। मेरे देश-भाई अपनी जान की भी परवा न करके मैदान में आ गए हैं। सरकार दमन पर उतारू हो गई है। पर इससे आंदोलन और भी बढ़ गया है। आपने जितने भी प्रयत्न किए, वे इसीलिये व्यर्थ हुए, क्योंकि आपने महात्माजी तथा कांग्रेस का जनता पर प्रभाव नहीं समझा। अब भी आप सब काम बंद करके महात्माजी को मिलने के लिये बुलाइए। मुझे कहा जायगा कि इस मामले में तो पार्लियामेंट का ही अधिकार है। यह ठीक है, पर आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं।

यद्यपि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, तथापि यदि भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देने का विचार कर लिया जाय, तो कांग्रेस इस पर विचार करेगी। मेरी निजू सम्मति है कि दोनो राष्ट्रों का परस्पर संबंध रहना अधिक आवश्यक है। अभी तो इस तरह के विचारवाले बहुत-से लोग भारत में हैं भी, पर यदि इस तरफ़ ध्यान न दिया गया, और उचित उपायों का अवलंबन न किया गया, तो वह समय शीघ्र आएगा, जब कि डोमीनियन स्टेटस का नाम लेनेवाले भी देश-द्रोही समझे जायँगे।

मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्थिति को सँभालिए। आपकी बड़ी पोज़ीशन और आवाज़ है, और यदि आपको दमन ही करना पड़े, तो आप त्याग-पत्र दे दें। यदि आप असफल हुए, तो भारत का इँगलैंड को अंतिम प्रणाम समझें।

छठा अध्याय

महात्माजी की चेतावनी

यह कहा जा चुका है कि सन् १६२८ की कलकत्ता-कांग्रेस में महात्मा गांधी ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था—"आज से १ साल के अंदर-अंदर यदि सरकार 'नेहरू-रिपोर्ट' के अधिकार हमें प्रदान न कर देगी, तो अवधि समाप्त हो जाने पर भारत 'पूर्ण स्वाधीनता' के सिवा और कुछ न चाहेगा, और अपने अहिंसात्मक असहयोग-आंदोलन को शक्ति-भर आरंभ कर देगा।" इस 'अल्टीमेटम' को कलकत्ता-कांग्रेस ने स्वीकृत कर लिया था। इसके बाद नेता लोग साल-भर तक देश की स्थिति सुधारते रहे, और सरकार की ओर से अल्टीमेटम के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन वह तो चुप थी। आखिर सन् २६ की लाहौर-कांग्रेस ने अपने प्रस्तावानुसार पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी, और निश्चय कर लिया कि किसी भी आशा में न रहकर अब अहिंसात्मक युद्ध प्रारंभ किया जाय। महात्मा गांधी ने इस युद्ध के नेतृत्व की माँग की, और कांग्रेस ने उन्हें इसका अधिकार दे दिया। अब महात्माजी ने इस युद्ध की तैयारियाँ कीं। ये तैयारियाँ वास्तव में अलौकिक थीं। युद्ध-प्रस्थान के पहले उन्होंने सरकार को चेतावनी देना निश्चय किया,

और अपना पैग़ाम लिखने में लगे। एक और दो मार्च को उन्होंने यह पैग़ाम लिखकर देश के प्रमुख कांग्रेस-नेताओं से सलाह की, और उसे तैयार कर लिया। इसे वायसराय के पास ले जाने के लिये मि० रेजीनल्ड रेनाल्ड्स, जो उन दिनों साबरमती-आश्रम में ऑक्टोबर मास से रह रहे थे, चुने गए। यह २४ वर्ष के नवयुवक थे। आश्रम में रविवार २ मार्च, सन् ३० को शाम के ५½ बजे ईश्वर-प्रार्थना की गई, और महात्माजी ने अपनी उस लिखित चेतावनी का बंद लिफ़ाफ़ा मि० रेजीनल्ड रेनाल्ड्स के हाथों में वायसराय तक पहुँचाने के लिये सौंप दिया। यह अँगरेज़ युवक दूत उसे लेकर रात की डाकगाड़ी से दिल्ली के लिये रवाना हुए। ४ मार्च को सबेरे ही वायसराय के स्थान पर जाकर मि० रेजीनल्ड रेनाल्ड्स ने बंद लिफ़ाफ़ा वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी मि० कनिंघम को सौंप दिया, और रसीद ले ली। इस समय यह खादी की कमीज़ और कोट तथा गांधी-टोपी पहने हुए थे। वह उसी दिन शाम की गाड़ी से साबरमती वापस लौट गए, और पत्र की रसीद महात्माजी के हवाले की। अहिंसात्मक युद्ध के सेनापति महात्मा गांधी की वह चेतावनी यह थी—

सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती
२ मार्च, १९३०

प्रिय मित्र,

निवेदन है कि इसके पहले कि मैं सविनय क़ानून-भंग शुरू करूँ, और शुरू करने पर जिस जोखम को उठाने के लिये

मैं इतने साल से हिचकिचाता रहा हूँ, उसे उठाऊँ, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूँ कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके, तो उसके लिये कोशिश कर देखूँ।

अहिंसा में मेरा विश्वास तो ज़ाहिर ही है। जान-बूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य-हिंसा की तो बात ही क्या है? फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, उनका बड़े-से-बड़ा अहित ही क्यों न किया हो। इसलिये यद्यपि अँगरेज़ी सल्तनत को मैं एक बला मानता हूँ, तो भी मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अँगरेज़ को या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुक़सान पहुँचे।

ग़लतफ़हमी से बचने के लिये मैं अपनी बात ज़रा और साफ़ किए देता हूँ। यह सच है कि मैं भारत में अँगरेज़ी राज्य को एक बला मानता हूँ, लेकिन इसके कारण मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि सब-के-सब अँगरेज़ दुनिया के दूसरे लोगों के मुक़ाबले ज्यादा दुष्ट हैं। बहुतेरे अँगरेज़ों के साथ गहरी दोस्ती रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही नहीं, बल्कि अँगरेज़ी राज्य ने हिंदोस्तान को जो नुक़सान पहुँचाया है, उसके बारे में बहुतेरी हक़ीक़तें तो मुझे उन अनेक अँगरेज़ों की लिखी हुई किताबों से ही मालूम हुई हैं, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में, निडरता-पूर्वक, प्रकट किया है। और, इसके लिये मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ।

तो फिर मैं किन कारणों से अँगरेज़ी राज्य को शाप-रूप मानता हूँ? कारण ये हैं। इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिये बढ़ते हुए परिमाण में बराबर चूसा जाता रहे। इसके अलावा इस तंत्र का फ़ौजी और दीवानी ख़र्च इतनी ज्यादा तबाही करनेवाला है कि मुल्क उसे कभी बरदाश्त नहीं कर सकता। नतीजा इसका यह हुआ कि हिंदोस्तान के करोड़ों बेज़बान लोग आज कंगाल बन गए हैं।

राजनीतिक दृष्टि से इस राज्य ने हमें लगभग ग़ुलाम बना छोड़ा है। इसने हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद को ही उखेड़ना शुरू कर दिया है, और लोगों से हथियार छीन लेने की सरकारी नीति ने तो हमारी मनुष्यता को ही कुचल डाला है। संस्कृति के नाश से हमारी जो आध्यात्मिक हानि हुई, उसमें हथियार न रखने के क़ानून के और बढ़ जाने से देश के लोगों की मनोदशा डरपोक और बेबस ग़ुलामों की-सी हो गई है।

अपने दूसरे कई भाइयों के साथ-साथ मैं भी यह आशा लगाए बैठा था कि आपके द्वारा प्रस्तावित गोल-सभा से ये सब शिकायतें रफ़ा हो सकेंगी। लेकिन जब आपने मुझसे साफ़-साफ़ कह दिया कि औपनिवेशिक स्वराज्य—डोमीनियन स्टेटस—की किसी भी योजना का समर्थन करने का आश्वासन देने के लिये आप या ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल तैयार नहीं, तब मैंने महसूस किया कि हिंदुस्थान के समझदार लोग स्पष्ट ज्ञान-पूर्वक और अज्ञान के कारण चुप रहनेवाले करोड़ों देशवासी धुँधली-

सी समझ के साथ जिन दुःखों को मिटाने के लिये तरस रहे हैं, इस गोल-सभा में उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यहाँ यह कहने की तो शायद ही जरूरत हो कि इस मामले में पार्लमेंट को आख़िरी फ़ैसला करने का जो हक़ है, उसे छीन लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें मंत्रि-मंडल ने इस आशा से कि पार्लमेंट की अनुमति या इजाज़त मिलेगी ही, पहले ही से अपनी नीति ठहरा ली थी।

इस तरह दिल्ली की मुलाक़ात का कोई नतीजा न निकलने से सन् १९२८ में कलकत्ते की महासभा ने जो गंभीर प्रस्ताव किया था, उसका अमल कराने की पैरवी करने के सिवा पंडित मोती-लालजी के और मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया था।

पर आपकी घोषणा में जिस 'डोमीनियन स्टेटस'-शब्द का ज़िक्र है, अगर वह शब्द उसके सच्चे अर्थ में प्रयुक्त किया गया होता, तो आज 'पूर्ण स्वराज्य' के प्रस्ताव से भड़कने का कोई कारण ही न था। क्योंकि 'डोमीनियन स्टेटस' का अर्थ लगभग पूर्ण स्वाधीनता ही है। इस बात को प्रतिष्ठित ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों ने ख़ुद ही क़बूल किया है, और इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही 'डोमीनियन स्टेटस' दे दिया जाय।

लेकिन ये तो सब गई-गुज़री बातें हैं। आपकी घोषणा के

बाद तो ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनसे ब्रिटिश-राज-नीति का रुख़ साफ़ ही ज़ाहिर हो जाता है।

हिंदुस्थान को पीस डालनेवाला तंत्र

यह बात रोज़रोशन की तरह साफ़ ज़ाहिर है कि जिन राज-नीतिक परिवर्तनों से भारत के साथ इँगलैंड के व्यापार को ज़रा भी नुक़सान पहुँचने की संभावना हो, और भारत के साथ इँगलैंड के आर्थिक लेन-देन के औचित्य-अनौचित्य की गहरी छान-बीन के लिये एक निष्पक्ष पंचायत मुक़र्रर करनी पड़े, वैसे राजनीतिक हेर-फेर होने देने की नीति अख़्तियार करने की ओर ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों का ज़रा भी रुख़ नहीं पाया जाता। पर अगर हिंद को चूसते रहनेवाले इस तर्ज़ेअमल का ख़ात्मा करने का कोई इलाज न किया गया, तो हिंद की बरबादी की चाल रोज़-बरोज़ तेज़ ही होनेवाली है। आपके अर्थ-सचिव या ख़ज़ांची कहते हैं कि १८ पेंस की विनिमय की दर तो विधि की लकीर की तरह अमिट है।

इस तरह क़लम के एक इशारे से भारतवर्ष के करोड़ों रुपए बाहर खिंचे चले जाते हैं। और जब इस और ऐसी दूसरी बहुतेरी विधि की लकीरों को मेटने के लिये सत्याग्रह या सवि-नय क़ानून-भंग की आज़माइश करने का गंभीर प्रयत्न शुरू किया जाता है, तो आप भी धनवानों और ज़मींदारों वग़ैरा से यह अनुरोध किए बिना नहीं रहते कि वे देश में अमन-क़ानून की रक्षा के लिये ऐसे आंदोलनों को कुचलने में आपकी मदद

करें। लेकिन आपके इस अमन-क़ानून के भार से दबकर भारत का सत्यानाश हो रहा है।

जो लोग जनता के नाम से काम कर रहे हैं, वे अगर आज़ादी की लगन के वजूहात को—स्वाधीनता की रट के उद्देश्य को साफ़ तौर से न समझें, और अपनी बात को आम लोगों के सामने न रखते रहें, तो अंदेशा यह है कि जिनके लिये आज़ादी चाही जाती है, और हासिल करने के लायक़ है, उन रात-दिन एड़ी-चोटी का पसीना एक करनेवाले करोड़ों बेज़बानों के लिये यह आज़ादी इतने बोझ से लदी हुई—दबी हुई मिलेगी कि उनके लिये उसका काई मूल्य ही न रहेगा। इसीलिये इधर कुछ दिनों से मैं लोगों को आज़ादी का—स्वतंत्रता का सच्चा मतलब समझा रहा हूँ।

अब इस संबंध की कुछ ख़ास बातें आपके सामने पेश करने का साहस करता हूँ।

सच्ची आज़ादी किसमें है ?

जिस मालगुज़ारी से सरकार को इतनी अधिक आमदनी होती है, उसी के भार से रिआया का दम निकला जा रहा है। स्वतंत्र भारत को इस नीति में बहुत कुछ हेर-फेर करना होगा। जिस स्थायी बंदोबस्त की तारीफ़ के पुल बाँधे जाते हैं, उससे सिर्फ़ मुट्ठी-भर धनवान् ज़मींदारों को ही फ़ायदा पहुँचता है, आम रिआया को नहीं। इसीलिये मालगुज़ारी को बहुत-कुछ घटाने की ज़रूरत है। यही नहीं, बल्कि रैयत के भले को ही ख़ास

ध्येय बनाकर लगान की सारी नीति को ही बदल डालने और नई नीति क़ायम करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। लेकिन सरकार की नीति से तो यह मालूम होता है कि वह जनता के प्राणों को भी चूस लेने के इरादे से ठहराई गई है। नमक-जैसी रात-दिन की ज़रूरी चीज़ पर भी, जिसके विना करोड़ों मनुष्यों का काम चल ही नहीं सकता, महसूल का बोझ इस तरह लाद दिया गया है कि उसका भार ख़ासकर ग़रीबों पर ही ज्यादा पड़ता है। कहा जाता है कि यह कर निष्पक्ष होकर वसूल किया जाता है, पर इसकी निष्पक्षता ही तो निर्दयता है। नमक ही एक ऐसी चीज़ है, जिसे धनवान् या अमीर व्यक्तियों अथवा समुदायों के मुक़ाबले ग़रीब लोग अधिक खाते हैं। इस बात का विचार करने से हमें पता चलता है कि ग़रीबों के लिये यह कर कितना भार-रूप है। शराब और दूसरी नशीली चीज़ों से होनेवाली आमदनी का ज़रिया भी ये ग़रीब ही हैं। ये चीज़ें लोगों की तंदुरुस्ती और नीति को जड़-मूल से मिटानेवाली हैं। पर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के बहाने, जो कि झूठा बहाना है, इसका बचाव किया जाता है। सच तो यह है, इनसे जो आमदनी होती है, उस आमदनी के लिये ही ये विभाग क़ायम हैं। सन् १६१६ में जो सुधार जारी किए गए, उनके अनुसार इन मदों की आमदनी चतुराई के साथ नामधारी निर्वाचित मंत्रियों के ज़िम्मे कर दी गई, जिससे सब तरह की नशीली चीज़ों का व्यवहार बंद करने से होनेवाला अधिक नुक़सान उन्हें ही सहना पड़े, और इस तरह शुरुआत

ही से देश-हित का काम करना उनके लिये नामुमकिन हो जाय। अगर कोई अभागा मंत्री इस आमदनी से हाथ धोना चाहे भी, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस हालत में उसे शिक्षा-विभाग ही बंद कर देना पड़ता है, और मौजूदा हालत में शराब के बजाय आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया पैदा करना उसके लिये मुमकिन नहीं। इस तरह ग़रीबों को इन करों के बोझ-तले पिसने का ही दुःख नहीं है, वे इसलिये भी दुखी हैं कि उनकी आमदनी को बढ़ानेवाला चर्खे-जैसा गृह-उद्योग नष्ट कर दिया गया है, और इस तरह उन्हें आमदनी के इस ज़रिए से ज़बर्दस्ती महरूम रक्खा गया है—वंचित किया गया है।

हिंदुस्थान की तबाही का यह दर्द-भरा क़िस्सा अधूरा ही कहा जायगा, जब तक हिंद के नाम जो क़र्ज़ा लिया गया है, उसका ज़िक्र इस सिलसिले में न किया जाय। लेकिन इस बारे में इन दिनों अख़बारों में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, अतः विस्तार के साथ इसका ज़िक्र करना अनावश्यक है। यह कहना ही काफ़ी होगा कि इस तरह के तमाम क़र्ज़ों की पूरी-पूरी जाँच एक निष्पक्ष पंचायत द्वारा कराई जानी चाहिए। इस जाँच के फल-स्वरूप जो क़र्ज़ अन्याय-पूर्ण और अनुचित ठहराया जायगा, उसे देने से इनकार करना ही आज़ाद हिंदुस्थान का सच्चा फ़र्ज़ होगा।

इस तंत्र को तिलांजलि दो

यह ज़ाहिर है कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनिया-भर में ज़्यादा-से-ज़्यादा ख़र्चीली है, और इसे बनाए रखने की गरज़ ही

से ये सारे पाप किए जा रहे हैं। अपने वेतन को ही ले लीजिए। वह माहवार २१,०००) से भी ज्यादा है। इसके सिवा उसमें भत्ता और दूसरे सीधे-टेढ़े आमदनी के जरिए हैं ही। इँगलैंड के प्रधान मंत्री की तनख्वाह से इसका मुक़ाबला कीजिए। उन्हें सालाना ५,००० पौंड, याने मौजूदा दर के हिसाब से माहवार ५,४००) से कुछ अधिक, मिलता है। जिस देश में हरएक आदमी की औसत रोज़ाना आमदनी दो आने से भी कम है, उस देश में आपको रोज़ाना ७००) से भी अधिक मिलते हैं; उधर इँगलैंड के बाशिंदे की औसत दैनिक आय लगभग २) मानी जाती है, और प्रधान मंत्री को रोज़ाना सिर्फ़ १८०) ही मिलते हैं। इस तरह आप अपनी तनख्वाह के रूप में ५,००० से भी अधिक भारतीयों की औसत कमाई का हिस्सा ले लेते हैं; उधर इँगलैंड के प्रधान मंत्री सिर्फ़ ६० अँगरेज़ों की कमाई ही लेते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आश्चर्य-जनक विषमता पर ध्यान-पूर्वक थोड़ा विचार कर देखें। एक कठोर, पर सच्ची हक़ीक़त को ठीक से समझाने के लिये मुझे आपका व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना पड़ता है, नहीं तो ज़ाती तौर पर मेरे दिल में आपके लिये इतनी इज्ज़त है कि मैं ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपको इतनी ज्यादा तनख्वाह मिले। मुमकिन है, आप अपनी सारी-की-सारी तनख्वाह दान

में दे डालते हों। पर जिस राज्य-प्रणाली ने ऐसी खर्चीली व्यवस्था बना रक्खी है, उसे तुरंत तिलांजलि दे देना ही उचित है। जो दलील आपकी तनख्वाह के लिये ठीक है, वही सारे राज्यतंत्र पर लागू होती है।

थोड़े में बात यह कि जब राज्य-प्रबंध के खर्च में बहुत ज्यादा कमी कर दी जायगी, तभी राज्य की आमदनी में भी बहुत कुछ कमी की जा सकेगी, और यह तभी हो सकता है, जब कि राज-काज की सारी नीति ही बदल दी जाय। इस तरह का परिवर्तन बिना स्वतंत्रता के हो नहीं सकता। मेरी राय में इन्हीं भावों से प्रेरित होकर ता० २६ जनवरी के दिन लाखों ग्रामवासी स्वातंत्र्य-दिवस मनाने के लिये की गई सभाओं में अपने आप, सहज ही, शामिल हुए थे। उनके मन तो स्वाधीनता का मतलब उक्त कुचल डालनेवाले बोझों से छुटकारा पाना है।

इँगलैंड जिस तरह इस देश को लूट रहा है, सारा हिंदुस्थान उसका एक स्वर से विरोध कर रहा है, तो भी मैं देखता हूँ, इँगलैंड का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस लूट को बंद करने के लिये तैयार नहीं है।

अहिंसा ही यम-पाश से छुड़ा सकती है

पर भारतीय जनता को जिंदा रखने और अन्न की कमी के कारण धीरे-धीरे होनेवाले उसके विनाश को अटकाने के लिये शीघ्र ही कोई-न-कोई इलाज तो ढूँढ़ ही निकालना होगा। सिवा इसके और कोई चारा ही नहीं। आपके द्वारा प्रस्तावित

सभा वह इलाज नहीं। दलीलों से बुद्धि को विश्वास कराने का अब कोई सवाल ही नहीं रहा है; अब तो सिर्फ़ दो परस्पर विरोधी ताक़तों की मुठभेड का सवाल ही बाक़ी रहता है। उचित हो या अनुचित, इँगलैंड तो अपनी पाशवी ताक़त के बल पर ही भारत के साथ के व्यापार को और भारत में रहे हुए अपने स्वार्थों को बनाए रखना चाहता है। इस यम-पाश से छुटकारा पाने के लिये जितनी ताक़त ज़रूरी है, वह ताक़त इकट्ठा करना अब भारत के लिये लाज़िमी हो पड़ा है।

इसमें तो किसी भी पक्ष को शक नहीं कि हिंदुस्थान में जो हिंसक दल है, भले आज वह असंगठित और उपेक्षणीय हो, फिर भी दिनों-दिन उसका बल बढ़ता जा रहा है, और वह प्रभावशाली बन रहा है। उस दल का और मेरा ध्येय तो एक ही है; पर मुझे यक़ीन है कि हिंदुस्थान के करोड़ों लोगों को जिस आज़ादी की ज़रूरत है, वह इनके दिलाए नहीं मिल सकती। इसके अलावा मेरा यह विश्वास दिनों-दिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अहिंसा के सिवा और किसी भी तरीक़े से ब्रिटिश-सरकार की यह संगठित हिंसा अटकाई नहीं जा सकेगी। बहुतेरे लोगों का यह ख़याल है कि अहिंसा में कार्य-साधक शक्ति नहीं होती। यद्यपि मेरा अनुभव एक ख़ास हद तक ही महदूद रहा है, तो भी मैं यह जानता हूँ कि अहिंसा में ज़बर्दस्त कार्य-साधक शक्ति है। ब्रिटिश-सल्तनत की संगठित हिंसा-शक्ति और देश के हिंसक दल की असंगठित हिंसा-शक्ति के मुक़ाबले यह

जबर्दस्त अहिंसक शक्ति खड़ी करने का मेरा इरादा है। अगर मैं हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा, तो इन दोनो हिंसक शक्तियों को निरंकुश होकर खुल खेलने का मौक़ा मिल जायगा। अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे अहिंसा की अमोघ शक्ति में निःशंक और अविचल श्रद्धा है। इतना होते हुए भी अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग करने के बजाय चुपचाप बैठा रहूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे पाप लगेगा।

यह अहिंसा-शक्ति सविनय भंग द्वारा व्यक्त होगी। फ़िल-हाल तो सिर्फ़ सत्याग्रह-आश्रम के लोगों द्वारा ही इसकी शुरू-आत होगी, लेकिन बाद में तो जो इस नीति की स्पष्ट मर्यादाओं को क़ायम रक्खेंगे, वे सब इसमें शामिल हो सकेंगे। यही सोचा गया है।

बग़ैर जोखम के जीत कहाँ ?

मैं जानता हूँ कि अहिंसात्मक संग्राम शुरू करके मैं पागलों का-सा साहस कर रहा हूँ, वैसा जोखम उठा रहा हूँ। लेकिन भारी-से-भारी जोखम उठाए विना सत्य की कभी जीत नहीं हुई है। जो लोग अपने से ज्यादा बहुसंख्यक, पुराने और अपने समान ही सभ्य, संस्कृत लोगों का जाने-अजाने नाश कर रहे हैं, उन लोगों के हृदय को बदल देने के लिये जितना जोखम उठाना पड़े, कम ही है।

अँगरेज़ों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है

'हृदय को बदल देने' की बात मैं जान-बूझकर कह रहा हूँ।

क्योंकि मैं अहिंसा द्वारा अँगरेज़ों के हृदय को इस तरह बदलना चाहता हूँ कि जिससे वे यह साफ़-साफ़ देख सकें कि उन्होंने हिंदुस्थान को कितना नुक़सान पहुँचाया है। मैं आपके देश-भाइयों का बुरा नहीं चाहता। अपने देश-भाइयों की तरह ही मैं उनकी भी सेवा किया चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा उनकी सेवा ही की है। सन् १६१६ तक मैंने आँखें बंद करके उनकी सेवा की। लेकिन जब मेरी आँखें खुलीं, और मैंने असहयोग की आवाज़ बुलंद की, तब भी मेरा मक़सद उनकी सेवा करना ही था। जिस हथियार का मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय संबंधी के ख़िलाफ़, नम्रता से, पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है, वही हथियार मैंने सरकार के ख़िलाफ़ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान ही अँगरेज़ों को भी चाहता हूँ, तो यह ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। बरसों तक मेरी परीक्षा लेने के बाद जैसे मेरे कुनबेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को क़बूल किया है, वैसे ही अँगरेज़ भी किसी दिन क़बूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में आम रिआया मेरा साथ देगी, और अगर उसने साथ दिया, तो सिवा उस हालत के कि अँगरेज़ लोग समय रहते ही समझ जायँ, देश पर आफ़त और दुःख के जो पहाड़ टूट पड़ेंगे, उनके कारण वज्र से भी कठोर दिलवालों के दिल पसीज जायँगे।

सविनय भंग द्वारा सत्याग्रह करने की योजना में उक्त अन्यायों का विरोध करना ख़ास बात होगी। ब्रिटिश या अँगरेज़-जनता

के साथ का संबंध तोड़ डालने की हमारी इस इच्छा का कारण ऊपर गिनाए गए ये अन्याय ही हैं। इनके मिटने ही से रास्ता साफ़ होगा, और फिर सुलह के लिये दर्वाज़े खुल जायँगे। भारत के साथ अँगरेज़ों के व्यापार में से लोभ का पाप धुल जाय, तो हमारी आज़ादी को क़बूल करने में अँगरेज़ों को कोई कठिनाई न हो। मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि आप इन अन्यायों को स्वीकार करें, इन्हें तत्काल दूर करने का कोई रास्ता निकालें, और इस तरह सारी मानव-जाति के कल्याण के उपायों को ढूँढ़ निकालने की इच्छा से कोई ऐसा तरीक़ा अख़्तियार करें, जिससे दोनो पक्ष बराबरी के नाते सलाह करने को इकट्ठा हों। ऐसा करने से अपने आप ही दोस्ती बँधेगी, और दोनो देश एक दूसरे की मदद के लिये तैयार रहने तथा दोनो को अनुकूल हो, इस तरह व्यापार करने की नीति ठहरा सकेंगे। बदनसीबी से देश में आज जो क़ौमी झगड़े फैले हुए हैं, उन्हें आपने बिला वजह ज़रूरत से ज्यादा महत्त्व दिया है। राजनीतिक विधान की किसी भी योजना के बनाने में इन बातों का महत्त्व अवश्य है, लेकिन जो सवाल क़ौमी झगड़ों से परे हैं, और जिनके कारण सब कौमों को समान रूप से हानि उठानी पड़ती है, उन सवालों का इन झगड़ों से कोई सरोकार ही नहीं।

अगर आप न सुनेंगे, तो ?

लेकिन ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज

आप नहीं ढूँढ़ निकालेंगे, और मेरे इस ख़त का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की ग्यारहवीं तारीख़ को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूँगा, उतने साथियों के साथ नमक-संबंधी क़ानून तोड़ने के लिये क़दम बढ़ाऊँगा। ग़रीबों के दृष्टि-बिंदु से यह क़ानून मुझे सबसे ज्यादा अन्याय-पूर्ण मालूम हुआ है। आज़ादी की यह लड़ाई ख़ासकर देश के ग़रीब-से-ग़रीब लोगों के लिये है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जायगी। आश्चर्य तो यह है कि हम इतने सालों तक इस दुष्ट एकाधिकार को मानते रहे। मैं जानता हूँ कि मुझे गिरफ़्तार करके मेरी योजना को निष्फल बना देना आपके हाथ में है। परंतु मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद लाखों आदमी संगठित होकर इस काम को उठा लेंगे, और नमक-कर का जो क़ानून कभी बनना ही न चाहिए था, उसे तोड़कर क़ानून की रू से होनेवाली सजा को भोगने के लिये तैयार रहेंगे।

अगर संभव होता, तो मैं आपको फ़िज़ूल ही—या ज़रा भी—धर्म-संकट में डालना नहीं चाहता। यदि आपको मेरे पत्र में कोई तत्त्व की बात मालूम हो, और मुझसे वार्तालाप करने-लायक़ महत्त्व आप उसे देना चाहें, और इसलिये इस ख़त को छापने से रोकना पसंद करें, तो इस ख़त के मिलते ही बज़रिए तार मुझे इत्तिला दीजिएगा। मैं ख़ुशी से इसे छापना मुलतवी रख दूँगा। किंतु अगर मेरे पत्र की ख़ास-ख़ास बातों को मंजूर

करना आपको नामुमकिन मालूम होता हो, तो मुझे अपने पथ से लौटाने का प्रयत्न न कीजिएगा, यही प्रार्थना है।

यह ख़त धमकी के लिये नहीं लिखा है, बल्कि सत्याग्रही के सरल और पवित्र धर्म का पालन करने के लिये लिखा है। इसलिये मैं यह ख़त एक अँगरेज़ नौजवान के हाथों आप तक पहुँचाने का ख़ास तरीक़ा अख़्तियार कर रहा हूँ। यह नौजवान भारत की लड़ाई को इंसाफ़ की लड़ाई मानते हैं। अहिंसा में इन्हें पूरी श्रद्धा है, और मानो ईश्वर ने इस ख़त के लिये ही इन्हें मेरे पास भेज दिया हो, इस तरह ये मेरे पास आ पहुँचे हैं। इति।

आपका सच्चा मित्र—

मोहनदास-कर्मचंद गांधी

इस पत्र के वाइसराय के पास पहुँचने के बाद ३६ घंटे तक उनके तार की राह महात्माजी ने देखी, और कोई भी जवाब न आने से गुरुवार ता० ६ मार्च, १६३१ को प्रातःकाल इस पत्र को प्रकाशित करने की अनुमति दे दी, और युद्ध-यात्रा की तैयारी करने लगे। परंतु इसके बाद ही वाइसराय का उत्तर डाक द्वारा उन्हें मिल गया। वह वाइसराय के सेक्रेटरी का लिखा हुआ था। उसका मज़मून यह था—

प्रिय मि० गांधी,

आपका २ मार्च का पत्र वाइसराय साहब को मिला है। उन्हें यह जानकर दुःख हुआ है कि आप ऐसा काम शुरू करना

चाहते हैं, जिसके फल-स्वरूप निश्चय ही सार्वजनिक शांति के भंग होने का और क़ानून के अनादर का पूरा-पूरा ख़तरा है।

सेवक—

वी० कनिंघम

(प्राइवेट सेक्रेटरी)

सातवाँ अध्याय

युद्ध-यात्रा

युद्ध-यात्रा का प्रारंभ १२ मार्च को प्रातःकाल हुआ। इसमें १०० सत्याग्रही योद्धा सम्मिलित थे। यात्रा प्रारंभ करने के प्रथम महात्माजी ने यात्रा-संबंधी निम्न-लिखित नियम प्रकाशित करा दिए थे। वे नियम ये थे—

सत्याग्रही की कूच

इस संघ में लगभग १०० मनुष्यों के सम्मिलित होने की संभावना है। इस समय आश्रम में रहनेवालों के सिवा भी जो दूसरे लोग आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, और जाने को उत्सुक हैं, एवं जिन्हें साथ लेना बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी ले जा रहा हूँ। इसीलिये अंतिम सूची तैयार नहीं कर पाया हूँ।

ता० १२ मार्च को सबेरे ६½ बजे कूच शुरू होगा।

गाँवों के मुखियों और सेवकों से मेरा निवेदन है कि वे नीचे-लिखी सूचनाओं को ध्यान में रक्खें।

आशा है, हर जगह संघ सबेरे ८ बजे पहुँच सकेगा, और १० से १०½ के बीच खाने को बैठ जायगा। मुमकिन है, पहले दिन असलाली (पड़ाव का पहला गाँव) पहुँचते-पहुँचते ६½ बज जायँ। दोपहर को या रात को किसी मकान की आव-

श्यकता नहीं होगी, सिर्फ छायादार साफ़ जगह मिल जाय, तो बस है। जहाँ छायादार साफ़ जगह न हो, वहाँ बाँस और घास-फूस का काम-चलाऊ छप्पर तैयार करा लेना काफ़ी होगा। इन दोनो चीज़ों का बाद में पूरा उपयोग हो सकता है।

यह मान लिया है कि खाना गाँववाले ही खिलाएँगे।

भोजन के लिये सीधा-सामान मिलने पर संघ के लोग अपने हाथ से रसोई बना लेंगे। पक्का-कच्चा जो भी हो, सादे-से-सादा होना चाहिए। रोटी, चपाती अथवा खिचड़ी, शाक और दूध या दही के सिवा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पकान्न या मिठाई बनी भी होगी, तो उसका त्याग किया जायगा। शाक सिर्फ उबाला हुआ होना चाहिए। उसमें तेल, मसाला, मिर्च— लाल या हरी, पिसी हुई या सारी, कुछ भी न होगी। मैं चाहता हूँ कि सब जगह इसी तरह खाना तैयार किया जाय।

सबेरे कूच करने से पहले राब और मोटी रोटी दी जाय। राब बनाने का काम हमेशा संघ के ज़िम्मे ही रहने दिया जाय।

दोपहर को भाकरी, शाक और दूध या मट्ठा दिया जाय।

साँझ को कूच करने से पहले चने और पौवे दिए जायँ।

रात को खिचड़ी, शाक तथा मट्ठा या दूध दिया जाय।

घी फ़ी आदमी सब मिलाकर तीन तोले से ज्यादा किसी हालत में न होना चाहिए। एक तोला राब में, एक तोला भाकरी पर ऊपर से, और एक तोला रात को खिचड़ी में। मेरे लिये सबेरे-शाम और दोपहर को बकरी का दूध, अगर मिल सके तो,

और सूखी दाख अथवा खजूर और तीन खट्टे नीबू होंगे, तो बस होगा।

मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सादे भोजन के प्रबंध के सिवा और किसी तरह का ख़र्च गाँववाले न करेंगे।

हरएक गाँव के और आस-पास के गाँवों के लोगों से मिलने की मैं आशा रक्खूँगा।

सोने के लिये ज़रूरी बिछौना वग़ैरह सामान हरएक आदमी के पास होगा, अतएव सोने के लिये साफ़ जगह के सिवा गाँव-वालों को और किसी तरह का प्रबंध करने की ज़रूरत न होगी।

गाँववालों के लिये पान-सुपारी या चाय का ख़र्च करना निरर्थक होगा।

हरएक गाँव में सफ़ाई का ठीक-ठीक प्रबंध किया जाय, और सत्याग्रहियों के लिये पाख़ाने की जगह पहले से ही मुक़र्रर कर ली जाय, तो अच्छा हो। नज़दीक ही कुछ आड़ हो, तो और भी अच्छा हो। यह इष्ट है कि यदि गाँववाले अब तक खादी का उपयोग न करते हों, तो अब करने लगें।

मैं चाहूँगा कि हरएक गाँव के बारे में नीचे-लिखी हक़ीक़तें तैयार रक्खी जायँ—

१. आबादी स्त्री-पुरुष—हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी इत्यादि की संख्या। २. 'अस्पृश्यों' की संख्या। ३. मदरसा हो, तो उसमें पढ़नेवाले बालक-बालिकाओं की संख्या। ४. चर्खों की संख्या। ५. खादी की माहवार खपत। ६. पूर्ण खादीधारियों

की तादाद। ७. फ़ी आदमी कितना नमक ख़र्च होता है ? मवेशी वग़ैरह के लिये कितने नमक का उपयोग होता है ? ८. गाँव में गाय-भैंस की संख्या। ९. लगान कितना दिया जाता है ? लगान की दर क्या है ? १०. गोचर-भूमि है ? है, तो कितनी ? ११. लोग शराब पीते हैं ? शराब की दूकान कितनी दूर है ? १२. 'अस्पृश्यों' के लिये पढ़ने-लिखने की और दूसरी सुविधाएँ हों तो उनका उल्लेख।

ये सब बातें एक साफ़ काग़ज़ पर लिखकर मेरे पहुँचते ही मुझे दे दी जायँ, तो अच्छा हो।

मोहनदास-करमचंद गांधी

आठवाँ अध्याय

गोल-सभा का आयोजन

लखनऊ की कांग्रेस में 'स्वराज्य-प्राप्ति' कांग्रेस का ध्येय बनाया गया था, और सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह 'स्वराज्य देने की नीति' की घोषणा कर दे। इस पर देश की परिस्थिति पर विचार करके सरकार ने देश की राजनीतिक अवस्था की तहक़ीक़ात करने का निश्चय किया, और इसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उस कमीशन ने बड़े-बड़े शहरों में घूमकर, तथा सरकारी दफ़्तरों में राजनीतिक मुक़द्दमों के काग़ज़ात देखकर अपनी तहक़ीक़ात ख़त्म की, और तहक़ीक़ात की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका नाम रौलेट-रिपोर्ट हुआ। उसमें उसने लिखा कि भारत में क्रांति के उद्योग हो रहे हैं। इसके फल-स्वरूप एक नया क़ानून बना, जिसका नाम हुआ रौलेट-ऐक्ट और जिसका अभिप्राय था राजनीतिक जीवन को कुचल डालना।

इस ऐक्ट का प्रबल विरोध हुआ। महात्मा गांधी उसी समय आफ़्रिका से आए थे, उन्होंने इसके विरोध में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। फल-स्वरूप यह ऐक्ट कुछ काल के लिये स्थगित ही हो गया। इसके बाद ही कलकत्ते की ख़ास कांग्रेस में असहयोग-आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इससे देश में एक राजनीतिक हलचल मच गई। इसके बाद वार्षिक अधिवेशन में उस प्रस्ताव का ख़ूब ज़ोरों के साथ समर्थन हुआ। साथ ही हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य ने आश्चर्यकारक रूप धारण किया। देखते-देखते प्रबल युद्ध छिड़ गया, और छोटे-बड़े नेताओं से लेकर सर्व-साधारण तक लगभग ३० हज़ार मनुष्य जेल में जा बैठे। महात्मा गांधी उस युद्ध के संचालक और अली-बंधु, दास, अजमलख़ाँ, स्वामी श्रद्धानंद, नेहरू, लालाजी-जैसे वीर उसमें सम्मिलित होकर जेल गए। संसार-भर में उसकी धूम मच गई।

महात्माजी ने बारडोली को ख़ास तौर से युद्ध की दूसरी क़िश्त के लिये तैयार किया। यह देखकर सरकार दहल गई, और प्रथम बार महात्माजी के साथ समझौते के लिये गोल-सभा की स्थापना की इच्छा प्रकट की। महात्माजी अपनी कुछ शर्तों के साथ गोल-सभा में जाने को राज़ी हो गए। शर्तों पर विचार होने लगा। इसी बीच में, चौराचौरी में, हत्याकांड हो गया, जिसमें कुछ सरकारी मुलाज़िम मारे गए। महात्माजी ने अपने अहिंसा-सिद्धांत के आधार पर समस्त आंदोलन को बंद कर दिया। सारे देश-भर की प्रार्थना सुनकर भी उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। देखते-देखते ही वह तूफ़ान एकदम शांत हो गया। सरकार ने भी गोल-सभा की इच्छा मुल्तवी कर दी।

इधर महात्माजी ने समझा कि देश अहिंसक युद्ध के लिये

तैयार नहीं, उधर भीतरी विद्वेष उत्पन्न हो गए। दास ने कांग्रेस की शक्ति को बाँट दिया। वह कौंसिल के पक्ष में हुए। और भी कई दल बने। उधर स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि और संगठन को हाथ में लिया। मुसलमानों ने भी तबलीग़ में हाथ डाल दिया। बाजे का प्रश्न उठा, और पहाड़ हो गया।

उधर मौक़ा पाकर सरकार ने फिर एक तहक़ीक़ात-कमेटी की घोषणा की। देश इस प्रकार की तहक़ीक़ातों से थक गया था, उसने बहुत विरोध किया। इस कमेटी में कोई भारतीय न था; और इसके प्रमुख साइमन साहब थे। उसके बाद गोल-सभा करने की घोषणा की गई।

यह साइमन-कमीशन जब भारत पहुँचा, तो सर्वत्र ही उसका प्रबल बहिष्कार हुआ। लाहौर में इसी अवसर पर लाला लाजपतराय पर लाठियाँ पड़ीं, और अंत में उनका देहावसान हो गया।

सरकार का कहना था कि कांग्रेस में भारत की सब जातियाँ सम्मिलित नहीं हैं। तब कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार की। पं० मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख थे। इसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई, तब देश-भर में उसका समर्थन हुआ, और कलकत्ता-कांग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग पेश की गई। इसके लिये १ वर्ष का समय सरकार को दिया गया। १ वर्ष बीत गया, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। वह साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पाने पर कुछ निर्णय करना चाहती थी। फलतः लाहौर-कांग्रेस में

पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई। यह प्रथम कहा ही जा चुका है।

साथ ही प्रचंड शांत युद्ध प्रारंभ हो गया। उसकी गति दुर्धर्ष थी। सरकार ने फिर ज़ोरों से गोल-सभा की चर्चा उठाई, और महात्मा गांधी के उसमें योग देने की पूरी चेष्टा की। पर महात्मा गांधी विना अपनी शर्तों को मनाए उसमें जाने को तैयार न थे, और शर्तों के पालन का वचन देना वाइसराय के लिये अशक्य था। निदान नरम दल के नेताओं और राज-प्रतिनिधियों को लेकर यह सभा करने का निश्चय कर लिया गया।

नवाँ अध्याय

सप्रू-जयकर-समझौता

२० जून, १६३० को पंडित मोतीलाल नेहरू ने डेली हेरल्ड (लंडन) के विशेष पत्र-प्रतिनिधि मि० स्लोकोंब से बंबई में कुछ बातें कीं, फल-स्वरूप मि० स्लोकोंब ने पंडित मोतीलालजी की शर्तों पर एक मसौदा लिखा। उसका समर्थन बंबई में मि० जयकर और मि० स्लोकोंब की उपस्थिति में पंडित मोतीलालजी ने किया। इन स्वीकृत शर्तों की एक प्रति मि० स्लोकोंब ने मि० जयकर के पास और एक कापी शिमला में डॉक्टर सप्रू के पास भेजकर उनके आधार पर वाइसराय के साथ समझौता कराने के लिये चेष्टा करने का अनुरोध किया। वह मसौदा इस प्रकार था—

"यदि कुछ विशेष अवस्थाओं में भारत-सरकार और ब्रिटिश-गवर्नमेंट हमारी उस स्वाधीनता का समर्थन करने में आज असमर्थ है, जो गोल-सभा में निश्चित होगी अथवा जो ब्रिटिश-पार्लियामेंट को भारत को देनी पड़ेगी, तो भी एक प्रकार से भारत-सरकार की ओर से इस प्रकार का विश्वास मिलने की आवश्यकता है, जो भारतवर्ष के उस उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन का समर्थन करे, जो उसकी विशेष आवश्यकताओं और अवस्थाओं की माँग हो और जिसको उसने ग्रेट ब्रिटेन के लंबे-चौड़े सह-

योग-काल में पैदा किया हो एवं जिसकी पूर्ति और स्वीकृति गोल-सभा के द्वारा होनी हो। इसका विश्वास दिलाने पर और एक तीसरी पार्टी के उस विश्वास की ज़िम्मेदारी लेने पर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से, पंडित मोतीलाल नेहरू अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेंगे। यदि इस प्रकार के विश्वास दिलाए गए, और वे स्वीकृत भी हो गए, तो किसी प्रकार संधि संभव हो सकेगी। उसके आधार पर, कुछ शर्तों के साथ, एक ओर सत्याग्रह-आंदोलन वापस लिया जायगा, और दूसरी ओर सरकार का दमन बंद होकर समस्त राजनीतिक क़ैदो छोड़े जायँगे, और अंत में इस संधि की शर्तों के अनुकूल गोल-सभा में कांग्रेस का अनुसरण करना होगा।"

इसी संबंध में श्रीसप्रू और जयकर ने वाइसराय से भेंट की, और फिर १३ जुलाई को एक पत्र लिखकर महात्मा गांधी और नेहरू पिता-पुत्रों से मिलने की आज्ञा माँगी। वाइसराय की आज्ञा मिलने पर उक्त दोनो सज्जन यरवदा-जेल में २३-२४ जून को महात्माजी से मिले, और बातचीत की। फल-स्वरूप महात्माजी ने एक नोट और एक पत्र नेहरू पिता-पुत्रों के नाम लिखकर उन्हें दिया। वह नोट इस प्रकार था—

महात्माजी की शर्तें

(१) यह प्रश्न जहाँ तक मुझसे संबंध रखता है, वहाँ तक मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि गोल-सभा में स्वाधीनता का प्रस्ताव रखने पर वह ग़ैर-क़ानूनी क़रार न दे दिया जाय, बल्कि गोल-

सभा के नियुक्त करने का अर्थ ही यह हो कि वह उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन के विधान और उसकी व्यवस्था पर विचार करे, तो हमें उस पर कुछ एतराज़ न करना चाहिए। कांग्रेस के सभा में सम्मिलित होने के संबंध में पूर्ण रूप से मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए।

(२) यदि गोल-सभा के संबंध में कांग्रेस को पूर्ण रूप से संतोष हो जायगा, तो सत्याग्रह-आंदोलन अपने आप रुक जायगा, किंतु विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार का शांति-पूर्ण कार्य फिर भी होता रहेगा, और तब तक बराबर होता रहेगा, जब तक कि सरकार स्वयं विदेशी कपड़ा और शराब का आना बंद न कर देगी। सर्व-साधारण में नमक का बनाना बराबर जारी रहेगा, और नमक-क़ानून का कुछ भी उपयोग न हो सकेगा, किंतु सरकारी नमक के कारख़ानों अथवा प्राइवेट नमक की दूकानों पर धावा न होगा। मैं इस बात पर भी राज़ी हूँ कि इस पर कोई दफ़ा न रखकर केवल जानकारी के लिये इसको लिख लिया जाय।

(३) अ—सत्याग्रह-आंदोलन की रुकावट के साथ ही सत्याग्रही और राजनीतिक क़ैदियों को, जो किसी हत्या अथवा क्रांति के अपराध में अपराधी नहीं हैं, चाहे वे सज़ा में हों और चाहे हिरासत में, छोड़ देने का ऑर्डर हो जाना चाहिए।

ब—जो रियासत अथवा संपत्ति नमक-क़ानून, प्रेस-ऐक्ट और मालगुज़ारी के क़ानून के अनुसार ज़ब्त हो गई है, वह वापस दे दी जाय।

स—वे जुर्मानों और ज़मानतों की रक़में, जो सत्याग्रहियों तथा प्रेस-ऐक्ट के बमूजिब लोगों से ली गई हैं, वापस दे दी जायँ।

द—आंदोलन के कारण जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से तथा सरकारी संबंधों से त्याग-पत्र दे दिए हैं, उनमें से जो लोग अपने इस्तीफ़े वापस लेकर सरकारी नौकरी या अपना वह संबंध फिर क़ायम रखना चाहें, तो वे स्वीकार किए जायँ।

ह—वाइसराय के बनाए हुए आर्डिनेंस हटा दिए जायँ। मेरे ये विचार एक क़ैदी के विचार हैं, क्योंकि मैं एक क़ैदी की हैसियत में हूँ, जो इस बात का कोई हक़ नहीं रखता कि वह राजनीतिक मामलों में अपने विचारों को प्रकट कर सके, क्योंकि जिसके संबंध में वह अपने विचार प्रकट करेगा, उससे वह अलग करके जेल के तालों के भीतर बंद कर दिया गया है, उसके संबंध में उसकी अब कुछ जानकारी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि मेरे विचार ही, इसके संबंध में, अंतिम विचार नहीं हैं। मेरा तो इसके लिये तभी दावा हो सकता है, जब मैं आंदोलन के साथ होता। मि० जयकर और डॉ० सप्रू को चाहिए कि वे इसके संबंध में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल को तथा उन लोगों को समझावें, जो आंदोलन के इंचार्ज हैं।

यदि शर्तें मंज़ूर हो जायँ, तो मुझे गोल-सभा में सम्मिलित होने के संबंध में चिंतना न करनी चाहिए, किंतु उसी अवस्था में जब जेल से निकलकर सभा में जानेवालों के साथ बात-

चीत करके अपनी माँग के कम-से-कम परिमाण पर शर्तनामा हो जाय, जिस पर उनको गोल-सभा में प्रत्येक अवस्था में खड़ा होना पड़े। मेरे लिये यह अधिकार होगा कि यदि स्वराज्य के विधान की एक-एक बात के निश्चय करने का समय आ जाय, तो मैं अपनी उन ग्यारह शर्तों के आधार पर उसकी व्यवस्था करने के लिये अपने आपको स्वतंत्र समझूँ, जिनका मैंने वाइसराय के नाम लिखे हुए पत्र में ज़िक्र किया है।

२३ । ७ । ३०
यरवदा सेंट्रल जेल

एस्० के० गांधी

दूसरे पत्र का आशय

दूसरे पत्र का आशय यह था कि मैं जेल में बंद रहने के कारण अपने विचार नहीं स्पष्ट कर सकता। मैंने जो शर्तें दी हैं, वे मेरे व्यक्तिगत संतोष के लिये हैं। मैं आदर-पूर्ण समझौते के लिये उत्सुक हूँ, पर वह दूर प्रतीत होता है। अंतिम निर्णय तो जवाहरलाल ही कर सकते हैं। हम लोग केवल सलाह दे सकते हैं। मैं स्थायी संधि किया चाहता हूँ।

इन पत्रों को लेकर उक्त दोनो सज्जन २८ जुलाई को, नैनी-जेल में, नेहरू पिता-पुत्रों से मिले, और बहुत-सी बातचीत कर उनके दो पत्र ले फिर ३१ जुलाई को यरवदा-जेल में महात्माजी से मिले। उन दोनों पत्रों का आशय इस प्रकार था—

"...कांग्रेस के प्रतिनिधि होने की हैसियत से हमें उसके स्वीकृत प्रस्तावों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधि-

कार नहीं, किंतु विशेष अवस्थाओं में उसकी कुछ बातों में हम सिफ़ारिश कर सकते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी और पहली कठिनाई यह है कि हम दोनो जेल में बंद और कुछ समय से बाहरी संसार तथा आंदोलन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमको तीन मास से किसी समाचार-पत्र के मँगा सकने की आज्ञा नहीं। गांधीजी स्वयं कई महीनों से जेल में हैं! कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी के सभासद् जेलों में बंद हैं, और कार्यकारिणी कमेटी स्वयं ग़ैर-क़ानूनी संस्था क़रार दे दी गई है! जो आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी देश के राजनीतिक संगठन की एक-मात्र संस्था है, और जिसके संपूर्ण भारतवर्ष के ३६० सभासद् हैं, उसके सभासदों में ७५ फ़ीसदी कार्यकर्ता हमारी ही तरह, आंदोलन से अलग करके, जेलों में बंद कर दिए गए हैं! ऐसी अवस्था में, विना सब कार्यकर्ताओं से और विशेषकर महात्माजी से परामर्श किए, हम लोग किसी प्रकार, समझौते की कोई निश्चित बात करके, अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते!

"गोल-सभा के संबंध में किसी नतीजे तक पहुँचना उस समय तक हम व्यर्थ और अनावश्यक समझते हैं, जब तक कि ख़ास-ख़ास बातों पर शर्तनामा न हो जाय। हमारा शर्तनामा ऐसा होना चाहिए, जिसमें न तो किसी प्रकार का भ्रम पैदा किया जा सके, और न वह किसी प्रकार बेकार ही साबित हो। सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने इसको बिल्कुल स्पष्ट

रखने की चेष्टा की है। लॉर्ड इर्विन ने स्वयं अपने छपे हुए पत्र में लिखा है कि वह यह सब अपनी ओर से कर रहे हैं, किंतु जो कुछ वह कर रहे हैं, उससे न तो वह अपने को धोखा देना चाहते हैं, और न अपनी गवर्नमेंट को। संभव है, यह बात हो सके, और इस प्रकार का मार्ग पैदा करने में डॉ० सप्रू और मि० जयकर को सफलता मिले, जो कांग्रेस और सरकार—दोनो को किसी प्रकार का धोखा न दे।

"हम समझौते के संबंध में, विना महात्माजी तथा अपने अन्य सहयोगियों से परामर्श किए, कोई भी निश्चित बात कहने में असमर्थ हैं, इसलिये सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर की उपस्थित की हुई दलीलों और २३ जुलाई को लिखे हुए महात्मा-जी के नोट पर, जो उन्होंने हमारे लिये भेजा है, बातें करने में हम विवश हैं। महात्माजी ने अपने नोट में जो शर्तें लिखी हैं, उनमें से हम नंबर २ और ३ से किसी प्रकार सहमत हो सकेंगे, किंतु हम इन शर्तों को और भी स्पष्ट करना पसंद करेंगे, और विशेषकर महात्माजी के नंबर १ की बातों पर अपना मत प्रकट करने के पूर्व महात्माजी तथा अन्य सहयोगियों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि हमारा यह पत्र बिल्कुल गुप्त रक्खा जायगा, और केवल गांधीजी तथा उन्हीं लोगों को दिखाया जा सकेगा, जिन्होंने महात्माजी का २३ जुलाई का नोट देखा है।"

× × ×

दूसरा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के नाम लिखा—

नैनी-सेंट्रल-जेल

प्रिय बापूजी,

यह हर्ष की बात है कि बहुत दिनों के बाद आपको पत्र लिखने का समय मिला, और वह भी एक जेल से दूसरी जेल के लिये। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पत्र को विस्तार के साथ लिखूँ, किंतु मैं ऐसा कर न सकूँगा ! इसलिये मैं केवल उस मामले पर ही कुछ बातें लिखता हूँ, जो मेरे सामने है। मि० जयकर और डॉ० सप्रू कल यहाँ आए, और मुझसे तथा पिताजी से बहुत देर तक उन्होंने बातें कीं। आज वे फिर आवेंगे। उन्होंने सभी प्रकार की बातें मेरे सामने रक्खीं, और आपका दिया हुआ पत्र तथा नोट भी हम दोनो के सामने प्रकट किया। हमने वर्तमान मसले पर उनसे बातें कीं, और विना दूसरी भेंट का रास्ता देखे ही बहुत-सी बातें तय कर डालीं, किंतु यदि दूसरी भेंट में कुछ नई बातें पैदा हो सकती हैं, तो हम अपने इन विचारों को, जो इस समय हमारे सामने हैं, बदल देने के लिये तैयार हैं।

हम अपने विचारों को इसके साथ के दूसरे पत्र में आपको लिख चुके हैं। हमारे विचारों के संबध में आपको बहुत कुछ उस पत्र के द्वारा मालूम होगा। हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके संबंध में हम और पिताजी आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। आपके पत्र में लिखी हुई शर्तों में नंबर १

से हमारा और साथ ही पिताजी का भी विरोध अवश्य है। मैं नहीं समझता कि वह हमारी आवश्यकता, हमारी माँग और वर्तमान परिस्थितियों की किस प्रकार रक्षा करेगा। पिताजी और साथ ही मैं इस बात से भली भाँति सहमत हैं कि कुछ समय की संधि के लिये हम लोग समझौता न करेंगे, जो आज हमारी इस पहुँची हुई स्थिति को विफल कर सके। इसीलिये किसी निर्णय तक पहुँचने के पहले ही हमको उसके संबंध में अधिक-से-अधिक सावधानी के साथ सोच-समझ लेना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि दूसरी ओर से अभी तक कोई ऐसो बात नहीं पाई जाती, जिस पर बहुत कुछ विश्वास किया जाना चाहिए। इसलिये मुझे अपनी ओर से उपस्थित की जानेवाली बातों में किसी प्रकार का भ्रम और भूल हो जाने का बहुत डर मालूम होता है। मैं स्वयं अपने आपको इस समय बहुत झुका हुआ देखता हूँ, मैं तो युद्ध पसंद करनेवाला आदमी हूँ। इसी के द्वारा मुझे आज अनुभव होता है कि मैं ज़िंदा हूँ। गत चार महीनों में भारत के स्त्री-पुरुषों और बच्चों ने जो काम किया है, उससे मेरा गर्व बहुत बढ़ गया है, और आज मेरा मस्तक ऊँचा हो रहा है। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ कि बहुत-से आदमी युद्ध पसंद नहीं करते, वे शांति चाहते हैं। इसीलिये मैं अपनी आत्मा के ख़िलाफ़, शांति के लिये, इस समझौते पर विचार करता हूँ। आपने अपने पवित्र स्पर्श से भारत को नवीन भारत के रूप

में जो परिवर्तित कर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भविष्य हमारे लिये क्या लाना चाहता है, मुझे नहीं मालूम! किंतु अतीत काल ने हमको सजीव और मूल्यवान् बनाया है, और हमारे शुष्क जीवन में उत्थान की ओर तेजी के साथ दौड़ने में एक अद्भुत गति उत्पन्न कर दी है! यहाँ नैनी-जेल में बैठकर मैंने अहिंसा-अस्त्र की अद्भुत शक्ति का भली भाँति मनन किया है। उसने मेरे जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया है। अहिंसा के सिद्धांत का देश ने इस समय, और विशेषकर हिंसा की स्वाभाविक उत्पत्ति कर देनेवाले स्थलों के सामने आ जाने पर भी, जिस प्रकार पालन किया है, उससे मेरा विश्वास है कि आप असंतुष्ट न होंगे।

मैं अब भी आपकी ग्यारह शर्तों के संबंध में असंतोष रखता हूँ। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनमें से किसी एक बात से भी सहमत नहीं। वास्तव में वे बहुत महत्त्व-पूर्ण हैं, किंतु मैं नहीं समझता कि वे स्वाधीनता की पूर्ति करेंगी! फिर भी मैं निश्चय-पूर्वक आपकी इस बात से सहमत हूँ कि न होने की अपेक्षा कुछ भी राष्ट्र को शक्ति-प्रदान करनेवाले अधिकारों के प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

पिताजी को इंजेक्शन दिया गया है। कल संध्या-काल की बातचीत में बड़े परिश्रम और कष्ट के साथ उन्होंने भाग लिया था।

जवाहरलाल

इन मुलाक़ातों में महात्माजी ने मि० जयकर से जो बातचीत

ज़बानी की, उसके निष्कर्ष-स्वरूप नेहरू पिता-पुत्रों के दोनो पत्र पढ़कर महात्माजी ने मि० जयकर को ये बातें लिखा दीं—

(१) कोई ऐसी स्कीम मुझे स्वीकृत न होगी, जिसमें एक तो अपनी इच्छा पर ब्रिटिश-साम्राज्य से संबंध-विच्छेद करने का भारत को अधिकार न हो, और दूसरे भारत को ऐसा अधिकार न दिया जाय, जिससे वह पूर्व प्रकाशित ११ शर्तों के आधार पर, संतोष के साथ, उसको स्वीकृत-अस्वीकृत कर सके !

(२) वाइसराय को मेरी यह अवस्था मालूम होनी चाहिए कि गोल-सभा में जो कुछ मैं करूँगा, उसको देखकर वाइसराय यह बात न सोचें कि गोल-सभा के उपस्थित होने का संयोग आने पर मैं अभिमान में आकर इस प्रकार के विचार प्रकट करता हूँ।

(३) वाइसराय को यह बात भली भाँति मालूम होनी चाहिए कि गोल-सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखने का मेरा दृढ़ निश्चय है, जिसके फल-स्वरूप एक निर्वाचित कमेटी, एक ही साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रजा और ब्रिटिश-प्रजा— दोनो को दिए गए अधिकारों पर, निष्पक्ष भाव से, विचार करेगी।

इसके बाद महात्माजी की सम्मति से यह उचित समझा गया कि सब नेता मिलकर परामर्श करें। वाइसराय ने आज्ञा दे दी, और १३-१४ अगस्त को महात्माजी, नेहरू पिता-पुत्र, सप्रू, जयकर, सरदार पटेल, डॉ० महमूद तथा श्रीमती नायडू

आदि का यरवदा-जेल में परामर्श होता रहा। अंत में एक मंतव्य लिखकर वाइसराय को भेज दिया गया तथा श्रीसप्रू-जयकर भी स्वयं उनसे मिलने शिमले चल दिए। वह मंतव्य इस प्रकार था—

प्रिय मित्रो,

कांग्रेस और ब्रिटिश-गवर्नमेंट के बीच शांति-पूर्ण समझौता कराने के लिये आपने जो प्रयत्न किया है, उसके लिये हम आपके चिर-कृतज्ञ हैं। इसके संबंध में आपके और वाइसराय के बीच जो प्रारंभ में पत्र-व्यवहार हुआ और उसके बाद आपके साथ हम लोगों की जो बातचीत हुई, उसको जानकर हम लोग यह समझते हैं कि अभी समझौता होने का समय नहीं आया। देश के सार्वजनिक जीवन में गत पाँच मास के भीतर जो जागृति उत्पन्न हुई और देश को जिन-जिन विपत्तियों तथा हानियों का सामना करना पड़ा है, वे विपत्तियाँ और हानियाँ न तो दब सकती हैं, और न उनका इस प्रकार अंत ही हो सकता है!

आपका और वाइसराय का यह सोचना कितना व्यर्थ और सारहीन है कि सत्याग्रह-आंदोलन देश के लिये हानिकारक है अथवा वह असमय और अनियमित संचालित हुआ है, यह बताने और कहने की आवश्यकता नहीं। अँगरेज़ी इति-हास रक्त-पात और क्रांति का समर्थन करते हैं, उनमें रक्त-पात करनेवाले साधनों का ही उपयोग किया गया है, और

उसी की वे हमको शिक्षा देते हैं। ऐसी अवस्था में वाइस-राय अथवा किसी बुद्धिमान् अँगरेज़ के लिये राजद्रोह की निंदा करना और शांत रहने का दम भरते हुए उसको कुचल डालना क्या अर्थ रखता है ?

सत्याग्रह-आंदोलन द्वारा हम निंदा-पूर्वक लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। देश ने आंदोलन के द्वारा अपनी शक्ति का जो अद्भुत परिचय दिया है, हम तो उसी को महत्त्व देना चाहते हैं। फिर भी यदि संभव हुआ और समय आया, तो सत्याग्रह-आंदोलन प्रसन्नता-पूर्वक बंद अथवा स्थगित होगा। यहाँ पर स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को जेल भेजने का, उन पर लाठियाँ चलवाने का तथा इससे भी अधिक अत्याचार-पूर्ण घृणित व्यवहार जो किए गए हैं, उनका ज़िक्र करना अनावश्यक है, और हम स्वयं उसे उचित नहीं समझते। हम आपको और आपके द्वारा वाइसराय को जब इस बात का विश्वास दिलावें कि शांति-पूर्ण समझौते के लिये जितने मार्ग हो सकते हैं, उनका अवलंबन करने में हम कोई बात उठा न रक्खेंगे, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए।

यह प्रकट करने के लिये हम स्वतंत्र हैं कि अभी तक ऐसे कोई चिह्न नहीं दिखाई देते, जिनसे समझौते की संभावना मालूम हो। हम अँगरेज़ अधिकारियों को यह स्पष्ट बतलाना चाहते हैं कि भारत के स्त्री-पुरुष उसी बात का निर्णय करेंगे, जो भारतवर्ष के लिये सबसे उत्तम होगा। समय-समय पर

सरकारी अधिकारियों के द्वारा भारत के लिये जो पवित्र और शुभचिंतना-पूर्ण घोषणाएँ हुई हैं, उन पर हमें हार्दिक दुःख है। अपने शासन-काल में अँगरेज़ी जाति ने प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था का नाश करके सब प्रकार उसको अयोग्य बना दिया है। वह स्वयं इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकती कि उसने जो कुछ भारत में रह-कर अपने शासन में किया है, उससे हम बर्बाद होने के अतिरिक्त किसी प्रकार भी उन्नति की ओर अपने पैर नहीं उठा सके।

परंतु हम समझते हैं कि आप और हमारे अन्य कुछ देश के शिक्षित भाई इसके विपरीत सोचते हैं। आप गोल-सभा पर विश्वास करते हैं, इसलिये हम प्रसन्नता के साथ उसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं, और उसके संबंध में हम जो कुछ कर सकते हैं एवं जिन अवस्थाओं में कर सकते हैं, उन सब बातों का निम्न-लिखित पंक्तियों में उल्लेख है—

चार शर्तें

हम समझते हैं कि वाइसराय के पत्र में, जो उन्होंने आपको दिया है, जिस सभा का ज़िक्र है, और उस सभा के लिये जिस भाषा का उपयोग किया गया है, लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत माँगों के आधार पर उसका कोई मूल्य और महत्त्व ही नहीं रह जाता। हम इस समय कुछ भी उत्तरदायित्व के साथ कह सकने में तब तक असमर्थ हैं, जब तक कि हम अपने

साथ कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी और आवश्यकता पड़ने पर आलइंडिया-कांग्रेस का निर्णय न रक्खें। किंतु आवश्यकता होने पर, बिना कांग्रेस और उसकी कार्यकारिणी कमेटी का परामर्श लिए, हम कह सकते हैं—

(१) कोई भी निर्णय हमें स्वीकृत नहीं हो सकता, जब तक कि (अ) उसमें स्पष्ट रूप से यह न कहा जाय कि भारतवर्ष अपनी इच्छा और आवश्यकता पर साम्राज्य से पृथक् हो जाने का अधिकार रखता है। (ब) भारतवर्ष को उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन, जिसमें महात्माजी की लिखी हुई ११ शर्तों का सम्मिश्रण होगा, और पुलिस, पल्टन और देश की आर्थिक आय उसके अधिकार में होगी, न दिया जायगा। (स) भारतवर्ष को, यदि आवश्यकता होगी, तो इस बात का पूरा अधिकार न होगा, जिससे वह ब्रिटिश-प्रजा के पूर्ण अधिकारों को प्राप्त करने के लिये एक निर्वाचित कमेटी के द्वारा निर्णय कराने की व्यवस्था कर सके, जिसमें भारतीय सार्वजनिक ऋण के अन्याय-पूर्ण होने की बात भी सम्मिलित होगी।

नोट—इस प्रकार शासनाधिकार की सभी बातें भारत की आवश्यकता के अनुसार होंगी, जिनका निश्चय निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा।

(२) यदि इन शर्तों का ब्रिटिश सरकार ने उत्तर दिया, और संतोष के साथ वह स्वीकृत हो सका, तो हम आलइंडिया-कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी से सिफ़ारिश कर सकेंगे कि वह

अपना सत्याग्रह-आंदोलन वापस ले ले। किंतु उस अवस्था में, विदेशी कपड़ों और शराब की दूकानों पर शांति-पूर्वक उस समय तक धरना जारी रहेगा, जब तक कि सरकार स्वयं क़ानून बनाकर उनका भारत में आना रोक न देगी। नमक देश में बराबर बनता रहेगा, किंतु कोई ऐसा क़ानून न रहेगा, जिससे नमक बनाना ग़ैर-क़ानूनी हो। सरकारी नमक के कारख़ानों और प्राइवेट नमक की दूकानों पर चढ़ाइयाँ न होंगी।

(३) सत्याग्रह-आंदोलन के स्थगित होने के साथ-ही-साथ (अ) समस्त सत्याग्रही एवं राजनीतिक क़ैदी, जो किसी ख़ूनी मामले के अपराधी नहीं हैं, चाहे वे सज़ा पा चुके हों अथवा अभी हिरासत में हों, छोड़ दिए जायँगे। (ब) नमक-क़ानून, प्रेस-ऐक्ट, मालगुज़ारी-ऐक्ट आदि के अनुसार जो संपत्ति ज़ब्त हो चुकी है, वापस दे दी जायगी। (स) जिन लोगों ने आंदोलन के कारण सरकारी काम-काज तथा उसके संबंध से इस्तीफ़े दे दिए हैं, उनके इस्तीफ़े वापस देकर उनको अपने-अपने कामों पर बहाल कर दिया जायगा। (द) वाइस-राय के बनाए हुए सभी ऑर्डिनेंस रद हो जायँगे।

(४) गोल-सभा में सम्मिलित होने की अवस्था में उसमें उपस्थित किए जानेवाले सभी विषयों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने यहाँ संतोषजनक परामर्श कर लेंगे। किंतु यह सब तभी होगा, जब हमारी ऊपर कही हुई सब बातें स्वीकृत होकर घोषित कर दी जायँगी।

आपके शुभचिंतक—

मोतीलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल

एम्० के० गांधी जयरामदास-दौलतराम

सरोजिनी नायडू सैयद महमूद

जवाहरलाल नेहरू

यह पत्र २१ अगस्त को वाइसराय को मिला। उन्होंने उस पर मंत्रिमंडल-सहित विचार किया। फिर जयकर और सप्रू महाशय से भी विचार होता रहा। अंत में २८ अगस्त को वाइसराय ने एक पत्र सर-सप्रू को लिखा। उसके तथा ज़बानी बातचीत के आधार पर भी सप्रू-जयकर ने यह मंतव्य प्रकट किया कि इन विचारों के आधार पर हम संधि के उद्योग में लगे थे—

(क) कांग्रेस-नेताओं की माँग के संबंध में वाइसराय का परामर्श, जो उन्होंने हमको २८ अगस्त को लिखे हुए अपने पत्र के दूसरे पैराग्राफ़ में प्रकट किया है।

(ख) गोल-सभा में साम्राज्य से पृथक् हो जाने का प्रश्न उठाने का अधिकार महात्मा गांधी को होने के लिये यह बात है—जैसा कि वाइसराय ने २८ अगस्त के अपने पत्र में लिखा है—कि सभा तो एक स्वतंत्र सभा होगी, इसलिये उसमें कोई भी व्यक्ति जो विषय पसंद करे, उस पर बोलने और प्रस्ताव करने का अधिकारी है। किंतु वाइसराय का कहना यह है कि महात्मा गांधी को उसके लिये इस समय कहना बिल्कुल अनुचित है। यदि इसके लिये महात्मा गांधी ने आग्रह किया, और

भारत-सरकार का सामना किया, तो वाइसराय इस बात को स्पष्ट रूप से कह देंगे कि गवर्नमेंट इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं। यदि महात्मा गांधी ने इस प्रश्न को गोल-सभा में उठाने का विचार किया, तो वाइसराय सेक्रेटरी-आफ़्-स्टेट को उनके इस विचार की सूचना दे देंगे।

(ग) गोल-सभा में भारतीय ऋण के संबंध में प्रश्न उठाने और एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा उसके औचित्य और अनौचित्य के निर्णय का प्रस्ताव करने के लिये किसी को भी अधिकार होगा। किंतु वाइसराय का कहना है कि भारतीय सार्वजनिक ऋण रद करने और उसकी अदायगी से इनकार करने का कोई प्रस्ताव नहीं रक्खा जा सकता।

(घ) नमक-क़ानून के रद करने के संबंध में वाइसराय का कहना यह है कि (१) यदि साइमन-कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई, तो यह क़ानून प्रांतीय अधिकारियों के हाथ में चला जायगा। (२) सरकारी मालगुज़ारी में इतना नुक़सान हुआ है कि सरकार इस क़ानून का रद करना स्वीकार न करेगी। किंतु यदि व्यवस्थापक सभा में इसको रद करने और उसके स्थान पर कोई दूसरा कर लगाने का प्रस्ताव किया जाय, तो वाइसराय और उनकी गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। जब तक नमक-कर एक क़ानून के रूप में है, तब तक उसको उठा देने का कार्य वाइसराय के बस में नहीं। यदि यह संधि हो गई, और भारतीय नेताओं ने वाइसराय तथा उनकी गवर्नमेंट

के साथ इस विषय पर बातचीत करनी चाही कि इसके संबंध में ग़रीबों को किस प्रकार आर्थिक सुविधाएँ दी जा सकती हैं, तो उस विषय पर विचार करने के लिये प्रसन्नता के साथ वाइसराय भारतीय नेताओं की एक छोटी-सी कान्फ्रेंस करेंगे।

(ङ) पिकेटिंग के संबंध में वाइसराय का कहना है कि यदि उसने इस प्रकार का रूप धारण किया, जिससे सर्वसाधारण में उत्पात की संभावना हुई, किसी प्रकार समाज में उसने अशांति का जीवन उत्पन्न किया अथवा उसमें किसी के प्रति धमकी, डर पैदा करने के लिये शक्ति का उपयोग किया गया, तो उस दशा में उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई अथवा अन्य कोई नैतिक प्रयत्न करने के लिये वाइसराय विवश होंगे। और, यदि संधि हो गई एवं पिकेटिंग उठा ली गई, तो उसके ख़िलाफ़ लगाए गए ऑर्डिनेंस भी उठा लिए जायँगे।

(च) आंदोलन के कारण जिन्होंने अपनी नौकरियों से त्याग-पत्र दे दिए हैं अथवा जो सरकारी नौकरियों से पृथक् कर दिए गए हैं, उनको फिर उन नौकरियों अथवा स्थानों पर ले लेने के संबंध में वाइसराय का कहना है कि यह प्रश्न स्थानीय अधिकारियों से संबंध रखता है, फिर भी यदि उनके स्थान ख़ाली होंगे, और उनके स्थानों पर किसी की नियुक्ति न हो चुकी होगी और वे सरकारी नौकर रह चुके होंगे तथा अपनी सेवाओं में वे राजभक्त साबित हो चुके होंगे, तो स्थानीय अधिकारी उनको पुनर्बार नियुक्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

(छ) प्रेस-ऑर्डिनेंस के कारण ज़ब्त किए हुए प्रेस वापस करने में कोई अड़चन न होगी।

(ज) मालगुज़ारी-क़ानून के अनुसार लिए हुए जुर्माने तथा ज़ब्त एवं नीलाम की हुई संपत्ति अथवा रियासत पर तो तीसरे का अधिकार हो गया। जुर्माने की रक़म का वापस करना भी कठिन हो गया। फिर भी यदि संभव हुआ, तो स्थानीय अधिकारी उन मामलों पर फिर विचार करेंगे, और जहाँ तक होगा, वापस करने की शर्त को पूरा करेंगे।

(झ) क़ैदियों को छोड़ने के संबंध में, २८ जुलाई को, हमको लिखे हुए पत्र में, वाइसराय ने स्पष्ट कर ही दिया है।

इन मंतव्यों को पढ़कर नेहरू पिता-पुत्रों तथा डॉ० महमूद ने महात्माजी को एक पत्र लिखा, जिसे लेकर उक्त सज्जन फिर एक बार महात्माजी से मिले। वह पत्र इस प्रकार था—

नैनी-सेंट्रल-जेल
३१। ८। ३०

कल और आज सर सप्रू और मि० जयकर से भेंट करने का फिर हमको अवसर प्राप्त हुआ। इस भेंट में उनसे ख़ूब बातें हुईं। वाइसराय ने २८ अगस्त को सर सप्रू और मि० जयकर के नाम जो पत्र लिखा था, उस पत्र को आगंतुक महानुभावों ने हमारे सामने रक्खा। इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि हम लोगों ने समझौते के संबंध में सर सप्रू और मि० जयकर के नाम तारीख़

१५ अगस्त को जो पत्र लिखा था, उसके अनुसार एक भी बात संभव नहीं हो सकी, और सर तेजबहादुर सप्रू तथा मि० जयकर ने समझौते के लिये जो परिश्रम किया, वह बिल्कुल बेकार गया, उसका कोई भी नतीजा न निकला। ता० १५ अगस्त को कांग्रेस के नेताओं ने जो पत्र लिखा था, आप जानते हैं कि उस पर हस्ताक्षर करनेवालों ने पत्र को कितना सोच-विचारकर लिखा था, और जो कुछ उसमें प्रस्तावित किया गया था, वह सब व्यक्तिगत शक्तियों के आधार पर था। उसमें हम लोगों ने जो लिखा था, उसका यह स्पष्ट अर्थ था कि तब तक कोई भी निर्णय संतोष-जनक नहीं हो सकता, जब तक हमारी प्रस्तावित बातों के ख़ास-ख़ास अंश पूरे नहीं हो जाते, और हमारी शर्तों के अनुसार ब्रिटिश सरकार संतोष-जनक घोषणा नहीं कर देती। यदि इस प्रकार की घोषणा हो जाय, तो सत्याग्रह-आंदोलन स्थगित करने के लिये हम लोग कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी से सिफ़ारिश करेंगे, जिसके साथ ही हमारे आंदोलन के प्रति वाइसराय ने जो क़ानूनी हमले किए हैं, और जिनका हवाला हमारे पत्र में दिया जा चुका है, उन सबको ब्रिटिश सरकार वापस ले लेगी। यह तो था फ़िलहाल संतोष-जनक समझौता, जिसके आधार पर एक स्कीम तैयार की जाती, जिसका निर्णय लंदन में होनेवाली गोल-सभा में होता। लॉर्ड इरविन हमारी प्रस्तावित बातों पर बातचीत करना भी असंभव समझते हैं। ऐसी अवस्था में समझौते का कोई भी आश्रय नहीं है।

सरकार की ओर से जो व्यवहार किया जा रहा है, और वाइसराय की ओर से जो पत्र लिखा गया है, उसका एक-एक अक्षर यह साबित करता है कि समझौता करने की सरकार की इच्छा नहीं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को ग़ैर-क़ानूनी संस्था क़रार देना और आंदोलन के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करना सिवा इसके और क्या अर्थ रखता है! हम इन गिरफ़्तारियों और अमानुषिक व्यवहारों की कोई शिकायत नहीं करना चाहते, बरन् हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे ऐसा लिखने का अभिप्राय केवल यह है कि समझौते के संबंध में सरकार की इच्छा और अनिच्छा को हम भली भाँति जानते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में वर्किंग कमेटी का अस्तित्व मिटाने की इच्छा और उसकी बैठकों को रोकने का प्रयत्न यह अर्थ रखता है कि आंदोलन बराबर चलता रहे, और समझौता न हो, और सरकारी जेलें आंदोलनकारियों से भरी रहें।

लॉर्ड इरविन का पत्र और ब्रिटिश सरकार का व्यवहार इस बात को स्पष्ट करता है कि सर सप्रू और मि० जयकर की कोशिशों का कोई नतीजा न निकले। हमारे और लॉर्ड इरविन के बीच जो अवस्था है, उसकी एक-एक बात पर विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता थी, किंतु वैसा न करके हम लॉर्ड इरविन के पत्र की ख़ास-ख़ास बातों का ही यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं। प्रारंभ में वाइसराय

ने अपनी उन बातों को दुहराया है, जिनको उन्होंने एसेंबली के भाषण में कहा था। पत्र में कुछ इस प्रकार के शब्दों की भर-मार है, जिनका कोई एक अर्थ नहीं होता। उन दुटप्पी बातों का कोई भी जब जो चाहे, मतलब निकाल सकता है। हमने अपने पत्र में यह साफ़ कर दिया था कि भारत में यथासंभव शीघ्र एक ऐसी पूर्ण स्वतंत्र शासन की व्यवस्था हो, जो भारतवासियों के सामने उत्तरदायी हो। देश की सेनाओं और आर्थिक प्रश्नों पर इस नवीन सरकार का पूरा-पूरा अधिकार होगा। हमारे सामने न तो किसी प्रकार की देरी का प्रश्न है, और न उसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश है। ब्रिटिश सरकार के हाथ से नई सरकार के हाथ में अधिकार आने में कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। उस व्यवस्था का भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्णय करेंगे।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी होगी कि भारत जब चाहेगा, अपनी इच्छा और आवश्यकता पर ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जायगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि अपने उस आर्थिक प्रश्न का, जो उसके ऊपर ऋण के रूप में दिखाया जाता है, एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा निर्णय करा सके! इन सब बातों के संबंध में हमसे केवल यह कहा जाता है कि गोल-सभा बिल्कुल स्वतंत्र होगी, वहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि लोग प्रश्न उठा सकेंगे। ये तो वही बातें हैं, जो पहले कही जा चुकी हैं। इसमें नई बातें क्या

कही गई हैं ! हम लोगों से यह भी कहा जाता है कि यदि भारत के ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाने का प्रश्न उठाया जायगा, तो लॉर्ड इरविन साफ़ कह देंगे कि वह इस प्रश्न को मानने और उस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं, और महात्मा गांधी यदि न मानेंगे, तो लॉर्ड इरविन महात्माजी के इन विचारों की सेक्रेटरी-आफ़्-स्टेट को सूचना दे देंगे।

लॉर्ड इरविन केवल कुछ विशेष आर्थिक मामलों की जाँच की जाने की बात स्वीकार करते हैं। यह प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है, जो केवल ब्रिटिश-प्रजा के समस्त अधिकारों को अपनी सीमा के अंतर्गत कर लेता है, और वह बात भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, जो भारतीय ऋण के नाम से हमारे पत्र में लिखी गई है।

राजनीतिक क़ैदियों के छोड़ने के संबंध में जो बात लॉर्ड इरविन ने अपने पत्र में लिखी है, वह अत्यंत उलझनों से भरी हुई और असंतोष-पूर्ण है। निश्चय-पूर्वक यह बतलाने में वह असमर्थ हैं कि राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिए जायँगे। वह इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के हाथ में छोड़ देना चाहते हैं। हम स्थानीय अधिकारियों और अफ़सरों की सहानुभूति तथा दया पर विश्वास नहीं कर सकते। लॉर्ड इरविन के पत्र में इससे अधिक किसी बात का, इन क़ैदियों के छोड़ने के बारे में, ज़िक्र नहीं है। कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी तादाद में, राजनीतिक अभियोगों में, जेलों में भेजे जा चुके हैं। मेरठ के अभियोग में जो

लोग गिरफ़्तार किए गए थे, वे डेढ़ साल से हवालात में सड़ रहे हैं। हमने अपने पत्र में जिन राजनीतिक क़ैदियों के छोड़ने का उल्लेख किया है, उनमें ये क़ैदी भी हैं।

बंगाल, लाहौर के मामलों के संबंध में, जैसा कि लॉर्ड इरविन ने कहा है, हम समझते हैं कि कोई विशेष बात नहीं है। हम उन क़ैदियों के छोड़े जाने की बात नहीं कहते, जो ख़ूनी अभियोगों में गिरफ़्तार किए गए हैं। हिंसा हमारा ध्येय नहीं। ख़ूनी अभियुक्तों के छोड़ने की बात हम नहीं कह सकते। हाँ, उनके संबंध में इतना कह सकते हैं कि उनके मुक़द्दमों के फ़ैसले का इतना लंबा समय न लेकर साधारण समय में—जो अदालत के लिये आवश्यक हो—निर्णय कर दिया जाय। हमें उन घटनाओं के संबंध में भी आश्चर्य है, जो खुली अदालत में क़ैदियों के साथ, अन्याय के रूप में, होती हैं, और वे भी उनके मुक़द्दमे के समय! उस समय ये असाधारण आक्रमण न होने चाहिए। हम जानते हैं कि दुर्व्यवहारों के प्रति क़ैदियों ने अनशन किया है और अधिक दिनों तक किया है और अपने इस अनशन में मृत्यु की घड़ियाँ गिनने की अवस्था में वे पहुँच गए हैं। बंगाल-कौंसिल के द्वारा बंगाल-आर्डीनेंस को स्थान मिला है, हम आर्डीनेंस को और इसके आधार पर बने हुए किसी भी क़ानून को बहुत अनुचित समझते हैं। बंगाल-कौंसिल के जिन सभासदों ने इसको पास किया है, वे देश के बहुत ग़ैर जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने इसको पास करके कुछ अच्छा नहीं किया, भविष्य में विदेशी

कपड़ों और शराब की दूकानों पर पिकेटिंग के संबंध में हमसे कहा जाता है कि वाइसराय पिकेटिंग-आर्डीनेंस उठा लेने के लिये तैयार हैं, किंतु लॉर्ड इरविन का कहना है कि यदि हमने आवश्यक समझा, तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई, नए और पुराने क़ानूनों के आधार पर, कर सकेंगे। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट प्रकट कर दिया है कि यदि हम आवश्यकता समझेंगे, तो उसे रोकने के लिये न केवल पुराने वरन् नवीन क़ानून बनाकर उपयोग में लावेंगे !

नमक-क़ानून के संबंध में भी—जिसका उल्लेख हमारे पत्र में किया गया है—जो कुछ लॉर्ड इरविन लिखते हैं, वह संपूर्ण असंतोष-जनक है। हम आपके सामने, इसके संबंध में, अधिक कुछ नहीं रखना चाहते, और न नमक-कर के संबंध में आपके सामने कोई बात रखने की ज़रूरत ही है। हमारे कहने का अभिप्राय यह कि हम अब तक कोई ऐसी बात नहीं देखते, जो हमारी परिस्थितियों पर संतोष-जनक उत्तर रखती हो।

समझौते के संबंध में हम लोगों ने जो पत्र लिखा था, और उसके उत्तर में लॉर्ड इरविन ने जो पत्र लिखा है, इन दोनो पत्रों में अंतर है, और अंतर है ज़मीन-आसमान का ! हमें विश्वास है कि आप यह पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ-भाई पटेल और मि० जयरामदास-दौलतराम को दिखाएँगे, और उनकी सम्मति लेकर सर तेजबहादुर सप्रू तथा मि० जयकर को अपना जवाब दे देंगे।

हमारा विचार है कि समझौते के संबंध में सब बातें प्रकाशित करने में अब अधिक विलंब न किया जाय। इसलिये कि अब सर्वसाधारण को अँधकार में रखना उचित न होगा। इसके लिये हम सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर से अनुरोध करेंगे कि वे समझौते के संबंध में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह सब प्रकाशित कर दें, और उस कार्यवाही की एक प्रति कांग्रेस के स्थानापन्न सभापति चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा के पास भेज दें। हम समझते हैं कि इसके संबंध में हमको कुछ भी न करना चाहिए, जब तक कि वर्किंग कमेटी हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना न दे।

नैनी-सेंट्रल-जेल }
२१।८।३० }

मोतीलाल
सैयद महमूद
जवाहरलाल

५ सितंबर को १ बजे फिर महात्माजी और कांग्रेस के नेताओं के साथ सप्रू-जयकर-सम्मेलन हुआ। १ घंटे तक विवाद होता रहा। अंत में महात्माजी ने समझौते से इनकार कर दिया। इस समय उन्होंने इन दोनो सज्जनों को एक पत्र दिया। वह इस प्रकार था—

यरवदा-सेंट्रल-जेल
५।९।३०

प्रिय मित्रो,

वाइसराय ने २८ अगस्त को आपके नाम जो पत्र लिखा है,

उसे हमने ध्यान-पूर्वक पढ़ा, और आपकी लिखी हुई उन बातों को भी पढ़ा, जिनके आधार पर वाइसराय समझौता करना चाहते हैं। उस पत्र को भी हमने देखा, जो पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ० महमूद ने हस्ताक्षर करके आपकी मारफ़त भेजा है। इस पत्र में हस्ताक्षर करनेवालों ने समझौते के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। मैंने सभी पत्रों और तत्संबंधी काग़ज़ों को बड़ी सतर्कता के साथ पढ़ा है, और अत्यंत स्वतंत्र भाव से आपके साथ बातें की हैं। समझौते की परिस्थिति पर विचार करते हुए दो रातें हमने बड़ी चिंता के साथ बिताई हैं, और सबके अंत में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो सकने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता।

समझौते के संबंध में नैनी-जेल से नेताओं ने इस बार आपकी मारफ़त जो पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे हम सहमत हैं। किंतु उनकी यह इच्छा है कि समझौते के संबंध में, जिसको देश-भक्ति के भावों से प्रेरित होकर आपने त्याग और परिश्रम के साथ पूरा करने के लिये कठिन परिश्रम किया है, हमारे ही द्वारा अंतिम निर्णय हो। इसलिये उसका जवाब देते हुए अत्यंत संक्षेप के साथ हम उन कठिनाइयों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे, जो समझौते के मार्ग में खड़ी हो रही हैं।

वाइसराय ने १६ जुलाई को आपको जो पत्र लिखा है, और

जिसके आधार पर आपको समझौते के लिये खड़ा होना पड़ा है, वह हमारे सामने है। और, वह पत्र भी हमारे सामने है, जिसमें समझौते के संबंध में पंडित मोतीलाल नेहरू और मि० स्लोकोंब के बीच तारीख़ २० जून को कुछ शर्तें निर्धारित हुई हैं, जिन्हें पंडित मोतीलाल नेहरू ने २५ जून को स्वीकार किया है। इसी पत्र के आधार पर १६ जुलाई को जो पत्र वाइसराय ने आपके नाम लिखा है, खेद है, उसमें हमें कोई भी संतोष-जनक बात नहीं मिलती। यहाँ प्रसंग-वश पंडित मोतीलाल नेहरू की स्वीकृत की हुई शर्तों का और वाइसराय के लिखे हुए पत्र का कुछ उल्लेख करना आवश्यक हो गया है।

शर्तें

यदि गोल-सभा की शर्तें स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दी जायँ, तो हम डोमीनियन-स्टेटस का प्रश्न लेकर उस कान्फ्रेंस में जा सकते हैं। यदि यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया जाय कि गोल-सभा भारतवर्ष के लिये डोमीनियन-स्टेटस की व्यवस्था करेगी, और उन व्यवहारों का निर्णय करेगी, जो भविष्य में भारतीय राष्ट्र और ग्रेट ब्रिटेन, दोनो के बीच बर्ते जायँगे, एवं उन बातों का तत्काल निर्णय करेगी, जिनको भारतवर्ष चाहता है, तो मैं कांग्रेस से सिफ़ारिश करूँगा कि वह लंदन में होनेवाली इस सभा का निमंत्रण स्वीकार कर ले। हम अपने घर के स्वयं ही मालिक होंगे। लेकिन हम इसके लिये तैयार हैं कि ब्रिटिश-शासन के स्थान पर उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन की व्यवस्था करने

के लिये कुछ शर्तें पेश की जायँ, और उन पर विचार हो। हम इँगलैंड में रहनेवाले अँगरेज़ों के साथ उन शर्तों पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करेंगे एक राष्ट्र के प्रतिनिधि होने की हैसियत से, दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ, समान अधिकारी होकर।

मोतीलालजी की स्वीकृति

भारत को उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन का अधिकार दिया जाय, सरकार इसका समर्थन करेगी। इतने दिनों के सहयोग-काल के नाते भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच परस्पर क्या व्यवहार होंगे, नई सरकार की स्थापना में किन-किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, ये बातें गोल-सभा में निर्धारित होंगी।

वाइसराय की इच्छा

यह मेरी वास्तव में इच्छा है, और जैसा कि मेरी सरकार भी चाहती है, जिसके संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं कि भारतीय लोगों के उन प्रयत्नों में सब प्रकार सहायता की जाय, जो वे अपने यहाँ प्रबंध करने के लिये करें, और जिसके कर सकने के लिये वे क्षमता प्रदर्शित करें। किंतु कुछ बातों का उत्तरदायित्व लेने के लिये वे अभी समर्थ नहीं। वे मामले क्या हो सकते हैं, और किस प्रकार के प्रबंध भारतीय लोगों के लिये उपयोगी हो सकते हैं—ये बातें गोल-सभा से संबध रखती हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि विना दोनो के परस्पर एक दूसरे पर विश्वास किए कुछ भी निर्णय हो सकता है।

हम समझते हैं कि दोनो में ज़मीन-आसमान का अंतर है। कहाँ पंडित मोतीलालजी के शब्दों में स्वतंत्र भारत के लिये गोल-सभा के द्वारा उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन की व्यवस्था और कहाँ वाइसराय के पत्र में वाइसराय और उनकी गवर्नमेंट और ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल की इच्छा, जो भारतीयों को प्रबंध करने के संबंध में सहायता करने के लिये है, जिस पर वाइस-राय को कोई संदेह नहीं, और यह भी निश्चित है कि जिसके लिये भारत के लोग अभी समर्थ नहीं हैं। वाइसराय के पत्र में जिन बातों का आभास मिलता है, वह आभास इसके पहले भी सुधारों की टीका-टिप्पणी करते हुए Lansdowne Reforms के रूप में मिला था। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर-लाल नेहरू और डॉ० महमूद के हस्ताक्षरों के साथ जो पत्र लिखा गया था, उसमें उल्लेख की गई बातों के उपयुक्त होने में हमें बार-बार संदेह होता था, यद्यपि उसमें यह बताया गया था कि कांग्रेस को कौन-सा निर्णय स्वीकार हो सकता है। आपको वाइसराय से जो अंतिम पत्र मिला है, उसमें उन्होंने अपनी उन्हीं पुरानी बातों को दुहराया है, जिनको वे अपने पहले पत्र में लिख चुके थे। ऐसी अवस्था में हमने जो पत्र लिखा था, उस पर हमको पश्चात्ताप है। पत्र में जिन बातों का उल्लेख है, वे सार-हीन और अव्यवहार्य हैं, आपने यह कहकर परिस्थिति को और भी साफ़ कर दिया है। यदि म० गांधी ने साम्राज्य से पृथक् हो जाने के संबंध में प्रस्ताव करने का विचार किया, तो

वाइसराय स्पष्ट रूप से यह कह देंगे कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये वह तैयार नहीं। एक ओर यह अवस्था है, और दूसरी ओर भारत की स्वतंत्र व्यवस्था का प्रश्न है। यदि भारतवर्ष उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था का निर्माण करने जा रहा है, तो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर। भारत अब अधिक समय तक साम्राज्य के अंतर्गत उसका एक अंश न रहकर कामनवेल्थ का समान अधिकारी होने जा रहा है। वह केवल इसी आवश्यकता और उत्सुकता का अनुभव कर रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब तक ब्रिटिश सरकार हमारी इस आवश्यकता के सामने सिर नहीं झुकाती, तब तक हमारी यह आजादी की लड़ाई बराबर जारी रहेगी। नमक-कर के संबंध में हमने एक साधारण प्रस्ताव किया था। उसके संबंध में वाइसराय ने जो अपना रुख़ प्रकट किया है, उससे बड़ा दुःख होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि शिमला-शिखर पर निवास करनेवाले भारत के शासक खेतों में काम करनेवाले ग़रीब किसानों और मज़दूरों की विपदाओं और कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में नमक एक ऐसी चीज़ है, जिसकी, हवा और जल के बाद, ग़रीबों को सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। इस नमक पर सरकार ने जो अपना एक-मात्र अधिकार जमा रक्खा है, उसके विरोध में निरपराध आदमियों ने गत पाँच

महीनों में अपना जो ख़ून बहाया है, उससे यदि सरकार यह नहीं समझ सकी कि यह कर कितना अन्याय-पूर्ण है, तो फिर वाइसराय के साथ भारतीय नेताओं के समझौते की कोई कान्फ्रेंस नहीं हो सकती। वाइसराय का कहना है कि जो लोग इस कर को रद करावें, वे इतनी ही आय के किसी दूसरे कर के लगाए जाने का प्रस्ताव करें। वाइसराय ने यह कहकर न केवल भारत को दूसरी हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया है, वरन् भारतीय नेताओं का अपमान किया है! ये सब बातें इस बात का प्रमाण हैं कि इस प्रकार भारत को हर प्रकार कुचलनेवाली शासन-प्रणाली अनंत काल तक जारी रहेगी। हम यह भी बता देना चाहते हैं कि न केवल भारत-सरकार, किंतु समस्त संसार की सरकारें उन क़ानूनों के बनाए रखने की चेष्टा करती हैं, जिनको जनता अनुचित समझती है, और क़ानूनों के रूप में आ जाने पर उनका अस्तित्व जल्दी नहीं मिटता।

नमक के अतिरिक्त जनता की माँग के संबंध में हमने जो बातें उपस्थित की थीं, सरकार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने जिन शर्तों को उपस्थित किया है, उनको देखते हुए भारत और भारत-सरकार के बीच एक विशाल अंतर है। ऐसी अवस्था में समझौता हो सकना कैसे संभव था? अतएव समझौता विफल हो जाने के कारण किसी प्रकार का असंतोष अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस और सरकार के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा है। राष्ट्र ने जिस अस्त्र का इस

युद्ध में उपयोग किया है, उसकी शक्ति और सफलता से शासक बिल्कुल अपरिचित हैं, इसलिये उनको इसकी शक्ति और मर्यादा के समझने में कुछ समय लगेगा। इधर कुछ महीनों के हमारे कष्ट-सहन और बलिदान से यदि शासकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस देश में जो उन्होंने अपने स्वार्थों की स्थापना की है अथवा जो उन्होंने अपने लिये यहाँ पर अधिकार प्राप्त किए हैं, कांग्रेस उनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुँचाना चाहती। भारत का यह युद्ध अँगरेज़ों के साथ नहीं है, किंतु इस देश में ब्रिटिश-साम्राज्य का जो असह्य प्रभुत्व है, उसका नैतिक रूप से भारत विरोध करता है, और असंतोष के साथ अंत तक उसे हटाने का प्रयत्न करेगा। हमारा यह प्रयत्न अंत तक अहिंसात्मक रहेगा, और इसीलिये हमारे इस प्रयत्न में सफलता भी निश्चित है, यद्यपि अधिकारी लोग हमारे इस प्रयत्न को अत्यंत कटुता और अपमान के साथ देखते हैं।

अंत में हम आप लोगों का, फिर एक बार, शांति-स्थापन के अर्थ आपके कष्ट और प्रयत्न के लिये, धन्यवाद देते हैं, और साथ ही यह भी बताए देते हैं कि अभी ऐसा समय नहीं आया, जब समझौते की संभावना समझी जाय। कांग्रेस के प्रधान कार्य-कर्ता और अधिकारी इस समय जेल में बंद हैं। हम लोगों ने इस संबंध में जो कुछ किया, वह सुनी-सुनाई बातों के आधार पर। इस-लिये हमारी शर्तों और उपस्थित की गई बातों में कदाचित् कुछ भूलें

हो गई हों। ऐसी अवस्था में इस समय जिनके हाथों में कांग्रेस का कार्य है, उन लोगों में से किसी ने यदि हम लोगों से मिलना चाहा, और शांति की स्थापना के लिये स्वयं सरकार भी उत्सुक हुई, तो फिर हम तक उनके पहुँचने में कोई कठिनाई न होगी।

एम्० के० गांधी वल्लभभाई पटेल

सरोजिनी नायडू जयरामदास-दौलतराम

सप्रू-जयकर के बाद मि० एलेक्ज़ेंडर ने संधि-चर्चा शुरू की। आप इँगलैंड के क्वेकर फ्रेंड्स एसोसिएशन के एक कार्यकर्ता हैं, और २२ जुलाई सन् ३० को भारत में पहुँचे थे। उक्त एसोसिएशन का उद्देश्य संसार में शांति स्थापित करना है। मि० एलेक्ज़ेंडर ने अर्थ-सदस्य मि० जॉर्ज शुस्टर और इरविन से १० दिन तक शिमले में बात की, और अपनी एक गुप्त संधि-योजना पेश की। लॉर्ड इरविन ने योजना देखकर उसे कांग्रेस-नेताओं को दिखाने को कहा। इसलिये वह डॉ० अंसारी से (जो उस समय स्थानापन्न प्रेसिडेंट थे) मिलने दिल्ली चल दिए। लेकिन दिल्ली पहुँचने के कुछ ही पहले डॉ० अंसारी आदि सब लीडर गिरफ़्तार कर लिए गए थे। अतः वह बंबई गए, और ६ अगस्त को वहाँ के गवर्नर से भेंट की। ७ को यरवदा-जेल में गांधी से एकांत में बात की। फिर वह इलाहाबाद पं० जवाहरलाल से मिलने आए। वह नैनी-जेल पहुँचे, पर अधिकारियों ने भेंट न करने दी। फिर वह मंसूरी गए, और मोतीलालजी से बात की। पर फल कुछ न हुआ, और यह चर्चा भी रद्दी हुई।

सर तेजबहादुर सप्रू

श्रीयुत जयकर

स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली

माननीय श्रीनिवास शास्त्री

दसवाँ अध्याय

प्रतिनिधि

गोल-सभा में सम्मिलित होने के लिये जो प्रतिनिधि चुने गए थे, वे इस प्रकार थे—

भारतीय प्रतिनिधि

१—सर तेजबहादुर सप्रू, २—श्रीयुत एम्० आर० जयकर, ३—डॉक्टर मुंजे, ४—श्रीयुत वी० एस्० श्रीनिवास शास्त्री, ५—राजा नरेंद्रनाथ, ६—सर पी० सी० मित्तर, ७—मिस्टर एम्० ए० जिन्ना, ८—मौलाना मुहम्मदअली, ६—श्रीयुत जे० एन्० बसु, १०—सर मुहम्मद शफ़ी, ११—श्रीयुत एम्० एम्० जोशी, १२—सर फ़िरोज़ सेठना, १३—श्रीयुत नरेंद्रनाथ लॉ, १४—श्रीयुत ओ० डी० ग्लेनविले, १५—श्रीयुत ए० के० फ़ज़-लुलहक़, १६—श्रीयुत एम्० रामचंद्र राव, १७—हिज़ हाइनेस दि आग़ाख़ाँ, १८—श्रीयुत ए० टी० पानीश्रेलवम, १६—सर ए० पी० पेट्रो, २०—पार्लाकिमेडी के राजा साहब, २१—श्रीयुत एच्० पी० मोदी, २२—श्रीयुत ए० रामास्वामी मुदालियर, २३—नवाब सुल्तान अहमदख़ाँ, २४—श्रीयुत बी० बी० यादव, २५—सर शाहनवाज़ ग़ुलाम मुर्तज़ाख़ाँ भुट्टो, २६—नवाब मुहम्मद यूसुफ़, २७—श्रीयुत ए० एच० ग़ज़नवी, २८—दरभंगा

के महाराजा बहादुर, २६—श्रीयुत के० टी० पाल, ३०—श्रीयुत एम्० एम्० ओन लाइन, ३१—सर पी० सी० रामस्वामी अय्यर, ३२—सरदार उज्जलसिंह, ३३—सर कावसजी जहाँगीर, ३४—श्रीयुत शिवाराव, ३५—नवाब सर ए० क़य्यूमखाँ, ३६—डॉक्टर बी० आर० अंबेडकर, ३७—श्रीयुत यू० बी० पे, ३८—श्रीयुत चंद्रधर बरुआ, ३९—श्रीयुत शाहनवाज़खाँ, ४०—सर हरबर्ट कार, ४१—श्रीयुत सी० वाई० चिंतामणि, ४२—कर्नल एच्० ए० जे० गिडनी, ४३—ख़ानबहादुर हफ़ीज़ हिदायतहुसेन, ४४—श्रीयुत टी० जे० गेविन जोंस, ४५—सर चिम्मनलाल सीतलवाड, ४६—रावबहादुर सिद्दप्पा टाटप्पा, ४७—छतारी के नवाब साहब, ४८—राजा कृष्णचंद्र, ४९—सरदार संपूरनसिंह, ५०—केप्टन राजा शेरमुहम्मदख़ाँ, ५१—श्रीयुत एस्०बी० तांबे, ५२—श्रीयुत यू० आँगथिन, ५३—श्रीयुत सी० ई० वुड, ५४—श्रीयुत ज़फ़रुल्लाख़ाँ, ५५—सर बी० एन्० मित्र, ५६—श्रीमती शाहनवाज़, ५७—श्रीमती सुब्रायन।

रियासतों के प्रतिनिधि

५८—महाराजा बीकानेर, ५९—महाराजा अलवर, ६०—महाराजा काश्मीर, ६१—महाराजा नवागढ़, ६२—महाराजा पटियाला, ६३—महाराजा धौलपुर, ६४—साँगली के चीफ़, ६५—श्रीयुत बी० टी० कृश्नम आचारियर, ६६—सर मिर्ज़ा एम्० इस्माइल, ६७—नवाब भोपाल, ६८—सर अकबर हैदरी, ६९—महाराजा बड़ौदा, ७०—महाराजा रीवाँ, ७१—सर प्रभा-

शंकर पट्टमी, ७२—सर मनू भाई मेहता, ७३—कर्नल के० एन्० हकसर।

ब्रिटिश-प्रतिनिधि

७४—श्रीयुत रेमज़े मेकडॉनेल्ड (लेबर), ७५—लार्ड शेन्की (लेबर), ७६—श्रीयुत वेजवुड बेन (लेबर), ७७—श्रीयुत आर्थर हेंडरसन (लेबर), ७८—श्रीयुत जे० ए० टॉमस (लेबर), ७९—लॉर्ड पील (कंज़रवेटिव), ८०—सर सेमुअल होर (कंज़रवेटिव), ८१—लॉर्ड रीडिंग (लिबरल), ८२—श्रीयुत ऑलिवर स्टेनले (कंज़रवेटिव), ८३—मारकिस ऑफ़ लोथियन (लिबरल), ८४—सर रॉबर्ट हैमिल्टन (लिबरल), ८५—श्रीयुत आइज़क फ़ेट (लिबरल), ८६—मारकिस ऑफ़ ज़ेटलैंड (कंज़रवेटिव)।

सलाहकारों की हैसियत से

८७—सर चार्ल्स इंस, ८८—मिस्टर एच्० जी० हेग, ८९—सर ए० मेक वाटर्स, ९०—मिस्टर एल्० डब्ल्यू० रेनॉल्ड्ज़, ९१—सर मालकम हेली, ९२—मिस्टर आर० ए० एच्० कार्टर (सेक्रेटरी जनरल)।

(क) राव बहादुर आर० श्रीनिवास, (ख) डा० शफ़ात अहमदख़ाँ, (ग) सर इब्राहीम रहमतुल्ला।

इन प्रतिनिधियों के चुनने पर, लॉर्ड इरविन ने, पंजाब-सरकार की ओर से दिए गए २९ सितंबर के भोज में, जो शिमले में दिया गया था, अपने भाषण में कहा था।

"मैंने गोल-सभा के लिये जिन भारतीय प्रतिनिधियों को चुना है, मुझे आशा है, देश सहमत होगा। कांग्रेस ने गोल-सभा में जाना अस्वीकार कर भयानक अदूरदर्शिता दिखाई है। हमने शक्ति-भर मेल की कोशिश की, पर सफलता न मिल सकी। कांग्रेस-नेता हमसे निजी तौर पर विश्वास दिलाने को कहते थे, पर वह बात मुझे पसंद नहीं। मैं सब कुछ प्रकट रीति से करना चाहता हूँ। मेरे बड़े-से-बड़े विरोधी भी मुझ पर दुरंगी नीति ग्रहण करने का दोष नहीं लगा सकते। कांग्रेस के साथ किसी भी गुप्त प्रतिज्ञा का करना ठीक नहीं था। भारत के अन्य दलों के साथ हम विश्वासघात कैसे कर सकते थे। कांग्रेस ने देश को भीषण क्षति पहुँचाई है। विलायत के व्यापार को धक्का लगा है......।"

सभा में भारत और इँगलैंड के दल तो दो ही दो थे, परंतु परिस्थितियों के कारण उनमें कई उप-विभाग भी हो गए थे। भारत में और देशी राज्यों ब्रिटिश भारत के प्रधान विभागों के सिवा आर्थिक और धार्मिक समस्याओं को लेकर कुछ और उप-विभाग भी बन गए थे। विलायत की ओर से एक तो पार्लियामेंट का दल था, और दूसरा भारत-सरकार का। पार्लियामेंट का एक ही दल हो, सो बात नहीं थी। उसमें भी मजदूर, लिबरल और अनुदारदल, ये तीन खंड थे। भारत का समष्टि-रूप से एक दल था, यह मान सकते हैं; यद्यपि लॉर्ड इरविन और उनके सहयोगी प्रायः भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों के भाव मानते रहे। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन के

समझौते में खासी पंचायत जमा हो गई थी। कांग्रेस की ओर से तो कोई सदस्य गया ही न था। कांग्रेस के सिवा जो दूसरे दल देश में हैं, और गोल-सभा में गए, उनमें लिबरल पार्टी ही बल-शाली थी। इस पार्टी के प्रमुख सदस्य सर तेजबहादुर सप्रू की सम्मति में उस समय गोल-सभा न तो विशेष आशा ही बँधानेवाली थी, और न विशेष निराश ही करती थी। श्रीनिवास शास्त्री ने कहा था—"कांग्रेस के न शरीक होने से बाधा अवश्य पड़ी, पर जो सदस्य चुने गए हैं, वे संतोषप्रद और यथेष्ट हैं।" तीसरे प्रमुख सदस्य सी० वाई० चिंतामणि ने कहा था—"गोल सभा में हम किसी प्रसन्नता के साथ नहीं जा रहे। हमारा कर्तव्य महान् है, और हमारी अवस्था संकट-जनक।"

मौलाना का बलिदान

गोल-सभा के प्रतापी सदस्य मौलाना मुहम्मदअली ने अघ-टित रूप से गोल-सभा को आत्म-बलिदान दिया। यद्यपि उन्होंने अपने भाषण में ललकारकर कहा था कि यदि मेरे मुल्क को अँगरेज़ आज़ादी नहीं देंगे, तो मेरी क़ब्र के लिये जगह देनी होगी। परंतु यह किसी को भी भरोसा न था कि वह इस प्रकार सचमुच ही अपना बलिदान दे देंगे।

भारत से रवाना होने के समय आप अस्वस्थ थे, और आपको कुर्सी पर बैठाकर जहाज़ में सवार कराया गया था। वहाँ आप कड़ी मेहनत करते रहे। भाषण, लेखन, मुलाक़ातों में निरंतर व्यस्त रहे। उधर डॉक्टर लोग देख-भाल भी करते रहे।

बीच-बीच में रूटर ने आपके स्वास्थ्य की चिंतनीय अवस्थाएँ तार द्वारा संसार को बता दी थीं, पर यह तो किसी को भी ख़याल न था कि आप सचमुच ही इतना शीघ्र एकाएक प्राण त्याग देंगे। आपकी मृत्यु गोल-सभा के इतिहास में एक असाधारण घटना हुई। मौलाना मुहम्मदअली एक प्रचंड शक्ति के स्वामी थे। वह प्रकृत योद्धा थे। जहाँ जब तक रहे, बराबर उद्ग्रीव रहे। जिस प्रकार गोखले, तिलक, लालाजी और स्वामी श्रद्धानंदजी के अंतिम क्षण देश के लिये अर्पित हुए, उसी प्रकार इनके भी हुए। यह सदैव, सर्वत्र प्रथम श्रेणी के व्यक्ति रहे। दबना इनका स्वभाव न था। दबंग रहना इनकी बपौती थी। उनके काम का ढंग चाहे जैसा भी हो, और विचार चाहे जो कुछ हों, हम इस पर बहस के अधिकारी नहीं। पर वह ऐसे थे कि बड़े-बड़े योद्धा भी उन्हें अपना दाहना हाथ बनाने में गौरव समझते थे। वह जैसे विचारशील थे, वैसे ही साहसी भी। वह अपनी मुसलमानियत को संसार में सर्वोपरि समझते थे, और उनकी यह बात देश के लिये चाहे भी जितनी हानिकर हो, प्यार करने के योग्य थी।

उनका शरीर रोबीला, शाही ज़माने के प्रतिष्ठित मुसलमानों-जैसा, नेत्रों में तेज, होठों पर दृढ़ता, मूँछों में ऐंठ और खड़े होने के ढंग में एक सिंह का बाँकपन था। बोलना क्या था, दहाड़ना था। केवल स्वर ही नहीं, शब्द भी मानो तोप के गोले-से निकलते थे। कर्नल वैजवुड ने एक बार लिखा था—"कमरे में सिर्फ़

हम दो ही आदमी थे, तो भी मौलाना इतने ज़ोर से बोल रहे थे, जैसे १० हज़ार की हाज़िरी में व्याख्यान दे रहे हों।"

स्व० मौलाना ने गोल-सभा में जो भाषण दिया था, उसका मर्म इस तरह है—

"मुझे इस बात का दावा नहीं कि मुझमें आर्य-रक्त मौजूद है, किंतु मुझे इस बात का अवश्य दावा है कि जो रक्त लॉर्ड रीडिंग की धमनियों में दौड़ रहा है, वही रक्त मुझमें भी मौजूद है। आज मैं सात हज़ार मील समुद्र पार करके भारत की समस्या के भीषण प्रश्न पर विचार करने के लिये आया हूँ। जहाँ भारत और इस्लाम का प्रश्न है, वहाँ मैं पागल हूँ। 'डेली हेरल्ड' का कहना है कि 'मैं शिक्षित हूँ, सरकार का साथ देने में मैं देश-द्रोही और धोकेबाज़ हूँ, और मैं सरकार के साथ सहयोग दे रहा हूँ।' इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे पवित्र कामों के लिये परमात्मा के नाम पर शैतानों के साथ भी काम करने के लिये मैं तैयार हूँ। मेरे सामने मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है, उसी के लिये मैं आज सात हज़ार मील समुद्र पार करके आया हूँ। उस उद्देश्य की पूर्ति में ही मैं अपने जीवनोद्देश्य की पूर्ति समझता हूँ। मैं भारत में स्वतंत्र होकर जाना चाहता हूँ। मैं विना पूर्ण स्वाधीनता के परतंत्र देश में जाना नहीं चाहता। यदि देश को स्वतंत्रता प्राप्त न हुई, तो मैं अपनी मातृभूमि में अपनी क़ब्र न बनवाकर विदेश में बनवाऊँगा। यदि आज आप लोग भारत को पूर्ण स्वाधीनता

नहीं देना चाहते, तो उसके बदले में मुझे मेरी क़ब्र की ज़मीन दीजिए। मैं परतंत्र भारत में मरना भी अच्छा नहीं समझता। आज हम सब लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं? हम शांति, मित्रता और स्वतंत्रता के लिये यहाँ आए हैं, और वही जीवन-धन लेकर वापस जाना चाहते हैं।

"यदि स्वाधीनता न मिली, तो समझ लेना होगा कि जो युद्ध आज दस वर्ष से जारी है, उसी में जाकर हम लोग भी सम्मिलित हो जायँगे। इस समय वे चाहे हमें देश-द्रोही अथवा धोकेबाज़ ही क्यों न कहें, ब्रिटिश हमें अपना बग़ावती क्यों न समझें, किंतु यदि हमारे अंतिम उद्देश्य की पूर्ति न हुई, तो हम लोग भारत जाकर, जहाँ दस वर्ष पहले थे, वहीं फिर खड़े हो जायँगे। साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पर हमें विचार नहीं करना। यह रिपोर्ट तो अत्यंत असंतोष-जनक है। अब तो हमें अपना 'ऐतिहासिक काग़ज़' तैयार करना होगा। दो देशों के विशाल हृदय तथा विशाल दिमाग़वाले एकत्र हैं। इनमें बहुतेरे प्रधान नेता, जिनकी यहाँ परमावश्यकता थी, आज भारत की जेलों में पड़े हैं। मैं तथा जयकर-सप्रू, गांधीजी और वाइसराय महोदय के बीच, समझौता कराने में सचेष्ट थे; किंतु वह भी असफल हुआ।

"हम असफल होने से भारत न लौटेंगे। हम पूर्ण स्वाधीनता लेकर भारत जाना चाहते हैं। लॉर्ड पील ने कहा है—जब आप भारत में स्वाधीनता लेकर जायँगे, तब लोग आपसे स्वाधीनता

छीन लेंगे। किंतु जब मैं अँगरेजों से लड़ने की शक्ति रखता हूँ, तब मैं अपने भाइयों से भी लड़ लूँगा; किंतु मुझे लड़ने की सामग्री तो दो। मुझे दासता देकर न लौटा देना। यदि हमें स्वाधीनता प्राप्त हो गई, तो वहाँ जाकर हम लड़-भिड़कर तय कर लेंगे। हमें स्वतंत्रता चाहिए। परतंत्र भारत से लड़ने में मेरी असफलता होगी। किंतु स्वतंत्र भारत से लड़ने में मुझे सफलता ही नहीं, संतोष होगा। श्रीयुत जयकर युवक भारत के संबंध में बोलने का दावा करते हैं। किंतु उन्हें अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं आयु में उनसे ज्येष्ठ हूँ; किंतु मेरा हृदय युवक है, मेरी आत्मा युवक है, और भारत की स्वाधीनता के युद्ध-क्षेत्र में मैं युवक हूँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय मैं असहयोग कर रहा था, मि० जयकर वकालत कर रहे थे। मुझे तथा मेरे बड़े भाई को लॉर्ड रीडिंग ने जेल भेजा था। मैंने देश के लिये जेल भी काटी, किंतु मि० जयकर ने जेल-यात्रा नहीं की है। इसके लिये मुझे मि० जयकर से कोई द्वेष नहीं। एक वह समय था कि लॉर्ड रीडिंग ने मुझे जेल भेजा था। मैं ऐसा ही स्वराज्य चाहता हूँ कि यदि भारत में लॉर्ड रीडिंग बड़े लाट होकर जायँ, तो मैं स्वाधीन भारत में उनके अपराध करने पर उन्हें जेल भेज सकूँ। मैं यहाँ औपनिवेशिक स्वराज्य की भीख माँगने नहीं आया। मैं औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य पर विश्वास भी नहीं करता। यदि मैं कोई चीज माँगता हूँ, तो वह पूर्ण स्वाधीनता है। गत सन् १९२७ की मद्रास की कांग्रेस-

कमेटी में मैंने पूर्ण स्वाधीनता के लिये प्रस्ताव पास किया था। उस समय भारत में कुछ दलबंदी हो रही थी। नेहरू-रिपार्ट का भी उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य ही था। यही नहीं, मेरे पुराने मंत्री पं० जवाहरलाल भी अपने पूज्य पिता के विचारों से भिन्न थे। फ़ारसी में कहावत है—छोटा भाई होने की अपेक्षा कुत्ता होना बेहतर है। यह कहावत ठीक हम पर घटती है। आप देखते हैं कि मेरे बड़े भाई पूरे लंबे-चौड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार पं० जवाहरलाल के संबंध में भी एक कहावत है—अपने पिता का पुत्र होने की अपेक्षा बिल्ली होना उत्तम है। गत १९२८ ई० में कांग्रेस के सभापति पं० मोतीलाल ने पं० जवाहरलाल के गर्म जोश पर ठंडा पानी छिड़क दिया, उठती हुई उमंग को दबा दिया। जब मैं उनके स्थान पर आया, तो मैंने औपनिवेशिक स्वराज्य का एकदम विरोध किया, और पूर्ण स्वाधीनता के लिये आवाज़ ऊँची की। जब तक भारत नवीन उपनिवेश न होगा, तब तक हम भारत न लौटेंगे। हम लोग साम्राज्य से अलग हुए एक उपनिवेश में लौटेंगे। हम भारतीय बत्तीस करोड़ हैं। जब भारत हज़ारों आदमियों को अकाल तथा हैज़े की बीमारी में खो बैठता है, तब वह अपनी संतत्ति के ब्रिटिश गोली का शिकार बनने में गर्व समझेगा। प्लेग तथा अकाल से मरने की अपेक्षा ब्रिटिश की गोली से मरना कहीं उत्तम होगा। महात्मा गांधी का यही उपदेश है। जिस समय मि० जी० के० चेस्टर्टन के सभापतित्व में एक सभा

हुई थी, उस समय कितने ही वक्ताओं ने महात्माजी के नवीन तत्त्व-ज्ञान पर भाषण किया। मैंने भी उस सभा में उपस्थित होकर कहा था—हिंसा की इच्छा से कोई भी युद्ध में सफल नहीं हो सकता। युद्ध में सम्मिलित होकर लड़ाई में विजय प्राप्त करने-वालों में बलिदान की पवित्र मनोकांक्षा होनी चाहिए। भारतीयों में मारने की शक्ति नहीं, किंतु मरने की इच्छा है। बत्तीस करोड़ आदमियों का मारना खेल नहीं। मशीनों की उपयोगिता के लिये धन की आवश्यकता है। इतना धन भी ब्रिटिश के पास न होगा, जिससे सब भारतीयों को मार डाला जाय। कुछ समय के लिये मान भी लिया जाय कि आपके पास सब कुछ है, तो बत्तीस करोड़ आदमियों को मारने का नैतिक बल नहीं हो सकता। भारत के लिये हममें मरने की भावना है, जो दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब भारतीयों में बलिदान की सच्ची भावना उत्पन्न होगी, तब अँगरेजों में वह साहस ही न रह जायगा कि वे निरस्त्र भारतीयों को निरंतर गोली से मारते चले जायँ।

"हिंदू-मुस्लिम भी एक समस्या है। आज हममें मतभेद है, इसीलिये आप हम पर राज्य कर रहे हैं। यदि हम अपने मतभेद को भूल जायँ, तो आपको राज्य करना मुश्किल हो जायगा। यहाँ हम अपने मतभेद को भूल जाने की ही प्रतिज्ञा करके आए हैं। भारत पर होनेवाली ब्रिटेन की प्रधानता अवश्य नष्ट होगी। बहुतेरे लोग मुझसे पूछते हैं कि राजनीति से और

हिंदू-मुस्लिम-मतभेद से क्या संबंध है ? मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि धर्म भी अपने ढंग की निराली राजनीति है। मेरा पहला कर्तव्य मेरे परवरदिगार के लिये है। डॉ० मुंजे का भी पहला धर्म परमेश्वर के लिये है। जहाँ इस कर्तव्य का प्रश्न है, वहाँ मैं प्रथम मुसलमान हूँ, और डॉ० मुंजे प्रथम हिंदू हैं। किंतु जहाँ भारत का संबंध है, जहाँ स्वाधीनता का प्रश्न है, और जहाँ भारत के लाभ का प्रश्न है, वहाँ मैं प्रथम भारतीय, द्वितीय भारतीय और अंतिम भारतीय हूँ। यही नहीं, जहाँ कर तथा लगान आदि का प्रश्न है, वहाँ भला मेरे मुख से यह कैसे निकल सकता है कि मैं मुसलमान हूँ, और वह हिंदू है ? भारत में हिंदू-मुसलमानों की लड़ाई के प्रश्न पर विश्वास करना ग़लती करना है।"

मृत्यु के एक दिन पूर्व मौलाना आधी रात तक काम करते रहे। आप एक अपील लिख रहे थे, जिसमें सांप्रदायिक भेद-भावों को भूलकर भारतीय राष्ट्र के लिये मिलकर काम करने की योजना थी। अधिक दिमाग़ी काम करने से उनके मस्तिष्क की रक्त-नाली फट गई। ५ बजे सुबह वह बेहोश हो गए। मौलाना शौकतअली वहाँ हाज़िर न थे, एक सप्ताह पूर्व आयर्लैंड गए हुए थे। प्रातःकाल ही वह लंदन आए, परंतु उन्हें भाई से बातचीत करने का अवसर न मिला। ६ बजकर ३० मिनट पर उनके वीर प्राण नश्वर शरीर से जुदा हो गए। उस समय मौलाना शौक़तअली के मुख से जो वाक्य निकले, वे ये थे—

"वह योद्धा था, और युद्ध करते हुए काम आया।"

गोल-सभा के सभी सदस्य होटल में अपने इस तेजस्वी सह-योगी के अंतिम प्रदर्शन के लिये ससम्मान आए, और सभी की यह सम्मति थी कि भारत की अक्षय हानि हुई।

लॉर्ड पील ने मौलाना शौक़तअली को एक पत्र लिखकर गोल-सभा के अँगरेज़ नरम दल की ओर से भेजा था। उसमें लिखा था कि उन्हें स्वयं अपने इस साथी को खो देने का बहुत खेद है। मि० बेन और मि० जॉर्ज लैंसबरी ने भी ऐसे ही पत्र लिखे थे। मि० बेन ने लिखा था कि इंडिया-हाउस आपको इस क्रिया-कर्म-विधान में हर तरह की सहायता देने को तैयार है। गोल-सभा के नरेश-सदस्यों ने अपने मिनिस्टरों और ए० डी० सी० लोगों को समवेदना-प्रदर्शनार्थ होटल भेजा था।

मृत्यु-सवाद सुनकर सर तेजबहादुर सप्रू अत्यंत मर्माहत हुए, और कहा—"वह मौलाना को ३० वर्ष से जानते हैं। उनमें दैवी शक्ति और व्यक्तित्व था।" श्रीजयकर ने कहा—"उनकी विवे-चना की गोल-सभा में बड़ी आवश्यकता थी। वह भारतीय राज-नीति के एक चमकदार रत्न थे। वह मरकर भारत को हानि दे गए।" सर अकबर हैदरी ने हार्दिक शोक प्रकट किया, और कहा—"कल ही तो उन्होंने अपनी स्कीम मेरे पास भेजी थी, जिसमें हिंदू-मुस्लिम-समस्या पर प्रकाश डाला था।" सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने कहा—"वह एक बम के गोले थे। उनके विना भारतीय राजनीति में एक खंदक पड़ गई।"

मृत्यु के समय आपके पास आपकी धर्म-पत्नी, पुत्री, दोनो जामाता और बड़े भाई मौलाना शौकतअली उपस्थित थे। उनकी धर्म-पत्नी ने इँगलैंड में पर्दा उठा दिया था। इस विषय में मौलाना ने पत्र-प्रतिनिधि से कहा था कि "मेरी पत्नी, जो एक शब्द भी विदेशी भाषा का नहीं बोल सकती, आज पहली बार पर्दे को उठाकर मेरी सेवा करने मेरे साथ आई हैं।" अपनी मृत्यु से थोड़ी देर पहले मौलाना ने, सांप्रदायिकता के संहार के लिये, जो पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक सदस्य को अपने समाज के अतिरिक्त दूसरी जातिवालों के मत भी, एक निर्दिष्ट संख्या में, प्राप्त करना जरूरी माना जाय। पत्र में यह भी घोषित किया था कि यदि मुसलमानों-सहित भारतवर्ष को स्वाधीनता न मिली, तो मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जायँगे—

"We want to go back not just with separate electorates with weightage but with freedom for India including freedom for Musalmans. And unless we secure that I can assure the Premier that Musalmans will join the Civil Disobedience Movement without the least hesitation."

इस प्रकार मौलाना ने सांप्रदायिकता के संहार का उपाय किया जाना बताया।

सर आगा खाँ और महाराजा हरिसिंह बहादुर, काशमीर बात चीत कर रहे हैं।

लन्दन की वह बिल्डिङ्ग जहां प्रतिनिधि ठहराये गये हैं।

ग्यारहवाँ अध्याय

प्रस्थान और स्वागत

निमंत्रित प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुबीते के ख़याल से प्रस्थान किया। कुछ तो इंपीरियल कान्फ़्रेंस देखने की इच्छा से पहले ही चल दिए थे। यह कान्फ़्रेंस १ ऑक्टोबर सन् २० को हुई थी। ब्रिटिश-उपनिवेशों की यह सम्मिलित बैठक प्रतिवर्ष वहाँ होती है। भारत की ओर से सर मुहम्मदशफ़ी प्रतिनिधि थे। इस कान्फ़्रेंस में भी उपनिवेश और अधिक स्वतंत्रता चाहते थे, और दक्षिण-आफ़्रिका के प्रधान मंत्री जनरल हरजाग के ऐसा प्रस्ताव रखने पर इंगलैंड का राजनीतिक वायु-मंडल विचलित हो उठा था। लेकिन आतिथ्य-सत्कार, ख़ुशामदें, दावतों और सैर-सपाटों की इतनी अधिक भरमार थी कि वह महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव यों ही पड़ा रह गया। इन दावतों से ऊबकर लंदन के 'डेली हेरल्ड' में मज़दूर-दल के प्रमुख सदस्य कमांडर केनवर्दी को एक लेख लिखकर दावतों का विरोध करना पड़ा था। ख़ैर।

कई-कई प्रतिनिधि साथ मिलकर, भिन्न-भिन्न दलों में, भारत से रवाना हुए। जनता ने इन्हें बिदा करते समय कोई उत्साह और प्रेम नहीं प्रदर्शित किया। स्वयं सर सप्रू ने इस विषय में कहा था—"हम लोग अपने देशवासियों के उपहास-पात्र बनकर

ही अनेक समुद्र पार करके यहाँ आए हैं।" फिर भी ये सज्जन, देश के विरोध करते रहने पर भी, अपनी बड़ी आशाओं को लेकर गए, और लोगों को आश्वासन दे गए कि ज़रा धीरज धरो, हम अवश्य स्वराज्य लेकर आते हैं। सर्दी की विशेष पोशाकें बनवाई गई थीं। विशेष अवसरों पर पहनने योग्य अलग-अलग सूट सिलवाए गए थे। खाने-पीने का आवश्यक सामान और फुटकर औषध आदि संग्रह की गई थीं। मौ० मुहम्मदअली तो लगभग अपने सारे परिवार को ही ले गए थे।

प्रस्थान से प्रथम किस प्रतिनिधि ने क्या-क्या बातें संगृहीत कीं, सो तो कहना अशक्य है। परंतु सर सप्रू ने नैनी-जेल में जाकर मालवीयजी से कई घंटे तक गुप्त परामर्श किया था। जेल के कर्मचारी तक उपस्थित न थे।

आख़िर बड़ी-बड़ी आशाओं से ओत-प्रोत होकर, गर्वित भाव और गंभीरता से इन सज्जनों ने, बंबई से, जहाज़ों में, प्रस्थान किया। तमाम यात्रा-भर उनके मस्तिष्क में लंबी-लंबी स्पीचों और विचारों के ड्राफ़्ट उमड़े पड़ते होंगे। इनका विश्वास था कि हमारी वाक्पटुता लंदन की ईंटों को हिला देगी, और उनमें से स्वराज्य खनाखन बिखर पड़ेगा।

इँगलैंड की भूमि पर पैर रखते ही गवर्नमेंट की ओर से मि० बेन, इंडिया ऑफ़िस के प्रतिनिधि तथा अन्य लोगों ने अपने मेहमानों का स्वागत किया। उन्हें हाइड-पार्क के भव्य होटलों और महलों में ठहराया गया, जहाँ सब प्रकार की विलास-

सामग्री प्रस्तुत थी। उन्हें पूरा-पूरा आराम पहुँचाने का सुप्रबंध था। प्रधान मंत्री मि० रेंमजे मैक्डानेल्ड की गूढ़ नीति इस अवसर को चूक नहीं सकती थी। उन्होंने भारतीयों को आदर-सत्कार से ही प्रसन्न और संतुष्ट कर देने की भरपूर चेष्टा की। नरेशों ने तो और भी गहरे ग़ोते लगाए। एक दावत के अवसर पर अलवर प्रभु ने, बग़ल में बैठी प्रधान मंत्री की कुमारी कन्या मिस इसाबेल मैक्डानेल्ड से वे-वे हास्य-परिहास किए कि बेचारी शर्मा गई। उधर महाराजा बड़ौदा की बग़ल में बैठी प्रिंसेस आर्थर कनाट हँस रही थीं।

भोजों, अवकाशों, खेलों और निमंत्रणों की भरमार थी। पर इनमें तथ्य क्या था, यह इस घटना से भले प्रकार प्रकट होता है। एक अवसर क्रायडन में हवाई खेलों का था, और उसमें प्रति-निधियों को भी निमंत्रण दिया गया था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर इनका कुछ भी स्वागत नहीं किया गया। बैठने की सीटें तक नहीं थीं। नाश्ता-पानी भी कुछ नहीं था। 'सेंडविचेज़' जल्दी से मँगाया गया, और वह उन बेचारे राज-अतिथियों ने उसी प्रकार खाया, जिस प्रकार कौए मकान के छप्पर पर बैठकर खाते हैं। उस समय प्रधान मंत्री उधर होकर निकले भी, पर दृष्टि बचाकर चले गए। इस स्वागत-सत्कार की पराकाष्ठा तो उस समय हुई, जब एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी ने सी० पी० के भूतपूर्व गवर्नर श्री० तांबे से पूछा कि क्या प्रतिनिधियों में से कोई अँगरेज़ी भी जानता है? श्रीजयकर की मनोवृत्ति ने विचित्र रूप धारण कर लिया।

उन्होंने क्षोभ से कहा यदि गवर्नमेंट के आतिथ्य और स्वागत का यही नमूना है, तो मैं ऐसे स्वागत को कभी स्वीकार न करूँगा। गोल-सभा के बहुत-से सदस्य गुस्सा होकर वहाँ से जल्दी ही उठकर चले गए। इसके बाद जंगी जहाज़ों का प्रदर्शन था, पर इसका निमंत्रण यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि कायडन में किए गए व्यवहार की पुनरावृत्ति होने की जोखिम हम नहीं उठा सकते।

बारहवाँ अध्याय

उद्घाटन-समारोह

१२ नवंबर को, दोपहर के समय, गोल-सभा का उद्घाटन-समारोह, बड़े शानदार ढंग से, हुआ। सम्राट् ने माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल किया। माइक्रोफ़ोन एक यंत्र है, जो ख़ास सम्राट् के लिये रिज़र्व है। इससे आवाज़ बुलंद होकर चारो ओर सुनाई देती है। यह चाँदी-सोने का बना हुआ है। इसके ऊपर चाँदी का एक प्लेट है, जिस पर इसकी व्यवहार में लाने की तारीख़ें और अवसर खुदे रहते हैं। अब तक यह नौ बार इस्तेमाल हो चुका है। सबसे पिछली बार Five Power Naval Conference (जनवरी ३०) पर इस्तेमाल हुआ था।

छ शाही माइक्रोफ़ोन डेलीगेटों के लिये भी लगाए गए थे। इसके सिवा ७ लाउड स्पीकर (सुनहरी) भी लगाए गए थे। साथ ही स्पीच को रिकॉर्ड पर भी उतार लिया गया। यह स्पीच रेडियो द्वारा पृथ्वी-भर में सुनी गई थी।

हाउस ऑफ़् लॉर्ड्स के बाहर एक भारी भीड़ सम्राट् की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। राजा लोग भड़कीली दर्बारी पोशाकें और हीरे धारण किए हुए थे। गैलरी में, सिंहासन के दाहने पार्श्व में, प्रधान मंत्री का स्थान था। इसके सामने घोड़े

की नाल की शक्ल की दो मेजों के गिर्द बैठने का प्रबंध था। इनके पीछे और मेजें और बैठने का स्थान था। भारतीय राज्यों के १६, ब्रिटिश भारत के ५७ और ब्रिटिश पार्लियामेंट के १३ प्रतिनिधि कुल मिलाकर ८६ सभासद उपस्थित थे। दोपहर में जब सम्राट् सिंहासन पर पधारे, तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, और जब तक भाषण होता रहा, सब खड़े रहे। सम्राट् ने कहा—

"अपने साम्राज्य की राजधानी में आज भारत के नरेशों, सरदारों और जनता के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। मेरे मंत्रियों तथा पार्लियामेंट के दूसरे दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हो रहा है, उसका उद्घाटन करने में भी मुझे बड़ा संतोष हो रहा है।

"यद्यपि ब्रिटेन के अधिपतियों ने कई बार भारत की भूमि में कितने ही प्रसिद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया है, पर विलायत और भारत के राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि भारतीय देशी नरेशों के साथ एक साथ एकत्र होकर, भारत के भविष्य-विधान का समझौता करने के लिये, आज से पहले कभी एकत्र नहीं हुए थे। यह सम्मेलन एकमत होकर हमारी पार्लियामेंट को पथ दिखलाएगा, जिससे वह भारत के भविष्य-विधान का ठीक-ठीक आधार निश्चित कर सकेगी।

"लगभग दस वर्ष हुए, अपनी भारतीय व्यवस्था-सभा को

संदेश देते हुए, मैंने यह बात कही थी कि भारत की भविष्य वैध उन्नति के लिये इस सभा की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि दस वर्ष का समय किसी भी राष्ट्र के जीवन में बहुत थोड़ा समय है, परंतु इन दस वर्षों में केवल भारत में ही नहीं, ब्रिटिश कामनवेल्थ के प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं का विशेष तीव्रता से विकास हुआ है। यह विकास दस वर्षों के भीतर ही हुआ, यह बात बिल्कुल असाधारण हुई है।

"इस युग के मनुष्यों के लिये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज से दस वर्ष पहले जिन विधानों का प्रारंभ हुआ था, उनके फलों की जाँच करने और भविष्य के लिये और प्रबंध करने का समय इतना शीघ्र आ गया है।

"ऐसी ही जाँच के लिये मैंने साइमन-कमीशन भेजा था, और उसके परिश्रम का परिणाम आपके सामने है। उसके साथ ही कुछ और सामग्री भी प्राप्त की जा सकी है। आपके सामने जो महान् समस्या आई है, उसे हल करने में आप लोगों ने उस सामग्री से काम लिया है, और ले सकते हैं। आपने जिस महत्त्व-पूर्ण काम में हाथ लगाया है, उसके संबंध में आप लोगों की बातचीत पर तमाम ब्रिटिश कामनवेल्थ का भविष्य कितना निर्भर है, यह आप लोगों में से प्रत्येक जानता है। इसी सामूहिक उपयोग के कारण मैं यह कहने को प्रेरित हो रहा हूँ कि ये बड़े ही शुभ लक्षण हैं कि आज ब्रिटिश-कॉमन-वेल्थ के प्रत्येक उपनिवेश में हमारी सर-

कार के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं बड़े ही मनोयोग और सहानुभूति के साथ आपकी कार्यवाही का सूक्ष्म निरीक्षण करूँगा। मेरा निरीक्षण बिल्कुल निश्शंक भाव से तो नहीं होगा, पर शंका से अधिक विश्वास की ही प्रधानता रहेगी।

"भारतवर्ष की मेरी प्रजा की अवस्था का मुझ पर गहरा असर पड़ता है, और वह असर आपकी सम्मेलन की बातचीत में बराबर बना रहेगा। क्या बहुसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक, स्त्री और पुरुष, नागरिक और किसान, मंत्री, ज़मींदार और रैयत, बलशाली, निर्बल, धनी, दरिद्र, जातियाँ, समुदाय, सब पर मेरी दृष्टि रहती है, और उनके अधिकारों पर मैं विचार करता हूँ। संपूर्ण भारत का जन-समूह मेरा गहन ध्यान आकर्षित करता है।

"मुझे इसमें संदेह नहीं कि स्वराज्य की नींव भिन्न-भिन्न माँगों और उस जवाबदेही के संयोग से बँधती है। उन माँगों और उस जवाबदेही को स्वीकार करना और उसका भार ग्रहण करना पड़ता है। भारत की भविष्य शासन-विधि इस नींव पर खड़ी होकर अपनी माननीय आकांक्षाओं को प्रकट करेगी। आपकी बातचीत इसी परिणाम की प्राप्ति के लिये मार्ग-प्रदर्शक हो, और आपके नाम इतिहास में सच्चे भारत-हितैषी और मेरी प्रजा के हितकामियों तथा हित-संवर्द्धकों के रूप में अंकित हों। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान् आपको प्रचुर ज्ञान, धैर्य और सद्भाव प्रदान करे।"

यह भाषण ८ मिनट में समाप्त हुआ।

प्रधान मंत्री

इसके उपरांत सम्राट् चले गए। तब महाराज पटियाला ने प्रधान मंत्री मिस्टर मैक्डानल्ड के सभापतित्व ग्रहण करने का प्रस्ताव किया। सर आग़ाख़ाँ के समर्थन और सबकी स्वीकृति से प्रधान मंत्री आसनासीन हुए।

प्रधान मंत्री ने सम्मेलन की ओर से सम्राट् के प्रति, विनीत भाव से, हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित की।

इसके बाद मिस्टर मैक्डानल्ड ने कहा—"हमारा कार्य महान् है। हम नवीन इतिहास की उत्पत्ति के समय एकत्र हुए हैं। ब्रिटेन के नरेशों और राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर जो यह कहा है कि उसका कर्तव्य भारत को स्वराज्य के लिये तैयार करना है, वह स्पष्ट ही है। यदि कुछ लोग कहते हैं कि यह काम भयानक सुस्ती से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक स्थायी विकास में सुस्ती देख ही पड़ती है। मैं ऐसे लोगों की बात से नहीं चिढ़ता, जो कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उन्हें पूरा कर रहा हूँ।

"हम लोग यहाँ इसलिये इकट्ठे हुए हैं कि एकमत होकर इस बात को मान लेने की कोशिश करें कि भारतवर्ष अब विधानात्मक विकास के एक विशेष शीर्ष-बिंदु पर पहुँच चुका है। उस एकमत होकर मानी हुई हमारी बात को बहुत-से लोग कम बतलावेंगे, बहुत-से लोग उसे अधिक कहेंगे, पर हम साहस-पूर्वक अपने निर्णयों को शिक्षित और अभिज्ञ जनता के सामने रख सकेंगे।"

इसके उपरांत प्रधान मंत्री ने व्यवस्था-भंग की नीति का विरोध किया, मिलकर उदारता-पूर्वक काम करने का निवेदन किया, और सम्राट् के मनोयोग को कार्य-सिद्धि में सहायक बतलाया। "सभा में शरीक होनेवाले पार्लियामेंट के तीनो प्रधान दलों के एकत्र होने में सभा की गुरुता ही प्रकट होती है" आदि बातें कहकर और सम्मेलन के महत्त्व का दिग्दर्शन कराकर उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

महाराजा काश्मीर

ने कहा कि इँगलैंड तथा भारतवर्ष दोनो में से कोई भी इस कान्फ्रेंस की असफलता सहन नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे से मिलकर रहने के लिये कुछ आदान-प्रदान करना पड़ेगा। यदि हम इसमें सफल न हुए, तो इँगलैंड को अपेक्षा भारत की कुछ कम हानि न होगी। हम एक दूसरे के साझेदार हैं, यहाँ मिलकर बैठें, और साझे के लाभ को तय कर लें।

महाराजा बड़ौदा

ने कहा कि राजों तथा भारत की जातियों की आकांक्षाओं में थोड़ी रियायत से काम लेकर ही हम स्व० महारानी विक्टोरिया के शब्दों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि "उनकी समृद्धि में हमारा बल, उनके संतोष में हमारी स्थिरता और उनकी कृतज्ञता में उनका मीठा फल है।" हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से एक दूसरे से विश्वास रखते हुए ऐसे महान् आदर्श की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हों।

निज़ाम हैदराबाद के प्रतिनिधि

मोहम्मद अकबर हैदरी

ने कहा कि मैं साम्राज्य के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो संबंध भारत के रजवाड़ों का ब्रिटिश-पार्लियामेंट से है, उसे कोई पृथक् नहीं कर सकता। आपने साथ ही यह भी कहा कि रियासती भारतवाले ब्रिटिश भारतवालों का भी उत्थान चाहते हैं, जिसे इस सभा के परिणाम-स्वरूप मिलने की उम्मेद की।

श्रीनिवास शास्त्री

ने कहा कि ग़लतफ़हमी या पक्षपात के काले बादलों से ढकी हुई समस्याओं पर नीति के दो चमकते हुए तारे नज़र आए हैं, जिनकी मदद से हम अपना मार्ग अनुसंधान कर सकते हैं। उन दोनो में से एक तो एक वर्ष पूर्व की वाइसराय की घोषणा थी, जिसमें उन्होंने १६१७ की घोषणा के अनुसार भारत का लक्ष्य 'डोमीनियन स्टेटस' प्राप्त करना बतलाया था। दूसरा गत जुलाई मास का वाइसराय का भाषण है।

इसी दिन सभा के भारतीय प्रतिनिधियों के नाम बहुत-से लोगों ने मिलकर यह पत्र, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ, भेजा था—

"She stood before her traitors bound and bare,
Clothed with her wound and with her naked shame,
As with a weed of fiery tears and flame,
Their mother-land, their common weal and care.
And they turned from her and denied, sware,
They did not know this woman nor her name.

And they took truce with tyrants and grew tame
And gathered up cast crowns and creeds to wear.
And rags and shards regilded, then she took
In her bruised hands their broken pledges and eyed
These men so late so loud upon her side
With one inevitable and tearless look,
That they might see her face whom they forsook;
And they beheld what they had left, and died."

February, 1870 —Swinburne

भावार्थ—"उनकी मातृभूमि, उन सबका लाड़-प्यार से पालन-पोषण करनेवाली जननी, आहत, घावों से क्षत-विक्षत, नग्न, शर्म से गर्दन झुकाए हुए और जंजीरों से कसी हुई अपने देश-द्रोहियों के सामने खड़ी हुई है। परंतु उसे देखते ही उन्होंने उपेक्षा से अपना मुँह फेर लिया, और शपथ-पूर्वक कहा कि न तो वे इस स्त्री से परिचित हैं, और न वे उसका नाम ही जानते हैं। उन्होंने निष्ठुर, अत्याचारी अधिपतियों से संधि कर ली, और उनके वशीभूत होकर पालतू कुत्तों की नाईं पूँछ हिलाने लगे, और पुराने मान-सम्मान और अंध-विश्वासों की ओट में अपने को छिपाने लगे, और पुराने चिथड़ों को पेबंद लगाकर, उन्हें नया बनाकर, पहनने लगे। तब वह अपने क्षत-विक्षत और घाव-पूर्ण हाथों में उनकी कुचली और टुक-राई प्रतिज्ञाएँ लेकर उनके सम्मुख गई, और उन लोगों की ओर, जिन्होंने अभी-अभी उसकी तरफ़ से गर्जना की थी, और उसे मुक्त करने की डींग मारते थे, अश्रु-रहित, परंतु भाव-पूर्ण आँखों

से देखा, जिससे वे उसका मुख देख सकें, जिसका वे त्याग और अवहेलना कर चुके हैं। उन्होंने जब उसकी ओर दृष्टि-पात किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कितने पतित हो गए थे, और उसके उपरांत वे मर गए।"

फ़रवरी, १८७० कविवर स्विनबर्न

"मैं तुम्हें और तुम्हारे उन साथियों के लिये, जिन्होंने 'निष्ठुर और अत्याचारी अधिपतियों' से संधि कर ली है, स्विनबर्न की वह कविता समर्पित करती हूँ, जो उसने ६० वर्ष पहले उस समय के इटली के नर्म-दलवालों के संबंध में लिखी थी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि एक क्षण के लिये कपट और पाखंड दूर कर दो। यदि तुममें शक्ति है, तो थोड़ी देर अपने अंतःकरण का मंथन करो, और फिर इसका उत्तर दो कि क्या उपर्युक्त कविता में तुम्हारा सच्चा चित्र चित्रित नहीं किया गया है? याद रक्खो, इटली के नर्म-दलवालों का अब नाम-निशान भी नहीं है, और उनके स्थान में इटली अब एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र है, जो संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों में अपना अस्तित्व रखता है। उस समय को बीते अब ६० वर्ष गुज़र गए। संसार ने द्रुत गति से अपनी उन्नति की मंज़िलें तय की हैं, परंतु तुम अपनी मातृभूमि को कुचलने और ठुकराने-वाले रँगे सियार अब भी ६० वर्ष पहले के इटली के नर्म-दल-वालों का पार्ट खेल रहे हो। यदि तुम अपने रास्ते जाना चाहते हो, तो भले ही जाओ, परंतु तुमसे अधिक समझदार देश-

भक्त और परिस्थिति, जिन्हें तुम पीछे छोड़ गए हो, अपनी गुलाम और पद्-दलित माता को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। उसकी उस 'अश्रु-रहित और भाव-पूर्ण' दृष्टि से सदैव सावधान रहो, जिससे वह अब तुम्हारी ओर देख रही है। अब भी सोचने का समय है। या तो अपने ठीक रास्ते पर आ जाओ, और या वह परिणाम भोगने के लिये तैयार रहो, जो ६० वर्ष पहले तुम्हारे साथियों को भोगना पड़ा था।"

'भारत माता'

गोल सभा का इजलास।

बरमा के प्रतिनिधि अपने देसी वेश में।

तेरहवाँ अध्याय

प्रारंभिक भाषण

१७ नवंबर को गोल-सभा की दूसरी सामूहिक बैठक सेंट जेम्स महल में प्रारंभ हुई। ब्रिटिश भारत के ५७, देशी राज्यों के १७ और पार्लियामेंट के १५ सदस्यों के अतिरिक्त ३१ मंत्री और सलाहकार और ५ उच्च-पदस्थ सरकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सर्दी ख़ूब थी, और हाल में भट्टी जल रही थी।

प्रधान मंत्री के नियमानुसार धन्यवाद देने के उपरांत सर सप्रू ने अपना भाषण आरंभ किया। उन्होंने कहा—"आज हम भारत और इँगलैंड के पारस्परिक संबंध के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय लिखने के लिये यहाँ आए हैं। देखें, हम क्या कर पाते हैं! भारत उत्कंठित और बेचैन होकर देख रहा है, और तमाम संसार की आँखें समझौते पर लगी हुई हैं। केवल भारत ही नहीं, ब्रिटेन की संपूर्ण राजनीतिज्ञता की परीक्षा का अवसर आया हुआ है।"

इसके उपरांत सर सप्रू ने सभा के किए जाने की पूर्व परिस्थिति का विवरण दिया, और वाइसराय के प्रति सम्मान-भाव प्रकट किया।

उन्होंने फिर कहा—"हम अपने ही देशवासियों की चुटकियाँ

और परिहास सहकर सात समुद्र-पार आए हुए हैं। हम अपने देश में विश्वासघातक समझे जाते हैं, फिर भी हम स्पष्ट रीति से साफ़-साफ़ बातचीत करने आए हैं, जिससे अंत में हम सिद्ध कर सकें कि हमारी हँसी उड़ानेवालों की भविष्य-वाणी ठीक नहीं थी।

"इसके बाद आपने पिछले दस वर्षों की बदली हुई स्थिति का दिग्दर्शन कराया, और सत्याग्रह-संग्राम की गंभीरता बतलाई। उन्होंने कहा कि आज से पहले कभी भारतवर्ष पर एजेंटों और उप-एजेंटों का शासन नहीं था। मुग़ल-शासन-काल में भी ऐसा नहीं था। पार्लियामेंट के शासन का वास्तविक अर्थ क्या है? लगभग आधे दर्जन मनुष्य इँगलैंड में और उतने ही भारत में इकट्ठे होकर राज्य कर रहे हैं। इसलिये हमारे लिये यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम स्वराज्य के लिये सचेष्ट हों।

"आज जब हम निषिद्ध शब्द 'औपनिवेशिक स्वराज्य' का नाम लेते हैं, तो औसत दर्जे का अँगरेज़ पूछता है कि इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यही सवाल औसत दर्जे के अँगरेज़ ने सन् १८६५ में कनेडा, सन् १६०० में आस्ट्रेलिया और सन् १६०६ में दक्षिण-आफ़्रिका के संबंध में पूछा था? भारत बराबरी का अधिकार लेने और प्रतिनिधि-शासन की व्यवस्था करने का निश्चय कर चुका है।

"प्रांतीय स्वाधीनता कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। उसके

साथ केंद्रीय शासन में निश्चित और स्पष्ट परिवर्तन करना होगा। उसे व्यवस्था-सभा के अधीन कर देना पड़ेगा। यहीं यह प्रश्न खड़ा होता है कि आगामी विधान संघात्मक हो या नहीं।"

इसी प्रसंग में सर सप्रू ने देश-भक्त देशी नरेशों से प्रार्थना की कि वे अपने दृष्टिकोण को 'भारत के तृतीयांश' तक ही परिमित न रक्खें। वे और उदार होकर संपूर्ण भारत की एकता को स्वीकार करें। इस संपूर्ण भारत के विविध भाग घरेलू मामलों में स्वतंत्र रहेंगे, पर आपस में संबंधित भी रक्खे जायँगे। क्या देशी नरेश भारतीय संघ के प्रतिबंधन में बँधने को तैयार हैं? भारत-सरकार इस भारतीय संघ को दूर की वस्तु समझती है, पर हमारे लिये तो यह ज्वलंत प्रश्न अभी सामने आया हुआ है।

भविष्य-विधान के संबंध में सर सप्रू ने कितनी ही कठिनाइयाँ स्वीकार कीं। आपने कहा—शांति, व्यवस्था, व्यवसाय, अर्थ और योरपियन स्वार्थ आदि के प्रश्न कठिन अवश्य हैं, पर वे हल किए जाने चाहिए। पिछले पचीस वर्षों में जो प्रबल आंदोलन हुए हैं, उसको समझने में जो ग़लतियाँ की गई हैं, वे भारतीय मंत्रियों के होते कभी न की जातीं।

हम योरपीय व्यवसायियों को हानि पहुँचाने या उनकी पूँजी छीनने का लक्ष्य नहीं रखते। योरपियन हितों की रक्षा के लिये जो माँगें पेश की जायँगी, हम उनका स्वागत करेंगे।

अर्थ-विभाग के संबंध में उन्होंने कहा कि अँगरेज़ों ने तो साम्राज्य के बाहर के छोटे-छोटे देशों तक को क़र्ज़ में बड़ी-बड़ी

रक़में दी हैं। उनकी साख उठ जाने की बात तो ब्रिटेन ने कभी नहीं कही, फिर भारत के संबंध में वह ऐसी धारणा क्यों रखता है ?

फ़ौज-विभाग के बारे में यह कहना ठीक नहीं कि अँगरेज़ अपने ऊपर भारतीय अफ़सरों का रहना पसंद नहीं करेंगे। जब हाईकोर्ट के प्रधान भारतीय जज के मातहत कितने ही अँगरेज़ न्यायाधीश रहते और सिविल सर्विस में भी उनका अधिकार मानते हैं, तो इस क्षेत्र में भी मानेंगे। जातीय प्रश्न उठाना कभी ठीक नहीं। सब सम्राट् की प्रजा हैं, और सभी अधिकार रखते हैं।

अंत में सर सप्रू ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है दृष्टिकोण बदल देने की। श्रीसप्रू ने लॉर्ड रीडिंग की इस बात पर व्यक्तिगत रीति से विचार करने को कहा कि प्रांतीय स्वाधीनता बिना केंद्रीय अधिकार के नहीं चल सकती। ऐसा क्रम तो हफ़्ते-भर में टूट जायगा। कल्याण इसी में है कि विश्वास और साहस के साथ भारतीय स्थिति का सामना और भारत की योग्यता पर विश्वास किया जाय। भारत बेचैन हो रहा है, उसे सिर्फ़ धीरज दिलाने से काम नहीं चलेगा।

बीकानेर-नरेश

ने कहा—"भारत की उन्नति में हम सब तरह से सहयोग देने के लिये तैयार हैं। पर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो संधियाँ की गई हैं, वे ज्यों-की-त्यों रहें। भारत की फ़ेडरल-प्रणाली में भी हम शामिल होने के लिये तैयार हैं, बशर्ते कि

उस सरकार में राज्यों और उनकी प्रजा के अधिकारों, हितों और रियायतों को सुरक्षित रक्खा जाय।"

जयकर

ने कहा—"यह बड़ा महत्त्व-पूर्ण समय है। आज अगर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय, तो बाक़ी सारी चिल्लाहट अपने आप बंद हो जायगी। परंतु यदि इस समय उसकी माँगों पर ध्यान न दिया गया, तो छ महीने के बाद उसे उतना पा जाने पर हरगिज़ संतोष न होगा, जितना पा जाने पर आज वह संतुष्ट हो जायगा। .... विदेशी व्यापारियों के किसी स्वार्थ पर हम हस्तक्षेप न करेंगे। किंतु यह चेतावनी मैं उन्हें दिए देता हूँ कि अभी तक उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र पर जो एकाधिपत्य किया है, वह न होगा।"

दूसरे दिन की कार्यवाही

दूसरे दिन, १८ तारीख़ को, सभा की फिर बैठक हुई। लॉर्ड पील ही आज के प्रमुख वक्ता थे।

लॉर्ड पील

लार्ड पील ने व्याख्यान के सिलसिले में कहा—"भारत में बढ़ते हुए असहयोग-आंदोलन से अँगरेज़ों के दिलों में अनेक प्रकार की शंकाएँ पैदा हो गई हैं। वाइसराय की १५ जनवरी की घोषणा का यह मतलब नहीं कि भारत को शीघ्र ही औप-निवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। अँगरेज़ों को चिंता है कि यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जायगा, तो भारत भी सब

तरह से शक्तिशाली और संगठित होकर उससे अनुचित लाभ उठावेगा, और पूर्ण स्वतंत्र होने की चेष्टा करेगा। महासमर में भारतीयों तथा भारतीय नरेशों ने जो सेवाएँ कीं, उनके लिये ब्रिटेन उन्हें धन्यवाद देता है; पर उन्हें यह भी स्मरण रहे कि सभा का निर्णय पार्लियामेंट के सामने भी, बिल के रूप में, विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता है। सभा ने ब्रिटेन से सारा संबंध-विच्छेद करने की घोषणा की है, जिसके लिये मुझे खेद है। ब्रिटेन की कंज़रवेटिव पार्टी (अनुदार-दल) पर इस घोषणा का बहुत प्रभाव पड़ा है। मिस्टर जयकर का यह कहना ठीक नहीं कि व्यापारिक क्षेत्र पर अँगरेज़ों का एकच्छत्र साम्राज्य है। उसी प्रकार सर सप्रू का भी यह कहना ठीक नहीं कि अँगरेज़ विदेशी की हैसियत से भारत पर शासन कर रहे हैं। अँगरेज़ भी भारत के निवासी हो गए हैं, और भारत में उनका क़ानूनी हक़ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की बड़ी सेवाएँ की हैं।"

लॉर्ड पील के इस भाषण से फ़्री-प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिनिधि नाराज़ हो गए थे; परंतु अगर सच पूछा जाय, तो लॉर्ड पील धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रतिनिधियों के लिये लच्छेदार शब्दों के जाल को छोड़कर दिल की सीधी-सीधी बातें कहने का दरवाज़ा खोल दिया। लॉर्ड पील के भाषण की डॉक्टर मुंजे ने खूब धज्जियाँ उड़ाईं, उनकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा करते हुए उन्हें खूब मुँहतोड़ उत्तर दिया।

डॉक्टर मुंजे

ने कहा—"अँगरेज़ों ने भारत की जो सेवाएँ की हैं, वे ऐसी ही हैं, जैसी सेवाएँ कोई किसान दूध देनेवाली गाय की किया करता है। बंबई के एक गवर्नर सर डबल्यू० मेकिनोक को सहायता देकर भारत के जहाज़ी कारबार का अस्तित्व मिटा दिया गया।" प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् विल्सन का हवाला देते हुए उन्होंने बतलाया कि "पैसिली और मैंचेस्टर के लाभ के लिये भारत का वस्त्र-व्यवसाय नष्ट कर दिया गया। लॉर्ड पील एकाधिपत्य की बात नहीं स्वीकार करते। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सेना, सिविल सर्विस या मेडिकल सर्विस पर अँगरेज़ों का आधिपत्य नहीं? वाइसराय लॉर्ड इरविन ने औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वादा कभी नहीं किया, इसे मैं मानता हूँ, पर साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि ब्रिटेन यह कहने के लिये तैयार होगा कि अगर तुम 'भारतीय प्रतिनिधि' अपनी योग्यता दिखा दो, तो हम तुम्हें औपनिवेशिक स्वराज्य दे देंगे। मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि हिंदू-प्रतिनिधि इसके पूर्ण योग्य हैं।"

बीच में ही एक प्रतिनिधि की आवाज़ आई, आप 'हिंदू-प्रतिनिधि' नहीं, बल्कि 'भारतीय प्रतिनिधि' कहिए। डॉक्टर मुंजे ने तुरंत ही जवाब दिया 'हिंदू'-शब्द से सारे भारत का मतलब है। सारे भारत में वर्तमान शासन-प्रणाली से असंतुष्ट होने के कारण आंदोलन चल रहा है, और जनता हँसते-हँसते कष्ट सहन कर रही है। मैं स्वयं भी दो-दो बार जेल हो आया

हूँ। अब वह समय निकल गया कि लोग पशु-बल से दबाए जा सकें। भारतीय अब पशु-बल-प्रदर्शन से डरनेवाले नहीं। ब्रिटेन और भारत के १२५ वर्षों के संबंध का ख़याल करके ही मैं देश-द्रोही का दोषारोपण सहकर आया हूँ। यह अंतिम परीक्षा है। देखना है, अँगरेज़ों में उत्तीर्ण होने का साहस है या नहीं? भारत साम्राज्य के भीतर रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य का उपयोग करना चाहता है, परंतु यदि अँगरेज़ों के भय और संदेह के कारण उसे औपनिवेशिक स्वराज्य न मिला, तो पूर्ण उत्तरदायित्व-पूर्ण सरकार के बिना वह संतुष्ट न होगा।

सर शफ़ी

ने कहा—"असहयोग-आंदोलन केवल शिक्षितों तक ही नहीं सीमित है, इसमें अशिक्षित भी हैं, और वे सब तरह का कष्ट सहन कर रहे हैं।

"मुसलमान भी औपनिवेशिक स्वराज्य और समानाधिकार के अभिलाषी हैं। मुसलमान चाहते हैं कि ब्रिटिश-साम्राज्य के अंतर्गत रहकर समानाधिकार प्राप्त कर शासन-विधान-संबंधी विकास में, प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों में, उचित अधिकार पाएँ।"

देशी नरेशों के अनुदार-दल की ओर से

महाराज रीवाँ

ने कहा—"शासन-सुधार सावधानी से होना चाहिए। भारत-सरकार में कुछ परिवर्तन किए जाने पर भी हम अपने अधिकारों

में हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहते। यदि अखिल भारतीय फ़ेडरेशन से देशी नरेशों के अधिकार धीरे-धीरे छिन जायँ, तो हम ऐसे फ़ेडरेशन को दूर से ही नमस्कार करते हैं।"

लॉर्ड रीडिंग

"अब तक जो भाषण हुए हैं, उन्होंने मुझे प्रभावित किया है। इस कान्फ्रेंस का महत्त्व भी मैं अधिकाधिक समझने लगा हूँ। मैं पूर्वीय समस्याओं का जितना ही अधिक अध्ययन करता हूँ, उतना ही मुझे इसकी तीव्र गति का परिचय मिल रहा है। पूर्व पश्चिम को पराजय करने के लिये तीव्र गति से बढ़ने में तत्पर है। 'औपनिवेशिक स्वराज्य'-शब्द अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, इसकी व्याख्या नहीं की गई। किंतु इसमें संदेह नहीं कि इसका अर्थ है 'साम्राज्यांतर्गत दूसरे उपनिवेशों के समान अधिकार'। १६१७ ई० की घोषणा का अर्थ औपनिवेशिक स्वराज्य ही है, यह मैं लिबरल-दल के प्रतिनिधि की हैसियत से कह सकता हूँ। छोटे-छोटे विभेदों में पड़ने की हमारी इच्छा नहीं। यद्यपि पहले मेरा ध्यान इनकी ओर जाया करता था, परंतु बाद के प्रश्नोत्तरों से मेरी शंकाएँ दूर हो गई हैं। पालियामेंट में भारत के विषय में वाद-विवाद करते समय मुझे तीनो दलों के एकमत हो जाने की आशा है। प्रतिज्ञाओं को उल्लंघन करने की हमारे दल की इच्छा नहीं। पालियामेंट से समानाधिकार के विधानों के निर्माण की आशा करना अभी वृथा है। अभी तो सेना तथा पर-राष्ट्रनीति के संबंध में

ही बातचीत होगी। साइमन-रिपोर्ट हमारे सामने है। जो सदस्य उसे हटा देने के पक्ष में हैं, वे कदाचित् भारत-सरकार के खरीते का अध्ययन करना अधिक पसंद करेंगे। साइमन-कमीशन फ़ेडरल शासन के पक्ष में है। यद्यपि भारत-सरकार की सम्मति में अभी यह दूर की चीज़ है, पर देशी नरेशों की नीति ने, स्थिति में परिवर्तन कर, अनुकूल वायु-मंडल तैयार कर दिया है, और यदि यह फ़ेडरल शासन-प्रणाली सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो गई, तो मैं सभा को आरंभ में ही बहुत अधिक सफल हुआ समझूँगा।"

मिस्टर जिन्ना

ने कहा—"साइमन-रिपोर्ट मर चुकी है। भारत-सरकार का खरीता भी पुराने युग की चीज़ है। देशी नरेशों के रूप में एक नवीन नक्षत्र का उदय हुआ है। इसने ब्रिटिश भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग को पीछे ठेल दिया है। हम यहाँ एक नए उपनिवेश का जन्म देखने आए हैं। अंतिम निर्णय का कार्य पार्लियामेंट के हाथों में है; परंतु सभा सर्व-सम्मति से जो प्रस्ताव पास करेगी, उसे क्या तीनो दलों के प्रतिनिधि कह सकते हैं कि पार्लियामेंट रद्द कर सकेगी? यदि उसने ऐसा किया, तो इसमें संदेह नहीं कि यह उसका घोर दुस्साहस का काम होगा।"

श्रीनिवास शास्त्री

ने कहा—"मैं सदैव संदेह की दृष्टि से देखा गया हूँ। मेरे पीछे हमेशा जासूस लगे रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है, उदार और अनुदार,

नवाब सर साहबज़ादा अब्दुल क़यूम खां

महाराजा पटियाला कान्फ्रेन्स में शरीक होने जा रहे हैं।

दोनो दलों के प्रतिनिधियों ने हमारे औपनिवेशिक स्वराज्य के अधिकार को स्वीकार कर लिया है। फ़ेडरल शासन का आदर्श बिल्कुल नवीन है। मैं उसका पुराना विरोधी हूँ; पर अब उसके पक्ष में हो गया हूँ। देशी नरेशों की उदार नीति ने मुझमें ऐसा परिवर्तन कर दिया है। कांग्रेस से विलायतवाले व्यर्थ ही डरते हैं। वह सुसभ्य और सुसंस्कृत व्यक्तियों की संस्था है। वे अपने कार्यों में सिद्ध और दक्ष हैं। वे हमारे ही बंधु-भाई हैं। यदि जनता की माँगें पूरी की जायँ, तो कांग्रेस ऐसे वंश-गत अपराधियों की संस्था नहीं है, जो हर दशा में बाधा डालती रहेगी।"

सांगली के चीफ़

ने अपने भाषण में छोटी-छोटी रियासतों की समस्या पर कहते हुए भारतीय शासन-विधान में इनकी स्थिति के संबंध में गंभीर विचार किए जाने पर ज़ोर दिया।

कर्नल गिडनी

ने ऐंग्लो-इंडियनों की ओर से प्रांतों को भीतरी प्रबंध में स्वतंत्रता दे देना अत्यंत आवश्यक बतलाया। आपने अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों को सुरक्षित किए जाने पर बल दिया।

महाराजा पटियाला

ने कहा कि यदि भारत साथी कॉमनवेल्थ की भाँति ब्रिटिश-साम्राज्य का सम्मानित साझेदार रहा, तो पूर्व और पश्चिम में ऐसा स्वतंत्र सहयोग होगा, जैसा संसार ने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा लोग सर तेजबहादुर सप्रू से सहमत हैं कि वे

भारतीय पहले हैं, और राजा पीछे। वे राजा रहकर भारतीयों को प्रसन्न नहीं कर सकते। विशाल भारत बनाने के लिये फ़ेडरेशन के ढंग का समर्थन तो राजों ने कर ही दिया है। फ़ेडरल-प्रबंध के पूर्व उसके अधिकारों का निश्चय सरकार के सबसे ऊँचे ज्यूडिशल ट्रिब्यूनल के सामने हो जाना चाहिए। इससे कार्य-संपादन होने में बड़ी सुविधा होगी।

डॉ० मुंजे

ने लॉर्ड पील के भाषण का उत्तर देते हुए कहा कि मैं और मेरे हिंदू साथी सरकार से औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात पूछने नहीं आए हैं। हम तो पुरानी मैत्री के कारण वस्तु-स्थिति का परिचय कराने आए हैं, ताकि सरकार को भावी कार्य-क्रम स्थिर करने में सहायता मिले। भारत के आबाल-वृद्ध नर-नारी अब औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वराज्य के बिना संतुष्ट नहीं हो सकते। भारतीय आज तक अपमान और अत्याचार सहते रहे हैं, परंतु अब उन्हें कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती। ब्रिटिश और भारतीयों में यहाँ भेद-भाव खड़ा होने का प्रारंभ है। अपने मित्रों के धिक्कारने और देश-द्रोही कहलाने पर भी, एक शताब्दि से भी ऊपर का ब्रिटिश का भारत के साथ संबंध होने के कारण, मैं लंदन आया हूँ। यदि सरकार किसी भय अथवा संदेह के कारण औपनिवेशिक स्वराज्य भारत को नहीं दे सकती, तो भारत उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन से कम पर संतुष्ट ही नहीं हो सकता। मैं तो वैसा ही

स्वतंत्र होना चाहता हूँ, जैसा कैनाडा में वहाँ का एक निवासी है। भारतीय अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, मैं यह बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश पर है। अब तो प्रश्न यह है कि भारत इँगलैंड के साथ मिलकर चलेगा अथवा विरुद्ध होकर।

सरदार उज्जलसिंह

सिक्खों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि प्रांतीय स्वतंत्रता भी कुछ अर्थ नहीं रखती, जब तक कि केंद्रीय सरकार स्वतंत्र और उत्तरदायित्व-पूर्ण न हो। शासन की श्रेष्ठता इसी में है कि अल्प-संख्यक दलों के साथ भी पूरा न्याय हो। अतः सिक्खों के अधिकारों का ध्यान रक्खा जाय। भारतीय पाश्चात्य लोगों की अपेक्षा अधिक शांति-प्रिय हैं, अतः उनके अधिकार मिल जाने पर अशांति रह ही नहीं सकती। ऐसा ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए, जो हमारी विचित्र परिस्थिति के लिये ठीक उपयुक्त हो।

सर ए० पी० पत्रो

मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल के सर पत्रो ने भी केंद्रीय सरकार के स्वतंत्र और उत्तरदायित्व-पूर्ण होने पर बल दिया, और अनुरोध किया कि भारत को भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य राष्ट्रों के समान बना दिया जाय, और कहा कि प्रत्येक जाति में गरम दलवाले होते हैं। बुद्धिमत्ता और राज्य करने की चतुराई तो इसी में है कि भारत की ऐसी शक्तियों के साथ मेल करके ऐसा विधान तैयार किया जाय, जिस पर वे

स्वतः ही स्थिर रहने लग जायँ। अब भी ऐसा करने के लिये समय बिल्कुल टल नहीं गया है।

सर फ़िरोज सेठना

ने अनुदार-दल के लॉर्ड पील को जवाब देते हुए कहा कि विशेषाधिकार-प्राप्त योरपियनों के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में भी योरपियनों को एक प्रकार केठे के की तरह विशेषाधिकार मिलते रहे हैं। यद्यपि मांटेगू-सुधार से स्थिति कुछ बदली है, फिर भी योरपीय व्यापारियों की सुनवाई और पहुँच अब भी सरकार के यहाँ अधिक है। नवीन विधान द्वारा ही योरपीय और भारतीय व्यवसायियों में एकता और साम्राज्य का लाभ हो सकता है।

कुछ अधिक समय लग जाने के कारण सभापति (प्रधान मंत्री) ने कहा—मैं समझता हूँ, अब लॉर्ड पील को पूरा उत्तर दिया जा चुका होगा।

महाराजा अलवर

ने फ़ेडरल-शासन-विधान को ही औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्ति का छोटे-से-छोटा रास्ता बतलाया। इस प्रकार आपने इस ढंग में हिंदोस्तानी रियासतों के सम्मिलित होने की भारी आशा प्रकट की। आपने कहा कि पिछले योरपियन युद्ध में भारत ने इँगलैंड की सहायता की थी। अब वह अवसर आ गया है, जब कि इँगलैंड भारत की सहायता करने को आगे बढ़े।

इसके बाद बंगाल के मुसलमानों के प्रतिनिधि मि० फ़ज़्लुल-

हक़, दलित जातियों के प्रतिनिधि मि० अंबेडकर, भारतीय ईसाइयों की ओर से मि० के० टी० पॉल, ज़मींदारों की ओर के प्रतिनिधि सर पी० सी० मित्र, भारतीय महिलाओं की ओर से बेगम शाह-निवाज़, महाराज नवानगर, सर अब्दुलक़यूम, सरदार सुलतान अहमद, मि० मोदी, सर अकबर हैदरी, सर चिम्मनलाल सीतल-वाद, सर पी० सी० रामास्वामी ऐय्यर आदि के भाषण हुए। अंत में अध्यक्ष मि० रामज़े मैक्डानल्ड ने अपनी आख़िरी वक्तृता देकर प्रारंभिक बैठक का कार्य समाप्त किया—

"मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति की जाँच-पड़ताल करूँ। सबसे पहली बात जो किसी के भी दिल में ज़ोर के साथ प्रभावित होती हुई प्रविष्ट होती है, वह यह है कि हम लोग यहाँ एकत्र हैं। ऐसा अवसर कभी नहीं आया, और निश्चय ही यह प्रथम भारतीय संघ है, जिसमें केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की लॉर्ड तथा कामंस सभा के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं! सवप्रथम आपको जान लेना है कि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था। यह एक ऐसा स्थान है, जो उस भविष्य की ओर संकेत करता है, जो भूत से बिल्कुल भिन्न है। आह! मेरे भारतीय मित्रो, जब मैंने अपने मित्र मि० चिंतामणि को जो कुछ होने जा रहा था, उसके संबंध में लिखा, तो क्या आपको कभी कल्पना भी हुई थी कि ऐसी परिस्थिति इतने अल्प काल में उत्पन्न हो सकती थी? ××× आप लोग नरेशों के ओजस्वी,

आशा-भरे भाषण सुन चुके हैं, और भी प्रतिनिधियों के भाषण हुए हैं। मेरे भारतीय मित्रो, आपको यह न समझना चाहिए कि आपके भाषण केवल इतनी थोड़ी उपस्थिति में सुने गए हैं। नहीं, आपके भाषण सारी ब्रिटिश-जनता द्वारा सुने गए हैं, और जितनी ही बार आपने कहा है, उतनी ही बार आपके भाषण ने एक नया प्रभाव उन पर डाला है। आपकी समस्याएँ केवल वाद-विवाद ही करने के लिये नहीं हैं! वाद-विवाद का समय अब गुज़र चुका है। हम लोग इसे छोड़ चुके हैं। अब हमें कुछ काम करके दिखलाना होगा। अल्प-संख्यक वर्ग को मैं आनंद और संतोष का वचन देता हूँ कि उनकी बातें अनसुनी नहीं गई हैं।

आपके शासन-विधान के संबंध में मैं जो योग देना चाहता हूँ, वह इस प्रकार है। हमारी आर्यन सभ्यता का आधार तो परिवार है। परिवार मिलकर एक ग्राम और कई ग्राम मिलकर एक ज़िला और अंत में एक फ़ेडरेशन बनता है। इस शासन में कार्य-रूप धारण करनेवाली बातें जो मैंने नोट कर ली हैं, वे क्रमानुसार नहीं हैं। मैंने इनको आप लोगों के भाषणों से नोट किया है। वे बातें ये हैं—

१—फ़ेडरेशन की योजना को पूरा करनेवाले अंश किस-किस प्रकार के होंगे?

२—केंद्रीय सरकार को बनानेवाले अंश किस प्रकार के होंगे?

३—इसकी बनावट का प्रांतों के शासन के साथ क्या संबंध रहेगा?

४—इसका रियासतों के साथ कैसा संबंध रहेगा ?

५—अल्प-मतवालों के सहयोग को प्राप्त करने की क्या सबील होगी ?

६—शासन की साधारण आकृति कैसी होगी ? इसके अधिकार और उनको क्रिया-रूप देने के ढंग तथा इसके उत्तरदायित्व क्या-क्या होंगे ? इस समय मेरी और आपकी समस्या इकट्ठे बैठकर इन प्रश्नों के ऐसे उत्तर देने में हल होगी, जिनको कार्य-रूप दिया जा सके, और अंत में पार्लियामेंट की मुहर लगा दी जाय।

फ़ेडरेशन शासन-विधान

के दो आधार होने चाहिए। एक तो यह कि इसको कार्य-रूप दिया जा सके। ऐसा विधान बनाना व्यर्थ है, जिसको चलाया न जा सके। इससे न आपकी और न हमारी कठिनाइयाँ दूर होंगी। दूसरा आधार यह है कि विधान का विकास होता चले, और इस विकास में भारतीय विचार तथा भारतीय अनुभव अग्रसर रहें। हमारे उपनिवेशों के विधानों के इतिहास में यही बात पाई जाती है।

जो कुछ मैंने आपके सामने कहा, उससे मेरा यह अभिप्राय नहीं कि आप किसी विशेष परिस्थिति में रक्खे जायँ। आप हमारे दूसरे उपनिवेशों की ओर देखें, तो आपको पता चल जायगा कि विकास की अवस्था में उनके यहाँ भी बड़े परिश्रमी व्यक्ति काम कर रहे थे, और जेलों में भर रहे थे। आख़िर यह सब कुछ होना ही था, वह हुआ। सांसारिक जीवन को चलानेवाले

आधार-रूप नियमों के अनुसार ऐसा होना अनिवार्य था। प्रत्येक हिंदू तथा मुसलमान इस बात को समझ सकता है।"

प्रधान मंत्री के इस भाषण पर 'मान्चेस्टर गार्डियन्' ने लिखा था कि "बड़े योरपियन युद्ध के पश्चात् अँगरेज़ी नीति भारत के संबंध में की गई इस आशय की घोषणाओं के अनुकूल चली आई है कि भारत को धीरे-धीरे साम्राज्य के भीतर पूर्ण स्वराज्य दे दिया जायगा। इतने काल में जो घटनाएँ हुई हैं, उनके आधार पर भारतवासियों की 'पूरा लेंगे या कुछ नहीं लेंगे'-वाली माँग और अँगरेज़ों की धीरे-धीरे देने की नीति में विरोध होता आया है। इस विरोध का अंत भारतीय राजों ने एक फ़ेडरेशन में सम्मिलित हो जाने की तत्परता दिखलाकर समाप्त कर दिया। इस संबंध में अपने-अपने अधिकारों की खींचा-तानी होना ज़रूरी है। किंतु यह ऐसी नहीं हो सकती कि जिनको हल न किया जा सके।"

'डेली हेरल्ड' ने लिखा था—"भारतवासियों की माँग तो प्रत्यक्ष और साफ़ है। अब कमेटी का यह कर्तव्य है कि वह इस माँग को सामने रखकर भारत को पूर्ण स्वराज्य देने की स्कीम पर विचार करे। यह है तो कठिन ही, पर असंभव नहीं।"

२२ नवंबर को सर एम्० विश्वेश्वर अय्यर (भूतपूर्व दीवान मैसूर), मि० नटरंजन (संपादक इंडियन सोशल रिफ़ार्मर) तथा अन्य कुछ सज्जनों ने मिलकर एक स्कीम तैयार की, जिसमें भारतवासियों की ओर से कम-से-कम माँग उपस्थित की। यह स्कीम गोल-सभा के प्रतिनिधियों को भेज दी गई थी।

इस योजना में एकदम औपनिवेशिक शासन-विधान और अधिकाधिक १० वर्षों में केंद्रीय सरकार के सब विभागों को उत्तरदायी वज़ीरों के हाथों में दे देने पर ज़ोर दिया गया था। इसमें यह भी लिखा था कि जो भारतीय राजे स्वीकार करें, उन्हें फ़ेडरल स्कीम में तत्काल सम्मिलित कर लिया जाय, और जो अभी हिचकते हों, उन्हें पीछे मिलाया जा सकता है। स्कीम में निम्न लिखी शर्तें थीं—

१—प्रारंभ से ही शासन-विधान को औपनिवेशिक आधार पर उठाया जाय, और उसको ऐसी नीति से चलाया जाय कि आगामी १० वर्षों में स्वतः औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित हो जाय।

२—नए शासन की प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकारें प्रारंभ से ही उत्तरदायी हों, अर्थात् कार्यकारिणी हर प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं के प्रति उत्तरदायी रहे।

३—शासन को आस्ट्रेलिया तथा कैनाडा के समान प्रांतीय तथा केंद्रीय दो भाग में विभक्त किया जाय।

४—केंद्रीय सरकार सुदृढ़ और सशक्त हो। डिफ़ेंस (रक्षा) के कार्य को इससे छुड़ाकर इसे कदापि दुर्बल न बनाया जाय, और न भारतीय देशी रियासतों से इसका संबंध तोड़ा जाय।

आजकल सेना, हवाई तथा सामुद्रिक शक्ति पर केंद्रीय सरकार का अधिकार है, रियासतें भी इसके अधीन हैं। नए शासन में यह सब इसी प्रकार चलना चाहिए। अन्यथा यह कमज़ोर हो जायगा। हाँ, परीक्षा के १० सालों में विशेष सुरक्षित अधि-

कारों की आवश्यकता होगी, जो धीरे-धीरे स्वयं छिन जायँगे। व्यवस्था करने के अधिकार एक पार्लियामेंट को दिए जायँ, जिसके सदस्य गवर्नर जनरल, एक सीनेट तथा एक प्रतिनिधियों की सभा होगी।

केंद्रीय व्यवस्था की पहली सभा को प्रतिनिधि-सभा तथा दूसरी को सीनेट कहा जाय। पहली में ३२० तथा दूसरी में १०० सदस्य हों। दोनो सभाओं के सदस्य सब-के-सब निर्वाचित हों, एक भी नामज़द न किया जाय। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये दोनो सभाओं में २३ प्रतिशत जगह सुरक्षित कर दी जाय। प्रतिनिधियों की सीटों का परिमाण रियासतों और सरकारी इलाक़े की मनुष्य-गणना के परिमाण के अनुसार रक्खा जाय।

ऐसे व्यक्तियों को सूची बनाने की आज्ञा दी जाय, जो आल इंडिया प्रजा में गिने जाते और जो रियासत तथा सरकारी हल्के, दोनो में ही सम्मिलित समझे जाते हों। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रजा की सूची भी बनाई जाय, जो एक ही प्रांत की हो।

उत्तरदायी शासन-विधान के अधीन गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के लिये व्यवस्थापिका सभाओं से सदस्य चुनने होंगे। राय देने का अधिकार शिक्षित तथा धनी व्यक्तियों को होगा।

दोनो सभाओं के प्रत्येक सदस्य को ५-६ हज़ार वार्षिक वेतन तथा सफ़र के पास मुफ़्त दिए जायँ।

गवर्नर जनरल सम्राट् के प्रतिनिधि होंगे, और सम्राट् के सब अधिकारों को अपनी कार्यकारिणी की सलाह से काम में लावेंगे। कैबीनेट के वज़ीरों की संख्या कम-से-कम १५ होगी। इनका वेतन ३-४ हज़ार रुपए के बीच हो।

ख़ज़ाना, माल, रक्षा, चुंगी, नमक, अफ़ीम, रेल-तार-डाक-व्यापार-शिल्प, भारतीय सामाजिक समस्याएँ, रियासतों तथा प्रांतों के आपस के झगड़े तथा अन्य मामले सब केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगे।

एक 'सुप्रीम कोर्ट' बनाया जायगा, जो सब हाईकोर्टों की अपीलें सुना करेगा। जहाँ तक हो सकेगा, देश-भर के लिये दंड-विधान एक-सा होगा।

प्रांतीय सरकारें

प्रांतों के शासन में एक गवर्नर, जिसे गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे, एक व्यवस्थापिका सभा, तथा एक वज़ीरों की सभा रहेगी। व्यवस्थापिका सभा का नाम कौंसिल की अपेक्षा 'एसेंबली' रक्खा जाय, और इसमें सब सदस्य जनता की ओर से निर्वाचित होंगे। संख्या २००-२५० रहेगी। वज़ीरों की नियुक्ति सभा का बलशाली दल करेगा, और वज़ीरों में कोई सरकारी पदाधिकारी न रहेगा।

इंडिया-ऐक्ट

'डोमीनियंस ऑफ् इंडिया-ऐक्ट' में निम्न-लिखित आवश्यकताओं को अवश्य ही स्थान दिया जायगा--

१—केंद्र में एक फ़ेडरल-शासन तथा एक उत्तरदायी मंत्रि-मंडल हो।

२—प्रांतों में उत्तरदायी स्वतंत्र सरकार रहे।

३—रक्षा, अँगरेज़ों तथा अल्पसंख्यावालों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी।

एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो देश को और इसके शासन को औपनिवेशिक ढंग पर लाने के सुबीतों की खोज करे। नए शासन-विधान चालू होने पर यह कमीशन ५ वर्षों तक रहे। नए शासन को अपनी आर्थिक नीति पर पूरा अधिकार रहे, इंडिया-ऑफ़िस को कोई अधिकार न रहे।

चौदहवाँ अध्याय

भारत-सरकार का ख़रीता

गोल-सभा में पेश होने के लिये अपनी सम्मति के तौर पर भारत-सरकार ने एक ख़रीता भेजा था। यह ख़रीता २०८ पृष्ठों में था, और ५० पृष्ठों की इसकी अनुक्रमणिका थी। इस ख़रीते पर वाइसराय इर्विन, सर विलियम वर्डवुर्ड, सर जॉर्ज रेनी, सर जेम्सक्रेरार, सर जॉर्ज शुस्टर, सर एस्० एल्० मित्रा, सर फ़ज़्लेहुसेन, सर जोज़ेफ़ भोर के हस्ताक्षर थे। इस ख़रीते को सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था।

इसमें ब्रिटिश-साम्राज्य का विशेष भाग रहते हुए भारत में उत्तरदायित्व-पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के साधनों पर प्रकाश डाला गया था।

योजना के अनुसार पार्लियामेंट इन ११ बातों के लिये उत्तरदायी होगी, जिनमें हस्तक्षेप का अधिकार धारा-सभा को न होगा—

(१) उन मदों का शासन, जिनके लिये सेक्रेटरी ऑफ़् स्टेट्स ज़िम्मेदार हैं, (२) बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करना, (३) साम्राज्य और विदेशों से संबंध रखनेवाली बातें, (४) भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में उठनेवाली

समस्याएँ, (५) अंतर्राष्ट्रीय क़र्ज़ या साम्राज्य का कोई क़र्ज़, जिसमें भारत सम्मिलित हो, (६) देश के अंदर शांति रखना, (७) आर्थिक समस्याएँ और वर्तमान क़र्ज़ का निबटारा, (८) अल्प-संख्यक जातियों की रक्षा, (९) अनुचित आर्थिक और व्यापारिक निर्णयों में दख़ल देना, (१०) उन नौकरियों का अधिकार, जिनका निर्वाचन भारत-मंत्री करते हैं, (११) शासन-विधान की रक्षा।

ख़रीते के आरंभ में कहा गया कि योग्यतम होने के कारण साइमन-रिपोर्ट की प्रणाली का अनुकरण किया गया है। कमीशन के साथ काम करनेवाली प्रांतीय कमेटियों और केंद्रीय कमेटी की रिपोर्टें भी देखी गई हैं। भारतवर्ष के विचारवान् व्यक्तियों के स्वतंत्र व्यक्तिगत विचारों का भी ध्यान रक्खा गया है। १९२९ की नेहरू-रिपोर्ट यद्यपि अब राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान नहीं रखती, तथापि अब तक के राष्ट्रीय विचारों का जैसा अधिकारी और व्यापक संग्रह उसमें है, अन्यत्र नहीं। हमने उस रिपोर्ट से भी काम लिया है। इसके अतिरिक्त साइमन-रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर भारत में उस पर जो सम्मतियाँ प्रकट की गई हैं, उन पर भी हमने यथोचित ध्यान दिया है। और, हाल की सम्मतियाँ तो गोल-सभा के भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रकट की जायँगी।

राजनीतिक शक्तियाँ

भारत की वर्तमान राजनीतिक अवस्था का चित्र खींचते हुए

पत्र में लिखा गया है कि राजनीतिक दलों में प्रधानतः पेशेवर (Professional) व्यक्ति हैं, जिनके विचारों को सामयिक समाचार-पत्र प्रभावित करते और एकमत होने में सहायता पहुँचाते हैं। शासन-प्रणाली में परिवर्तन करने की नीति के कारण वे आपस के भेद को मिटाकर बाह्य संघटित रूप दिखलाते हैं। सामाजिक कारणों से भी उनकी राजनीतिक नीति में एकता देख पड़ती है। व्यवसायियों का यह अनुभव यद्यपि हाल का है कि राजनीतिक दबाव डालकर व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु बंबई का व्यवसायी दल तन-मन-धन से व्यवस्था-भंग के आंदोलन में सहायता दे रहा है। आशा तो ऐसी की जाती थी कि यह दल उग्र आंदोलन से अपनी क्षति का विचार कर उसका साथ नहीं देगा।

ज़मींदार-दल नासमझ आंदोलनकारियों से प्रायः अलग है। गुजरात इस बात का अच्छा प्रमाण है। किसान-जनता राजनीति की समस्याओं का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं रखती। उद्योग-धंधेवाले तथा मज़दूर बेजानकार और अशिक्षित हैं। जनता के सामूहिक हित का नाम लेकर तथा धर्म, भूमि और साम्य-वाद-संबंधी संदेश का प्रचार कर जन-समूह पर प्रभाव डाला जा रहा है।

राष्ट्रीय माँग

संपत्ति-संबंधी तथा शिक्षा-संबंधी उन्नति होने के कारण आज भारतवर्ष में राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत आत्म-सम्मान का भाव बढ़ा

हुआ है। भारतवासी बराबरी का अधिकार चाहते हैं। उनकी माँग औपनिवेशिक स्वराज्य की है।

पिछले कुछ महीनों से इस देश में जो सत्याग्रह-आंदोलन चल रहा है, उसने काफ़ी स्पष्ट रीति से राष्ट्रीय शक्ति प्रकट कर दी है। उसकी कमज़ोरियाँ भी प्रकट हुई हैं। पढ़े-लिखे हिंदू-मात्र उसमें सहयोग दे रहे हैं। जिन्होंने किन्हीं कारणों से आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया है, वे भी उसके उद्देश्यों से निश्चय ही सहानुभूति रखते हैं। इसमें भी संदेह नहीं कि अल्प-संख्यक जातियाँ और समूह भी इन प्रधान राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं।

पत्र में लिखा गया है कि हम राष्ट्रीय माँग का उल्लेख करते हुए उस उग्र दल को छोड़ देते हैं, जो नवयुवकों से बना है, जो काफ़ी महान् है, और जो ब्रिटेन से बिल्कुल संबंध-विच्छेद कर डालना चाहता है। ऐसे दल से किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं।

योरपियन सम्मति

भारत के योरपियन व्यवसायी १६१६ से इधर लगातार भारत के प्रति उदार विचार रखते थे, पर वर्तमान बहिष्कार-आंदोलन से वे बिगड़ उठे हैं, और इस प्रकार का दुर्व्यवहार सहन नहीं करना चाहते।

असंतोष-जनक अवस्था

आगामी विधान बनाने में भारत की वर्तमान असंतोष-जनक

अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। वह समय बीत गया, जब शासितों की छिपी हुई स्वीकृति की कल्पना कर लेने-भर से काम चल जाता था। नई प्रणाली में निश्चित गति से अग्रसर होनेवाले, जाग्रत् राष्ट्र की इच्छा का विचार करना उचित होगा।

विधान में परिवर्तन

हम साइमन-कमीशन की रिपोर्ट की प्रांतीय स्वाधीनता की सिफ़ारिश से पूरे-पूरे सहमत हैं। भारतीय हित का विचार रखते हुए प्रांतों को जो भी अधिकार दिए जायँ, वे ठीक हैं। पर केंद्रीय ब्रिटिश शासन के फल-स्वरूप जो राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़ रहा है, वह कम न होने पावे। केंद्रीय शासन की समस्या के संबंध में हमारी राय यह है कि एक ओर तो संपूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की राष्ट्रीय माँग और दूसरी ओर कुछ भी प्रतिनिधिक अधिकार न देने को साइमन-रिपोर्ट की सिफ़ारिश दोनो ही असंभव हैं। केंद्र की दृढ़ शासन-विधि (Strong Central Govt.) से यह भले ही हो कि स्वेच्छानुसार काम किया जा सकेगा, पर जनता की सम्मति और अनुमति के विना काम करने से निसर्ग-सिद्ध दुर्बलता बनी ही रहेगी। इसके साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार कुछ समय तक पार्लियामेंट के सीधे नियंत्रण में रहकर काम करे।

पार्लियामेंट का नियंत्रण

इस विचार से केंद्रीय सरकार की कार्य-विधि तीन श्रेणियों में बाँटी जा सकती है—प्रथम तो वह श्रेणी, जिसमें पार्लियामेंट

का संबंध क्रमशः (Continuous) रहने की संभावना की जा सकती है। उदाहरण के लिये फ़ौज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ और शांति-व्यवस्था के विभाग। द्वितीय वह श्रेणी, जिसमें पार्लियामेंट का नियंत्रण समय-समय पर ही होने की संभावना होगी। इस श्रेणी में वे कर लगाने और बढ़ाने के मामले रहेंगे, जिनका संबंध केंद्रीय सरकार से है। चुंगी और व्यावसायिक नीति तथा रेलवे का प्रबंध आदि भी इसी श्रेणी में आवेंगे। इनके अतिरिक्त और जो विभाग हैं, वे तीसरी श्रेणी में आवेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि इस श्रेणी की कार्यवाही में पार्लियामेंट शायद ही कभी हस्तक्षेप करे।

प्रांत

सिंध और उड़ीसा के सीमा-निर्धारण के लिये दो कमेटियों की स्थापना करने की सिफ़ारिश की गई है।

प्रांतीय व्यवस्था-सभाएँ

प्रांतीय कौंसिलों का कार्य-काल पाँच वर्षों का कर दिया जाय। व्यवस्था-सभा में और अधिक सदस्यों के रखने की बात का ठीक-ठीक फ़ैसला भिन्न-भिन्न प्रांतों में अलग-अलग निर्वाचनाधिकार (Franchise) की जाँच-कमेटियाँ नियुक्त होकर करें। जब सदस्यों की संख्या बढ़ जायगी, तब भी सरकार द्वारा सदस्यों के चुनने का अधिकार उतनी ही मात्रा में बना रहे, जितने की कमीशन सलाह देता है, ऐसी हमारी राय नहीं है। स्त्रियों के निर्वाचन के लिये कोई अलग प्रबंध न किया जाय।

दोहरी बैठकें

मद्रास, बंबई, पंजाब और सी० पी० की प्रांतीय सरकारों की सिफ़ारिश के अनुसार वहाँ व्यवस्था-सभा की दोहरी बैठकें (Double Chambers) नहीं होंगी, पर यू० पी०, बंगाल और बिहार की स्थिति देखते हुए ऐसी बैठकों का होना आवश्यक समझ पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर और उपयोगी समय आने पर वे तोड़ी भी जा सकें, इसका प्रबंध पार्लियामेंट नवीन विधान में कर दे।

निर्वाचनाधिकार

इस संबंध में भिन्न-भिन्न प्रांतों के विचार अलग-अलग हैं। बंबई-सरकार इस अधिकार को बढ़ाकर अब का तिगुना कर देने के पक्ष में है। कुछ सरकारें ऐसा करने में कुछ शंकित भी हैं। हम समझते हैं, यदि १० प्रतिशत जनता को यह अधिकार मिले, तो उचित होगा। एक कमेटी नियुक्त होकर इस बात की जाँच करे कि शिक्षा-संबंधी विशेषता रखनेवालों को विशेष निर्वाचनाधिकार दिए जायँ या नहीं।

मुस्लिम-प्रतिनिधित्व

सरकारी ब्लाक उठ जाने से अल्प-संख्यक और बहु-संख्यक जातियों का प्रश्न और भी आकर्षक हो जायगा। पंजाब और बंगाल को छोड़कर शेष प्रांतों में यदि मुसलमान चाहें, तो अपनी वर्तमान स्थिति क़ायम रख सकते हैं। बंगाल में तो हिंदू-मुसलमानों के बीच समझौता होना बड़ा ही कठिन है। वहाँ के योर-

पियन दल का यह विचार है कि वहाँ जन-संख्या के आधार पर चुनाव की विधि ही ठीक होगी। शिक्षा, संपत्ति आदि के विचार से जो विशेषाधिकार किन्हीं को मिलें, वे निर्वाचन-केंद्र पर निर्भर हों। पंजाब में सरकारी अफ़सरों ने जाँच करने के बाद यह तय किया है कि वहाँ की प्रांतीय सभा में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू और सिख सदस्यों की एकत्र संख्या से दो अधिक हो, और पूरी सभा की सदस्य-संख्या का ४६ प्रतिशत हो। यद्यपि इस सिफ़ारिश से स्थानीय किसी दल को संतोष नहीं हुआ, फिर भी यह विचारणीय है। यद्यपि हम सामयिक स्थिति को देखते हुए जातीय चुनाव के पक्ष में सिफ़ारिश करते हैं, पर हम पार्लियामेंट के ऐक्ट में ऐसी सुविधा भी बनवाना चाहते हैं, जिससे भविष्य में राष्ट्रीय और सामूहिक एकता के मार्ग में अब के मज़हबी चुनाव स्थायी बाधा न डाल सकें।

इसके उपरांत पत्र में सिख आदि अन्य अल्प-संख्यक जातियों के अधिकारों के संबंध में विचार किया गया है। बड़े ज़मींदारों के विशेषाधिकारों को बनाए रखने की सिफ़ारिश की गई है।

प्रांतीय सरकारी कार्यकर्ताओं (Executive) के अधिकारों, गवर्नरों के विशेषाधिकारों आदि पर विचार प्रकट किए गए हैं। गवर्नर स्वेच्छाचारी आर्डिनेंस बना सकें, पर ऐसा करने में उन्हें गवर्नर जनरल की राय लेनी पड़े, यह भारत-सरकार की राय है।

हाईकोर्ट के जजों की स्थायी नियुक्ति सम्राट् करें, और दूसरे

प्रकार की नियुक्ति गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल मिल-कर करें।

बर्मा-प्रांत को भारत से अलग करने के संबंध में भारत-सरकार की राय है कि ऐसा करने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होगी।

सीमा-प्रांत में सुधारों की योजना के लिये सिफ़ारिश की गई है। वहाँ की पिछली अशांति और विद्रोह का उल्लेख करते हुए भारत-सरकार यह राय देती है कि सीमा-प्रांत की माँगें यथा-संभव पूरी की जायँ।

केंद्रीय सरकार के संबंध में ऊपर जो बातें कही गईं, उन्हें ही पत्र के पीछे के अंश में विस्तार-पूर्वक सिद्ध किया गया है।

बड़ी व्यवस्था-परिषद् में अधिक-से-अधिक दो सौ सदस्य हों। उनमें १५० तो देश के विभिन्न भू-भागों से चुनकर आवेंगे। सात ज़मींदारी विशेषाधिकार के प्रतिनिधि, पाँच भारतीय व्यवसाय के प्रतिनिधि और शेष ३८ सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में २६ से अधिक सरकारी सदस्य न होंगे, और शेष में मज़दूर, अछूत आदि रहेंगे।

१५० प्रतिनिधियों में ८० ग़ैर-मुस्लिम, ३ सिख, १३ योर-पियन हों।

कौंसिल ऑफ़् स्टेट का चुनाव जिस प्रणाली से होता है, सर-कार की राय में वह बुरा नहीं, पर यदि दूसरी (Indirect) प्रणाली का व्यवहार किया जाय, तो उसे कोई आपत्ति न होगी, बशर्ते कि अल्प-संख्यक जातियों के हित में बाधा न पड़े।

आई० सी० एस्०, आई० पी० एस्० आदि के संबंध में सरकार कमीशन की सिफ़ारिशों का समर्थन करती है। वह लीग कमीशन की भारतीयकरण-नीति को ठीक समझती है।

देशी राज्य

पत्र का कहना है कि अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का आदर्श अभी दूर की बात है। इस बात की सुविधा नष्ट न होनी चाहिए कि जिससे भविष्य में अखिल भारतीय व्यवस्था-परिषद् की स्थापना हो सके, जिसमें देशी राज्य और अन्य भारतीय प्रांत समान रीति से सम्मिलित हो सकें। चरम अधिकार (Paramountry) के संबंध में भारत-सरकार के एक सदस्य का कहना है कि या तो कार्य-कारिणी परिषद् (Executive Council) के निर्वाचित (Elected) सदस्यों को इस संबंध के निर्णयों में सम्मिलित न किया जाय, या इस संबंध का अधिकार वाइसराय के बदले और गवर्नर जनरल को दिया जाय। वाइसराय और गवर्नर जनरल के अलग-अलग पद हो जाने पर उलझन न पैदा हो, इसलिये उन सदस्य महोदय ने यह सिफ़ारिश की है। परंतु अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया है, और अधिकार वाइसराय को देने के पक्ष में ही सम्मति दी है।

इसके उपरांत पत्र में देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के पारस्परिक आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को सुशृंखलित करने का उल्लेख है। सरकार का कहना है कि केवल अर्थ और

कर का ही नहीं, पर उद्योग-धंधों आदि का भी सम्मिलित विकास हो, ऐसे उपाय सोचे जाने चाहिए। गोल-सभा इस समस्या पर उचित विचार कर सकेगा।

खरीते पर कुछ पत्रों की सम्मतियाँ

'दि न्यूज़ क्रॉनिकल' का कहना है—"भारतीय गवर्नमेंट की योजनाएँ अव्यावहारिक हैं, और उनकी उसी प्रकार समालोचना होगी, जिस प्रकार साइमन-कमेटी की रिपोर्ट की हुई थी।"

इसी तरह 'डेली टेलीग्राफ़' भी भारतीय गवर्नमेंट की योजनाओं का घोर विरोध करता हुआ कहता है—"व्यवस्थापिका सभा में धारा-सभा के चुने हुए मेंबरों में से बहुत-से मेंबर होने चाहिए। इस योजना का गवर्नमेंट के शासन पर भयंकर प्रभाव पड़ेगा।"

'मॉर्निंग पोस्ट' ने लिखा—"भारतीय गवर्नमेंट की फ़ौज-संबंधी योजनाएँ द्वैध-शासन का आभास दिलाती हैं। ऐसी गवर्नमेंट, जो धारा-सभा के लिये अधिक उत्तरदायी नहीं है, धीरे-धीरे उसके अधिकार में आ जायगी, और फ़ौज गवर्नमेंट की ओर खींची जायगी। भारतीय राजा, जिन्हें भारतीय फ़ौजों के द्वारा नहीं, बल्कि सम्राट् की फ़ौजों के द्वारा रक्षा की गारंटी दी गई है, भारतीय फ़ौजों से रक्षित होना कभी स्वीकार न करेंगे।"

लाहौर के 'ट्रिब्यून' ने लिखा था—"ख़रीते में जो योजनाएँ दी गई हैं, उनके अनुसार अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञों ने गोल-सभा का उचित ही बहिष्कार किया है। उससे भारत के

भविष्य शासन-विधान के संबंध में नौकरशाही के प्रति और भी अधिक अविश्वास उत्पन्न होगा।"

'मुस्लिम-आउटलुक' ने ख़रीते को अत्यंत निराशा-जनक बतलाया। उसका कहना है—"अब मुसलमानों को अपनी स्थिति पर अत्यंत गूढ़ विचार करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में उनके विशेष अधिकार छीने जा रहे हैं; संयुक्त चुनाव के द्वारा उन्हें अब अपना मतलब सिद्ध करने का विचार छोड़ देना चाहिए। अल्प-संख्यक मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिये गवर्नर को केवल 'वीटो' का अधिकार दिया गया है। इसलिये इस पत्र की सम्मति में यदि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा का केवल यही उपाय बचा है, तो वे गवर्नमेंट द्वारा अपनी रक्षा नहीं कराना चाहते।"

'बांबे-क्रॉनिकल' की सम्मति में यह ख़रीता 'घाव पर नमक छिड़कता है।' उसने अपने अग्र लेख में ख़रीते का घोर विरोध किया, और शास्त्री, सप्रू, जिन्ना और जयकर तथा उनकी पार्टियों के लोगों ने लॉर्ड इरविन की प्रशंसा के जो पुल बाँधे हैं, उनकी ख़ूब खिल्ली उड़ाई!

'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' ने लिखा था—"ख़रीते का सबसे अधिक मूल्य इसमें है कि वह साइमन-कमीशन से अधिक अधिकार देता है।"

कलकत्ते के 'एडवांस' का कहना है कि "ख़रीता भारत के राष्ट्रीय जीवन की उन्नति का घोर विरोधी है। उसमें न तो औप-

निवेशिक राज्य की झलक है, और न भविष्य में देने का कोई वचन। भारत की समस्याओं को हल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।"

'लीडर'-संपादक श्रीचिंतामणि का कहना है कि "यद्यपि कई प्रकार से ख़रीता साइमन-रिपोर्ट से अच्छा है, परंतु वह अत्यंत निराशा-जनक है, और मैं उससे बिल्कुल असंतुष्ट हूँ।"

भूतपूर्व एम्० एल्० ए० सर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास ने ख़रीते के संबंध में लिखा है—"मुझे यह जानकर सख़्त अफ़-सोस होता है कि एक ऐसी व्यवस्थापिका सभा, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड इरविन हैं, भारत के लिये इस ख़रीते से अच्छा, राज-नीति-पूर्ण विधान की आयोजना न कर सके। ख़रीते में जो है, केवल वही यदि भारत को दिया जानेवाला है, तो मुझे डर है कि भारत और गवर्नमेंट, दोनो को एक लंबे युद्ध और क्रांति के लिये तैयार हो जाना चाहिए।"

पंद्रहवाँ अध्याय

उप-समिति और उनके कार्य

२ नवंबर को हिंदू-मुसलमानों की एक सम्मिलित बैठक में यह निश्चय हुआ कि सभा प्रारंभ होने पर, प्रारंभ में ही, यह कह दिया जाय कि ब्रिटिश-गवर्नमेंट हमें इस बात का विश्वास दिलाए कि यहाँ की बहस का परिणाम सिवा डोमीनियन स्टेटस के और कुछ न होगा।

३ तारीख़ को जो मीटिंग प्रतिनिधियों की हुई, उसमें भीतरी मतभेद दूर करने की भरपूर चेष्टा की गई। विवाद का विषय यही रहा कि अल्प-संख्यक जातियों की रक्षा का प्रश्न किस भाँति हल हो।

४ तारीख़ को सम्राट् ने बकिंघम-पैलेस में राज-प्रतिनिधियों को एक भोज दिया। इसमें साम्राज्ञी मेरी और स्पेन की महा-रानी भी सम्मिलित थीं। साम्राज्ञी ने वे सभी आभूषण और जवाहरात पहने थे, जो सन् १० में राजों ने उन्हें भेंट किए थे। इसी दिन प्रातःकाल, सर कावसजी जहाँगीरजी के स्थान पर, मि० जिन्ना की १४ शर्तों पर विवाद हुआ।

५ नवंबर को सेंट जेम्स-पैलेस में एक मीटिंग महाराजा बड़ौदा की अध्यक्षता में हुई। सात सदस्यों की एक उप-समिति

constitutional समस्या हल करने को बैठाई गई। रात्रि को इसी दिन एक गुप्त सभा हिंदू-मुसलिम-सदस्यों की इस बात पर विचार करने को हुई कि जब तक हिंदू-मुस्लिम-समस्या न हल हो जाय, अल्प-संख्यक जातियों का विषय न छेड़ा जाय। जिन्ना की १४ शर्तों पर ख़ूब बहस हुई। पृथक् चुनाव, संधि का पृथक्करण, सीमा-प्रांत के सुधार तथा 'नौकरियों में अपेक्षित संपात' आदि विषयों पर विचार होता रहा। अंत में कुछ भी निर्णय न होकर अगले दिन के लिये सभा मुलतवी करा दी गई। १७ ता० को दूसरी बार फिर संयुक्त बैठक हुई, और मि० चिंतामणि ने प्रेस-प्रतिनिधियों के प्रवेश की वकालत की, पर अस्वीकृत हुई। इसी दिन एक पब्लिसिटी-कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य मि० बैन, मि० रशब्रुक विलियम तथा मि० चिंतामणि थे। इस दिन सर सप्रू का भाषण मार्के का रहा। १५ ता० को अल्प-संख्यक कमेटी ने ३ घंटे विवाद किया। सम्मिलित चुनाव और नौकरियों की भरती का विषय प्रधान रहा। मुसलमान-प्रतिनिधि आबादी के आधार पर चुनाव चाहते थे। निर्णय कुछ नहीं हुआ।

१८ नवंबर को गोल-सभा का अधिवेशन हुआ, और इस बात पर बहस प्रारंभ हुई कि भावी शासन-प्रणाली Federal हो या unitary Lasis पर हो।

हिज़ हाइनेस आग़ाख़ाँ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के सभापति चुने गए थे। इस पर राजनीतिज्ञों में बड़ा विस्मय फैला। देशी नरेशों के मंत्रियों की जो कमेटी नियुक्त होकर संघात्मक प्रणाली

पर विचार करने बैठी थी, उसने निर्णय किया कि नवाब भूपाल, महाराज बीकानेर तथा महाराज काश्मीर की एक सब-कमेटी सब सिफ़ारिशों को सुनकर अंतिम प्रस्ताव निर्णय करे।

१८ नवंबर को एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम फ़ेडरल-रिलेशंस-कमेटी रक्खा गया। इसमें लॉर्ड संकी, लॉर्ड पील, लॉर्ड जटलैंड, लॉर्ड रीडिंग, मारक्विस ऑफ़् लोथियन तथा मिस्टर बेन ब्रिटिश-प्रतिनिधि चुने गए। प्रधान मंत्री भी इसके मेंबर थे। इसके कुल २३ मेंबर थे। ६ ब्रिटिश, १० भारतीय रजवाड़े और १६ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि। देशी राज्यों की ओर से नवाब भूपाल, महाराज बीकानेर आदि और ब्रिटिश भारत की ओर से भी शास्त्री, सप्रू, जिन्ना, शफ़ी आदि थे। इसका काम फ़ेडरल शासन-विधान तैयार करना था। कुछ सदस्यों के विरोध करने पर इसका नाम बदलकर Constitutional Staucture कमेटी रक्खा गया, और अन्य प्रतिनिधियों की सलाह सुनने का भी वचन दिया गया।

२३ नवंबर को देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय प्रकट किया कि—

१—वे सम्राट् को मानेंगे।

२—सेना तथा अन्य रियासती-संबंधी मामलों में उच्चतम शासक के अधीन रहेंगे।

३—रियासतों को सरकारी इलाक़ों के बराबर प्रतिनिधित्व दिया जायगा।

४—सब अदालती झगड़ों के निबटारे के लिये फ़ेडरल सुप्रीम कोर्ट क़ायम किया जायगा।

५—खानगी मामलों में फ़ेडरल शासन के अधिकारी हस्त-क्षेप न करेंगे।

३ दिसंबर को बर्मा के पृथक् करने पर विचार करने को बर्मा-उप-समिति ११ सदस्यों की बना दी गई। इसके सभापति सर रसल हुए। इसने प्रकाशित किया कि बर्मा के पृथक् होने पर भी भारत से उसका महाद्वीपिक संबंध बना रहेगा।

१० दिसंबर को प्रधान मंत्री के ऑफ़िस में एक सभा हुई, जिसमें प्रधान मंत्री, एटर्नी जनरल सर विलियम जोविट, श्री-वेजवुड बेन, सर आग़ाख़ाँ, सर मुहम्मद शफ़ी, श्रीग़ज़नवी, श्रीजिन्ना, मौ० मुहम्मदअली, श्रीफ़ज़लुल हक़, श्रीनिवास शास्त्री, श्रीचिंतामणि, जयकर, डॉ० मुंजे, सर प्रभास मित्र, राजा नरेंद्र-नाथ आदि प्रमुख सदस्य सम्मिलित थे। जिन्ना की १४ शर्तों पर विवाद हुआ, पर निर्णय कुछ भी नहीं हुआ।

१२ दिसंबर को बर्मा-सब-कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया। उसकी रिपोर्ट के ६ अंश बने—(१) ब्रिटिश-सरकार घोषणा कर दे कि ब्रह्म-देश को भारत से पृथक् करने की बात हम मानते हैं, और इस पृथकरण से ब्रह्म-देश की राजनीतिक उन्नति में बाधा न होगी। (२) उस देश के भारतीयों तथा अन्य अल्प-संख्यक लोगों के उचित स्वार्थों की रक्षा की जायगी। (३) भारत-सरकार और ब्रह्म-देश-सरकार में आर्थिक समझौता

हो जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। (४) पृथक्करण के बाद ब्रह्म-देश की रक्षा के अच्छे प्रबंध करने की बात कही गई। (५) यदि भारत-सरकार राज़ी हो, तो उसी के वैज्ञानिक विभागों से, उचित शर्तों पर, बर्मा-सरकार के पृथक्करण के बाद अपना भी काम चलाना चाहिए अथवा नहीं, इस पर विचार किया जाय। (६) पृथक्करण इस भाँति हो कि उससे व्यवसाय-वाणिज्य को कम-से-कम धक्का पहुँचे, तथा भारत और बर्मा में वाणिज्य के संबंध में समझौता हो जाय।

चर्चिल का भाषण

यह भाषण ११ दिसंबर, सन् ३० को लंदन में, इंडियन-सोसाइटी की मीटिंग में, राइट ऑनरेब्ल विंस्टन चर्चिल, सी० एच्०, एम्० पी० द्वारा दिया गया था। विंस्टन चर्चिल अनुदार-दल के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप बड़े दबंग और ज़ोरदार बोलनेवाले और बड़े मानी हैं। हिंदोस्तानियों से संधि-चर्चा तक करने में आपका अपमान होता है। इस भाषण में ६०% इँगलैंडवासियों के हृदय की झलक थी। भाषण इस प्रकार है—

"हमारे ख़याल से हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश का ध्यान भारतीय समस्याओं की वस्तु-स्थिति की धारणा के अतर्क्य रीति से बदल जाने की ओर दिलावें, जिसने गत १२ महीनों में संकट की रेखा खींच दी है।

"चारो ओर से हम सुनते हैं कि भारत ने तीव्र गति से क़दम उठाया है, और वह पूर्ण औपनिवेशिक राज्य चाहता है, जिसमें

ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य उस पर न रहे, और वह अपनी गवर्नमेंट स्वयं निर्माण करे। गोल-सभा में आए हुए मॉडरेट नेता भी इसी क़िस्म की माँग के लिये ज़ोर दे रहे हैं।

"भारत के राजनीतिक दल में प्रभावशाली शक्ति बहुत कुछ है, और रहेगी। उन्होंने अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता बना लिया है, और वे उस समय का स्वप्न देखने लगे हैं, जब कि समस्त भारत पूर्ण रूप से उनके हस्तगत हो जायगा, और इँगलैंड-निवासी उनके लिये साधारण योरपियन-मात्र रह जायँगे, गोरी चमड़ी भारत में आश्रित प्रजा समझी जायगी, हमारे सारे क़र्ज़ों और एहसानों से इनकार कर दिया जायगा, और सफ़ेद टोपीवाली एक सेना हिंदुओं का सामरिक आधिपत्य ग्रहण करने के लिये जर्मनी से किराए पर बुलाई जायगी।

"इन सब थोथी और भयानक दलीलों की चर्चा भारत-गवर्नमेंट तथा ब्रिटिश-गवर्नमेंट के साथ देर से होती रही, पर सिवा कोरी सहानुभूति और चिकने-चुपड़े आश्वासनों के मिला कुछ नहीं। हाँ, 'पूर्ण औपनिवेशिक राज्य' की ऊँची आवाज़ और 'भारत संसार की एक महान् शक्ति है' की अललटप्पू ध्वनि आकाश में भर गई है।

"कान्फ्रेंस के आरंभ के पाँच दिनों की स्पीचों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्व-शासन की योजना तत्काल ही निश्चय होनेवाली है। अब सिर्फ़ यह तय करना रह जाता है कि अधिकारों और सत्ता को किस प्रकार बदल लिया जाय। उसकी पद्धति और

ब्यौरा क्या होना चाहिए। साथ ही मातहत गवर्न्मेंटों की सुरक्षा का कैसा प्रबंध किया जाय।

आत्मसमर्पण का अधिकार नहीं

"झूठी आशा में कोई न रहे, इसलिये यह आवश्यक है कि सत्य बात ठीक-ठीक फिर से दोहरा दी जाय। हमारा विश्वास है कि ब्रिटिश-जाति अपने प्रभुत्व को किसी भी अवस्था में भारत से हटाने के लिये तैयार नहीं। यह गोल-सभा भारत के लिये कोई भी शासन-योजना बनाने का अधिकार नहीं रखती। इसमें किया गया कोई भी समझौता पार्लियामेंट को क़ानूनी अथवा साधारण तौर पर भी, ज़रा भी, बाध्य नहीं कर सकेगा। यह सभा भारत-ऐक्ट की रू से कोई नई सरकार बनाने का अधिकार भी नहीं रख सकती। इस क़िस्म के ऐक्ट की ज़िम्मेदारी तो ब्रिटिश-सरकार के ऊपर है, वही इसे हाउस ऑफ़् कामंस और हाउस ऑफ़् लार्ड्स की सम्मति से बना सकती है।

"वर्तमान हाउस ऑफ़् कामंस में भी, जिसके साथ सोशियलिस्ट की मातहत सरकार भी सम्मिलित है, यही बहुमत है कि औपनिवेशिक स्वराज्य-जैसे प्रश्न को किसी भी अवस्था में प्रकट न किया जाय। यह बात निश्चित है कि ऐक्ट की सरकार का परिचय होने से प्रथम एक नवीन हाउस ऑफ़् कामंस की सृष्टि होगी, और बहुत संभव है कि यह हाउस ऑफ़् कामंस वर्तमान काल की अपेक्षा हमारे देश के कहीं अधिक ज़बरदस्त देश-भक्तों की प्रतिनिधि-सभा होगी।

"इसलिये अनिच्छित सत्य को छिपाने और स्थिति की वास्तविकता पर परदा डालने की लगातार कोशिशें करने से सिर्फ़ झूठी उम्मीदें पैदा हो सकती हैं, जिनसे आगे चलकर हमें बहुत दुःख और उलझनों में फँसना पड़ेगा।

भारत के विषय में सत्य बात

"यह तो हुई इँगलैंड के विषय में। पर भारत के विषय में सत्य बात क्या है? हमसे कहा जाता है कि भारत का राष्ट्र बदल गया है; परंतु भारत का वातावरण नहीं बदला है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की राजनीतिक संस्थाएँ, वहाँ की जन-संख्या के मुक़ाबले, उँगली पर गिनी जाने योग्य हैं। उन्होंने पाश्चात्य सिद्धांतों का ग्रहण और प्रचार किया है, जिनका कोई सामंजस्य भारत के जीवन और विचारों से नहीं किया जा सकता। वहाँ साढ़े तीस करोड़ मनुष्यों में से ७० में एक व्यक्ति लिख-पढ़ सकता है। वहाँ ७० के लगभग जातियाँ और इससे भी अधिक अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं, जिनमें से अधिकतर परस्पर स्पर्धा और आक्षेप करते रहते हैं।

"लॉर्ड रंडोल्फ़ चर्चिल के मत से भारत में हमारा राज्य ऐसा है, मानो एक अथाह और विशाल जन-समुद्र पर तेल डाल रक्खा हो, जिससे किसी भी क़िस्म का आँधी-तूफ़ान अपना प्रभाव उस पर नहीं कर सकता।

"भारत से ब्रिटिश-अधिकार को हटा लेने का अर्थ यह होगा कि या तो समस्त भारत में हिंदू-राज्य फैल जाय, जिसकी सहा-

यता योरप से किराए पर आए हुए फ़ौजी अफ़सर करें, अथवा भारत फिर उन्हीं भयंकर घरेलू लड़ाइयों में पिस मरे, जो हजारों वर्षों से कलकत्ते में ब्रिटिश-झंडा फहराने से पहले होती थीं। यदि इसे स्वतंत्र कर दिया जाय, तो इसकी चीन-जैसी दुर्दशा हो जायगी, और ३०½ करोड़ जनता घोर कष्ट पावेगी। मैं विश्वास नहीं करता कि ग्रेट ब्रिटेन में हजारों में एक भी ऐसा ज़िम्मेदार और स्वतंत्र व्यक्ति होगा, जो भारत का पूर्ण ज्ञाता होकर इन सत्य बातों का विरोध करेगा।

"फिर भी हमसे कहा जाता है कि भारत अब बहुत तेज़ी से बदल गया है, और आख़िर उसने आत्म-सम्मान अनुभव कर लिया है। जाति, संप्रदाय, फ़िरक़े, जो सदियों से स्पर्धा करते थे, सब भेद-भाव भुलाकर, मिलकर एक हो रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार से संबंध-विच्छेद करना चाहते हैं। इस परिवर्तन का कारण क्या है ? इसके लिये हम भारतीय प्रजा को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते।

"इसकी कुल ज़िम्मेदारी हमारे वर्तमान राजनीतिज्ञों की बुज़-दिली और हार खाने की इच्छा है। किसी भी रूप में पिछले कुछ वर्षों से भारत-भर में यह धारणा उन्नत कर दी गई है कि ब्रिटिश-आधिपत्य उठनेवाला है, और एक नवीन शासन-प्रणाली शीघ्र ही बनेगी। एक तरफ़ तो वे बढ़ी-चढ़ी आज्ञाएँ निकालते रहे हैं, और दूसरी तरफ़ खेद-प्रकाश कर देते रहे हैं।

"हमारे ये पराजित राजनीतिज्ञ देशी राजों के बदले हुए भावों को सहज ही में लक्ष्य कर लेते हैं। ये नरेश अब तक हमारे विश्वासी मित्र हैं, जो हमसे संधि कर-करके मिले हैं। हमें बताया गया है कि इस वर्तमान आंदोलन में ये लोग भी सम्मिलित हैं, परंतु निश्चय ही समस्या सरल है।

"एक बार यह निश्चय कर लिया गया कि इस ब्रिटिश-सत्ता के बाद कोई नई वस्तु आनेवाली है, और यह बड़ी शक्ति, जिसने समस्त भारत पर एकच्छत्र राज्य किया और जिसने उसे सब प्रकार की हानियों से बचाया, अब स्वाभाविक-तया अलग होनेवाली है, फिर भी इसके अनन्य राज्य-भक्त अनुयायी एक नई स्थिति का विचार करें, और एक नई प्रणाली के लिये तैयार हों।

नए संबंध

"अगर ब्रिटिश-राज्य के बदले गांधी-राज्य हो जाय, तो देशी राजों को इस नवीन राज्य-सत्ता से उतनी ही दृढ़ता-पूर्वक संबंध गाँठने के लिये तैयार होना पड़ेगा, जितनी कि पहली से। मुसलमानों के विषय में भी यही बात है। क्योंकि राउंड टेबिल कान्फ्रेंस में आया हुआ अछूत प्रतिनिधि जो ६ करोड़ प्रजा का प्रतिनिधि होने पर भी हिंदू-धर्म में त्याज्य और मनुष्य होते हुए भी मानुषिक अधिकारों से वंचित है, स्वायत्त-शासन (Responsible Self-governing constitution) की माँग करता है। वह स्वाभाविक रीति से यह सोचता है कि हमारे

संबंध त्याग देने और चले आने के बाद उनका क्या होगा? वह वापस लौटने और विदाई से पूर्व नई सत्ता से अपने संबंध में शर्तें जान लेना चाहता है।

"दूसरा प्रभाव पड़ेगा भारत की सिविल सर्विस पर, जो अब तक बहुत बुद्धिमान् और राज-भक्त रही है। इसके बाद असर पड़ेगा पुलिस पर, जिसने निराशा के समय भी, सब कष्ट और धमकियाँ सहकर, अपना कर्तव्य निबाहा, और आज्ञा पालन की है। वे अपनी ही जान पर खेले भी हैं, और अंत में भारतीय फ़ौज इस चपेटे में आवेगी, जो, जब इसके सिर से ग्रेट ब्रिटेन की राज्य-भक्ति उलट जायगी, दूसरे केंद्र पर बदली जाने को बाधित होगी, और इसका परिणाम ऐसा भयंकर होगा, जिसे सोचने से हम आज भी भयभीत हैं।

"भारतीय सम्मति के इन सब परिवर्तनों का कारण भारत की समस्या का परिवर्तन नहीं। ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधियों की इच्छा-शक्ति और आत्म-विश्वास की ज़ाहिरा कमी ही इसका कारण है। मैं अपने भारतीय मित्रों को चेतावनी देता हूँ कि वे इन थोथी दिखावटों के धोखे में न आवें।

अब भी शासन है

"पाश्चात्य शक्तिशाली सरकार के राजनीतिज्ञों के चिकने-चुपड़े आश्वासनों और धैर्यों तथा इस राउंड टेबिल की हवाई बातों के होते हुए भी भारत पर शासन तो दृढ़ता-पूर्वक जारी ही है। २४ हज़ार भारतीय राजनीतिक क़ैदी अपनी मूर्खता से जेलों

में बंद हैं। क़ानून-भंग-आंदोलन सर्वत्र दबा दिया गया है। गांधी-आंदोलन, जिसने भारत-सरकार से मोर्चा लिया, अब ठंडा है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इसमें न कहीं ख़ून-ख़राबी हुई और न अँगरेज़ी फ़ौजों को (सिवा पश्चिमी सर-हद के) ही कहीं हस्तक्षेप करना पड़ा।

"मैं अँगरेज़-जाति को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी सफल शक्ति को पहचाने, जिसने भारत पर बुद्धिमत्ता-पूर्ण सुंदर शासन किया है। उसी शक्ति को अंत समय तक काम में लाना चाहिए। यह लज्जा की बात है कि हमारा नैतिक और ज्ञान-युक्त आदर्श उतना स्पष्ट नहीं है, जितना हमारी सामग्रिक सत्ता।

"यदि शीघ्र ही औपनिवेशिक राज्य की निरंतर आशाओं को जाग्रत् करने की अपेक्षा हम भारत की सामग्रिक अवस्था को उन्नत करने में एकचित्त होकर क्रियात्मक काम करते; यदि लाहौर-कांग्रेस को, जिसने यूनियन जैक का हास्यास्पद अपमान किया, पहले से ही छिन्न-भिन्न कर दिया जाता और उसके नेता निर्वासित कर दिए जाते; यदि गांधी को गिरफ़्तार करके, क़ानून-भंग से पहले ही सज़ा दे दी जाती; यदि हमें शासन करने का दृढ़ विश्वास और इच्छा होती, तो आज उपस्थित संकटों को उठाने का अवसर ही न आता।

"मैं इँगलैंड-वासियों से, जो भारत से वास्तव में परिचित हैं, फिर अपील करता हूँ कि वे भारत से डिगें नहीं। अब भी किसी भी समय पार्लियामेंट का भारतीय प्रजा को राज-भक्ति-सहित

शासित करने का निश्चय साफ़ तौर से स्थिर कर लिया जाय, तो कुछ ही वर्षों के अंदर-अंदर, बल्कि महीनों में ही यह विश्वास-पर-विश्वास दिलाने का संकटमय समय ख़त्म हो सकता है।

हमारी स्थिति कहाँ है ?

"कहिए, हम किस जगह खड़े हैं ? सम्राट् की बात अचल है। हम सिर्फ़ भारत के लाभ और शुभचिंतना के लिये परिश्रम करने के ही अधिकारी नहीं, बल्कि भारत की प्रत्येक जाति और फ़िरक़े के साथ मिलकर उनकी उन्नति कराने के भी हम अधिकारी हैं।

"१६२० का ऐक्ट एक ऐसी शिला है, जो हटाई नहीं जा सकती। उस ऐक्ट के द्वारा हम भारत के राजनीतिक दलों के ऊपर, नई-नई राजकीय शक्तियों का विचार करते हैं; और हम इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उन नई शक्तियों का उपयोग ईमानदारी और सिलसिले से करें। साम्राज्य के भीतर भारतीय राज-व्यवस्था के विस्तार की सीमा का कोई लिखित सिद्धांत हमारा नहीं है। लेकिन उसी ऐक्ट के द्वारा हमें बराबर का यह अधिकार प्राप्त है कि हम उन शक्तियों का मनचाहा उपयोग करें।

"जो जाति बल-पूर्वक विगत काल में विजय की गई हो, वह यदि उस विजयी जाति की आधुनिक पार्लियामेंट से, जो आज उसकी हित-कामना रखती है, यदि वचन-बद्ध करना चाहे, तो यह तो एक ठेका हुआ, ऐसा कहना चाहिए।

"इन हालतों में एक नई पार्लियामेंट को यह निश्चय करना

होगा कि अब क्या किया जाय। भारतीय स्वतंत्रताओं को मर्यादित करने के हमारे अधिकार और शक्तियाँ अप्रतिहत हैं। भारतवासियों को अपनी सरकार के साथ निश्चय कृतज्ञता-पूर्वक सहयोग करना चाहिए।

ठहरने की स्वतंत्रता है

"हम अपने क़दम वापस उठाने, आगे न बढ़कर पीछे लौटने के लिये इस समय स्वतंत्र हैं। जब तक कि ये भाव ईमानदारी और प्रेम से न देखे जायँगे, तब तक पार्लियामेंट का फ़ैसला बिल्कुल उचित है।

"लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर ख़तरे की ओर मुझे ध्यान करना चाहिए। राउंड टेबिल में आए हुए ये भारतीय सज्जन और अमीर-उमराव, किसी भी रूप में, उस शक्ति के प्रतिनिधि नहीं हैं, जो इस समय अँगरेज़ी राज्य से मुक़ाबला कर रही है।

"यह सच है कि गति के प्रवाह में पड़कर उनमें से अनेकों ने बड़ी-बड़ी माँगें पेश की हैं, लेकिन इसमें किए गए किसी भी समझौते को कांग्रेस-पार्टी से स्वीकृत कराने की तनिक भी ज़िम्मेदारी का साहस उनमें नहीं है। ख़तरा यह है कि लंदन में समझौता करने की मूर्खता-पूर्ण चेष्टा से सोशियलिस्ट गवर्नमेंट स्वयं अपने हाथ से self गवर्नमेंट की रियायतों और विस्तारों का आत्मघात कर लेगी, जिनसे भविष्य में इन भयंकर शक्तियों से अपने इच्छानुसार समझौता करने में हमारा ज़ोर कुछ न रह जायगा।

"इसलिये हमारी रियायतें क्रांतिकारियों द्वारा की गई नई माँगों के लिये प्रारंभिक किश्तें होंगी। जब कि राज-भक्त-समुदाय और प्रजावर्ग नई-नई ब्रिटिश-कमज़ोरियों को देखकर और भी अनिश्चित हो जायगी। सच तो यह है कि गांधी-वाद और उसकी सहायक शक्तियाँ जल्दी या देर में कठिन संघर्ष करेंगे, और अंत में कुचल दिए जायँगे।

पतन

"इन सब बातों के होते हुए भी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ब्रिटिश-जाति भारत से अपना शासन उठाने का कोई इरादा नहीं रखती। न वह भारतीय मामलातों में अपने को कर्तव्य-च्युत करेगी, या सुलह, शांति और अच्छे शासकों के लिये आवश्यकता पड़ने पर अपने उच्च आधिपत्य से अलग हो जायगी।

"हमारा यह इरादा क़तई नहीं है कि हम भारत को, जो सम्राट् के मकुट का उज्ज्वल रत्न है, खो दें। जो हमारी अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा कहीं अधिक ब्रिटिश साम्राज्य की विजय-पताका और शक्ति का हेतु है।

"भारत को खो देना ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का अंतिम संकेत होगा। वह विशाल परिस्थिति ऐतिहासिक जीवन में एक चोट करेगी।

"फिर, ऐसे संकट से छुटकारा न हो सकेगा। किंतु फिर भी हमें जानना चाहिए कि वह नस्ल और जाति जिसने अनेक नूतन आविष्कार किए हैं, जिसने बड़े-बड़े कठिन कामों को आरम-

विश्वास-पूर्वक पूर्ण किया है, और जिसने शताब्दियों से विपत्तियों और कठिनाइयों को कुशलता से सहन किया है, अब केवल आत्म-विश्वास और मानसिक शक्ति के अभाव में स्वयं ही अपना शिकार बन जायगी।"

भाषण पर महाराज बीकानेर का वक्तव्य

इस भाषण पर महाराज बीकानेर ने कहा था—

"हमारा विश्वास है कि इस अवसर पर हमारा सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम भारत में शांति और संतोष फैलाने और उसे वैभव-संपन्न बनाने का भरसक प्रयत्न करें। क्या कोई बुद्धिमान् व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर सकता है कि भारत का अधिकांश विचारवान् जन-समुदाय नौकरशाही के स्थायी आधिपत्य से संतोषित रह सकता है या उसे तलवार और पशु-बल के सहारे क़ाबू में रक्खा जा सकता है? ऐसे स्वप्न देखना राजनीति और ब्रिटिश-उदारता के सर्वथा विरुद्ध है। अत्यंत गूढ़ विचार के अनंतर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे महान् उद्देश्य की सिद्धि संयुक्त-शासन (Federal constitution)-प्रणाली की स्थापना द्वारा ही हो सकती है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक बृहत् भारत का रूप धारण कर लेंगी, और दोनो प्रजा मिलकर एक ही से विचारों और कार्यों के सूत्र में बँध जायँगी। इसी महत् उद्देश्य की सिद्धि के लिये रियासतें अपनी सार्वभौम शक्ति का कुछ अंश संयुक्त गवर्नमेंट को देने के लिये तैयार हो गई हैं। क्योंकि

उन्हें यह विश्वास हो गया है कि इसी प्रकार से वे शासन को सुरक्षित और स्थायी बना सकते और सम्राट्, साम्राज्य और देश की सेवा भी कर सकते हैं। हमारे ब्रिटिश भारत के सहयोगी भी केवल ब्रिटिश भारत के लिये आदर्श शासन-प्रणाली की रचना का विचार त्यागकर विराट् भारत का भाग्य निर्माण करने के लिये तैयार हो गए हैं, परंतु हमसे कहा जाता है कि यदि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जायँ, तो भारत पर कुछ जंगली लोग शासन करने लगेंगे, जो उसका क़र्ज़ अदा करने से इनकार कर देंगे, फ़ौजी हुकूमत द्वारा देश-भर में आतंक फैला देंगे और इस प्रकार भारत में चीन-जैसे गृह-युद्ध का श्रीगणेश कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि कान्फ्रेंस में उपस्थित विद्वान् प्रतिनिधि कैसे कोई प्रणाली की रचना कर सकते हैं, जिसके कारण साम्राज्य का ध्वंस हो जाय। संभव है, ब्रिटिश-व्यापार को आघात पहुँचे, और उसका भारत के साथ संबंध क्षीण हो जाय। परंतु हरएक देश का अस्तित्व और वैभव जितना आंतरिक व्यापार पर निर्भर रहता है, उतना बाह्य व्यापार पर नहीं। यदि भारतीय क़र्ज़ अदा करने से इनकार कर दें, तो इसमें भी उन्हीं की क्षति होगी। उनके ऊपर अधिकांश में आंतरिक क़र्ज़ और ब्रिटिश-क़र्ज़ का बोझ है। और सचमुच में जिस समय हमारा सर्वस्व निछावर हो रहा होगा, उस समय हमारी बुद्धि और राजनीतिक योग्यता हमसे बिल्कुल कूच न कर जायगी। क्या यह बात तर्क-युक्त

है कि हम अपनी आँखें खोले हुए अपने देश को मिट्टी में झोंक दें ?

"हमसे यह भी कहा गया है कि यदि भारत की आकांक्षाएँ पूरी करने का प्रयत्न सफल कर दिया जायगा, तो ब्रिटेन अपने राज्य-मुकुट में से एक अमूल्य रत्न खो देगा। यदि भारत को खोने का कोई सुगम मार्ग है, तो वह एक विदेशी गवर्नमेंट के शासन की कोठरी के अंदर भारतीय राष्ट्र की उन विराट् और प्रलयंकरी शक्तियों को क़ैद करना है, जिनकी उत्ताल तरंगें भयंकर लहरें मार रही हैं। कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने का इससे सरल उपाय नहीं है। यदि इन संकीर्ण विचारों का प्रभाव बना रहा, तो केवल ब्रिटिश साम्राज्य ही अपनी आत्महत्या नहीं करेगा, बल्कि भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत के राज्य-भक्तों को भी अपनी आत्महत्या करनी पड़ेगी।

"भारत को साम्राज्य के अंतर्गत रखने का केवल एक ही मार्ग है, और वह यह है कि ब्रिटिश-जनता अपनी पार्लियामेंट के सहारे अपने सब भय और संदेह दूर कर दे, और सभ्य और एक बड़े राष्ट्र की दूरदर्शी प्रजा की हैसियत से उसके उन सद्‌गुणों का अनुभव करे, जिनका बीज उसी ने आरोपित किया है। और उसी भाव से प्रेरित होकर, जिससे साम्राज्य के स्तंभ केनेडा और दक्षिण-आफ्रिका को शासनाधिकार दिए थे, भारत में स्थायी रूप से राष्ट्रीय तथा संयुक्त शासन की स्थापना कर भारतीयों को भी संतोषित करे।"

भाषण पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने रीडिंग-टाउन-हाल में भाषण देते हुए मि० चर्चिल के भाषण की धज्जियाँ उड़ाईं। उन्होंने कहा—

"मि० चर्चिल के भाषण में बुद्धिमत्ता नहीं झलकती। हरएक व्यक्ति यह जानता है कि हमने भारतीयों को जो शिक्षा दी है, उन्हें जो राजनीतिक साहित्य—एडमंड बर्क के भाषण, मेकॉले के इतिहास, जॉन मार्ले के राजनीतिक प्रबंध आदि—दिया है, उससे भारतीयों में जातीय, धार्मिक और भाषा-संबंधी भेद-भाव होते हुए भी, राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो गई है, और वे यह जान गए हैं कि वे उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिये ही, जो हमारी शिक्षा के कारण उनमें उत्पन्न हो गया है, अधिक शासनाधिकार माँगने के लिये बाध्य हुए हैं। ऐसे समय में, जैसा कि सदैव होता है, ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो बहुत जल्दी आगे दौड़ लगाना चाहते हैं। मेरी सम्मति से बहिष्कार अनावश्यक है। अभी तक जो राजनीतिक विद्रोह और क़ानून की अवज्ञा का आंदोलन फैला हुआ है, उसने हमारे स्वराज्य देने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं। परंतु यह सब होते हुए भी एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ सदैव शांति-पूर्वक अपनी समस्याएँ हल किया करता है।

"वे (गोल-सभा के प्रतिनिधि) हमारे साथ राजनीतिक उत्थान के लिये परामर्श करने आए हैं। और भारत के अद्वितीय वाइसराय, राजनीतिज्ञ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान्

व्यक्ति की हैसियत से इस आंदोलन का समर्थन करता है। वाइसराय, जिसके हाथ में आज भारत के शासन की बागडोर है, मज़दूर-दल का नहीं है, वह लिबरल-दल का भी नहीं, अनुदार-दल का है, और ऐसे अवसर पर, जब कि मुसलमान, सिक्ख, हिंदू, अछूत, भारतीय ईसाई और ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिनिधि गोल मेज़ के आस-पास बैठकर अपनी माँगें पेश करने और विचार-परिवर्तन करने में निमग्न थे, मि० चर्चिल ने एक ऐसा भाषण दिया है, जो शुरू से अंत तक शैतानी से भरा हुआ है, जिसमें कोई योजना नहीं है, और केवल अत्याचारी विजेताओं का विजितों पर वह अत्याचार चित्रित किया गया है, जो वर्तमान राजनीति में कहीं ढूँढ़े नहीं मिलता।

"कांग्रेस को और उन लोगों को, जो गोल-सभा की असफलता के लिये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और गत चार-पाँच सप्ताह से कान्फ्रेंस की सफलता के कारण जिनका विद्रोह कम हो चला है, मि० चर्चिल ने फिर से वह अवसर प्रदान किया है कि वह ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत के जन-बल को भड़काने लगें। हम चर्चिल को अकेला छोड़कर कहते हैं कि हमने भारतीयों का इतना विश्वास किया है कि मि० चर्चिल के इस भाषण का उन पर कोई असर नहीं हो सकता; परंतु यदि वे हमारा उपहास करने के लिये तैयार हैं, तो हम यही कहेंगे कि वे चर्चिल के भाषण की पुनरावृत्ति न करें।"

दूसरी जनवरी को फ़ेडरल स्ट्रक्चर (संयुक्त-शासन-निर्माण)

सब-कमेटी की बैठक हुई। इसमें इस विषय पर बहस हुई कि उक्त शासन-विधान की कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए। इस पर लॉर्ड शैंकी ने एक भाषण देते हुए कहा कि इंगलैंड के लिये उस प्रस्ताव का करना व्यर्थ है, जो भारत के लिये स्वीकार करने के योग्य नहीं। इसी प्रकार भारत को भी वैसी माँग पेश नहीं करनी चाहिए, जिसे ब्रिटेन इस समय किसी हालत में नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में काल्पनिक विचारों अथवा आदर्शों को उपस्थित करना व्यर्थ है। हमें व्यावहारिक और कार्य में परिणत करने योग्य प्रस्तावों पर ही वाद-विवाद करना उचित है, क्योंकि समय बहुत कम है। अस्तु। सदस्यों को साधारण परिस्थिति पर ही बहस करनी चाहिए।

जातीय प्रश्न व्यर्थ है

आगे चलकर लॉर्ड शैंकी ने कहा कि यहाँ पर जातीय प्रश्नों का प्रसंग छेड़ना अनावश्यक होगा। जब अभिलषित शासन-भवन का निर्माण हो जायगा, तब दोनो जातियाँ उसके भीतर रहने के लिये स्वतः सहमत हो जायँगी। हाँ, इसका ध्यान अवश्य रखना उचित है कि इस प्रकार का जो भवन तैयार हो, उसका संदेह-रूपी बालू की भीत पर नहीं, वरन् सदिच्छा एवं विश्वास-रूपी चट्टान पर अवलंबित रहना नितांत आवश्यक है। अर्थ-संबंधी विषय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के क्रेडिट (विश्वास) को स्थायी रखना उचित है।

इस संबंध में भारत के साथ ही ब्रिटेन के भी हितों का विचार करना अवश्यंभावी है। अंत में वर्तमान ऋण, भावी ऋण, पेंशन तथा विनिमय की दर का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि भारत की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिये जहाँ तक संभव हो सकेगा, वहाँ तक अधिक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की जायगी।

आपने छठे शीर्षक को निम्न-लिखित भागों में विभक्त करके उन पर अलग-अलग विचार करने की आवश्यकता बतलाई—(१) कार्यकारिणी का संगठन, उसके सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति का अधिकार तथा गवर्नर जनरल की उसके भीतर क्या स्थिति रहेगी ? (२) कार्यकारिणी की महत्ता कैसी हो, शासन किस प्रकार सुदृढ़ हो सके, इसकी अवधि कितनी हो, क्या कुछ विभाग इसके अधिकार से हटा देने चाहिए ? (३) फ़ेडरल कार्यकारिणी के अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध, देश की रक्षा, वैदेशिक संबंध, क़ानून और शांति-रक्षा तथा अर्थ-शास्त्र के साथ रहेगा। अंत में लॉर्ड शैंकी ने इस बात पर जोर दिया कि उपर्युक्त सभी विषयों से गवर्नर जनरल का संबंध अवश्य रहेगा, इसलिये कार्यकारिणी से पृथक् गवर्नर जनरल के संबंध में बहस करना आवश्यक नहीं।

चुनाव

इसके बाद सब-कमेटी में सेंट्रल व्यवस्थापक परिषद् तथा लोअर हाउस के सदस्यों के चुनाव पर बहस छिड़ी। अधिक-

तर लोगों का झुकाव इस बात की ओर था कि सेंट्रल में प्रत्यक्ष और लोअर हाउस में परोक्ष रूप से चुनाव हो।

७ जनवरी को गोल-सभा की फ़ेडरल स्ट्रक्चर सब-कमेटी में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रतिनिधि सर सेमुएल होर ने भारतीय शासन-सुधार के संबंध में कंजर्वेटिव दल की नीति को इन शब्दों में व्यक्त किया। आपने कहा कि कंजर्वेटिव दल भारतीय शासन-सुधार में कुछ विशेष प्रतिबंध लगाने पर जो ज़ोर देता है, वह नई रुकावटें डालने के लिये नहीं, बल्कि उन रुकावटों का सामना करने के लिये, जो पहले से मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, हिंदोस्तान बाहरी हमले से बचने के लिये ब्रिटेन की सैनिक शक्ति पर आश्रित है, अतः सेना-विभाग सीधा सम्राट् के अधीन रहेगा। मगर ऐसा होने से एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी के पूर्ण उत्तर-दायी होने में बाधा पड़ती है। आपने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों का प्रश्न भी ऐसा ही है। आपकी राय में ब्रिटेन में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये मौजूद अनुकूल परि-स्थितियों में से हिंदोस्तान में एक भी मौजूद नहीं। आपने कहा, ज्यों-ज्यों मैं ब्रिटेन और भारत की विभिन्नताओं पर ग़ौर करता हूँ, मेरा यह संदेह दृढ़ होता जाता है। हो सकता है, मेरे कहने में कुछ अतिशयोक्ति हो, मगर मुझे निश्चय है कि जो शासन-व्यवस्था सर तेजबहादुर सप्रू ने सुझाई है, वह इतनी पेचीदा और कमज़ोर है कि थोड़े भी मतभेदों की चोट से छिन्न-भिन्न हो सकती है। केवल सर्व-सम्मति के बल पर ही उसका

सफल होना संभव है, और सर्व-सम्मति का होना फ़िलहाल दूर का ख़्वाब है। आगे आपने कहा कि ब्रिटिश हाउस आफ़् कामंस का तरीक़े अखिल भारतीय फ़ेडरेशन में प्रचलित करने की बुद्धिमानी में मुझे पूरा संदेह है। फ़ेडरेशन की लंबी-चौड़ी एसेंबली में हाउस ऑफ़् कामंस की प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा चलाना मेरी राय में असंभव है। इस प्रकार की कोई भी नक़ल हिंदोस्तान के शासन-विधान को अक्रियात्मक बना देगी। आपने कहा, ब्रिटिश-शासन के उत्तरदायी मंत्रि-मंडल की हिंदोस्तान में स्थापना करने की कल्पना भी असंगत है। इससे वाइसराय के अधिकारों में बड़ी क्षति पहुँचेगी।

अंत में आपने कहा कि हमसे सर तेजबहादुर सप्रू ने अपील की है कि हम यह न कहें कि कुछ करने में असमर्थ हैं। उनकी अपील के अनुसार मैंने केंद्रिक उत्तरदायित्व के प्रश्न पर चुप रहने का रुख़ अख़्तियार किया है। सर तेजबहादुर—"क्या सर सेमुएल होर बिना केंद्रित उत्तरदायित्व के फ़ेडरेशन की कल्पना कर सकते हैं ?"

सर सेमुएल होर ने इसके जवाब में कहा कि इसका जवाब देने से पहले मैं फ़ेडरेशन के नक़्शे को पूरा बना हुआ देख लेना चाहता हूँ।

इसी दिन अल्प-संख्यक सब-कमेटी में सर मुहम्मद शफ़ी ने मुसलमानों की ओर से नई योजना रक्खी। आपने कहा कि यद्यपि अधिकांश मुसलमान पृथक् प्रतिनिधित्व को छोड़ना नहीं

चाहते, मगर हम केवल उस शर्त के साथ, जो कि सर चिमनलाल शीतलवाड ने अभी रक्खी है, छोड़ने को तैयार हैं। वह शर्त यह है कि मुसलमानों को, जिन प्रांतों में वे अल्प-संख्या में हैं, उनके आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। यह अधिकता वर्तमान समय की व्यवस्था के अनुसार ही हो, और किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के लिये उसको अपने संप्रदाय से ४० प्रतिशत तथा विभिन्न संप्रदाय में ५ प्रतिशत वोट प्राप्त करना आवश्यक हो। इसके अलावा मुसलमानों को पंजाब और बंगाल में आबादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिल जाय। सर मुहम्मद शफ़ी ने कहा कि ये माँगें न्यूनतम हैं।

डॉ० मुंजे ने मुसलिम-प्रतिनिधियों की माँगों के जवाब में हिंदू-महासभा की ओर से इस आशय का बयान पेश किया—

(१) हिंदू-महासभा पृथक् प्रतिनिधित्व को उसूलन खराब समझती है। उसका विश्वास है कि किसी भी उत्तरदायी शासन में पृथक् प्रतिनिधित्व को स्थान नहीं मिल सकता। सभा की सम्मति में भारत के भावी शासन की नींव रखते हुए निम्न-लिखित मूल-भूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए—

क—प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक संप्रदाय के लिये, एक-सदृश मताधिकार की व्यवस्था हो।

ख—प्रत्येक निर्वाचित संस्था का निर्वाचन मिश्रित प्रति-निधित्व के सिद्धांत से हो।

ग—किसी भी शिक्षण व प्रतिनिध्यात्मक संस्था के चुनाव

में रिज़र्वेशन ऑफ़् सीट्स को उसूलतन न माना जाय। मगर यदि कोई अल्प-संख्यक समुदाय आग्रह करे, तो केवल नियामक सभा में, सीमित काल के लिये, रिज़र्वेशन दिया जाय।

घ—भिन्न-भिन्न संप्रदायों की निर्वाचन-शक्ति का आधार एक-सदृश हो।

ङ—बहु-संख्यक समुदाय के लिये किसी भी प्रांत में, किन्हीं भी अवस्थाओं में, रिज़र्वेशन ऑफ़् सीट्स की व्यवस्था न की जाय।

च—प्रांत-विभाग शासन तथा अर्थ-संबंधी सहूलियतों के अनुसार हो।

छ—किसी स्थान पर किसी संप्रदाय को बहुमत देने के मतलब से ही कोई नया प्रांत न बनाया जाय।

(२) मुसलमानों के सिंध-विच्छेद के प्रस्ताव से हिंदू-महासभा जिन कारणों से असहमत है, उनमें से कुछ ये हैं—

क—विना दोनो संप्रदायों के निवासियों की सहमति के प्रांत-विच्छेद करना विद्वेष के बीज को सदा के लिये बोना है।

ख—विच्छेद होने से सिंध की आर्थिक और शिक्षा-संबंधी उन्नति बिल्कुल रुक जायगी।

ग—सिंध अकेला अपने शासन-भार को सहन नहीं कर सकेगा।

घ—बंबई ने सक्खर के बंद पर असंख्य धन-राशि खर्च की है।

(३) पश्चिमोत्तर प्रांत को शासन-सुधार देने के प्रस्ताव पर हिंदू-महासभा को साधारणतया कोई आपत्ति नहीं। केवल यह अक्रियात्मक मालूम होता है।

(४) नौकरियों में मुसलमानों को पर्याप्त स्थान देने की माँग के संबंध में हिंदू-महासभा की राय है कि योग्यता के अनुसार नियुक्ति होने की अवस्था में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) मंत्रिमंडल में मुस्लिम मंत्रियों का पर्याप्त अनुपात रखने की माँग भी प्रस्तावित उत्तरदायी शासन के अनुकूल नहीं बैठती, क्योंकि उसमें मुख्य मंत्री को ही अधिकार दिया गया है कि वह अपनी इच्छा से सहयोगियों का चुनाव कर ले। उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

(६) नियामक सभाओं के चुनाव के संबंध में महासभा सम्मिलित चुनाव का बल-पूर्वक समर्थन करती है। हाँ, अस्थायी रूप से, अल्प-संख्यक समुदायों के लिये, उनके बालिगों की संख्या या मताधिकार-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के अनुपात से रिज़र्वेशन ऑफ् सीट्स की रियायत दी जा सकती है। मगर निश्चित समय के बाद यह रियायत खुद-बखुद उठा ली जायगी।

(७) अवशिष्ट अधिकारों के प्रांतीय सरकार के ज़िम्मे रखने की माँग का महासभा विरोध करती है। उसकी राय में ये अधिकार केंद्रीय सरकार के ही सुपुर्द होने चाहिए।

(८) यदि मुसलमान पृथक् प्रतिनिधित्व पर तुले बैठे हों, तो हिंदू लखनऊ-पैक्ट के अनुसार समझौता करने को तैयार हो सकते हैं।

(९) महासभा की राय में मुसलमानों को हिंदोस्तान में वैसी कमज़ोर स्थिति नहीं है, जैसी राष्ट्र-संघ के कमज़ोर राष्ट्रों की

है।" अतः राष्ट्रीय संघ की अल्प-संख्यक समुदाय-संबंधी सब रियायतें मुसलमानों को नहीं दी जा सकतीं। हिंदोस्तान में मुसलमानों की अपेक्षा कमजोर संप्रदाय भी बहुत-से हैं।

(१०) अंत में राष्ट्र-संघ के अल्पमतवाले राष्ट्रों को विशेष अधिकार देते हुए जो सावधानता रक्खी गई थी, वह हिंदोस्तान के लिये भी रक्खी जाय। वह यह कि "इन विशेष अधिकारों के साथ ऐसे समुदाय न बना दिए जायँ, जो केंद्रीय संस्था से विमुख हो जायँ। हमें राष्ट्र के अंदर राष्ट्र बनाने से बचना चाहिए। यदि अल्पमत-समुदाय अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते जायँ, तो वह संपूर्ण राष्ट्र के संगठन के लिये घातक सिद्ध हो सकते हैं।"

दीवान बहादुर रामचंद्र राव ने देशी प्रजा के प्राथमिक अधिकारों की घोषणा पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि मैं इस विषय में कोई नई धारा प्रस्तुत करना नहीं चाहता। नेहरू-रिपोर्ट के १०१वें पृष्ठ में वे धाराएँ आ गई हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे प्रजा को इन बातों का लाभ हो सके—

१. जान-माल का रक्षण, २. धार्मिक और मानसिक स्वातंत्र्य, ३. सभा और संस्थाओं के अधिकार, ४. प्रत्येक नागरिक को विधि-विहित स्वातंत्र्य, ५. हीबियल कोर्पस के अनुसार न्याय-प्राप्ति का हक़, ६. सार्वजनिक विभागों में नागरिकता के अधिकार तथा धर्म या जाति के भेद-भाव-रहित किसी प्रकार की भी व्यापारिक लाइसेंस का अधिकार, ७. आर्थिक सुधार के

लिये नागरिकों को एकत्र होने के अधिकार, ८. प्रत्येक नागरिक को शस्त्र रखने का अधिकार, ९. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, १०. पुरुष एवं स्त्री को नागरिकता के समान अधिकार, ११. सार्वजनिक कुओं, मार्गों और स्थानों पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार।

७ जनवरी को नौकरी-उप-समिति की बैठक में निम्न-लिखित शीर्षकों पर विचार हुआ—(१) वर्तमान नौकरियों के लिये रक्षा के उपाय करना, (२) उनको इस बात का विश्वास दिलाना कि वे पूरे समय तक नौकर रहेंगे, (३) सिविल, जंगलात, पुलिस और आबपाशी के लिये सारे भारत से भर्ती करना और यदि उचित समझा जाय, तो योरपियनों को भर्ती करना, (४) अखिल भारतीय नौकरियों के लिये भर्ती करने का अधिकारी, (५) भारतीय मेडिकल नौकरियों के लिये सिफ़ारिश, (६) वे शर्तें, जिनसे अच्छे नौकर क़ायम रह सकें, (७) सार्वजनिक नौकरी-कमीशन, (८) पुलिस का आंतरिक प्रबंध और (९) केंद्रस्थ सरकार के अधीनस्थ नौकरियाँ।

प्रांतीय उप-समिति ने रिपोर्ट की—प्रांतों में वैध शासन का अंत कर दिया जाय, और सब विभाग उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में हों।

वैध शासन का अंत

मंत्रि-मंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति हो।

कार्यकारिणी

मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करे। वह व्यवथापिका के बहु-

संख्यक दल के नेता को बुलावे, और मंत्रियों के नाम पेश करने को कहे। मंत्री साधारणतः चुने हुए मेंबरों में से हों।

मंत्रि-मंडल

गवर्नर ग़ैर-सरकारी अनिर्वाचित मेंबर को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु ६ महीने के अंदर वह व्यवस्थापिका के किसी भवन में चुनाव द्वारा पहुँचे। सरकारी पुरुष मंत्री न हो। (लॉर्ड ज़ेटलैंड और रॉबर्ट हैमिल्टन असहमत) मंत्रिमंडल में अल्प-संख्याओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और गवर्नर को जो आदेश दिए जायँ, उनमें इसका समावेश कर दिया जाय। (श्रीचिंतामणि असहमत)

गवर्नर के अधिकार

१—व्यवस्थापिका के संबंध में—

(क) वह व्यवस्थापिका को बर्ख़ास्त कर सकता है, किसी क़ानून को रद्द कर सकता है, बिल को वापस कर सकता है या गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिये रख सकता है।

ऐसा कोई बिल उसकी स्वीकृति के विना पेश नहीं हो सकेगा, जो (क) किसी के धर्म से संबंध रखता हो, (ख) किसी केंद्रीय विषय की व्यवस्था करे, (ग) केंद्रस्थ व्यवस्थापिका के किसी क़ानून या वाइसराय के आर्डिनेंस पर प्रभाव डाले।

२—कार्य-संचालन

(क) गवर्नर को वे सब सूचनाएँ दी जायँगी, जो उसके पद के कार्य के लिये आवश्यक हों।

(ख) मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति प्रधान मंत्री होगा ।

१२ जनवरी को फ़ेडरेशन-सब-कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होकर सब प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई । उसमें इस आशय की सिफ़ारिशें की गई हैं—

(१) शासन-शक्ति वाइसराय में केंद्रित होगी ।

(२) उसके नीचे एक ऐसा मंत्रि-समुदाय होगा, जिसकी नियुक्ति वाइसराय करेगा, और जो लेजिसलेचर के समक्ष उत्तर-दायी न होगा ।

(३) उसमें कुछ मंत्री ऐसे भी होंगे, जिनके अधीन हस्तांत-रित विभागों की बागडोर होगी । ये लेजिसलेचर के समक्ष उत्तरदायी होंगे, और तभी तक मंत्री रह सकेंगे, जब तक लेजिस-लेचर का उन पर विश्वास रहेगा ।

(४) फ़िलहाल डिफ़ेंस, विदेशी नीति आदि विभागों का पूर्ण उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल पर होगा, और शेष सब विभाग जैसे लॉ ऐंड ऑर्डर, फ़ाइनांस, कॉमर्स आदि उत्तरदायी मंत्रियों के सुपुर्द कर दिए जायँगे ।

यह शर्त साथ रख दी गई है कि ग़ैर-मामूली हालतों में गव-र्नर जेनरल को अपनी ज़ुम्मेवारी से स्वेच्छा-पूर्वक कार्य करने का अधिकार होगा ।

(५) उत्तरदायी मंत्रियों के मंत्रिमंडल का सम्मिलित उत्तर-दायित्व होगा ।

(६) उत्तरदायी विभागों के मंत्रिमंडल बनाने में वह उसूल

काम में लाया जायगा कि गवर्नर जनरल एक व्यक्ति को चुन-कर शेष मंत्रियों के चुनाव का काम उस पर छोड़ दे।

(७) दो नियामक संस्थाएँ होंगी। निचले हाउस में २०० सदस्य होंगे, और अपर चेंबर में १५०। अपर हाउस की रचना लगभग कौंसिल ऑफ़ इस्टेट-जैसी होगी। उसमें राजों और प्रांतीय नियामक सभाओं के प्रतिनिधि भी होंगे।

(८) निचले हाउस की मियाद ५ साल होगी।

मंत्रियों पर अविश्वास के प्रस्ताव का फ़ैसला दोनो हाउसों की सम्मिलित बैठक के दो तिहाई वोटों पर ही होगा।

(९) नियामक सभाओं और एक्जीक्यूटिव में रिश्रासतों के प्रतिनिधियों की स्थिति के संबंध में अभी तक कोई संतोषप्रद स्कीम नहीं बन सकी। इस संबंध में अभी और विचार किया जा रहा है।

१३ ता० की बहस

फ़ेडरल स्ट्रक्चर-सब-कमेटी की जो रिपोर्ट लॉर्ड शैंकी ने १२ ता० को पेश की, उस पर १३ ता० को सब-कमेटी में आख़िरी बार विचार हुआ। बहुत-से सदस्य चुप रहे। मुसलमान प्रति-निधियों ने फिर अल्प-संख्यक संप्रदायों की संरक्षा पर ज़ोर दिया। कंज़र्वेटिव सदस्यों ने सम्मिलित तौर पर यह ज़ाहिर किया कि वे पूरा नक़्शा तैयार हो जाने पर ही अपनी राय देंगे। रियासती प्रतिनिधियों ने भी कह दिया कि वे ब्रिटिश भारत से संबंध रखनेवाली बातों पर वोट नहीं देंगे। लॉर्ड शैंकी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यद्यपि सब-कमेटी बहुत-से मामलों

में कई निश्चयों पर पहुँच चुकी है, मगर प्रत्येक सदस्य को अब भी अधिकार है कि वह अपनी सम्मति प्रकाशित करे।

आज की बहस में लॉर्ड चांसलर ने कहा कि हमारा काम केवल मूल-भूत सिद्धांतों के अनुकूल और प्रतिकूल विचारों की स्थापना कर देना था। इँगलैंड तथा हिंदोस्तान में अभी हमसे अधिक कुशल ऐसे बहुत-से राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी इससे पहले कि हम आख़िरी नक़्शा तैयार करें, राय जान लेना बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड रीडिंग ने भी यही कहा कि हमें याद रहना चाहिए कि ये परिणाम केवल अस्थायी हैं। हमारा काम सिद्धांत निश्चित करना है, न कि शासन-विधान तैयार करना। सर मुहम्मद शफ़ी ने मुसलमानों की ओर से बोलते हुए कहा कि मैंने जब पहले भाषण किया था, तो मुझे उम्मीद थी कि अंतिम बहस से पहले तक हिंदू-मुस्लिम-समस्या का निर्णय हो चुकेगा। मेरी यह आशा पूरी नहीं हुई, और मुझे यह आवश्यक हो गया कि मैं १६२७ की अ० भा० मुस्लिम-कान्फ्रेंस के प्रस्तावों के शब्दों में यह ज़ाहिर कर दूँ कि कोई भी शासन-विधान, चाहे किसी का भी बनाया हुआ हो, भारतीय मुसलमानों द्वारा तब तक स्वीकृत नहीं किया जायगा, जब तक कि वह मुसलमानों के अल्प-संख्यक हितों की रक्षा का काफ़ी बंदोबस्त नहीं कर देगा। मि० जिन्ना ने भी कहा कि हिंदोस्तान के किसी भी शासन-विधान के बनने से पूर्व हिंदू-मुस्लिम-समस्या हल हो जानी चाहिए। कोई भी शासन-विधान, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा की पूरी

गारंटी नहीं देगा या जिस पर मुसलमानों की सहमति नहीं ली जायगी, हिंदोस्तान में २४ घंटे से अधिक नहीं चल सकेगा। अ० भा० फ़ेडरशन के सफलता-पूर्वक चलने में मुझे पूरा संदेह है। आपकी राय में ग़ैर-मामूली हालतों के लिये वाइसराय को जो असाधारण अधिकार दिए गए हैं, उन्हें सीमित कर देना चाहिए। मि० शास्त्री ने हिंदू-मुस्लिम-समस्या के सफलता-पूर्वक हल न होने पर दुःख प्रकट किया। आपकी राय में केवल डिफ़ेंस और विदेशी नीति के विभाग ही सुरक्षित रक्खे जाने चाहिए, अन्य सब विभागों का नियंत्रण पूर्णतया उत्तरदायी मंत्रियों के सुपुर्द कर देना चाहिए।

लॉर्ड पील और सर सेमुएल होर ने सब-कमेटी की रिपोर्ट पर विशेष संतोष प्रकट नहीं किया। उनकी राय में जो हिफ़ाज़तें (Safeguards) रक्खी गई हैं, वे काफ़ी नहीं। वे आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में पर्याप्त नहीं होंगी। इससे व्यापारिक जगत् में हिंदोस्तान की साख पर बड़ा धक्का पहुँचेगा।

सर तेजबहादुर सप्रू ने कहा कि फ़ेडरेशन-सिद्धांत में हिंदोस्तान की एकराष्ट्रीयता का विचार अंतर्निविष्ट है। हिंदोस्तान के इतिहास में यह एक बड़ा परीक्षण है, और मेरा इस पर पूरा विश्वास है। सर मिर्ज़ा इस्माईल ने कहा, हिंदू-मुसलमान परस्पर इस झगड़े को कभी निबटाने में समर्थ न होंगे, ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह भारत-सरकार के डिस्पैच के अनुसार निर्णय कर दे। रियासती प्रतिनिधियों ने फ़ेडरेशन के हक़ में भाषण किए।

सोलहवाँ अध्याय

अंतिम निर्णय और उस पर लोक-मत

१६ जनवरी को सभा की अंतिम बैठक हुई। शान का क्या कहना था। इसी दिन प्रथम बार पत्र-प्रतिनिधियों को अंदर आने की अनुमति दी गई थी। लगभग २०० पत्र-प्रतिनिधि क्वीन एनी ड्राइंग रूम में बैठे थे। कमरे में माइक्रो-फ़ोन लगे हुए थे। टाइप की हुई कापियाँ साथ-ही-साथ अख़बारों को भेजी जा रही थीं।

प्रतिनिधियों ने जब प्रवेश किया, तब वे सिगरेट पी रहे थे। पीछे उन्हें सिगरेट पीने से मना कर दिया गया। क्योंकि बोलने वाली फ़िल्म तैयार थी। मि० मैक्डानल्ड के बाईं ओर लॉर्ड चांसलर बैठे थे। सारी कान्फ्रेंस में कुछ पगड़ियाँ ही भारतीय दृश्य को उपस्थित कर रही थीं। भारतीय महिलाओं की पीली और लाल साड़ियाँ विशेष शोभा दे रही थीं।

प्रधान मंत्री मि० मैक्डानल्ड ठीक एक घंटे तक बोले। उनकी घोषणा के पूर्व महाराज पटियाला ने कहा—"हम निस्संकोच होकर इस माँग में योग देते हैं कि हमारे देश की साम्राज्य में वही उच्च स्थिति मानी जानी चाहिए, जिसके विना हमारे देश-वासियों की इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकतीं। देश में हमारा

स्वार्थ बहुत गहरा है। अगर देश में अशांति व अराजकता फैलेगी, तो सबसे पहले हमें ही नुक़सान उठाना पड़ेगा। भारत में स्थायी शांति-पूर्ण शासन-प्रणाली जब कभी भंग होगी, तब ब्रिटेन की किसी राजनीतिक पार्टी की अपेक्षा उसका प्रभाव हम पर ही अधिक शीघ्रता से होगा, और अधिक घातक होगा।"

पटियाला-नरेश के उपरांत स्त्री-सदस्य श्रीमती सुब्बरोयन ने भिन्न-भिन्न सब-कमेटियों के कार्य की प्रशंसा करके कहा—"जो कुछ निर्णय किया गया है, उससे आशा अवश्य बँधती है, पर अभी निश्चय-पूर्वक कोई सम्मति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी भी विधान को स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें स्वाधीन शासन के सिद्धांत-मात्र स्वीकार किए गए हों, पर व्यवहार में ऐसे बंधन रक्खे गए हों, जिनसे वे सिद्धांत कुछ और ही बन जायँ। उन्होंने स्त्री-प्रतिनिधियों के प्रति किए गए व्यवहार के लिये कृतज्ञता प्रकट की। मिस्टर बेन और लॉर्ड इरविन को स्त्री-जाति के अधिकारों का ध्यान रखने के लिये धन्यवाद दिया, और यह आशा प्रकट की कि भविष्य में भी स्त्रियों के अधिकारों पर इसी प्रकार विचार रक्खा जायगा।"

लॉर्ड पील ने अनुदार-दल की ओर से कहा कि गोल-सभा की बातचीत से यह मूल्यवान् लाभ अवश्य हुआ कि विलायत की जनता की भारत-संबंधी जानकारी बढ़ी, और उसके विचार बदले। शायद भारत की जनता भी इससे इसी प्रकार लाभान्वित हुई हो। सभा का सबसे प्रमुख काम यह हुआ कि

उसमें संघ-शासन की नींव डाली गई, और स्वप्न की बात सत्य हो गई। इस संबंध में उन्होंने देशी नरेशों की उदारता की प्रशंसा की, और कहा कि ब्रिटिश भारत के वे नेता भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो संघ-शासन के सिद्धांत पर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को केंद्रित करते हैं। यह अभाग्य की बात होगी, यदि इस महान् कार्य का शीघ्र ही श्रीगणेश न किया गया। अपने दल की नीति बतलाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह था कि हम नवीन विधान के प्रधान अंगों की जाँच करें, और उसे ऐसा रूप दें, जिसमें संघ-शासन के विविध अंगों का विकास भी हो सके, और भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की विभिन्न धाराएँ एक-एक केंद्र से होकर बह सकें।

लॉर्ड पील ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ब्रिटिश व्यापारियों और ब्रिटिश व्यापार के साथ पूर्ण समता का व्यवहार होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं रक्खे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे दल की भविष्य-नीति इसी पर अवलंबित रहेगी। यदि यह शर्त पूरी नहीं की जायगी, तो मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ, सब मुझे वापस ले लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हेल-मेल के साथ काम करने की सिफ़ारिश की। यदि व्यावहारिक समस्याओं पर उदारता के साथ ध्यान दिया गया, तो उनका दल नवीन विधान का समर्थन करेगा।

इसके बाद सर शफ़ी और बेगम शाहनवाज़ के भी भाषण हुए। प्रधान मंत्री ने जो भाषण दिया, उसका सार यह है—

"राउंडटेबल-कान्फ्रेंस के प्रतिनिधि, कान्फ्रेंस की बैठक के अंत में, सम्राट् के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करते हैं। यदि कान्फ्रेंस के दरमियान में एक दुःख-जनक घटना न हो जाती, तो सम्राट् अधिक दिलचस्पी से हिस्सा ले सकते। हम अब कान्फ्रेंस के आख़िरी हिस्से में आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने अपने जीवन में कभी इतने अभिमान से किसी कान्फ्रेंस का सभापतित्व नहीं किया, जितना इस कान्फ्रेंस का। (ख़ुशी)

"जब मैंने पहले आपके सामने भाषण दिया था, तभी मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि आप हमारे भाई-बंधु बन कर आए हैं, और आपको किसी ख़ास दर्जे के लिये अपील करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा और अन्य पार्लमेंटरी सदस्यों का इस कान्फ्रेंस के प्रारंभ से ही यह ख़याल रहा है कि हम यहाँ इसी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं कि हिंदोस्तान के लिये सेल्फ़ गवर्नमेंट (स्व-शासन) प्राप्त करने के उपायों पर सलाह करें।

साइमन-कमीशन

"जब मार्ले मिंटो सुधारों की स्थापना की गई थी, तो इन सुधारों में केवल गवर्नमेंट-मशीनरी की ही चर्चा नहीं थी, बल्कि भविष्य में उन्नति के लिये प्रतिज्ञा भी थी। जब मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड-स्कीम लागू हुई थी, तो उसमें केवल शासन-व्यवस्था ही नहीं थी, बल्कि भविष्य में उससे अधिक की प्रतिज्ञा भी थी। साइमन-कमीशन की योजना उसी प्रतिज्ञा-पूर्ति के लिये की गई थी।

यदि हम अब भी उदासीन रहते, तो हम पर प्रतिज्ञा-भंग का दोष आता। साइमन-कमीशन ने (आप मुझे यह कहने की इजाज़त दें) महत्त्व-पूर्ण कार्य किया है। आप चाहे मुझसे सहमत हों या न हों, मगर मैं यह कहूँगा कि आप कभी इन निश्चयों पर नहीं पहुँच सकते थे, जिन पर आप अब पहुँचे हैं, यदि साइमन-कमीशन न बैठता। हिंदोस्तान कभी साइमन के उपकारों से उरिन नहीं हो सकता।

"जितनी दूर हम पहुँच सकते हैं, पहुँच चुके हैं। आपको हिंदोस्तान वापस जाना है। हमें यहाँ के लोक-मत का सामना करना है। आपने यहाँ पर जो कुछ कहा है, वह भारतीय लोक-मत पर उसके प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया को मद्देनज़र रखकर कहा है। हम पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों को भी ब्रिटेन के लोक-मत का सामना करना है। हमें भी अपनी सफ़ाई देनी है।

प्रतिज्ञा-पालन

"'हम अब तक क्या करते रहे हैं?' बार-बार इस प्रतिज्ञा को दुहराया जाता रहा है कि ब्रिटिश राज्य हिंदोस्तान को सदैव ग़ुलाम बनाए रखने के लिये नहीं है। जब साइमन-कमीशन बना था, तभी यह निश्चय हो चुका था कि शासन-विधान की स्कीम मुकम्मिल करने से पूर्व ब्रिटिश या हिंदोस्तानी प्रतिनिधि परस्पर मिलकर विचार करेंगे। मुझे बहुत दुःख है कि भारत की राजनीति में काम करनेवाला एक आवश्यक दल यहाँ नहीं है। (तालियाँ) मुझे मेरे साथी लेफ़्टविंग का राजनीतिज्ञ

कहते हैं। मैं चाहे लेफ़्ट का हूँ, चाहे रायट का हूँ, मेरा विश्वास है कि जो जातियों में विद्वेष की भावना को जगाता है, वह दुनिया की आज़ादी को तरक़्क़ी नहीं देता (तालियाँ)।

सांप्रदायिक कठिनाइयाँ

"यह बात हरएक स्वीकार करेगा कि सांप्रदायिक कठिनाइयों ने हमारे मार्ग में बड़ी बाधा डाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह निश्चित नीति है कि वह आप पर ही आपके झगड़ों के निपटारे की सारी जुम्मेवारी छोड़ दे। हम हिंदुओं के पक्षपाती नहीं। हम किसी के भी पक्षपाती नहीं। हम केवल एक सम्मिलित भारत की भावना पर विचार करते हैं। आप यक़ीन करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके पारस्परिक झगड़ों से अपनी कोई भी स्वार्थ-सिद्धि करने की चाह नहीं रखती, बल्कि वह इसके सर्वथा विपरीत चाहती है। हमारी यह एक उत्कट अभिलाषा है कि हम अपमें ऐसा अटूट ऐक्य देखें, जो हमें आपके लिये एक-सा मार्ग बनाने में सहायक हो। आपको आंतरिक ऐक्य की अभी बड़ी ज़रूरत है।

"मुझे और मेरे साथियों को इस बात पर अभिमान है कि इस पारस्परिक विचार से हमारे अंदर जो खाई खुदी हुई थी, वह पहले की अपेक्षा बहुत कुछ भर गई है। (तालियाँ)

"मैंने अपने साथियों को निश्चय दिला दिया है कि आप अपने झगड़ों का स्वयं निपटारा कर लेंगे, और मेरा अपना

भी यह यक़ीन है कि अनिच्छित तथा बाधित समझौते से शासन-कार्य में बड़ी अड़चनें आवेंगी ।

अल्पसंख्यक जातियों का दावा

"मेरे बहुत-से अल्प-संख्यक जातियों के दोस्तों ने अपने अधिकारों का दावा पेश किया है । मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि यह सभा पार्लियामेंट नहीं । हम क़ानून नहीं बना रहे । हम तो केवल अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं, और यह देख सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो । आप विश्वास रक्खें कि ऐसी बातों का आख़िरी फ़ैसला आप लोगों की संघ-शक्ति तथा इच्छा-शक्ति और नेताओं की कार्य-शक्ति पर निर्भर है ।

फ़िडरेशन

"शासन-विधान के संबंध में तो सभी ने राय दी है कि फ़िडरेशन हो । श्रीमान् नरेश ने आप लोगों की प्रशंसा में जो कुछ कहा है, मैं उसमें कुछ बढ़ाने की गुंजायश नहीं देखता । आप लोगों के यहाँ आने से पूर्व भारत की शासन-प्रणाली का रूप संदिग्ध था । आप लोगों की दूरदर्शिता और देश-भक्ति ने उसे निश्चित रूप दे दिया, जिसके लिये अँगरेज़ और हिंदोस्तानी सभी आपके कृतज्ञ हैं ।

प्रतिबंध

"शासन-विधान को तैयार करते हुए कुछ बहुत वाहियात चीज़ें हमारे सामने आई हैं । उनमें से एक चीज़ प्रतिबंध है । मैं इस शब्द से घृणा करता हूँ । (हास्य) मैं समझता हूँ, यह

मेरा ही अपराध है। प्रतिबंध शब्द बड़ा भद्दा है। यह डरावना है।

"प्रतिबंधों को मैं तीन श्रेणियों में विभक्त करता हूँ। प्रथम प्रतिबंध यह है कि जो वाइसराय या गवर्नर या किसी शासक के विशेषाधिकारों के रूप में दिया गया। वह संसार के हर एक स्वाधीन शासन-विधान में रहता है।

"मेरे भारतीय दोस्तो, आप चाहें किसी ढंग से पूरी स्वाधीनता का शासन-विधान भी बनावें, तो भी आपको ऐसा प्रतिबंध तो लगाना ही पड़ेगा। (तालियाँ) दूसरे प्रकार के प्रतिबंध के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि आपकी ओर से भारत-सचिव या सरकार ने जो इराक़रनामे कर रक्खे हैं, उन्हें नए शासन-विधान में भी क़ायम रक्खा जायगा। दृष्टांत के लिये आर्थिक और सरकारी नौकरियों के संबंध में इक़रार पत्रों को ले लीजिए। हम इन वायदों की रक्षा इसलिये नहीं करना चाहते कि हमें रुपया चाहिए, हम तो इन्हें सिर्फ़ इसलिये चाहते हैं कि उनके विना संसार में भारत की प्रतिष्ठा क़ायम नहीं रह सकती। कई ऐसे मामलों में भी हमें प्रतिबंध डालना पड़ेगा, जिनका संबंध केवल भारत से ही नहीं है।

अब देर से न डरिए

"ऐसे मामलों के ठीक होते देर लगेगी। आप देर से न डरिए। मैं जानता हूँ, आप थक चुके हैं। मैं जानता हूँ, आपने बहुत प्रतीक्षा की है, परंतु जब हम बहुत शीघ्रता से जाना चाहते हैं,

तब हमें समय में कंजूसी न करनी चाहिए। जो चीज़ देर में सही, परंतु शांति और स्थिरता से बनाई जाती है, वह मज़बूत होती है।

अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्न

"अब मैं अल्पसंख्यक जातियों के प्रश्न पर आता हूँ। मैं अपनी बात को फिर दुहराता हूँ। यदि इस संबंध में आप लोग आपस में फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, तो हमें सरकार के शासन-विधान में इस प्रश्न का फ़ैसला करना ही पड़ेगा। परंतु याद रखिए कि हम आपकी बात को आख़िरी नहीं समझते। जातियाँ छोटी हों या बड़ी, उनकी अधिकार-रक्षा का यत्न करना ही पड़ेगा। मेरे भारतीय मित्रो! क्या आपको यह उचित प्रतीत होता है कि आप अपने झगड़े का फ़ैसला स्वयं न करके दूसरों से करवावें?

"इन प्रतिबंधों में एक ख़तरा भी है। वह भी मैं कह देना चाहता हूँ कि मंत्रियों को यह न करना होगा कि जब कोई ऐसा काम करना पड़े, जो लोगों में अप्रिय हो, तो उसका बोझ वाइस-राय या गवर्नर की संरक्षित शक्तियों पर डाल दिया जाय।

घोषणा

"अब मैं आपके सम्मुख वह घोषणा पढ़ देना चाहता हूँ, जो मेरे मंत्रिमंडल ने मुझे आपके सम्मुख रखने की इजाज़त दी है। हिज़ मैजेस्टी की सरकार का विचार है कि भारतीय शासन की ज़ुम्मेवारी लेजिसलेचर्स (केंद्रीय या प्रांतीय व्यवस्था-सभाओं)

पर डाली जाय, और कुछ ऐसी शर्तें रक्खी जायँ, जो अस्थायी समय के लिये आवश्यक ज़ुम्मेवारियाँ पूरी करने की गारंटी करें, और विशेष परिस्थितियों का मुक़ाबला करने में सहायक हों तथा अल्प संख्या के समुदायों की राजनीतिक स्वाधीनता और उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी करें।

"जो प्रतिबंध अस्थायी समय के लिये रक्खे गए हैं, सरकार का यह पहला फ़र्ज़ होगा कि वह उन्हें दृष्टि में रखकर सुरक्षित विभागों का ऐसा प्रबंध करे, जिसमें वे हिंदोस्तान की भावी शासन-व्यवस्था-संबंधी तरक़्क़ी में बाधक न हों।

"इस घोषणा को करते हुए ब्रिटिश सरकार को मालूम है कि अभी कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ, और जो शासन-कार्य को चलाने में अत्यंत आवश्यक हैं; मगर हमारा विश्वास है, हम उन पर परस्पर विचार करते हुए उनके निर्णय के इतने क़रीब पहुँच गए हैं कि इस घोषणा के बाद हमें उनके संबंध में फ़ैसला करने में निश्चित सफलता होगी।

"सभा का विचार इस सर्व-सम्मत सिद्धांत पर होता रहा है कि केंद्रीय सरकार संपूर्ण भारत के फ़ेडरेशन के रूप में होगी, जिसमें भारतीय रियासतें और ब्रिटिश भारत दो व्यवस्था-सभाओं द्वारा संबद्ध होंगे। फ़ेडरल सरकार की निश्चित रचना और उसके अंतिम रूप का निर्णय राजों तथा ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों से पूर्ण विचार करने के बाद ही होगा।

"फ़ेडरल शासन का विषय-विभाग भी बाद में ही हो सकेगा; क्योंकि फ़ेडरल गवर्नमेंट को उन्हीं विषयों में दस्तंदाज़ी का हक़ होगा, जिनके लिये भारतीय राजे सहमत हो जायँगे।

प्रांतीय शासन

"प्रांतीय शासन-विधान की रचना पूर्ण उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर होगी। मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्था-सभा के सदस्यों में से होगी, और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा के समक्ष सम्मिलित तौर पर उत्तरदायी होगा। प्रांतीय शासन-विषयों का विभाग इस तरह किया जायगा कि प्रांतीय सरकारें अधिकतर स्वराज्य (सेल्फ़-गवर्नमेंट) का उपभोग कर सकें। फ़ेडरल सरकार की हुकूमत विधान द्वारा निर्धारित सीमा में ही होगी। गवर्नर के हाथ में उतने ही न्यूनतम विशेषाधिकार रह जायँगे, जो विशेष अवस्थाओं में शांति या क़ानून की स्थापना के लिये ही काम में लाए जा सकें। मताधिकार का क्षेत्र विस्तृत किया जायगा।

"गवर्नमेंट की राय है कि अल्प-संख्यक सब-कमेटी में भिन्न-भिन्न संप्रदायों के दर्मियान जो मत-भेद रह गए थे, उनका निपटारा वे स्वयं करें।

सहयोग की दावत

सरकार ने कान्फ्रेंस के वर्तमान रूप और परिमित समय पर ध्यान रखते हुए यह बेहतर समझा है कि इस कान्फ्रेंस का कार्य इस स्थान पर स्थगित कर दिया जाय, ताकि भारतीय

लोक-मत को देखकर विद्यमान कठिनाइयों को हल किया जा सके। सरकार उन उपायों पर विचार करेगी, जिनसे आपके और हमारे सहयोग जारी रहें, ताकि शासन-विधान फलीभूत हो सके। यदि इसी समय में वाइसराय की अपील पर सत्याग्रह करनेवालों ने या अन्यों ने ध्यान दिया, तो उनकी भी शासन विधान-निर्माण में सहायता ली जायगी।"

अंत में प्रधान मंत्री ने डेलीगेटों को धन्यवाद दिया, और यह विश्वास दिलाया कि सरकार ऐसा यत्न करेगी कि शासन-विधान के संबंध में इतना एकमत तैयार करले कि वह पार्लियामेंट में स्वीकार किया जा सके।

प्रधान मंत्री की स्पीच जब तक होती रही, लोग उसे मनोयोग से सुनते रहे। बीच में कई बार करतल-ध्वनि हुई। घोषणा के बाद महाराज बड़ौदा ने कहा—"स्कीम की घोषणा की अपेक्षा इसका क्रिया में आना अधिक संतोषप्रद होगा।"

सर ए० पी० पेट्रो ने कहा—"प्रधान मंत्री की घोषणा ब्रिटिश सरकार के उस हृदय-परिवर्तन की सूचक है, जिसके लिये महात्मा गांधी उत्सुक थे।"

सर प्रभाशंकर पट्टनी ने कहा—"मैं इस घोषणा से प्रसन्न हूँ।"

डॉक्टर मुंजे ने कहा —"मैं इस घोषणा से संतुष्ट हूँ।"

मि० तांबे ने कहा—"इस घोषणा के पीछे बहुत संभावनाएँ हैं।"

सर तेजबहादुर सप्रू ने यह भाषण किया था—

"गत ऑक्टोबर में जब हमने अपने देश से बिदा ली थी, तो हमें हमारे दोस्तों और विपत्तियों, दोनो ने कहा था कि हम मूर्खता का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमें दुश्मन इँगलैंड से वास्ता पड़ेगा। मैं नहीं जानता था कि हम जब यहाँ आए थे, तो दुश्मन इँगलैंड में आए थे या मित्र इँगलैंड में, मगर इतना निश्चित है कि हम जिस इँगलैंड से बिदाई ले रहे हैं, वह मित्र इँगलैंड है। मैं समझता हूँ, ये ही भाव प्रायः सभी प्रतिनिधियों के हैं।

(सर फ़िरोज़ सेठना—प्रायः सब नहीं।)

"इस सभा से तीन मुख्य परिणाम निकलते हैं—

(१) पहला परिणाम फ़ेडरेशन के रूप में है। इसका श्रेय अधिकतर राजों के प्रशंसनीय देशभक्ति-पूर्ण व्यवहार को है।

(१) दूसरा आवश्यक परिणाम केंद्रिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। लॉर्ड रीडिंग के कथनानुसार इसमें भी राजों को बड़ा श्रेय प्राप्त है। क्योंकि इन्होंने यह बात साफ़ कह दी थी कि वे फ़ेडरेशन के शासन-विधान को तभी मानेंगे, जब केंद्रिक उत्तरदायित्व को मान लिया जाय।

(३) तीसरा परिणाम डिफ़ेंस-नीति-विषयक है। किसी भी उत्तरदायी सरकार के लिये इस आधारभूत स्थापना का होना परम आवश्यक है। हिंदोस्तान को अब अपने डिफ़ेंस के लिये स्वयं तैयार होना चाहिए। पिछले ४०-५० साल से भारतीयों की यह शिकायत रही है कि उन्हें फ़ौज के ऊँचे ओहदों पर नहीं पहुँचने

दिया जाता। मगर अब यह बात विवाद-कोटि से ऊपर जा चुकी है। मैं इसे हिंदोस्तान के लिये बड़ा तोहफ़ा समझता हूँ।

"मैं प्रतिबंधों से नहीं डरता। जब आप उनकी परीक्षा करेंगे, तो आप भी इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि हम हिंदोस्तान में जिस केंद्रिक उत्तरदायित्व को स्थापित करना चाहते हैं, वे उसके अनुकूल ही हैं। मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखता हूँ। राजनीति में भविष्य-वाणी करना ख़तरनाक होता है। मेरे लिये भी यह कहना ख़तरनाक होगा कि जिस उत्साह से हमने इस स्कीम को तैयार किया है, हिंदोस्तान का प्रत्येक व्यक्ति इसका उसी उत्साह से स्वागत करेगा। मगर प्रधान मंत्री साहब! आपके राजनीतिक अनुभव को दृष्टि में रखकर क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी शासन-विधान है—चाहे वह आयर्लैंड में हो, आस्ट्रेलिया में हो या दक्षिण आफ्रिका में हो—जिसे प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय ने बिना किसी अपवाद के स्वीकार कर लिया हो?

इसके बाद सर सप्रू ने प्रधान मंत्री को ही संबोधित करते हुए कहा कि आज मैंने आश्चर्य-जनक आशावाद का अनुभव किया। लॉर्ड पील इस समय यहाँ नहीं हैं, और मैं खुश हूँ कि वह यहाँ नहीं हैं। उनकी उपस्थिति मुझे बड़ी कठिनाई में डाल देती है। हाँ, मैं सर सेमुएल होर को उनके सुबह के भाषण पर बधाई देता हूँ। वह भाषण भी आशामय था। कम-से-कम कंज़र्वेटिव दल की दृष्टि से तो था ही।

प्रधान मंत्री साहब ! मैं आपसे एक अपील करता हूँ। आप जानते हैं, और हम सबसे अधिक जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हिंदोस्तान किन हालतों में से गुज़र रहा है। मैं, पूरे उत्तरदायित्व को अनुभव करता हुआ और शासन-संबंधी सब कठिनाइयों को समझता हुआ, आपसे यह अपील करता हूँ कि आप हिंदोस्तान में ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि हिंदोस्तानियों के लिये यह संभव हो सके कि वे इस स्कीम पर बिल्कुल शांति-पूर्वक और निष्पक्ष होकर विचार कर सकें। आपसे यह अपील करते हुए मेरा यह भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने देशवासियों से भी यही अपील करूँ। यह जद्दोजहद बहुत लंबी हो चुकी है। वैमनस्य की मात्रा बहुत बढ़ गई है। मैं अपने प्रतिष्ठित और लोक-प्रिय नेताओं तथा उत्साही नवयुवकों से अपील करता हूँ कि वे गंभीरता से इस स्कीम पर विचार करें, और जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उससे आगे बढ़ने में हमारा हाथ बँटावें। लॉर्ड शैंकी की स्कीम की यह सबसे बड़ी ख़ासियत है कि उसमें नए विचारों के पेश करने की पूरी गुंजाइश है।

अतः मि० प्राइम मिनिस्टर ! मैं बड़े अदब से आपसे राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ने की दरख़्वास्त करता हूँ। वे राजनीतिक क़ैदी केवल इसलिये क़ैद में गए थे कि उनकी सम्मति और आपकी सम्मति में अंतर था। आइए, हिंदोस्तान में नया युग उपस्थित करें, और पिछले जद्दोजहद के चार-पाँच महीनों को भूल जायँ। मि० प्राइम मिनिस्टर ! मैं यह अपील अपनी ओर

से नहीं कर रहा, बल्कि अपने उन सब देशवासियों की ओर से कर रहा हूँ, जो आपसे कुछ उम्मीद किए बैठे हैं। मैं अब केवल एक शब्द कहूँगा, और बैठ जाऊँगा। सभा के संबंध में चाहे कोई कुछ कहे, समालोचक चाहे कैसी ही समालोचना करें, एक बात ऐसी है, जिस पर सब पूर्णतया सहमत हैं। वह यह कि हिज़ मेजेस्टी की सरकार ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने भी जो सद्भावना प्रदर्शित की है, उसके लिये हम सब आपके कृतज्ञ हैं।"

सभा की सम्मति पर प्रधान मंत्री ने एलान किया कि सभा के प्रयत्न भारत में भी जारी रहने चाहिए। केवल यह जानने के लिये नहीं कि भारतीय जनता हमारे सात प्रस्तावों का क्या जवाब देती है, बल्कि बचे हुए प्रश्नों को हल करने के लिये भी। मैं अभी नहीं कह सकता कि हम सुलह की बातचीत को किस तरह जारी रख सकेंगे, तथापि मेरा इरादा भारत के नए वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन से, अपने मंत्रियों तथा पार्लियामेंट की अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ, मिलने का है। सर सप्रू ने मुझसे राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ने की जो अपील की है, वह मेरे दिल को बहुत भाई है। यदि उस अपील का भारत में भी असर हुआ, और वहाँ आम शांति स्थापित हो गई, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार इस अपील का उचित जवाब देने से पीछे न हटेगी।

अंत में सब प्रतिनिधियों ने मिलकर सम्राट् जार्ज, मि०

रामज़े मैक्डानल्ड, मि० वेजवुड बेन और लॉर्ड शैंकी का तालियों से अभिनंदन किया।

इस प्रकार यह ऐतिहासिक सभा समाप्त हुई।

घोषणा पर सम्राट् जॉर्ज पंचम ने लिखा था —

"मैंने आप लोगों की कार्यवाहियों को बहुत पास से, अच्छी तरह से, देखा, और समझा। आप लोगों ने ऐक्य के सिद्धांतों पर जैसा सुंदर कार्य किया है, उसका हम पर अधिक प्रभाव पड़ा। यह आशा नहीं की जाती थी कि केवल ६ ही सप्ताह के थोड़े ही समय में आप लोग वास्तव में तत्त्व की खोज, इतनी आसानी और सफलता के साथ, कर लेंगे। परंतु अभी विशेष रूप से कई कार्य करने को शेष हैं, तो भी आप लोगों ने भारतवर्ष के इतिहास में एक नया परिच्छेद लिखना प्रारंभ किया है। हमें विश्वास है कि आप लोग अपने देशवासियों को अपने ही उद्देश्य और कार्य करने के सिद्धांत की ओर खींच लावेंगे, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में व्यवस्था और शांति पूर्ण रूप से स्थापित हो जाय।"

सत्रहवाँ अध्याय

शांति

संसार-भर के प्रसिद्ध पत्रों और व्यक्तियों ने इस गोल-सभा के अनुकूल और प्रतिकूल परिणामों पर अपनी सम्मति दी। ऐसा प्रतीत होता था, मानो कुछ काल के लिये यह सभा सारे संसार के अध्ययन का विषय हो गई थी। भारत के प्रमुख कांग्रेसी नेता घोषणा से असंतुष्ट थे। कुछ ने तो उसकी तीव्र आलो-चना की थी, और उसमें सम्मिलित होनेवाले सज्जनों का मज़ाक़ उड़ाया था।

२६ जनवरी को पार्लियामेंट की कामंस-सभा में यह मसौदा रक्खा गया। मि० मेकडानल्ड ने जितना हो सकता था, गोल-सभा के मसौदे के समर्थन में कहा। यह भय था कि कंज़रवेटिव दल चर्चिल का मतानुयायो है, और वह ज़रूर विरोध करेगा। मि० मेकडानल्ड ने मि० चर्चिल की कुछ लल्लो-चप्पो भी की। उन्होंने कई शाही प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं की ओर पार्लियामेंट का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद भिन्न-भिन्न दल के सदस्यों ने भिन्न-भिन्न बातें कहीं। सर सेमुएल होर और सर साइमन ने मसविदे का स्वागत किया, पर मि० चर्चिल ने ख़ूब कटु आलो-चना की। मि० फ़ेनर ब्राकवे ने चर्चिल को ख़ूब मुँहतोड़ उत्तर

दिया। आपने कहा, अगर मि० चर्चिल की बातें मानी जातीं, तो बजाय ६० हज़ार के ६ लाख क़ैदी जेलों में भर जाते। और भी बहुत-से सदस्य बोले।

गोल-सभा के बाद, जैसा कि सर सप्रू की अपील पर महामंत्री ने वचन दिया था, महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख नेता बिना शर्त इसलिये छोड़ दिए गए कि वे खुले दिल से इस बात पर विचार करें कि क्या गोल-सभा के निर्णय से वे सहमत हैं? और, क्या वे अब अपना आंदोलन स्थगित करके सरकार से सहयोग किया चाहते हैं? लॉर्ड इरविन ने १७ जनवरी की भारतीय व्यवस्थापिका सभा का उद्घाटन करते समय भी महत्मा गांधी से सांकेतिक अपील की थी कि वह अब इस समझौते से सहमत हो जायँ।

महात्मा गांधी ने जेल से छूटते ही इस विषय में एक वक्तव्य निकाला, जिसका आशय यह था—

"नमक बनाने तथा शराब और विदेशी कपड़े के बहिष्कार से कुशासन का कोई संबंध नहीं। ग्रेट ब्रिटेन और भारत में चाहे जितना सद्भाव क्यों न हो जाय, जनता को यह बात नहीं समझाई जा सकती कि शराब पीना या विदेशी वस्त्र पहनना ठीक है या नमक बनाने की मनाही उचित है। मैं शांति के लिये बेचैन हूँ, मगर सम्मान-पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये गोल-सभा-रूपी वृक्ष को मैं उसके फल से जानना चाहता हूँ, जिनमें तीन उपर्युक्त हैं, शेष ८ भी विख्यात हैं।"

महात्माजी की ११ शर्तें

(१) विनिमय (एक्सचेंज) की दर १ शिलिंग ४ पेंस की हो।

(२) नमक-कर एकदम उठा दिया जाय।

(३) ज़मीन का लगान बहुत ज़्यादा और ग़ैर-वाजिब है, इसलिये वह कम-से-कम वर्तमान लगान का आधा कर दिया जाना चाहिए। उस पर लोक-प्रिय अथवा जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्था का अधिकार रहना चाहिए।

(४) तुरंत ही मादक द्रव्यों का निषेध हो जाना चाहिए।

(५) ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर आधी कर दी जानी चाहिए।

(६) सरकारी ऋण तथा विदेशियों के प्रति की जानेवाली रियायत की जाँच करने के लिये एक निरपेक्ष प्रतिनिधि-मंडल क़ायम किया जाना चाहिए।

(७) हाजी के जहाज़ी बिल का समर्थन भारत-सरकार द्वारा होना चाहिए।

(८) सभी विदेशी कपड़ों पर संरक्षण-कर लगाया जाना चाहिए।

(९) हत्याकारियों अथवा हत्या की चेष्टा करनेवाले राजबंदियों के सिवा अन्यान्य सभी राजबंदियों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, और सभी निर्वासित राजबंदियों को स्वदेश लौट आने की आज्ञा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार हत्या-संबंधी

या हत्या की चेष्टा करने से संबंध रखनेवाले मामलों को छोड़ अन्य सभी राजनीतिक मामले उठा लिए जाने चाहिए, और बड़ी व्यवस्था-सभा के पाँच लोक-प्रिय व्यक्तियों की कमेटी की अनुमति विना किसी भी व्यक्ति पर १२४ ए (राजद्रोह) धारा के अंतर्गत मामला नहीं चलाया जाना चाहिए।

(१०) ख़ुफ़िया-पुलिस-विभाग उठा दिया जाना चाहिए अथवा उस पर जनता का अधिकार रहना चाहिए।

(११) निरस्त्रीकरण-संबंधी क़ानून का सुधार होना चाहिए, और हरएक जिले में जनता द्वारा निर्वाचित एक कमेटी होनी चाहिए, जिसकी सिफ़ारिश करने पर लोगों को अस्त्र रखने के लिये लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

विलायत से रवाना होने के समय जयकर, सप्रू तथा शास्त्री महाशयों ने तार द्वारा कांग्रेस से प्रार्थना की थी कि वह उनके आने तक अपना निर्णय स्थगित रक्खे।

इसके उत्तर में, महात्माजी की सम्मति से, निर्णय स्थगित रक्खा गया। मनस्वी पं० मोतीलालजी नेहरू के अचानक स्वर्गवास से इस समय बहुत हानि हुई। वह अंतिम क्षण तक इसी निर्णय के लिये बेचैन रहे। उन्होंने अंतिम बार कहा था—

"भारत का भाग्य 'स्वराज्य-भवन' में ही निश्चित कर लो, इसे मेरे ही सामने तय कर लो। अपनी मातृभूमि के भाग्य के अंतिम सम्मानित समझौते के निपटारे में मुझे भी भाग लेने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो मैं स्वतंत्र भारत की

गोद में मरूँगा । मुझे अंतिम निद्रा पराधीन देश में नहीं, स्वतंत्र देश में लेनी पड़े। इस महापुरुष को खोकर महात्मा गांधी ने कहा था—"मैं विधवा से भी अधिक असहाय हो गया।"

अस्तु । मोतीलालजी तो चल ही दिए, इधर वाइसराय और महात्मा गांधी में दिल्ली में संधि-चर्चा छिड़ी, जिसकी तरफ़ संसार-भर का ध्यान आकर्षित हुआ । चर्चिल के शब्दों में महात्मा गांधी 'विद्रोही, अधनंगा फ़क़ीर' बड़ी निर्भीकता से सम्राट् के प्रतिनिधि से, बराबरी के तौर पर, मिला । कई दिन तक बातचीत होने के बाद अंत में निश्चय हुआ कि निकट भविष्य में, भारत और इंगलैंड में, फिर एक गोल-सभा हो, और उसमें कांग्रेस की शर्तों पर विचार किया जाय । इस काम के होने तक सरकार की ओर से दमन बंद किया जाय, और कांग्रेस की तरफ़ से सत्याग्रह-युद्ध स्थगित कर दिया जाय । गत ४ एप्रिल को दिन के बारह बजे लॉर्ड इर्विन और महात्मा गांधी के संधि-पत्र पर हस्ताक्षर हो गए । यह अस्थायी संधि-पत्र इस प्रकार था—

(१) महात्मा गांधी और हिज़ एक्सिलेंसी दि वाइसराय में जो बातचीत हुई है, उसमें यह प्रबंध किया गया है कि सविनय क़ानून-भंग-आंदोलन स्थगित कर दिया जाय, और सम्राट् की सरकार की मंज़ूरी से भारत-सरकार और प्रांतीय सरकारें कुछ कार्य करें ।

(२) विधान-संबंधी समस्या के लिये कहा गया है कि गोल-

सभा द्वारा निर्धारित भारतीय शासन-विधान पर आगे विचार करने के लिये, सम्राट् की सरकार से मंजूरी प्राप्त कर, अवसर दिया जाय।

(३) गत १६ जनवरी, सन् १६३१ की प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार विधान-संबंधी वाद-विवाद में कांग्रेस को सम्मिलित करने का उद्योग किया जाय।

(४) यह समझौता सविनय भंग-आंदोलन से संबद्ध कार्यों के संबंध में है।

(५) सविनय क़ानून-भंग का आंदोलन बंद कर दिया जायगा, और सरकार भी तज्जन्य कार्य रोक देगी।

जैसे कि—

(क) क़ानून की धाराओं को खुले-आम तोड़ना।

(ख) ज़मीन-लगान तथा अन्य प्रकार के टैक्स न देना।

(ग) सत्याग्रह-आंदोलन के प्रचार के लिये न्यूज़शीट का प्रकाशन करना।

(घ) सिविल तथा मिलीटरी अफ़सरों को बहकाना तथा गाँवों के अधिकारियों को पद छोड़ने को बाधित करना।

(६) विदेशी माल के बायकाट के संबंध में दो परिणाम निकलते हैं—पहला बायकाट का रूप, दूसरा उसे क्रियात्मक रूप देने का तरीक़ा।

(७) विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुओं को स्थान देने के लिये अथवा मादक द्रव्य-निषध के लिये जो तरीक़े

इस्तेमाल में लाए जायँगे, वह साधारण काम के अंदर आ जाने चाहिए। पिकेटिंग शांतिमय होनी चाहिए तथा द्वेष-पूर्ण प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। यदि कहीं ऐसे तरीक़े इस्तेमाल में लाए जायँगे, तो वहाँ का पिकेटिंग स्थगित कर दिया जायगा।

(८) महात्मा गांधी ने कई जगह की पुलिस की ज़्यादतियों की ओर सरकार का ध्यान खींचा है, और उन पर सार्वजनिक जाँच के लिये ज़ोर दिया है। वर्तमान अवस्थाओं में सरकार ऐसा करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करती है। अब गांधीजी ने भी इस प्रश्न पर अधिक आग्रह न करना स्वीकार कर लिया है।

(९) सविनय आज्ञा-भंग-आंदोलन स्थगित होने के बाद सरकार निम्न-लिखित कार्य करेगी—

(१०) सविनय आज्ञा-भंग-आंदोलन के समय संचारित आर्डिनेंस वापस ले लिए जायँगे।

(११) क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट, १९०८ के मुताबिक़ संस्थाओं को ख़िलाफ़-क़ानून कर देने का हुक्म वापस ले लिया जायगा।

(१२) सविनय आज्ञा-भंग-संबंधी अहिंसात्मक अभियोग-संबंधी मुक़द्दमे वापस लिए जायँगे।

पुलिस या फ़ौजियों पर से सविनय आज्ञा-भंग-संबंधी मुक़द्दमे वापस नहीं लिए जायँगे।

(१३) अहिंसात्मक अभियोगों के वे सब क़ैदी, जो सविनय आज्ञा-भंग के सिलसिले में जेल गए हैं, छोड़ दिए जायँगे।

जेल में अपराध करने के अभियुक्तों को भी, जो कि इस आंदोलन के अभियुक्त हैं, माफ़ कर दिया जायगा।

वे पुलिस या फ़ौज के सिपाही, जिन्हें क़ानून-भंग करने में सज़ा मिली है, क्षमा नहीं किए जायँगे।

(१४) जो जुर्माना अब तक वसूल नहीं हो सका है, वह छोड़ दिया जायगा। जहाँ ज़मानतें ज़ब्त करने का हुक्म हो चुका है और ज़मानतें वसूल नहीं हो सकी हैं, वे भी छोड़ दी जायँगी।

जो जुर्माना वसूल कर लिया गया है, और जो ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं, वे वापस नहीं की जायँगी।

(१५) जहाँ कहीं सत्याग्रह-संग्राम के लिये पुलिस रक्खी गई है, वह स्थानीय सरकार की सम्मति से वापस कर ली जायगी। सरकार उस सारे धन को छोड़ देगी, जो वसूल नहीं हुआ।

(१६) (क) सत्याग्रह-आंदोलन में जो माल सरकार ने ज़ब्त किए हैं, यदि वे अब भी सरकार के पास ही होंगे, तो वापस कर दिए जायँगे।

(ख) लगान वसूल करने में जो जायदाद ज़ब्त की गई है, वहभी वापस कर दी जायगी।

(ग) माल की जो बरबादी हो गई है, उसके लिये कोई हरजाना नहीं दिया जायगा।

(घ) यदि कोई मनक़ूला जायदाद सरकार ने बेच दी है,

तो उसके लिये हरजाना न दिया जायगा, और न वे चीज़ें वापस की जायँगी।

(ङ) यह हरएक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह यह प्रमाणित करने की क़ानूनी कार्यवाही करे कि उसकी संपत्ति की ज़ब्ती क़ानूनी न थी।

(१७) (क) ग़ैर-मनक़ूला जायदाद, जो आर्डिनेंस नं० ६, सन् १६३० के अनुसार गवर्नमेंट के क़ब्ज़े में आ गई हो, लौटा दी जायगी।

(ख) ज़मीन और दीगर ग़ैर-मनक़ूला जायदाद, जो सरकार ने मालगुज़ारी या अन्य टैक्स-वसूली के लिये क़ुर्क़ या ज़ब्त कर ली हो, लौटा दी जायगी। यदि कलेक्टर को यह विश्वास हो कि वह एक निर्धारित समय में बक़ाया अदा न करेगा, तो उपर्युक्त शर्त लागू न होगी। समय को निर्धारित करते समय उसकी स्थिति पर विचार किया जायगा, और आवश्यकतानुसार मालगुज़ारी-ऐक्ट के अनुसार वसूली मुल्तवी की जा सकेगी।

(ग) यदि ग़ैर-मनक़ूला जायदाद किसी तीसरे को बेच दी गई है, तो वह सरकार की ओर से अंतिम निर्णय समझा जायगा।

(घ) हरएक व्यक्ति को क़ुर्क़ी या ज़ब्ती को ग़ैर-क़ानूनी साबित करने के लिये क़ानूनी कार्यवाही करने की पूरी आज़ादी होगी।

(१८) सरकार का विश्वास है कि बक़ाया टैक्स-वसूली में कुछ मामलों में ग़ैर-क़ानूनी कार्यवाही हुई है। ऐसे मामलों में प्रांतीय सरकारें ज़िले के अफ़सरों को हिदायत करेंगी कि ऐसी कोई शिक़ायत होने पर वह ठीक-ठीक जाँच करें, और अगर कोई ग़ैर-क़ानूनी कार्यवाही हो गई हो, तो उसे दुरुस्त करें।

(१९) जहाँ इस्तीफ़े देने के कारण ख़ाली जगह स्थायी तौर पर भर ली गई है, वहाँ सरकार पहले कर्मचारी को पुनः नियुक्त करने में असमर्थ है। इस्तीफ़ों के संबंध में प्रांतीय सरकारें पृथक्-पृथक् विचार करेंगी, और सरकारी कर्मचारियों अथवा गाँव के अफ़सरों को, जो फिर से अपनी नियुक्ति के लिये प्रार्थना करेंगे, प्रांतीय सरकारें पुनः नियुक्त करने में उदारता की नीति से काम लेंगी।

(२०) वर्तमान आर्थिक स्थिति में सरकार नमक-संबंधी शासन को छोड़ नहीं सकती और न नमक-ऐक्ट में कुछ संशोधन ही कर सकती है। फिर भी कुछ ग़रीब आदमियों को सहायता देने के लिये, समुद्र के किनारे के गाँवों में रहनेवालों को गवर्नमेंट यह आज़ादी देने को तैयार है कि वे अपने घर खाने या अपने गाँव में बेचने के लिये नमक बनावें या इकट्ठा करें, पर ऐसे गाँवों से बाहर के आदमियों से न वे व्यापार कर सकेंगे, और न बाहर के आदमी नमक ही बना सकेंगे।

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते के अनुसार पूर्णतः न

चलेगी, तो सरकार जनता एवं व्यक्तियों की रक्षा तथा शांति और व्यवस्था के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी।

सरकार और कांग्रेस, दोनो ने इस समझौते के अनुसार काम किया है। सभी राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिए गए, उधर सत्याग्रह-आंदोलन रोक दिया गया, और अब भारत या इँगलैंड में एक विराट् गोल-सभा होने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें महात्मा गांधी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर जायँगे, और उसमें पूर्ण स्वाधीनता की रहस्यमयी व्याख्या होगी। महात्मा गांधी को विश्वास है, यदि उन्हें बाधा न दी गई, तो वह ५ वर्षों में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।

ईश्वर उस दिन को शीघ्र दिखावे।